EXAMINATION BYE-LAWS

1995 (UPDATED UPTO JANUARY 2013)



CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION DELHI

परीक्षा संबंधी उप-विधि

1995 (जनवरी 2013 तक संशोधित)



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली

Examination Bye-Laws

Translation Kendriya Anuwadh Bureau

Rajbhasha Vibhag, Grah Mantralaya Paryavaran Bhawan Eight Floor, B-Block, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003

परीक्षा संबंधी उप-विधि

अनुवाद

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय पर्यावरण भवन आठवां तल, बी ब्लॉक सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110 003

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली

CBSE, DELHI-110092

March 1995, 5000 copies Updated upto January 2001 March 2001, 2000 copies Updated upto December, 2002 December, 2002 4000 copies Updated upto December, 2004 April 2005, 20,000 copies Updated upto November 2011 July 2013, 15000 copies

Price Rs.

सी.बी.एस.ई., दिल्ली-110092

मार्च 1995, 5000 प्रतियाँ जनवरी 2001 तक संशोधित मार्च 2001, 2000 प्रतियाँ दिसम्बर 2002 तक संशोधित दिसम्बर 2002, 4000 प्रतियाँ दिसम्बर 2004 तक संशोधित अप्रैल 2005, 20,000 प्रतियाँ नवंबर 2011 तक संशोधित जुलाई 2013, 15000 प्रतियाँ

मूल्य : रु.

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a ¹[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC] and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the ²[unity and integrity of the Nation];

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVETO OURSELVES THIS I CONSTITUTION.

- 1. Subs. by the Constitution (Forty-Second Amendment) Act. 1976, sec.2, for "Sovereign Democratic Republic (w.e.f. 3.1.1977)
- 2. Subs. by the Constitution (Forty-Second Amendment) Act. 1976, sec.2, for 'unity of the Nation (w.e.f. 3.1.1977)

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक (सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य) बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

> सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय** विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता,** प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और ²(राष्ट्र की एकता और अखण्डता) सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

^{1.} संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{2.} संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''राष्ट्र की एकता'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

THE CONSTITUTION OF INDIA

Chapter IV A Fundamental Duties

ARTICLE 51 A

Fundamental Duties. It SHALL be the duty of every citizen of India

- (a) to abide the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
- (b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
- (c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
- (d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
- (e) To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
- (f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
- (g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wild life and to have compassion for living creatures;
- (h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
- (i) to safeguard public property and to abjure violence;
- to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement.
- *(k) a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or as the case may be ward between the age of six and fourteen years.

^{*}Duty added in the Examination Committee meeting held on 25.1.2012 and approved by the Governing Body at its meeting held on 02.2.2012

भारत का संविधान

भाग 4 क मूल कर्त्तव्य

51 क. मूल कर्त्तव्य- भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह-

- (क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्र गान का आदर करे;
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करे;
- (ग) भारत की प्रभुता, एकता और अंखडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;
- (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा करे;
- (ड·) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेद्भाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं:
- (च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, और वन्य जीव हैं, की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणियों के प्रति दयाभाव रखे:
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
- (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई उँचाईयों को छू ले।
- *(ट) माता-पिता या अभिभावक 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक अपनी संतान अथवा आश्रित जैसी भी स्थिति हो, को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें।

^{*}कर्तव्य को परीक्षा समिति की दिनांक 25.01.2012 को आयोजित बैठक में सिम्मिलित किया गया और शासी निकाय द्वारा इसका दिनांक 02.02.2012 को आयोजित बैठक में अनुमोदन किया गया।

CONTENTS

Chapter No./ Rule No.	Contents	Page No.
Chapter 1		
1.	Short Title	01
2.	Definitions	01
3.	Interpretation	02
4.	Jurisdiction to file suits	02
Chapter 2		
5.	Examinations conducted by the Board	03
Chapter 3		
6.	Admission of Students to a School-General Conditions	04
7.	Admission of Students to a school-Specific requirements	07
8.	Admission Procedure	09
Chapter 4		
9.	Admission to Examinations - General	11
10.	Academic qualifications for undertaking examinations	11
11.	Regular candidates - Definition	12
12.	Candidates eligible to take admission to examinations-Regular Candidates	13
13.	Requirement of attendance for Regular course of study	13
14.	Rules for condonation of shortage of attendance	15
15.	Detaining of eligible candidates	17
16.	Private candidates - Definition	17
17.	Persons eligible to appear as "Private candidate" at Delhi Senior School Certificate (Class XII) Examination	17
18.	Persons eligible to appear as "Private candidate" at All India Senior School Certificate (Class XII) Examination	17
19.	Procedure for submission of Application of Private candidates at All India/Delhi Senior School Certificate (Class XII) Examination	18
20.	Persons eligible to appear as Private Candidate for Delhi Secondary School Examination	19
21.	Persons eligible to appear as a Private Candidate for All India Secondary School Examination	19

विषय सूची

अध्याय नियम सं	संख्या∕ ख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
अध्याय 1	l		
	1.	संक्षिप्त नाम	01
	2.	परिभाषाएँ	01
	3.	निर्वचन	02
	4.	मुकद्दमा दायर करने का क्षेत्राधिकार	02
अध्याय 2	2		
	5.	बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाएँ	03
अध्याय ३	3		
	6.	विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश सामान्य शर्तें	04
	7.	विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश विशेष अपेक्षाएं	07
	8.	प्रवेश प्रक्रिया	09
अध्याय ४	1		
	9.	परीक्षाओं में प्रवेश सामान्य	11
	10.	परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक योग्यताएँ	11
	11.	नियमित विद्यार्थी परिभाषा	12
	12.	परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र विद्यार्थी : नियमित विद्यार्थी	13
	13.	अध्ययन के नियमित पाठ्यक्रम के लिए उपस्थिति की अपेक्षा	13
	14.	उपस्थिति में हुई कमी के लिए माफी के नियम	15
	15.	पात्र परीक्षार्थियों को रोकना	17
	16.	प्राईवेट (निजी) परीक्षार्थी परिभाषा	17
	17.	दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र (बारहवीं कक्षा) परीक्षा में 'प्राईवेट परीक्षार्थी' के रूप में बैठने के पात्र व्यक्ति	17
	18.	अखिल भारतीय वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र (बारहवीं कक्षा) परीक्षा	17
		में प्राईवेट विद्यार्थी के रूप में बैठने के पात्र व्यक्ति	
	19.	अखिल भारतीय/दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र	18
		(बारहवीं कक्षा) परीक्षा में प्राईवेट परीक्षार्थियों के आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया	
	20.	दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए प्राईवेट	19
		परीक्षार्थी के रूप में बैठने के पात्र व्यक्ति	
	21.	अखिल भारतीय माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए प्राईवेट परीक्षार्थी के रूप में बैठने के पात्र व्यक्ति	19

22.	Procedure for submission of applications of Private Candidates at All India/ Delhi Secondary School Examination	20
23.	Exemption from Examination in Third Language	21
24.	Exemption to Blind, Physically Handicapped, Autistic, Dyslexic, Spastic and Candidates with disabilities as defined in the Persons with Disabilities Act, 1995	21
25.	Use and appointment of Amanuensis	22
26.	Rules for Change in Subject	22
27.	Submission of Migration Certificate by Private / Teacher Candidates for All India/Delhi Senior School Certificate Examination	22
Chapter 5		
28.	Mode of submission of applications for Regular Students	23
29.	Payment of Fees	
30.	Holding over of Fees	23
31.	Refund of Fee	24
Chapter 6		
32.	General Conditions for fixation of examination centres, appointment of Centre Superintendents etc.	25
33.	Norms for fixation of Examination centres	25
34.	Norms for appointment of Centre Superintendents / Deputy Superintendents / Asstt. Supqts.	27
35.	Rules for change of examination centre	29
36.	Rules for Unfair Means Cases	29
Chapter 7		
37.	Scheme of Examinations and Pass Criteria - General Conditions	33
38.	Grading - Senior School Certificate Examination	33
38A	Grading-Secondary School Examination	34
39.	Merit Certificates	35
40.	Scheme of Examinations (Senior School Certificate Examinations)	36
41.	Scheme of Examinations (Secondary School Examinations)	37
42.	Improvement of Performance/Compartment Examination for Secondary/	
	Senior School Certificate Examination	38
42-A	Retention of Practical Marks in Respect of Failure Candidates for Senior School Certificate Examinations	40
43.	Additional Subject(s)	40
44.	Improvement of Performance/Upgrading of Performance	41
45.	Patrachar Vidyalaya Candidates	42
46.	Exemption to Blind, Physically Handicapped, Autistic, Dyslexic, Spastic and Candidates with disabilities as defined in the Persons with Disabilities Act. 1995	42

22.	अखिल भारतीय⁄दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में प्राईवेट परीक्षार्थियों के आवेदनपत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया	20
23.	तृतीय भाषा में परीक्षा देने से छूट	21
24.	दृष्टिहीन (नेत्रहीन), शारीरिक रूप से विकलांग, आटिस्टिक, डिस्लेक्सिक, सस्तंभी (स्पैस्टिक) तथा निशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में पारिभाषित विकलांगता वाले अभ्यर्थियों को छूट	21
25.	लेखन लिपिक (Amanuensis) की सेवाओं का उपयोग और लेखन लिपिक की नियुक्ति	22
26.	विषय में परिवर्तन के लिए नियम	22
27.	अखिल भारतीय/दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा के	22
	लिए प्राईवेट⁄शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा प्रवास प्रमाणपत्र	
	(माइग्रेशन सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करना	
अध्याय 5		
28.	नियमित विद्यार्थियों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की विधि	23
29.	शुल्क का भुगतान	23
30.	शुल्क का रोकना	23
31.	शुल्क की वापसी	24
अध्याय 6		
32.	परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण, केन्द्र अधीक्षकों की नियुक्ति आदि के लिए सामान्य शर्तें	25
33.	परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के मानदंड	25
34.	केन्द्र अधीक्षक/उप-अधीक्षकों⁄सहायक अधीक्षकों की नियुक्ति संबंधी मानदंड	27
35.	परीक्षा केन्द्र के परिवर्तन के नियम	29
36.	अनुचित तरीके के मामलों संबंधी नियम	29
अध्याय 7		
37.	परीक्षा योजना और उत्तीर्णता मानदंड सामान्य शर्तें	33
38.	श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) - वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा	33
38-ए.	श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) - माध्यमिक विद्यालय परीक्षा	34
39.	मेरिट प्रमाणपत्र	35
40.	परीक्षा योजना (वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षाएँ)	36
41.	परीक्षा योजना (माध्यमिक विद्यालय परीक्षाएँ)	37
42.	माध्यमिक/वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा की पूरक परीक्षा/निष्पादन में सुधार	38
42-ए.	वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के संबंध में प्रायोगिक परीक्षा के अंक यथावत रखना	40
43.	अतिरिक्त विषय	40
44.	निष्पादन संबंधी सुधार⁄निष्पादन में उन्नयन	41
45.	पत्राचार विद्यालय के विद्यार्थी	42
46.	दृष्टिहीन (नेत्रहीन), शारीरिक रूप से विकलांग, आटिस्टिक, डिस्लेक्सिक, सस्तंभी (स्पैस्टिक) तथा निशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में पारिभाषित विकलांगता वाले अभ्यर्थियों को छूट	42

Cha	pter	8
-----	------	---

47.	Confidential Work - General	43
48.	Qualifications for Appointment of Paper Setters, Moderator / their duties/ Disqualification / Instructions for Paper Setters, Moderators, Head Examiners, Examiners etc.	43
49.	Receipt of Answer-Books	46
50.	Chief Secrecy Officers/Secrecy Officers	46
51.	Evaluation	46
52.	Marking Scheme	47
53.	Head Examiners	47
54.	Additional Head Examiners	47
55.	Examiners	48
56.	Team Evaluation	48
57.	Award List	49
58.	Spot Evaluation "Nodal Centres"	49
59.	Declaration of Results	49
60.	'Result Later' Cases	50
61.	Verification of Marks/Grades obtained by a Candidate in a Subject	50
62.	Maintenance of Answer Books	52
Chapter 9		
63.	Passing/Qualifying Certificates/Marks Statement/Statement of Subject wise Performance/Certificate of Continuous and Comprehensive Evaluation	53
64.	Provisional Certificate	53
65.	Date of Birth Certificate	54
66.	Migration Certificate	54
67.	Duplicate Pass Certificate	54
68.	Provision of Mother's Name	54
69.	Changes in Board's Certificates	55
Chapter 10		
70.	Merit Scholarship for Single Girl Child	57
Chapter 11		
71.	Equivalences	58
Chapter 12		
72.	CBSE-i	77
Annexures		
	sfer Certificate (Annexure-I)	91
Scale of Fee (Annexure-II)		93
Definitions as given in RTE Act 2009 (Annexure-III)		96
John Mario do givor in tel E 7 lot 2000 (7 linio Adro In)		

अध्याय	8
--------	---

	47.	गोपनीय कार्य : सामान्य	43
	48.	प्राश्निक/परिनियामक (माडरेटर) की नियुक्ति संबंधी अर्हताएँ, प्राश्निकों तथा परिनियामकों	
		के कर्त्तव्य, प्राश्निकों/परिनियामकों (माडरेटरों)/मुख्य परीक्षकों/परीक्षकों/इत्यादि का	
		अयोग्य होना, प्राश्निकों परिनियामकों मुख्य परीक्षकों परीक्षकों आदि के लिए अनुदेश	46
	49.	उत्तरपुस्तिकाएँ प्राप्त करना	46
	50.	मुख्य गोपनीयता अधिकारी/गोपनीयता अधिकारी	46
	51.	मूल्यांकन	46
	52.	अंकन योजना	47
	53.	मुख्य परीक्षक	47
	54.	अतिरिक्त मुख्य परीक्षक	47
	55.	परीक्षक	48
	56.	दल मूल्यांकन	48
	57.	एवार्ड सूची	49
	58.	यथास्थान मूल्यांकन ''नोडल केन्द्र''	49
	59.	परिणाम घोषित करना	49
	60.	''बाद में परिणाम'' देने संबंधी मामले	50
	61.	किसी विषय में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों श्रेणी का सत्यापन	50
	62.	उत्तरपुस्तिकाओं का रखरखाव	52
अध्याय 9			
	63.	उत्तीर्णता/अर्हक प्रमाणपत्र, अंक तालिका/विषयवार निष्पादन की तालिका/सतत एवं	53
		व्यापक मूल्यांकन का प्रमाण पत्र	
	64.	अनंतिम प्रमाण-पत्र	53
	65.	जन्म तिथि का प्रमाणपत्र	54
	66.	प्रवास प्रमाण पत्र	54
	67.	उत्तीर्ण प्रमाणपत्र की अनुलिपि	54
	68.	माता के नाम का प्रावधान	54
	69.	बोर्ड के प्रमाणपत्रों में परिवर्तन	55
अध्याय 10			
	70.	एकल बालिका संतान के लिए छात्रवृत्ति	57
अध्याय 11			
	71.	समकक्षताएं	58
अध्याय 12			
	72.	सीबीएसई-आई	77
संलग्नक			
स्थानान्तरण	प्रमाण	पत्र का आरूप (संलग्नक-l)	91
शुल्क का मा			93
शिक्षा के आं	धेकार	अधिनियम 2009 में दी गई परिभाषाएं (संलग्न-॥)	96

1.

SHORT TITLE

1. Short Title

- (i) These Bye-Laws shall be called the Examination Bye-Laws of the Central Board of Secondary Education.
- (ii) They are effective from 31st January, 1995

2. Definitions

In these Bye-laws unless the context otherwise requires:-

- (i) "Admission Register or Admission & Withdrawal Register" means a register maintained by the school indicating the admission of candidates to various classes in the institution.
- (ii) "Board" means the Central Board of Secondary Education.
- (iii) "Chairman" means the Chairman of the Central Board of Secondary Education.
- (iv) "Controller of Examinations" means the Controller of Examinations of the Central Board of Secondary Education. .
- *(iv) (a) "Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE)" means assessing the students upto Class X at school level both in scholastic and co-scholastic areas of evaluation spread over the total span of instructional time.
- **(v) "Examinations" means Examinations conducted by the Central Board of Secondary Education/Secondary School (Class X) Examination conducted by a School affiliated to the Central Board of Secondary Education
- (vi) "Examination Committee" means Examination Committee of the Board
- (vii) "Government" means the Government of India.
- ***(vii) (a) 'Grades' means grades awarded by the Board/School affiliated to the Board at the Secondary School Examination in the subjects under Scholastic Area A (in lieu of numerical scores), Scholastic Area B and Co-scholastic area.
 - (viii) "Institution" means an educational institution including a school recognised or affiliated to by a Recognised Board/University and/or by the Union Govt. or a State Govt. or the Govt. of an Union Territory.
 - (ix) "Migration Certificate" means a certificate issued by the Central Board of Secondary Education at the request of a candidate passing out Secondary/Senior School Certificate Examination of the Board for seeking admission to the examinations of another Board/University.
 - (x) "Major Subject" means a subject where the number of candidates taking examination is 1000 and above.

^{*} Definition added in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010

^{**}Definition amended in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010 and further amended in the E.C. held on 10.9.2012 and approved by the Governing Body held on 26.9.2012

^{***}Definition added in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010 and further amended in the Examination Committee's meeting held on 10.9.2012 and approved by the Governing Body at its meeting held on 26.9.2012.

संक्षिप्त नाम

1. संक्षिप्त नाम

- (i) इन उपविधियों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा संबंधी उप-विधियां कहा जाएगा।
- (ii) ये 31 जनवरी, 1995 से प्रभावी हैं।

2. परिभाषाएँ

इन उप-विधियों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (i) ''प्रवेश रजिस्टर अथवा प्रवेश एवं वापसी रजिस्टर'' से अभिप्राय है विद्यालय द्वारा बनाया ऐसा रजिस्टर जिसमें संस्था की विभिन्न कक्षाओं में दाखिल विद्यार्थियों को निर्दिष्ट किया जाता है।
- (ii) ''बोर्ड'' से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अभिप्रेत है।
- (iii) ''अध्यक्ष'' से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है।
- (iv) ''परीक्षा नियंत्रक'' से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा नियंत्रक अभिप्रेत है।
- *(iv) (क) 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सीसीई)' का अर्थ अनुदेशात्मक समय की कुल अविध में विस्तारित मूल्यांकन के शैक्षिक और सह-शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में विद्यालय स्तर पर कक्षा x तक के विद्यार्थियों का निर्धारण करना है।
- **(v) 'परीक्षाएं' से अभिप्राय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाएं/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालय द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय (कक्षा x) परीक्षा से है।
- (vi) ''परीक्षा समिति'' से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा समिति अभिप्रेत है।
- (vii) ''सरकार'' से भारत सरकार अभिप्रेत है।
- ***(vii)(क) 'ग्रेड' का अभिप्राय बोर्ड से संबद्ध विद्यालय/बोर्ड द्वारा शैक्षिक क्षेत्र क (संख्यात्मक प्राप्तांकों के बदले में), शैक्षिक क्षेत्र ख तथा सह-शैक्षिक क्षेत्र के तहत विषयों में माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में प्रदान की गई ग्रेडों से है।
 - (viii) ''संस्था'' से अभिप्राय एक ऐसी शैक्षिक संस्था से है जिसमें किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा और/अथवा संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त अथवा संबद्ध विद्यालय शामिल है।
 - (ix) "प्रवास प्रमाणपत्र" से अभिप्राय बोर्ड की माध्यमिक/वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण करने पर किसी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रवेश पाने के लिए एक अभ्यर्थी के अनुरोध पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र से है।
 - (x) ''मुख्य विषय'' से अभिप्राय एक ऐसे विषय से है जहां परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1000 और/या इससे अधिक हो।

^{*} परिभाषा परीक्षा सिमिति की 22.6.2010 की बैठक में जोड़ी गई और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित की गई।

^{**} परिभाषा परीक्षा सिमिति की 22.6.2010 की बैठक में संशोधित की गई और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित की गई और परीक्षा सिमिति की दिनांक 10.9.2012 की बैठक में पुनः संशोधित की गई तथा 29.9.2012 की शासी निकाय की बैठक में अनुमोदित की गई।

^{***} परिभाषा परीक्षा समिति की 22.6.2010 की बैठक में जोड़ी गई और शासी निकाय की 29.6.2012 की बैठक में अनुमोदित की गई तथा परीक्षा समिति की 10.9.2012 की बैठक में पुनः संशोधित की गई और शासी निकाय की 26.9.2012 की बैठक में अनुमोदित की गई।

- (xi) "Near relative" means and includes wife/husband, sons and daughters and members of their family, nephew, niece or similar relations of wife/husband.
- (xii) "Recognised Board" means an education Board recognised by the Central Board of Secondary Education and/or by the Union/State Government in India; and includes Universities recognised as such by the University Grants Commission.
- (xiii) "Regional Officer" means the Regional Officer of the Central Board of Secondary Education.
- (xiv) "Results Committee" means Results Committee of the Board.
- (xv) "Rules" mean the Rules as laid down by the Central Board of Secondary Education:
- (xvi) "School' means a school affiliated to the Central Board of Secondary Education.
- (xvii) "Secretary" means the Secretary of the Central Board of Secondary Education.
- (xviii) "SSC" means Senior School Certificate Examination of the Board.
- (xix) "Teacher" when used as a Paper-setter means a Professor, Reader, Lecturer, Principal/ Vice-Principal of Senior/Secondary School and Post Graduate Teacher.
- (xx) "Transfer Certificate" means a certificate issued to a student by the school on his seeking a transfer to another institution by termination of his studies in the previous institution.
- (xxi) "Ward" means near relative.
- (xxii) Words importing the singular number also Include plural number and vice versa.
- (xxiii) Words importing the masculine gender also include the feminine gender.

3. Interpretation

- (i) On any question as to the interpretation of any provision of these Examination Bye-laws, the decision of the Chairman shall be final.
- (ii) On any question pertaining to its interpretation of any provision of these Examination Bylaws, English version shall be treated as correct
- *(iii) Rules stipulated for Secondary School Examination conducted by the Board shall also be applicable for the Schools affiliated to the Board conducting the Secondary School(Class X) Examination under the Continuous and Comprehensive Evaluation Scheme.

4. Jurisdication to file suits

- (i) The Secretary shall be the legal person in whose name the Board may sue and be sued.
- (ii) The legal Jurisdiction for the Suits to be filed against the Board shall be the National Capital Territory of Delhi only.

^{*}Interpretation added in the Examination Committee's meeting held on 22-6-2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29-6-2010. Further amended in the Examination Committee's meeting held on 10.9.2012 and approved by the Governing Body at its meeting held on 26.9.2012.

- (xi) "निकट संबंधी" से अभिप्राय पत्नी⁄पति, पुत्र और पुत्रियाँ और उनके परिवार के सदस्यों, भतीजों, भतीजियों अथवा पत्नी∕पति के ऐसे ही संबंधियों से है।
- (xii) ''मान्यता-प्राप्त बोर्ड'' से अभिप्राय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा और/अथवा भारत में संघ/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से है जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय भी शामिल है।
- (xiii) ''क्षेत्रीय अधिकारी'' से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्षेत्रीय अधिकारी अभिप्रेत है।
- (xiv) ''परिणाम समिति'' से बोर्ड की परिणाम समिति अभिप्रेत है।
- (xv) ''नियम'' से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित नियम अभिप्रेत है।
- (xvi) ''विद्यालय'' से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालय अभिप्रेत है।
- (xvii) ''सचिव'' से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है।
- (xviii) ''एस.एस.सी.'' से बोर्ड की वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा अभिप्रेत है।
- (xix) ''प्राश्निक'' के रूप में प्रयुक्त 'अध्यापक' शब्द से अभिप्राय प्रोफेसर, रीडर, प्राध्यापक, वरिष्ठ/माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य/उप-प्रधानाचार्य और स्नातकोत्तर अध्यापक से है।
- (xx) "स्थानांतरण प्रमाण-पत्र" से अभिप्राय पिछली संस्था में विद्यार्थी अपना अध्ययन समाप्त करने पर किसी अन्य संस्था में अपना नाम स्थानान्तरित करवाने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी को विद्यालय द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र से है।
- (xxi) ''वार्ड'' से अभिप्राय निकट संबंधी से है।
- (xxii) एक वचन शब्दों में बहुवचन और बहुवचन के द्योतक शब्दों में एक वचन शब्द भी शामिल है।
- (xxiii) पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग भी शामिल है।

3. निर्वचन (व्याख्या)

- (i) परीक्षा संबंधी इन उप-विधियों के किसी भी उपबंध के निर्वचन (व्याख्या) से संबंधित किसी भी प्रश्न पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
- (ii) परीक्षा संबंधी इन उप-विधियों के किसी भी उपबंध के निर्वचन से संबंधित किसी भी प्रश्न पर अंग्रेजी रूपांतर सही माना जाएगा।
- *(iii) बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए अनुबद्ध नियम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के तहत माध्यमिक विद्यालय (कक्षा x) परीक्षा आयोजित कराने वाले बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों के लिए भी लागू होंगे।

4. मुकद्दमा दायर करने का क्षेत्राधिकार

- सचिव, वह विधि विषयक व्यक्ति होगा जिसके नाम से बोर्ड मुकदमा चला सकता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
- (ii) बोर्ड के विरूद्ध मुकदमा दायर करने का कानूनी क्षेत्राधिकार केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली होगा।

^{*} निर्वचन परीक्षा सिमित की 22.6.2010 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया। आगे परीक्षा सिमित की दिनांक 10.9.2012 को आयोजित बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय द्वारा इसकी दिनांक 26.9.2012 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया।

EXAMINATIONS CONDUCTED BY THE BOARD

5.1 The Board shall conduct the following examinations every year ordinarily commencing from the period indicated against each:

(i)	All India/Delhi Senior School Certificate Examination (Class XII)	First week of March
(ii)	All India/Delhi Secondary School Examination (Class X)	First week of March
(iii)	All India/Delhi Senior School Certificate Examination (Comptt) (Class XII)	Third week of July
*(iv)	All India/Delhi Secondary School Examination (Improvement of Performance) (Class X)	Third week of July
*(v)	All India Pre-Medical/Pre-Dental Entrance Examination	"Prelim - First Sunday of April Final - 2nd Sunday of May
*(vi)	All India Engineering/Architecture Entrance Examination	4th Sunday of April
(vii)	Such other Examinations as the Board may decide or may be asked to conduct from time to time.	

5.2 The period of commencement of the examinations indicated in bye-law 5.1 is only suggestive. The examinations will actually be held on such dates and such time at such centres as may be determined by the Chairman every year.

^{*} Rules amended in the Examination Committee's meeting held on 22-6-2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29-6-2010.

बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाएँ

5.1 बोर्ड प्रतिवर्ष निम्नलिखित परीक्षाएँ संचालित करेगा जो सामान्यतः उनमें से प्रत्येक के समक्ष दर्शाई गई अवधि से प्रारंभ होती हैं:-

(i) अखिल भारतीय/दिल्ली

मार्च का प्रथम सप्ताह

वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र

परीक्षा (कक्षा XII)

(ii) अखिल भारतीय/दिल्ली

मार्च का प्रथम सप्ताह

माध्यमिक विद्यालय

परीक्षा (कक्षा X)

(iii) अखिल भारतीय/दिल्ली

जुलाई का तीसरा सप्ताह

वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र

परीक्षा (पूरक) (कक्षा XII)

*(iv) अखिल भारतीय/दिल्ली

जुलाई का तीसरा सप्ताह

माध्यमिक विद्यालय

परीक्षा (निष्पादन में सुधार) (कक्षा X)

*(v) अखिल भारतीय प्री-मेडिकल/प्री-डेंटल

प्रारंभिक - अप्रैल का प्रथम रविवार

प्रवेश परीक्षा

मुख्य - मई का दूसरा रविवार

*(vi) अखिल भारतीय इंजीनियरिंग/आर्किटेक्चर

अप्रैल का चौथा रविवार

प्रवेश परीक्षा

(vii) ऐसी अन्य परीक्षाएँ जिन्हें

बोर्ड समय-समय पर निर्धारित कर सकता है

अथवा संचालित करने के लिए उसे कहा जाता है।

5.2 उप-विधि 5.1 में निर्दिष्ट परीक्षाएं शुरू करने का समय केवल सांकेतिक है। वास्तव में ये परीक्षाएं प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष द्वारा यथानिर्धारित केंद्रों पर निश्चित तारीख और समय पर आयोजित की जाएंगी।

^{*} ये नियम परीक्षा समिति की 22.6.2010 की बैठक में संशोधित किए गए और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किये गए।

3

ADMISSION OF STUDENTS TO A SCHOOL, TRANSFER/MIGRATION OF STUDENTS'

- 6. Admission: General Conditions:
- 6.1 (a) A student seeking admission to any class in a 'School' will be eligible for admission to that Class only if he:
 - (i) has been studying in a School recognised by or affiliated to this Board or any other recognised Board of Secondary Education in India;
 - (ii) has passed qualifying or equivalent qualifying examination making him eligible for admission to that Class:
 - (iii) satisfies the requirements of age limits (minimum and maximum) as determined by the **State/U.T. Government** and applicable to the place where the School is located;
 - (iv) produces:
 - a) the School Leaving Certificate/Transfer Certificate signed by the Head of the Institution last attended and countersigned, if required as provided elsewhere, in these Byelaws;
 - b) document(s) in support of his having passed the qualifying or equivalent qualifying examination; and
 - *c) For the purposes of admission to elementary education, the age of a child shall be de termined on the basis of the birth certificate issued in accordance with the provisions of the Births, Deaths and Marriages Registration Act, 1886 or on the basis of such other document, as may be prescribed, as stipulated in section 14(1) of THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION ACT, 2009.
 - **d) No child shall be denied admission in a school for lack of age proof, as stipulated in section 14(2) of THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION ACT, 2009.
 - **(b) a child suffering from disability, as defined in Clause (i) of Section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection and Full Participation) Act., 1995, shall have the right to pursue free and compulsory elementary education in accordance with the provisions of Chapter V of the said Act, as stipulated in Section 3(2) of THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION ACT, 2009
 - **(c) Where a child above six years of age has not been admitted in any school or though admitted, could not complete his or her elementary education, then, he or she shall be admitted in a class appropriate to his or her age

^{*}Rule added in the Examination Committee's meeting held on 23.12.2004 and approved by the Governing Body at its meeting held on 30.12.2004. Further amended in the Examination Committee's meeting held on 22.12.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.12.2010.

^{**}Rule added in the Examination Committee's meeting held on 22.12.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.12.2010.

विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश, विद्यार्थियों का स्थानांतरण/प्रवास

6. प्रवेश की सामान्य शर्तें

- 6.1 (क) 'विद्यालय' की किसी कक्षा में प्रवेश चाहने वाला विद्यार्थी उस कक्षा में प्रवेश पाने का तभी पात्र होगा, यदि:-
 - (i) वह इस बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त अथवा इससे संबद्ध किसी विद्यालय अथवा भारत में किसी अन्य मान्यताप्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अध्ययन कर रहा है;
 - (ii) उसने अर्हकारी (qualifying) परीक्षा अथवा उसके समकक्ष अर्हकारी परीक्षा पास कर ली है जिससे वह उस कक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्र हो जाता है;
 - (iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा निर्धारित और जहां विद्यालय स्थित है, उस स्थान पर लागू शर्तों के अनुसार आयु सीमा (न्यूनतम और अधिकतम) पूरी करता है;
 - (iv) वह निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है;
 - (क) जिस संस्था में उसने आखिरी पढ़ाई की है, उसके प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित और यदि आवश्यक हो तो इन उपविधियों में अन्यत्र दी गई विधियों के अनुसार प्रतिहस्ताक्षरित विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र/स्थानांतरण प्रमाणपत्र:
 - (ख) अर्हकारी अथवा समकक्ष अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के समर्थन में दस्तावेज; तथा
 - *(ग) प्राथिमक शिक्षा में प्रवेश के प्रयोजन के लिए बालक की आयु जन्म, मृत्यु और विवाह रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 के उपबंधों के अनुसार जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर या ऐसे अन्य दस्तावेज के आधार पर, जो विहित किया जाए, अवधारित की जाएगी जैसा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम, 2009 की धारा 14(1) में अनुबंधित किया गया है।
 - **(घ) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम, 2009 की धारा 14(2) के अनुबंध के अनुसार किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इन्कार नहीं किया जाएगा।
 - **(ख) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 2 के खंड (झ) में यथापरिभाषित निःशक्तता से ग्रस्त किसी बालक को उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंधों के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, जैसा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिनियम, 2009 की धारा 3(2) में अनुबंधित किया गया है।
 - **(ग) जहां, छह वर्ष से अधिक की आयु के किसी बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है या प्रवेश तो दिया गया है किंतु उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, तो उसे उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

^{*} यह नियम परीक्षा समिति की 23.12.2004 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय की 30.12.2004 की बैठक में अनुमोदित किया गया। इसके बाद परीक्षा समिति 22.12.2010 की बैठक में संशोधन किया गया और शासी निकाय की 29.12.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{**} यह नियम परीक्षा समिति की 22.12.2010 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय की 29.12.2010 की बैठक मे अनुमोदित किया गया।

Provided that where a child is directly admitted in a class appropriate to his or her age, then, he or she shall, in order to be at par with others, have a right to receive special training, in such manner, and within such time-limits, as may be prescribed.

Provided further that a child so admitted to elementary education shall be entitled to free education till completion of elementary education even after fourteen years, as stipulated in Section 3(4) of THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION ACT, 2009

*(d) (i) For the purposes of this Act, a school specified in sub-clauses (iii) and (iv) of clause (n) of Section 2 shall admit in Class I, to the extent of the strength specified in THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION ACT. 2009, of that class, children belonging to weaker section and disadvantaged group in the neighbourhood and provide free and compulsory elementary education till its completion.

Provided further that where a school specified in clause (n) of section 2 imparts preschool education, the provisions of clause (c) shall apply for admission to such preschool education, as stipulated in section 12(1)(c) of THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION ACT, 2009.

(ii) The school specified in sub-clause (iv) of clause (n) of section 2 providing free and compulsory elementary education as specified in clause (c) of sub-section (1) shall be reimbursed expenditure so incurred by it to the extent of per-child-expenditure incurred by the State, or the actual amount charged from the child, whichever is less, in such manner as may be prescribed.

Provided that such reimbursement shall not exceed per-child-expenditure incurred by a school specified in sub-clause (i) of clause (n) of section 2.

Provided further that where such school is already under obligation to provide free education to a specified number of children on account of it having received any land, building, equipment or other facilities, either free of cost or at a concessional rate, such school shall not be entitled for reimbursement to the extent of such obligation, as specified in section 12(2) of THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION ACT, 2009.

*(e) No school or person shall, while admitting a child, collect any capitation fee and subject the child or his or her parents or guardian to any screening procedure, as stipulated in section 13(1) of THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION ACT, 2009.

Any school or person, if in contravention of the above provisions -

- (a) Receives capitation fee, shall be punishable with fine which may extend to ten times the capitation fee charged
- (b) Subjects a child to screening procedure, shall be punishable with fine which may extend to twenty-five thousand rupees for the first contravention and fifty thousand

^{*} Rule added in the Examination Committee's meeting held on 22.12.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.12.2010.

परंतु जहां किसी बालक को, उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में सीधे प्रवेश दिया जाता है, वहां उसे अन्य बालकों के समान होने के लिए, ऐसी रीति में और ऐसी समय सीमा के भीतर, जो विहित की जाए, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा।

परंतु यह और कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए इस प्रकार प्रवेश प्राप्त कोई बालक, चौदह वर्ष की आयु के पश्चात भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निः शुल्क शिक्षा का हकदार होगा, जैसा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 3(4) में अनुबंधित है।

- *(घ) (i) इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए, धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट उस कक्षा की संख्या की सीमा तक आस-पास में दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश देगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा इसके पूरा होने तक प्रदान करेगा।
 - परंतु यह और कि जहां धारा 2 के खंड (ढ) में विनिर्दिष्ट एक विद्यालय पूर्व विद्यालय (प्री-स्कूल) शिक्षा देता है, खंड (ग) का प्रावधान ऐसी पूर्व विद्यालय शिक्षा के प्रवेश हेतु लागू होगा जैसा कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 2(1) (ग) में अनुबद्ध है।
 - (ii) धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालय उप-धारा (1) के खंड (ग) में यथा विनिर्दिष्ट निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराता है तो उसके द्वारा इस प्रकार उठाए गए खर्च की प्रतिपूर्ति राज्य द्वारा उठाए प्रति बालक खर्च की सीमा तक अथवा बालक से ली गई वास्तविक राशि, जो भी कम हो, इस रीति में जैसािक विहित की जाए, की जाएगी।

परंतु ऐसी प्रतिपूर्ति धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (i) में विनिर्दिष्ट किसी विद्यालय द्वारा उठाए गए प्रति बालक खर्च से अधिक नहीं होगी।

परंतु यह और कि जहां ऐसा विद्यालय उसके द्वारा पहले कोई जमीन, भवन, उपस्कर अथवा अन्य सुविधाएं निःशुल्क अथवा रियायती दर पर प्राप्त करने के कारण ही विनिर्दिष्ट संख्या में बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराने की बाध्यता के अधीन है, वहां ऐसा विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(2) में विनिर्दिष्ट ऐसी बाध्यता की सीमा तक प्रतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा।

- *(ड·) कोई भी विद्यालय अथवा व्यक्ति एक बालक को प्रवेश देते समय प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रहीत नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता-पिता अथवा सरंक्षक को किसी अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेगा जैसा कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 13(i) में अनुबंधित है।
 - कोई विद्यालय अथवा व्यक्ति, यदि उपर्युक्त उपबंधों के उल्लंघन में -
 - (क) प्रतिव्यक्ति शुल्क प्राप्त करता है तो यह जुर्माने से, जो लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के दस गुणा तक का हो सकता है, दण्डनीय होगा।
 - (ख) किसी बालक को अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन रखता है तो वह जुर्माने से जो पहले उल्लंघन के लिए पच्चीस हजार रूपए तक और प्रत्येक पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए पचास हजार रूपए तक हो सकेगा, दंडनीय है जैसा कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 13(2) में अनुबद्ध है।

rupees for each subsequent contraventions or as may be decided from time to time, as stipulated in section 13(2) of THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION ACT, 2009.

Explanation:

- (a) A person who has been studying in an institution, which is not recognised by this Board or by any other recognised Board of Secondary Education or by the State/ U.T. Government of the concerned place, shall not be admitted to any class of a "School" on the basis of Certificate(s) of such unrecognised institution attended by him earlier.
- (b) 'Qualifying Examination' for the purposes of this Byelaws means an examination the passing of which makes a student eligible for admission to a particular class; and 'equivalent examination' means an examination conducted by any recognised Board of Secondary Education/Indian University or an institution recognised by or affiliated to such Board/ University and is recognised by this Board equivalent to the corresponding examination conducted by this Board or conducted by a "school" affiliated to/recognised by this Board.
- 6.2 No student migrating from a School in a foreign country, other than the School affiliated to this Board, shall be eligible for admission unless an eligibility certificate in respect of such a student has been obtained from this Board. For obtaining eligibility certificate from the Board, the Principal of the School to which admission is being sought will submit to the Board full details of the case and relevant documents with his own remarks/recommendations. The eligibility certificate will be issued by the Board only after the Board is satisfied that the course of study undergone and examination passed is equivalent to the corresponding class of this Board.
- 6.3 No person who is under the sentence of rustication or is expelled from any Board/University/ School or is debarred from appearing in the examination for whatever reason by any Board/ University shall be admitted to any class in a School affiliated to this Board.
- 6.4 No student shall be admitted or promoted to any subsequent higher class in any school unless he has completed the regular course of study of the class to which he was admitted at the beginning of the academic session and has passed the examination, at the end of the concerned academic session, qualifying him for promotion to the next higher class.
- *6.5 (i) for admissions upto Class VIII a child shall be admitted in a school at the commencement of the academic year or within such extended period as may be prescribed by the school(s) concerned.
 - Provided that no child shall be denied admission if such admission is sought subsequent to the extended period.
 - Provided further that any child admitted after the extended period shall complete his studies in such manner as may be prescribed by the school concerned as stipulated in Section 15 of THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION ACT, 2009.
 - (ii) No student shall be admitted in Class IX and above in a school affiliated with the Board after 31st day of August of the year except with prior permission of the Chairman, CBSE/

^{*}Rule added in the Examination Committee's meeting held on 15.01.2001 and approved by the Governing Body at its meeting held on 18.01.2001. Further amended in the Examination Committee's meeting held on 22.12..2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.12.2010.

स्पष्टीकरण

- (क) जो व्यक्ति किसी ऐसी संस्था में अध्ययन कर रहा है, जो इस बोर्ड द्वारा अथवा किसी अन्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अथवा संबंधित स्थान के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ऐसी अमान्य संस्था के प्रमाणपत्र (पत्रों) के आधार पर "विद्यालय" की किसी भी कक्षा में दाखिला नहीं दिया जाएगा।
- (ख) इस उपविधि के प्रयोजन के लिए 'अर्हकारी परीक्षा' से तात्पर्य उस परीक्षा से है जिसे उत्तीर्ण करने पर विद्यार्थी किसी कक्षा विशेष में प्रवेश का पात्र बन जाता है; तथा ''समकक्ष परीक्षा'' से तात्पर्य किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/भारतीय विश्वविद्यालय अथवा ऐसे बोर्ड/विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त या संबद्ध संस्थान द्वारा ली/गई परीक्षा से तथा इस बोर्ड से संबद्ध/मान्यताप्राप्त किसी ''विद्यालय'' द्वारा अथवा बोर्ड द्वारा ली/गई तत्संबंधी परीक्षा के समकक्ष हो, से है।
- 6.2 इस बोर्ड से संबद्ध विद्यालय के अतिरिक्त विदेश के किसी विद्यालय से अंतिरित कोई भी विद्यार्थी प्रवेश के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक ऐसे विद्यार्थी के संबंध में इस बोर्ड से पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लिया जाए। बोर्ड से पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए जिस विद्यालय में प्रवेश चाहिए, उसका प्रधानाचार्य, मामले के संबंध में पूरा ब्यौरा अपनी अभ्युक्तियों/सिफारिशों सिहत संगत प्रलेख बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। पात्रता प्रमाणपत्र बोर्ड द्वारा तभी दिया जाएगा जब बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो जाए कि किया गया अध्ययन पाठ्यक्रम एवं उत्तीर्ण की गई परीक्षा इस बोर्ड की तत्संबंधी कक्षा के समकक्ष है।
- 6.3 जिस विद्यार्थी को अस्थायी विनिष्कासन का दंड दिया गया हो अथवा जिसे बोर्ड/विश्वविद्यालय/विद्यालय से निष्कासित किया गया हो अथवा किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी कारण परीक्षा में शामिल होने से रोक लिया गया हो, उसको इस बोर्ड से संबद्ध विद्यालय की किसी भी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- 6.4 जो विद्यार्थी अगली उच्च कक्षा में प्रोन्नति के लिए अर्हता-प्राप्त है उसको विद्यालय की किसी उच्च कक्षा में प्रवेश अथवा प्रोन्नति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक वह उस कक्षा में अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता जिसमें उसने शैक्षिक सत्र के शुरूआत में प्रवेश लिया था और उसने संबंधित शैक्षिक सत्र के अंत में परीक्षा उत्तीण न कर ली हो।
- *6.5 (i) कक्षा-VIII तक में प्रवेश के लिए किसी बालक को, शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ पर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो कि संबंधित विद्यालय द्वारा विहित की जाए, किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा।

परंतु किसी बालक को प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा यदि ऐसा प्रवेश विस्तारित अवधि के पश्चात चाहा गया है।

- परंतु यह और कि विस्तारित अवधि के पश्चात प्रवेश प्राप्त कोई बालक ऐसी रीति में, जो संबंधित विद्यालय द्वारा विहित की जाए, अपना अध्ययन पूरा करेगा जैसा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 15 में अनुबंधित है।
- (ii) बोर्ड से संबद्ध किसी भी विद्यालय में कक्षा 9 तथा उससे उच्चतर किसी कक्षा में 31 अगस्त के बाद किसी भी विद्यार्थी को अध्यक्ष सीबीएसई/सक्षम प्राधिकारी जैसा कि राज्य/संघ शासित शिक्षा अधिनियम में

^{*} नियम परीक्षा सिमिति दिनांक 15.1.2001 को आयोजित बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय द्वारा इसकी दिनांक 18.01.2001 की बैठक में अनुमोदित किया गया। परीक्षा सिमिति की दिनांक 22.12.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय द्वारा इसकी 29.12.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

Competent Authority as may have been defined in the State/Union Territory Education Acts. The application for permission to grant admission after 31st of August shall be routed through the Principal of the school specifying the reasons which are unavoidable. The candidate shall complete the required percentage of attendance (75%) for Class IX, X, XI & XII as per Examination Bye laws of the Board to make him/her eligible for the examinations conducted by the Board/School. In such cases where the admission by the candidate could not be taken in a higher class by the stipulated date because of the late declaration of result by the Board in respect of the examinations conducted by the Board such permission would not be required, provided the candidate applied for admission within a fortnight of the declaration of the result.

*6.6 No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment. Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall be liable to disciplinary action under the service rules applicable to such person, as stipulated in sections 17 (1) & (2) of THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION ACT, 2009.

7. Admission: Specific Requirements

- **7.1 (i) Admissions upto Class VIII (i.e. Class VIII and below) shall be regulated by the rules, regulations, orders of the State/U.T. Governments applicable to the place where the School is located.
 - (ii) Every child completing his elementary education shall be awarded a certificate, in such form and in such manner, as may be prescribed by the respective school(s) as stipulated in Section 30(2) of THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION ACT, 2009.
- 7.2 Admission to Class IX in a school shall be open only to such a student who has passed class VIII examination from an Institution affiliated to this Board or to any recognised Board or is recognised by the Education Department of the Government of the State/U. T. in which such an institution is located.

***7.3 Admission to Class X: -

As the syllabus prescribed at Secondary level is of two years integrated course, no admission shall be taken in Class X directly. Provided further that admission to class X in a school shall be open only to such a student who:

- a) has completed a regular course of study for Class IX from an institution affiliated to this Board:
- b) has completed a regular course of study for Class IX and has obtained minimum Grade D in the five subjects(excluding the 6th additional subject) under Scholastic Area A as well as

^{*}Rule added in the Examination Committee's meeting held on 22.12.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.12.2010.

^{**}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 22.12.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.12.2010.

^{***}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 13.5.2004 and approved by the Governing Body at its meeting held on 18.6.2004. Rule Further amended in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Govening Body at its meeting held on 29.6.2010.

यथापिरभाषित, की पूर्व अनुमित के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 31 अगस्त के बाद ऐसे प्रवेश की अनुमित के आवेदन विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से भिजवाए जाएं जिसमें ऐसे अपिरहार्य कारणों का उल्लेख किया गया हो। बोर्ड/विद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए पात्र होने के लिए परीक्षार्थी को बोर्ड की परीक्षा उप-विधि के अनुसार कक्षा IX, X XI तथा XII में उपिस्थित प्रतिशत (75 प्रतिशत) पूर्ण करना होगा। ऐसे मामलों में जहां बोर्ड द्वारा देरी से घोषित परीक्षा-पिरणामों के कारण विद्यार्थी उच्चतर कक्षा में विहित तिथि तक प्रवेश नहीं ले सका, इस प्रकार की अनुमित की आवश्यकता नहीं होगी बशर्ते कि विद्यार्थी ने परीक्षा-पिरणाम घोषित होने की तिथि के दो सप्ताह के भीतर प्रवेश के लिए आवेदन किया हो।

*6.6 किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। जो कोई उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसे व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई का दायी होगा जैसा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17(1) व (2) में अनुबंधित है।

7. प्रवेश : विशेष अपेक्षाएं

- **7.1 (i) कक्षा VIII (अर्थात् कक्षा VIII और इससे नीचे की कक्षा में) तक के प्रवेश को राज्य/संघ राज्य सरकार, जहां पर विद्यालय स्थित है, के नियमों, विनियमों, आदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा।
 - (ii) प्रत्येक बालक को, जिसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली है, ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में, जो संबंधित विद्यालय(यों) द्वारा विहित की जाए, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जैसा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 30(2) में अनुबंधित है।
- 7.2 किसी विद्यालय में कक्षा IX में केवल ऐसे विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाएगा जो इस बोर्ड अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध संस्था से अथवा ऐसे राज्य/संघ राज्य सरकार, जिसमें ऐसी संस्था स्थित है, के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हो, कक्षा VIII की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

***7.3 कक्षा X में प्रवेशः---

जैसािक माध्यमिक स्तर पर निर्धारित पाठ्यक्रम दो वर्ष का एकीकृत कोर्स है, कक्षा X में कोई भी प्रवेश सीधे नहीं होगा। विद्यालय में कक्षा X में विद्यार्थी को तभी प्रवेश दिया जाएगा बशर्ते कि उसनेः–

- (क) इस बोर्ड से संबद्धता प्राप्त संस्थान से कक्षा IX का नियमित अध्ययन का पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो;
- (ख) कक्षा IX का नियमित अध्ययन का पाठ्यक्रम पूरा किया हो और इस बोर्ड से संबद्धता प्राप्त संस्थान द्वारा आयोजित कक्षा IX परीक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तहत शैक्षिक क्षेत्र 'ख' के अधीन विषयों में

^{*} परीक्षा सिमिति की 22.12.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.12.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

**परीक्षा सिमिति की 22.12.2010 की बैठक में यह नियम संशोधित किया गया और शासी नियम की 29.12.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

*** यह नियम परीक्षा सिमिति की 13.5.2004 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 18.6.2004 की बैठक अनुमोदित किया गया।

परीक्षा सिमिति की 22.6.2010 की बैठक में नियम पुनः संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

Grades in subjects under Scholastic Area B under the Continuous and Comprehensive Evaluation Scheme in class IX examination conducted by an institution affiliated to this Board and migrating from/within one city/State to another only on the transfer of the parent(s) or shifting of their families from one place to another, after procuring from the student the Report Book and the Transfer Certificate duly countersigned by the Board; and

c) a student who has completed a regular course of study for class IX and has passed class IX examination from an institution recognized by/affiliated to any recognized Board in India can be admitted to a school affiliated to this Board only on the transfer of the parent(s) or shifting of their families from one place to another, after procuring from the student the mark sheet and the Transfer Certificate duly countersigned by the Educational Authorities of the Board concerned

Notwithstanding anything contained in the rules above. Chairman shall have the powers to allow change of school for better academic performance. medical reasons etc. to avoid undue hardship to the candidate(s).

In case of all such admissions the schools would obtain post facto approval of the Board within one month of admission of the student.

*7.4 Admission to Class XI in a school shall be open to such a student who has:

- (a) obtained minimum Grade D in at least five subjects (excluding the 6th additional subject) under Scholastic Area A as per the Scheme of Studies and a Qualifying Certificate/ Gradesheet cum Certificate of Performance at the Secondary School (Class X) Examination conducted by this Board/School affiliated to this Board;
- (b) has passed an equivalent examination conducted by any other recognized Board of Secondary Education/Indian University and recognized by this Board as equivalent to its secondary school examination; and

**7.5 Admission to Class XII

- (i) As the syllabus prescribed at Senior level is of two years integrated course, no admission shall be taken in class XII directly. Provided further that admission to Class XII in a school shall be open only to such a student who:
 - a) has completed a regular course of study for Class XI and has passed class XI examination from an institution affiliated to this Board.

^{*}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010. and further amended in the Examination Committee's held on 10.9.2012 and approved by the Governing Body at its meeting held on 26.9.2012.

^{**}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 13.5.2004 and approved by the Governing Body at its meeting held on 18.6.2004. Further amended in the Examination Committee's meeting held on 16.2.2009 and approved by the Governing Body at its meeting held on 28.5.2009.

ग्रेड प्राप्त करने के अलावा शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में कम से कम डी ग्रेड प्राप्त किया हो और माता-पिता का स्थानांतरण होने पर एक शहर के अंदर⁄राज्य से दूसरे में अंतरण होने अथवा उसके परिवार का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित होने पर विद्यार्थी से रिपोर्ट बुक तथा बोर्ड के प्राधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अंतरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर; और

(ग) ऐसा विद्यार्थी जिसने भारत में स्थित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से∕संबद्ध मान्यप्राप्त संस्थान से कक्षा IX की परीक्षा उत्तीर्ण की हो को विद्यालय में प्रवेश उनके माता-पिता के स्थानान्तरण करने पर विद्यार्थी की अंकतालिका और संबंधित बोर्ड के शैक्षिक प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित अंतरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर दिया जा सकता है।

उपर्युक्त नियमों में किसी बात के होते हुए विद्यार्थी को अनुचित परेशानी से बचाने के लिए बेहतर शैक्षिक निष्पादन चिकित्सा कारणों इत्यादि से विद्यालय परिवर्तन की अनुमित देने की शक्ति अध्यक्ष को होगी।

ऐसे प्रवेशों के संबंध में विद्यालय विद्यार्थी को प्रवेश देने के एक महीने के भीतर बोर्ड से कार्योत्तर अनुमित प्राप्त करेगा।

*7.4 विद्यालय में कक्षा XI में प्रवेश ऐसे विद्यार्थी को दिया जाएगा जिसनेः-

- (क) इस बोर्ड रस बोर्ड से संबद्ध वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय (कक्षा x) परीक्षा में एक अर्हक प्रमाण-पत्र और अध्ययन की योजना के अनुसार शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत कम से कम पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम ग्रेड 'डी' प्राप्त की हो।
- (ख) किसी अन्य मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिसे इस बोर्ड द्वारा माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो।

**7.5 कक्षा XII में प्रवेश

- (i) चूंकि वरिष्ठ स्तर पर निर्धारित पाठ्यक्रम दो वर्ष का एकीकृत कोर्स है, कक्षा XII में सीधे प्रवेश नही दिया जाएगा। परन्तु इसके अतिरिक्त किसी विद्यालय में कक्षा XII में प्रवेश ऐसे विद्यार्थी को दिया जाएगा जिसने:-
 - (क) कक्षा XI का नियमित पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और इस बोर्ड से संबद्ध संस्थान से कक्षा XI उत्तीर्ण कर ली है।

^{*} यह नियम परीक्षा सिमिति की 22.06.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की दिनांक 29.06.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया और परीक्षा सिमिति की दिनांक 10.09.2012 की बैठक में पुनः संशोधित किया गया व शासी निकाय की दिनांक 26.09.2012 को हुई बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{**} यह नियम परीक्षा सिमिति की दिनांक 13.05.2004 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की दिनांक 18.06.2004 की बैठक में अनुमोदित किया गया। यह आगे परीक्षा सिमिति की दिनांक 16.02.2009 की बैठक में संशोधित किया गया व शासी निकाय की दिनांक 28.05.2009 को हुई बैठक में संशोधित किया गया।

- b) has completed a regular course of study for class XI and has passed class XI examination from an institution affiliated to this Board and migrating from/within one city/state to another only on the transfer of the parent(s) or shifting of their families from one place to another, after procuring from the student the mark sheet and the Transfer Certificate duly countersigned by the Board; and
- c) has completed a regular course of study for class XI and has passed class XI examination from an institution recognized by/affiliated to any recognized Board in India can be admitted to a school affiliated to this Board only on the transfer of the parent(s) or shifting of their families from one place to another, after procuring from the student the mark sheet and the Transfer Certificate duly countersigned by the Educational Authorities of the Board concerned.

Notwithstanding anything contained in the rules above, Chairman shall have the powers to allow change of school for better academic performance, medical reasons etc. to avoid undue hardship to the candidate(s).

In case of all such admissions the schools would obtain post facto approval of the Board within one month of admission of the student.

7.6 Notwithstanding anything contained in paras 1 to 5 of this Byelaws, the admission of students passing qualifying examination from an examining body outside India shall be regulated according to the provisions contained in byelaw 6.2 of this chapter; provided that the condition of completing regular course of study for class IX and XI is satisfied in cases of admission to Class X and Class XII respectively.

8. Admission Procedure

- (i) Admission register in the form prescribed by the State Government concerned/Kendriya Vidyalaya Sangathan/Navodaya Vidyalaya Samiti as the case may be, shall be maintained by the "School" where the name of every student joining "the School" shall be entered.
- (ii) Successive numbers must be allotted to students on their admission and each student should retain this number throughout the whole of his career in the school. A student returning to the school after absence of any duration shall resume his original admission number.
- (iii) If a student applying for admission to a school, has attended any other school, an authenticated copy of the Transfer certificate in the format given in Annexure I, from his last school must be produced before his name can be entered in the Admission Register.
- (iv) In no case shall a student be admitted into a class higher than that for which he is entitled according to the transfer certificate.
- *(v) A student shall not be allowed to migrate from one "School" to another during the session after his name has been sent to the Board for the Secondary School(Class X) and Senior School Certificate(Class XII) Examinations. This condition may be waived only in special circumstances by the Chairman.

^{*}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010. and further amended in the Examination Committee's meeting held on 10.9.2012 and approved by the Governing Body at its meeting held on 26.9.2012.

- (ख) इस बोर्ड से संबद्ध संस्थान से कक्षा XI के लिए नियमित पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और कक्षा XI की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और माता पिता के स्थानान्तरण पर एक राज्य/शहर के अन्दर/से दूसरे में प्रवास करने अथवा उनके परिवारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर, विद्यार्थी से अंक तालिका और बोर्ड द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, और
- (ग) जिसने भारत में किसी मान्यता प्राप्त/संबद्ध संस्थान/बोर्ड से कक्षा XI का अध्ययन नियमित पाठ्यक्रम के रूप में पूरा किया है और कक्षा XI उत्तीर्ण की है, को इस बोर्ड से संबद्ध विद्यालय में प्रवेश केवल उनके माता-पिता के स्थानान्तरण या उनके परिवार के एक स्थल से दूसरे स्थान पर जाने से पर, विद्यार्थी से अंकतालिका और संबंधित बोर्ड के शैक्षिक प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर दिया जा सकता है।

उपर्युक्त नियमों में किसी बात के होते हुए भी, विद्यार्थी को अनुचित परेशानी से बचाने के लिए बेहतर क्षैक्षिक निष्पादन के लिए, चिकित्सा कारणों इत्यादि से विद्यालय परिवर्तन की अनुमित देने की शक्ति अध्यक्ष को होगी। ऐसे प्रवेशों के संबंध में विद्यालय विद्यार्थी को प्रवेश देने के एक महीने के भीतर बोर्ड से कार्योत्तर अनुमित प्राप्त करेगा।

7.6 इस उपविधि के पैरा 1 से 5 में किसी बात के होते हुए भी, भारत से बाहर परीक्षा संस्थान से अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश को इस अध्याय की उपविधि 6.2 में निहित उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा; बशर्ते कि कक्षा IX और XI के अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा करने की शर्त क्रमशः कक्षा X और XII में प्रवेश के मामले में पूरी होती हो।

8. प्रवेश-प्रक्रिया

- (i) संबद्ध राज्य सरकार/केंद्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय सिमिति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा विहित रूप में प्रवेश रजिस्टर ''विद्यालय'' द्वारा रखा जाएगा, जिसमें ''विद्यालय'' में प्रवेश करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का नाम दर्ज किया जाएगा।
- (ii) आनुक्रमिक संख्याएं विद्यार्थियों को उनके प्रवेश लेने पर आबंटित की जाएंगी और प्रत्येक विद्यार्थी यह संख्या विद्यालय में अपनी पूर्ण अविध तक रखेगा। किसी भी अविध तक अनुपस्थित रहने के बाद विद्यालय वापस आने वाले विद्यार्थी को उसकी मूल प्रवेश संख्या दी जाएगी।
- (iii) किसी अन्य विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कोई विद्यार्थी किसी विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन करता है तो प्रवेश-रिजस्टर में उसका नाम दर्ज करने से पहले उसे अपने पिछले विद्यालय से संलग्नक 1 में दिए गए प्रारूप में प्रमाणित स्थानांतरण प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- (iv) स्थानांतरण प्रमाणपत्र के अनुसार विद्यार्थी जिस कक्षा के लिए पात्र हो, उसे उससे उच्च कक्षा में किसी भी स्थिति में प्रवेश न दिया जाए।
- *(v) बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय (कक्षा X) तथा वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण-पत्र (कक्षा XII) परीक्षाओं के लिए उसका नाम भेजे जाने के बाद सत्र के दौरान किसी विद्यार्थी को एक ''विद्यालय'' से दूसरे में प्रवास करने की अनुमित नहीं होगी। यह शर्त अध्यक्ष द्वारा केवल विशेष परिस्थितियों में ही हटाई जा सकती है।

^{*} यह नियम परीक्षा समिति की 22.6.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया। यह नियम परीक्षा समिति की 10.09.2012 की बैठक में पुनः संशोधित किया गया और शासी निकाय द्वारा 26.09.2012 को हुई बैठक में अनुमोदित किया गया।

- *(vi) a student leaving his school at the end of a session or who is permitted to leave his school during the session on account of migration from one city/state to another on the transfer of the parent(s) or shifting of their families from one place to another or parents request, especially in classes IX/X/XI/XII, as the case may be, shall on payment of all dues, receive an authenticated copy of the Transfer certificate up to date. A duplicate copy may be issued if the head of the institution is satisfied that the original is lost but it shall always be so marked.
- (vii) In case a student from an institution not affiliated to the Board seeks admission in a school affiliated to the Board, such a student shall produce a transfer certificate duly countersigned by an authority as indicated in the format given in Annexure-I.
- (viii) If the statement made by the parent or guardian of a student or by the student himself/ herself, if he/she was major at the time of his/her admission to a school, is found to contain any wilful misrepresentation of facts regarding the student's career, the head of the institution may punish him/her as per provision of the Education Act of the State/Union Territory or Kendriya Vidyalaya Sangathan/Navodaya Vidyalaya Samiti rules, as the case may be, respectively and report the matter to the Board.

^{*}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 30.5.2012 and approved by the Governing Body meeting held on 04.06.2012.

- 8. *(vi) सत्र के समाप्त होने पर विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थी अथवा ऐसे विद्यार्थी, जिन्हें सत्र के दौरान एक शहर/राज्य से प्रवास पर, उसके माता/पिता के स्थानान्तरण पर अथवा परिवार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर, अथवा माता/पिता के अनुरोध पर विशेषकर कक्षा IX/X/XI/XII जैसी भी स्थिति हो, पर अपना विद्यालय छोड़ने की अनुमित दी गई हो, विद्यालय की देय राशि का भुगतान करने के बाद स्थानान्तरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति प्राप्त करेगा। यदि संस्था इस बात से संतुष्ट है कि मूल प्रति खो गई है, तो दूसरी प्रति जारी कर सकता है लेकिन उस प्रति पर हमेशा ऐसा अंकित किया जाएगा।
 - (vii) यदि कोई विद्यार्थी, बोर्ड से संबद्ध संस्था से नहीं है बोर्ड से संबद्ध किसी विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है तो ऐसे विद्यार्थी को संलग्नक-1 में दिए गए प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित एक स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - (viii) यदि किसी विद्यार्थी के माता-पिता या अभिभावक द्वारा या स्वयं विद्यार्थी द्वारा, यदि वह विद्यालय में प्रवेश के समय वयस्क था, दिए गए विवरण में विद्यार्थी के शैक्षिक जीवन (कैरियर) से संबंधित तथ्यों को जानबूझकर अलग ढंग से प्रस्तुत किया पाया गया हो तो संस्था प्रमुख यथास्थिति क्रमशः राज्य/संघ राज्य के शिक्षा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अथवा केंद्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय समिति के नियमों के अनुसार उसे दंडित कर सकता है तथा इस संबंध में बोर्ड को सूचित करें।

^{*} नियम परीक्षा सिमिति की दिनांक 30.05.2012 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की दिनांक 04.06.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

4

ADMISSION TO EXAMINATIONS

*9. General

Notwithstanding anything contained in these Byelaws, no candidate who has been expelled or is under the punishment of rustication or is debarred for appearing in or taking an examination for any reason whatsoever, shall be admitted to the All India/Delhi Senior School Certificate/Secondary School Examinations conducted by the Board

10. Academic Qualifications for Undertaking Examinations

- 10.1 A candidate for All India/Delhi Senior School Certificate Examination should have obtained/qualified the following at least two years earlier than the year in which he/she would take Senior School Certificate Examination (Class XII) of the Board:
 - (a) *(i) obtained minimum Grade D in at least five subjects(excluding the 6th additional subject) of study under Scholastic Area A and a Qualifying Certificate at the Secondary School Examination(Class X) conducted by the Board atleast two years earlier than the year in which she/he would take Senior School Certificate Examination(Class XII) of the Board, or
 - **(ii) obtained minimum Grade D in the five subjects(excluding the 6th additional subject) under Scholastic Area A, as well as grades in subjects under Scholastic Area B and in Co-Scholastic area under the Continuous and Comprehensive Evaluation scheme in the Secondary School examination conducted by the school affiliated to the Board and Grade sheet cum Certificate of Performance duly signed by the Board or
 - *(iii) has passed an equivalent examination conducted by any other recognised Board/ University.
 - ***(iv) has passed Class XI examination from an institution affiliated to this Board or an institution recognized by/affiliated to any recognized Board in India atleast one year earlier than the year in which he would take Senior School Certificate Examination of the Board.
 - *(b) has secured grades in subjects under Scholastic Area B and Co-scholastic areas at the Secondary School (Class X) Examination referred to at (a) above.
- 10.2 A candidate for All India/Delhi Secondary School Examination should have:
 - ****(a) passed the Middle School examination (Class VIII) of a Board or of an affiliated/ recognized school at least two years earlier than the year in which he would take Secondary (Class X) examination conducted by the Board/School affiliated to the Board:

^{*}Rules amended in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010.

^{**}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 10.9.2012 and approved by the Governing Body at its meeting held on 26.9.2012.

^{***}Rule added in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body held on 29.6.2010.

^{****}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010 and further amended in the Examination Committee's held on 10.9.2012 and approved by the Governing Body at its meeting held on 26.9.2012.

4

परीक्षाओं में प्रवेश

*9. सामान्य

इन उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी, जिस परीक्षार्थी को किसी भी कारण से विद्यालय से निकाल दिया गया है या निष्कासन का दंड दिया गया है या किसी परीक्षा में भाग लेने या बैठने से रोका गया है, उसको बोर्ड द्वारा आयोजित अखिल भारतीय/दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण-पत्र/माध्यमिक विद्यालय परीक्षाओं में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

10. परीक्षाओं में बैठने के लिए शैक्षणिक योग्यताएं

- 10.1 अखिल भारतीय/दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को उस वर्ष जिसमें वह बोर्ड की वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा (कक्षा XII) में भाग लेगा/लेगी के कम से कम दो वर्ष पहले निम्निलखित को प्राप्त/में अर्हता प्राप्त कर लेना चाहिए :—
 - (क) *(i) शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत अध्ययन के कम से कम पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम 'डी' ग्रेड प्राप्त हो और उस वर्ष जिसमें वह बोर्ड की विष्ठ विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा (कक्षा XII) में भाग लेगा/लेगी के कम से कम दो वर्ष पहले बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (कक्षा X) में अर्हक प्रमाण-पत्र प्राप्त हो, अथवा
 - **(ii) शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम 'डी' ग्रेड के अलावा विरष्ठ माध्यमिक स्तर तक बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालय द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के अधीन शैक्षिक क्षेत्र 'ख' के अधीन विषयों में और सह-शैक्षिक क्षेत्र में ग्रेड प्राप्त हो और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यालय आधारित निर्धारण का प्रमाण-पत्र जो बोर्ड द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो प्राप्त हो, अथवा
 - *(iii) किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।
 - ***(iv) इस बोर्ड से संबद्धता प्राप्त संस्थान से अथवा भारत में किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से संबद्ध/द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से कक्षा XI की परीक्षा उस वर्ष से जिसमें वह बोर्ड की विरष्ठ विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा में भाग लेगा/लेगी से एक वर्ष पूर्व उत्तीर्ण की हो।
 - *(ख) उपर्युक्त 'क' में संदर्भित माध्यिमक विद्यालय (कक्षा X) परीक्षा में शैक्षिक क्षेत्र-'ख' व सह-शैक्षिक क्षेत्रों के अंतर्गत विषयों में श्रेणियां प्राप्त की हैं।
- 10.2 अखिल भारतीय/दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को :
- ****(a) बोर्ड/बोर्ड से संबद्धता द्वारा प्राप्त विद्यालय द्वारा आयोजित माध्यमिक (कक्षा X) परीक्षा में बैठने के कम से कम दो वर्ष पूर्व किसी बोर्ड अथवा संबद्ध/मान्यता प्राप्त विद्यालय से मिडिल विद्यालय परीक्षा (कक्षा VIII) उत्तीर्ण होना चाहिए।

^{*} यह नियम परीक्षा सिमिति की 22.6.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया। ** यह नियम परीक्षा सिमिति की दिनांक 10.09.2012 की बैठक में संशोधित किया गया व 29.09.2012 की शासी निकाय की बैठक में अनुमोदित किया

^{***} यह नियम परीक्षा समिति की 22.6.2010 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{****} दिनांक 22.06.2010 की परीक्षा समिति की बैठक में यह नियम संशोधित किया गया तथा शासी निकाय की 29.06.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया और आगे दिनांक 10.09.2012 की परीक्षा समिति की बैठक में संशोधित किया गया व दिनांक 26.09.2012 की शासी नियम की बैठक में अनुमोदित किया गया।

- (b) secured a grade higher than grade E in each of the subjects of internal assessment at the examination referred to at (a) above; and
- (c) passed the third language as per requirement laid down in the scheme of studies
- *(d) qualified Class IX examination by obtaining minimum Grade D in all the five subjects (excluding 6th additional subject) of study under Scholastic Area A and grades in subjects under Scholastic Area B and co-scholastic areas atleast one year earlier than the year in which she/he would take the Secondary (Class X) examination conducted by the Board/School affiliated to the Board
- *(e) passed Class IX examination from a school recognized by/affiliated to any other recognized Board in India atleast one year earlier than the year in which she/he would take the Secondary (Class X) examination conducted by the Board/school affiliated to the Board.

*10.3 Scheme of the Continuous and Comprehensive Evaluation shall be as under:

- there shall be no Board Examination at Secondary(Class X) level w.e.f. 2013 for students studying in the schools affiliated to the Board who do not wish to move out of the CBSE system after Class X;
- ii) students of Schools affiliated to the Board who wish to move out of the CBSE system after Class X(Pre-University, Vocational course, Change of Board etc.) shall be required to take the Board's External Examination at Secondary(Class X) level,
- iii) The above provisions shall be subject to periodical checks by the Board in respect of such schools/candidates appearing for Examination as defined at (i) above.

**11. Regular Candidates

Definition

For the purposes of the Byelaws contained in this chapter and chapter 5 unless there is something repugnant in the subject or context, a "Regular Candidate" means a student enrolled in a school, who has pursued a regular course of study in a school and seeks admission as such to the All India/Delhi Senior School Certificate/Secondary School Examination of the Boad.

Explanation

A candidate whose name is struck off the rolls of the School after submission of his name/application for admission to the examinations to be conducted by the Board/School affiliated to the Board shall cease to be a regular candidate and as such will not be eligible for admission to the examination conducted by the Board/School.

^{*}Rules added in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010. and further amended in the Examination Committee's held on 10.9.2012 and approved by the Governing Body held on 26.9.2012.

^{**}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010. and further amended in the Examination Committee's meeting held on 10.9.2012 and approved by the Governing Body meeting held on 26.9.2012.

- (ख) उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन के प्रत्येक विषय में ग्रेड 'ई' से उच्च ग्रेड प्राप्त होना चाहिए; तथा
- (ग) अध्ययन योजना में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार तृतीय भाषा उत्तीर्ण की हो।
- $10.2^*(u)$ बोर्ड द्वारा/बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालय द्वारा आयोजित माध्यमिक (कक्षा X) परीक्षा में बैठने के कम से कम एक वर्ष पूर्व शैक्षिक क्षेत्र के अधीन अध्ययन के सभी पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम 'डी' ग्रेड प्राप्त करते हुए कक्षा IX परीक्षा में अर्हता प्राप्त की होनी चाहिए।
- $10.2^*(s)$ बोर्ड द्वारा/बोर्ड से संबद्ध विद्यालय द्वारा आयोजित माध्यमिक (कक्षा X) परीक्षा में बैठने से कम से कम एक वर्ष पूर्व भारत में किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध/द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय की कक्षा IX परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

*10.3 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना निम्नानुसार होगी :

- (i) माध्यमिक स्तर तक के बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और कक्षा X के बाद उन विद्यालयों जिनका सी.बी.एस.ई. प्रणाली से बाहर जाने का इरादा न हो, के लिए वर्ष 2013 से माध्यमिक (कक्षा X) स्तर पर कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी;
- (ii) कक्षा X के बाद (प्री-विश्वविद्यालय, व्यावसायिक कोर्स/बोर्ड को बदलना इत्यादि) सी.बी.एस.ई. प्रणाली से बाहर जाने की इच्छा रखने वाले माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को माध्यमिक (कक्षा X) स्तर पर बोर्ड की बाह्य परीक्षा देनी होगी;
- (iii) उपर्युक्त (i) में परिभाषित अनुसार परीक्षा में बैठने वाले ऐसे परीक्षार्थियों/विद्यालयों के संबंध में उपर्युक्त व्यवस्था बोर्ड द्वारा आवधिक जांच की शर्त पर होगी।

**11. नियमित विद्यार्थी

परिभाषा

इस अध्याय और अध्याय 5 में निहित उप-विधियों के प्रयोजनों के लिए जब तक विषय अथवा संदर्भ के प्रतिकूल न हो तब तक एक ''नियमित विद्यार्थी'' का अर्थ किसी विद्यालय में नामांकित विद्यार्थी से है जिसने किसी विद्यालय में अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा किया हो और बोर्ड की अखिल भारतीय/दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र/माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में प्रवेश लेना चाहता हो।

व्याख्या

जिस विद्यार्थी का नाम बोर्ड द्वारा/बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में प्रवेश के लिए नाम/आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद विद्यालय की नामावली से काट दिया गया है, वह नियमित विद्यार्थी नहीं रहेगा और ऐसा विद्यार्थी बोर्ड/विद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा।

^{*} नियम परीक्षा सिमिति की 22.6.2010 की बैठक में जोड़े गये और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किये गये और आगे दिनांक 10.9.2012 की परीक्षा सिमिति की बैठक में संशोधित किए गए व दिनांक 26.9.2012 की शासी निकाय की बैठक में अनुमोदित किए गए।

^{**} नियम परीक्षा सिमिति की 22.6.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया और आगे दिनांक 10.9.2012 की परीक्षा सिमिति की बैठक में संशोधित किया गया व दिनांक 26.9.2012 की शासी निकाय की बैठक में अनुमोदित किया गया।

12. Admission to Examinations: Regular Candidates

All India/Delhi Senior School Certificate Examination and Secondary School Examination will be open to such regular candidates who have submitted his duly completed application for admission to the concerning examination, and/or his name in the manner prescribed by the Board, along with the prescribed fee (vide Annexure II), forwarded to the Controller of Examinations by the Head of the Institution/ School with the following duly certified by such head:

- (i) that he possesses the academic qualifications laid down in byelaw 11 of these Byelaws;
- *(ii) that he has not passed equivalent Examination from this Board or equivalent or higher examination of any other Board or University. However, All India/Delhi Senior School Certificate Examination will be open to such regular candidates who have passed equivalent Examination from this Board and will reappear with the vocational subjects.
- (iii) that he is on the active rolls of the School;
- (iv) that he has completed a "regular course of study", as defined and detailed in byelaw 13 of these Byelaws, in a school in the subjects in which he would appear in the examination;
- (v) that he bears a good moral character and is of good conduct; and
- (vi) that he satisfies all other provisions, applicable to him/her, of the Examination Byelaws and any other provision made by the Board governing admission to the examination concerned, if any.
- **12.1(i) It is mandatory upon a school affiliated to Board to follow the Examination Bye Laws of the Board in toto.
 - (ii) No affiliated school shall endeavour to present the candidates who are not on its roll nor will it present the candidates of its un-affiliated branch/schools to any of the Board's examinations.
 - (iii) If the Board has reasons to believe that an affiliated school is not following the sub-section 1 and 2 of this section, the Board will resort to penalties as deemed fit.

13. A Regular Course of Study

- 13.1***(i) The expression "a regular course of study" referred to in these Bye-Laws means at least 75% of attendance in the Classes held; counted from the day of commencing teaching of Classes IX/X/XI/XII as the may be, upto the 1st of the month preceding .the month in which the examination of the School/Board commences. Candidates taking up a subject(s) involving practicals shall also be required to have put in at least 75% of the total attendance for practical work in the subject in the laboratory. Heads of Institutions shall not allow a candidate who has offered subject(s) involving practicals to take the practical examination(s) unless the candidate fulfils the attendance requirements as given in this Rule.
 - ****(i) (a) The expression "a regular course of study" referred to in these Bye Laws means atleast 60% of attendance in respect of students participating in Sports at National

^{*}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 30.11.2009 and approved by the Governing Body at its meeting held on 23.12.2009. Rule further amended in the Examination Committee's meeting held on 14.1.2013 and approved by the Governing Body at its meeting held on 22.1.2013.

^{**}Rule added in the Examination Committee's meeting held on 06.10.1998 and approved by the Governing Body at its meeting held on 09.10.1998.

^{***}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 07.6.2006 and approved by the Governing Body at its meeting held on 30.6.2006.

^{****}Rule added in the Examination Committee's meeting held on 24.11.2008 and approved by the Governing Body at its meeting held on 08.12.2008.

12. परीक्षा में प्रवेश : नियमित विद्यार्थी

अखिल भारतीय/दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा और माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में ऐसे नियमित विद्यार्थी बैठ सकेंगे जिन्होंने संबंधित परीक्षा में प्रवेश के लिए अपना आवेदनपत्र विधिवत् रूप से भर कर प्रस्तुत किया हो और/अथवा उसका नाम बोर्ड द्वारा निर्धारित रूप में निर्धारित शुल्क सिहत (संलग्लक II देखें) संस्था/विद्यालय के प्रमुख द्वारा परीक्षा नियंत्रक को अग्रेषित किया जाए तथा उसी प्रमुख द्वारा निम्नलिखित रूप से विधिवत् प्रमाणित हो :

- (i) वह इन उप-विधियों की उप-विधि 11 में निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता है;
- *(ii) उसने इस बोर्ड से अथवा किसी अन्य बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय की समकक्ष अथवा उच्च परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। तथापि अखिल भारतीय/दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में ऐसे नियमित विद्यार्थी भी बैठ सकेंगे जिन्होंने बोर्ड से समकक्ष परीक्षा उतीर्ण की हो और व्यावसायिक विषयों के साथ शामिल होंगे;
 - (iii) उसका नाम विद्यालय की वर्तमान नामावली में दर्ज है;
 - (iv) उसने किसी विद्यालय में, इन उप-विधियों की उप-विधि 13 में यथापरिभाषित और निर्दिष्ट ''अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम'' उन विषयों में पूरा किया है, जिसमें वह परीक्षा में बैठेगा;
 - (v) उसका नैतिक चरित्र और आचरण अच्छा है; और
 - (vi) वह परीक्षा उपविधियों के सभी अन्य प्रावधानों और संबंधित परीक्षा में बैठने के लिए बोर्ड द्वारा बनाए गए किसी अन्य प्रावधान, यदि कोई हो, को पूरा करता है।
- **12.1(i) बोर्ड से संबद्धता प्राप्त किसी भी विद्यालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह बोर्ड की परीक्षा उपविधि का पूर्णतया पालन करें।
 - (ii) बोर्ड की किसी भी परीक्षा के लिए बोर्ड से संबद्ध कोई भी विद्यालय ऐसे परीक्षार्थियों को प्रस्तुत करने का प्रयास न करें जिनका नाम उसकी नामावली में न हो और न ही ऐसे परीक्षार्थियों को प्रस्तुत करें जो उसकी असंबद्ध शाखा/विद्यालयों के विद्यार्थी हों।
 - (iii) यदि बोर्ड को किसी कारण विश्वास हो जाए कि संबद्ध/मान्यताप्राप्त विद्यालय इस उपविधि के भाग (1) और (2) का पालन नहीं कर रहे हैं, तो बोर्ड द्वारा यथोचित दंड दिया जाएगा।

13. अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम

- ***13.1(i) इन उपविधियों में निर्दिष्ट ''अध्ययन का एक नियमित पाठ्यक्रम'' का अभिप्राय कक्षाओं में दिए गए व्याख्यानों में कम से कम 75% उपस्थिति से है। इसकी गणना कक्षा IX/X/XI/XII जैसा भी मामला हो का अध्ययन शुरु होने की तारीख से लेकर उस माह, जिसमें विद्यालय⁄बोर्ड की परीक्षा शुरू होती है, के पूर्ववर्ती माह की 1 तारीख तक की जाती है। प्रयोगिक विषयों सहित विषय (यों) लेने वाले परीक्षार्थियों को प्रयोगशाला में विषय के प्रायोगिक कार्य के लिए भी कुल उपस्थिति का कम से कम 75% उपस्थिति अपेक्षित होगी। इस नियम के निर्देशानुसार संस्थानों के प्रमुख ऐसे परीक्षार्थी को प्रायोगिक परीक्षा में बैठने की अनुमित तब देंगे जब उसने प्रायोगिक विषय (यों) की उपस्थिति की अनिवार्यताएं पूरी कर ली हों।
 - ****(i) (क) इन उपविधियों में निर्दिष्ट अभिव्यक्ति ''अध्ययन का एक नियमित पाठ्यक्रम'' का अभिप्राय मान्यता प्राप्त संघों⁄सीबीएसईएस⁄एसजीएफआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के खेलकूदों में भाग लेने वाले

^{*}यह नियम परीक्षा समिति की 30.11.2009 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय द्वारा 23.12.2009 की बैठक में अनुमोदित किया गया। नियम परीक्षा समिति की 14.1.2013 की बैठक में पुनः संशोधित किया गया और शासी निकाय द्वारा 22.1.2013 की बैठक में अनुमोदित किया गया। **यह नियम परीक्षा समिति की 06.10.1998 की बैठक में जोड़ा गया शासी निकाय द्वारा 09.10.1998 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{***}नियम परीक्षा सिमिति की 07.06.2006 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय द्वारा 30.6.2006 की बैठक में अनुमोदित किया गया। ****यह नियम परीक्षा सिमिति की 24.11.2008 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय द्वारा 08.12.2008 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

level organized by recognized Federations/CBSE/SGFI, the Classes held counted from the day of commencing teaching Classes IX/X/XI/XII, as the case may be, upto the 1st of the month preceeding the month in which the examination of the School/Board commences. Candidates taking up a subject(s) involving practicals shall be required to have put in at least 60% of the total attendance for practical work in the subject in the laboratory. Heads of Institutions shall not allow a candidate who has offered subject(s) involving practicals to take the practical examination(s) unless the candidate fulfils the attendance requirements as given in this Rule.

- (ii) The candidates who had failed in the same examination in the preceding year and also who rejoins Classes IX/X/XI/XII shall be required to put in 75% of attendance calculated on the possible attendance from the 1st of the month following the publication of the results of that examination by the School/Board upto the 1st of the month preceding the month in which the examination of the School/Board commences.
- *(ii) (a) The candidate who had failed in the same examination in the preceding year and who rejoins Classes IX/X/XI/XII shall be required to put in 60% of attendance in respect of students participating in Sports at National level organized by recognized Federations/ CBSE/SGFI calculated on the possible attendance from the 1st of the month following the publication of the results of that examination by the School/Board upto the 1st of the month preceding the month in which the examination of the School/Board commences.
- (iii) In the case of migration from other institutions, attendance at the institution/school recognised by the Education Department of the State/Union Territory from which the candidate migrates will be taken into account in calculating the required percentage of attendance.

13.2 Requirement of Attendances in Subjects of Internal Assessment

- **(i) (a) No student from a School affiliated to the Board shall be eligible to take the senior School Certificate Examination conducted by the Board unless he has completed 75% of attendance counted from the opening of class XII upto the first of the month preceding the month in which the examination commences in the internal assessment.
- ***(i) (b) No student from a School affiliated to the Board shall be eligible to take the Senior School Certificate Examination conducted by the Board unless he has completed 60% of attendance in respect of students participating in Sports at National level organized by recognized Federations/CBSE/SGFI counted from the opening of class XII upto the first of the month preceding the month in which the examination commences in internal assessment.
- ****(ii) Exemption from study of subjects under Scholastic Area B/W.E/Art Education/P & H E may be granted to a candidate on medical grounds in respect of Secondary and Senior School candidates appearing for the Secondary and Senior School Certificate Examinations

^{*}Rules added in the Examination Committee's meeting held on 24.11.2008 and approved by the Governing Body at its meeting held on 08.12.2008.

^{**}Rule added in the Examination Committee's meeting held on 24.11.2008 and approved by the Governing Body at its meeting held on 08.12.2008 and further amended in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010.

^{***}Rules added in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010.

^{****}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010.

विद्यार्थियों के संबंध में आयोजित कक्षाओं में कम से कम 60 प्रतिशत उपस्थिति से है। इसकी गणना अध्ययन कक्षा IX/X/XII जैसा भी मामला हो का अध्ययन शुरू होने के दिन से लेकर उस माह जिसमें बोर्ड/विद्यालय की परीक्षा शुरू होती है के पूर्ववर्ती माह की पहली तारीख तक की जाती है। प्रायोगिक वाले विषयों को लेने वाले परीक्षार्थियों को प्रयोगाशाला में विषय के प्रयोगिक कार्य के लिए भी कुल उपस्थिति की कम से कम 60 प्रतिशत उपस्थिति अपेक्षित होगी। संस्थानों के प्रमुख ऐसे परीक्षार्थी जिसने प्रयोगिक वाले विषय लिए हों, को प्रायोगिक परीक्षा में बैठने की अनुमित तब तक नहीं देंगे जब तक परीक्षार्थी इस नियम में दी गई अपेक्षित उपस्थिति पूरी नहीं कर लेता।

- (ii) जो विद्यार्थी पूर्ववर्ती वर्ष में उसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए और कक्षा IX/X/XI/XII में पुनः दाखिला भी लेते हैं, उन्हें विद्यालय/बोर्ड द्वारा उस परीक्षा का परिणाम परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के पश्चात् आगामी माह की पहली तारीख से लेकर उस माह, जिसमें विद्यालय/बोर्ड की परीक्षा शुरू होती है, के पूर्ववर्ती माह की पहली तारीख तक कुल संभावित उपस्थिति में से 75% उपस्थिति होनी चाहिए।
- *(ii) (क) जो विद्यार्थी पूर्ववर्ती वर्ष में उसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया था और कक्षा IX/X/XI/XII में पुनः दाखिला लेता है बोर्ड/विद्यालय द्वारा उस परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किए जाने के अनुवर्ती माह की पहली तारीख से लेकर उस माह जिसमें बोर्ड/विद्यालय की परीक्षा शुरू होती है के पूर्ववर्ती माह की पहली तारीख तक मान्यता प्राप्त संघों/सीबीएसई/एसजीएफआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के खेल-कूदों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के संबंध में कुल संभावित उपस्थिति में से 60 प्रतिशत उपस्थित अपेक्षित होगी।
- (iii) अन्य संस्था से स्थानांनतरण होने के मामले में ऐसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था/विद्यालय में, जहां से परीक्षार्थी स्थानांतिरत होता है, परीक्षार्थी की उपस्थिति को, उपस्थिति की अपेक्षित प्रतिशतता की गणना करते समय शामिल किया जाएगा।
- 13.2 आंतरिक मूल्यांकन के विषयों में उपस्थिति की अपेक्षा
 - **(i) (क) बोर्ड से संबद्ध किसी विद्यालय का कोई विद्यार्थी बोर्ड द्वारा आयोजित विरष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसने 75 प्रतिशत उपिस्थिति की शर्त पूरी न की हो। इसकी गणना कक्षा XII के शुरू होने से लेकर उस माह जिसमें आंतिरक मूल्यांकन के विषय में परीक्षा शुरू होती है, के पूर्ववर्ती माह की पहली तारीख तक की जाएगी।
 - ***(ख) बोर्ड से संबद्ध किसी विद्यालय का कोई विद्यार्थी बोर्ड द्वारा आयोजित वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षाएं देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसने मान्यता प्राप्त संघों/सीबीएसई/एसजीएफआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के संबंध में 60% उपस्थिति की शर्त पूरी न की हो। इसकी गणना कक्षा XII के शुरू होने से लेकर उस माह जिसमें आंतरिक मूल्यांकन के विषय में परीक्षा शुरू होती है के पूर्ववर्ती माह की पहली तारीख तक की जाएगी।
- ****(ii) बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक तथा वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षाओं में शामिल होने वाले माध्यमिक तथा वरिष्ठ विद्यालय परीक्षार्थियों के संबंध में किसी परीक्षार्थी को चिकित्सा आधार पर कार्यानुभव/कला

^{*}नियम परीक्षा समिति की 24.11.2008 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय द्वारा 08.12.2008 को बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{**}नियम परीक्षा समिति की 24.11.2008 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय द्वारा 8.12.2008 की बैठक में अनुमोदित किया गया और परीक्षा समिति की 22.06.2010 की बैठक में पुनः संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया

^{***}नियम परीक्षा सिमति की 22.06.2010 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय द्वारा दिनांक 29.6.2010 को बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{****}नियम परीक्षा समिति की 22.06.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय द्वारा 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

- conducted by the Board provided the application is supported by a certificate given by a registered medical officer of the rank not below that of Assistant Surgeon and forwarded by the Head of the School with his recommendations.
- *(iii) The Chairman shall have the powers to condone shortage of attendances in subjects of internal assessment in respect of Senior School Certificate Examination conducted by the Board.

14. Rules for Condonation of Shortage of Attendances

- *(i) If a candidate's attendance falls short of the prescribed percentage, in case of students appearing for the Secondary and Senior School Certificate Examinations conducted by the Board, the Head of the School may submit his name to the Board provisionally. If the candidate is still short of the required percentage of attendance within three weeks of the commencement of examination, the Head of the Institution shall report the case to the Regional Officer concerned immediately. If in the opinion of the Head of the Institution, the candidate deserves special consideration, he may submit his recommendation to the Regional Officer concerned not later than three weeks before the commencement of the examination for condonation of shortage in attendances by the Chairman, CBSE who may issue orders as he may deem proper. The Head of the school in his letter requesting for condonation of shortage in attendance, should give the maximum possible attendance by a student counted from the day of commencing teaching of Classes X/XII(beginning of the session) upto the 1st of the month preceding the month in which the examination of the Board commences, attendance by the candidate in question during the aforesaid period and the percentage of attendance by such a candidate during the aforesaid period.
- *(ii) Shortage up to 15% only may be condoned by the Chairman in respect of those students appearing for the Secondary and Senior School Certificate Examinations conducted by the Board. Cases of candidates with attendance below 60% in class X or class XII, appearing for the Board's examinations, as the case may be, shall be considered for condonation of shortage of attendance by the Chairman only in exceptional circumstances created on medical grounds, such as candidate suffering from serious diseases like cancer, AIDS, TB or similar serious diseases requiring long period of hospitalization.
- (iii) The Principal shall refer a case of shortage within the above prescribed limit of condonation to the Board, either with the recommendations or with valid reasons for not recommending the case
- (iv) The following may be considered valid reasons for recommending the cases of the candidates with attendance less than the prescribed percentage:
 - (a) prolonged illness;
 - (b) loss of father/mother or some other such incident leading to his absence from the school and meriting special consideration; and

^{*}Rules amended in the Examination Committee's meeting of 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010.

शिक्षा/शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा/शैक्षिक क्षेत्र 'ख' के अधीन विषयों का अध्ययन करने से छूट दी जा सकती है बशर्तें कि आवेदन पत्र के साथ कम से कम सहायक सर्जन के रैंक के किसी पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र हो और विद्यालय के प्रमुख द्वारा उसकी सिफारिश सहित प्रेषित किया गया हो।

*(iii) बोर्ड द्वारा आयोजित वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा के संबंध में आतंरिक मूल्यांकन के विषयों में उपस्थिति की कमी को माफ करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा।

14. उपस्थिति में कमी के लिए माफी के नियम

- *(i) बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक तथा विष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के मामले में अगर किसी परीक्षार्थी की उपस्थिति निर्धारित प्रतिशत से कम हो जाती है तो विद्यालय प्रमुख उसका नाम अंतिरम रूप में बोर्ड को प्रस्तुत कर सकता है। अगर परीक्षार्थी की उपस्थिति परीक्षा आरंभ होने के तीन सप्ताह पहले अपेक्षित प्रतिशत से कम होती है तो विद्यालय प्रमुख मामले की सूचना संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को तत्काल देगा। अगर संस्था के प्रमुख की राय में परीक्षार्थी पर विशेष विचार किया जा सकता है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को अध्यक्ष सीबीएसई द्वारा उपस्थिति में माफी देने के लिए सिफारिश प्रस्तुत कर सकता है। यदि वह उचित समझे तो इस संबंध में आदेश जारी कर सकता है। उपस्थिति में कमी की माफी के लिए अनुरोध करते हुए विद्यालय के प्रमुख को अपने पत्र में किसी विद्यार्थी की शैक्षणिक सत्र की अधिकतम संभव उपस्थिति कक्षा X/XII (सत्र का प्रारंभ) होने के दिन से उस महीने से पहले जिसमें बोर्ड परीक्षा शुरू करता है, के महीने की पहली तारीख तक का ब्यौरा देना चाहिए। इस के साथ ही पूर्वोक्त अविध के दौरान संबंधित विद्यार्थी की उपस्थिति तथा उस पूर्वोक्त अविध के दौरान संबंधित विद्यार्थी की उपस्थिति तथा उस पूर्वोक्त अविध के दौरान एंसे परीक्षार्थी की उपस्थिति की प्रतिशतता का ब्यौरा भी देना चाहिए।
- *(ii) बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक तथा वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के संबंध में अध्यक्ष द्वारा उपस्थिति में केवल 15% तक की छूट दी जा सकती है। बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए कक्षा X अथवा XII जैसा भी मामला हो में 60% से कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों के मामलों पर उपस्थिति में कमी की छूट (माफी) पर केवल अध्यक्ष द्वारा चिकित्सा आधार पर विशेष परिस्थितियों जैसे कि गंभीर लंबी बीमारी से ग्रसित हो जैसे कैंसर, एड्स, टी.बी. अथवा इसी प्रकार की गंभीर लंबी बीमारी जिसके लिए दीर्घ अवधि तक अस्पताल में रहना अपेक्षित हो, पर विचार किया जा सकता है।
 - (iii) प्रधानाचार्य उपस्थिति में कमी के मामले को बोर्ड के पास माफी की उपर्युक्त निर्धारित सीमा के भीतर या तो सिफारिश भेजेगा या मामले की सिफारिश न करने पर वैध कारण भेजेगा।
 - (iv) निर्धारित प्रतिशतता से कम उपस्थिति वाले अभ्यर्थियों के मामलों की सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित को वैध कारण माना जा सकता है:
 - (क) लंबी बीमारी;
 - (ख) पिता/माता की मृत्यु अथवा विद्यालय से उसकी अनुपस्थिति का कारण बनने वाली विशेष विचारणीय ऐसी कोई अन्य घटना;

^{*}यह नियम परीक्षा समिति की 22.6.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

- (c) any other reason of similar serious nature.
- (d) Authorised participation in sponsored tournaments and sports meets of not less than inter-school level and at NCC/NSS camps including the days of journeys for such participation shall be counted as full attendance.
- *(e) Authorised participation in Sports at National level organized by recognized Federations/CBSE/SGFI.

**15. Detaining of eligible Candidates

In no case the Heads of affillated schools shall detain eligible candidates from appearing at the examination.

16. Private Candidates

Definition

For the purposes of the byelaws contained in this chapter and in chapter 5, unless there is something repugnant in the subject or context, a 'Private Candidate' means a person who is not a Regular Candidate but, under the provisions of these byelaws, is allowed to undertake and/or appear in the All India/Delhi Senior School Certificate Examination or All India/Delhi Secondary School Examination of the Board.

17. Persons eligible to appear as 'Private Candidate' at Delhi Senior School Certificate (Class XII) Examination

- (i) A candidate who had failed at the Delhi Senior School Certificate Examination of the Board will be eligible to-reappear at a subsequent examination as a private candidate in the syllabus and text books as prescribed for the examination of the year in which he/she will reappear.
- (ii) The following categories of candidates shall also be eligible to appear as private candidates at the Delhi Senior School Certificate Examination of the Board on the conditions laid down in these byelaws:-
 - ***(a) teachers serving in educational institutions affiliated to the Board, who have already qualified/passed Secondary or an equivalent examination at least two years before taking the Senior School Certificate Examination. Teacher candidates shall submit his application form alongwith a certificate by the Head of School in which they are serving duly countersigned by the Director of Education, Government of National Capital Territory of Delhi to the Regional Officer, Delhi;
 - ****(b) women candidates who are bonafide residents of the National Capital Territory of Delhi and have obtained minimum Grade D in at least five subjects(excluding the 6th additional subject) under Scholastic Area A as per the Scheme of Studies, Grades in subjects under Scholastic Area B and in Co-Scholastic Areas under the Continuous and Comprehensive Evaluation scheme in the Secondary School examination

^{*}Rule added in the Examination Committee's meeting held on 24.11.2008 and approved by the Governing Body at its meeting held on 08.12.2008.

^{**}Rule amended in the Governing Body at its meeting held on 09.5.2002.

^{***}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010.

^{****} Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010 and further amended in the Examination Committee meeting held on 10.9.2012 and approved by the Governing Body meeting held on 26.9.2012.

- (ग) ऐसी ही गंभीर प्रकृति का कोई अन्य कारण
- (घ) कम से कम अंतर-विद्यालय स्तर के प्रायोजित टूर्नामेंट तथा खेलकूद प्रतियोगिता तथा एनसीसी/एनएसएस शिविरों में प्राधिकृत भागीदारी और ऐसी भागीदारी के लिए यात्रा के दिनों को पूर्ण उपस्थिति के रूप में गिना जाएगा।
- *(ङ·) मान्यताप्राप्त संघों⁄सीबीएसई⁄एसजीएफआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के खेलकूदों में प्राधिकृत सहभागिता।

**15. पात्र परीक्षार्थियों को रोकना

संबद्ध विद्यालयों के प्रमुख, किसी भी परिस्थिति में पात्र परीक्षार्थियों को परीक्षा मैं बैठने से नहीं रोकेंगे।

16. प्राईवेट (निजी) परीक्षार्थी

परिभाषा

इस अध्याय और अध्याय 5 में निहित उप-विधियों के प्रयोजनों के लिए जब तक विषय अथवा परिप्रेक्ष्य में कुछ असंगत न हों, ''प्राइवेट परीक्षार्थी'' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो नियमित विद्यार्थी नहीं है अपितु इन उपविधियों के उपबंधों के अधीन उसे अखिल भारतीय/दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा अथवा अखिल भारतीय/दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है।

17. दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र (कक्षा XII) परीक्षा में ''प्राइवेट परीक्षार्थी'' के रूप में बैठने के पात्र व्यक्ति

- (i) जो विद्यार्थी बोर्ड की दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया था, वह अगली परीक्षा में उसी वर्ष की परीक्षा के निर्धारित पाठ्यविवरण और पाठ्य-पुस्तकों के अंतर्गत एक प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में पुनः बैठने का पात्र होगा।
- (ii) निम्निलखित श्रेणियों के परीक्षार्थी भी इन उपविधियों में निर्धारित शर्तों पर बोर्ड की दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में बैठने के पात्र होंगे:-
 - ***(क) बोर्ड से संबद्ध शैक्षणिक संस्थाओं में सेवारत शिक्षक, जिन्होंने वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में बैठने के कम से कम दो वर्ष पूर्व माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण/परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली है। शिक्षक-परीक्षार्थी अपना आवेदन उस विद्यालय जिसमें वह कार्यरत है के प्रधानाचार्य के प्रमाण पत्र सिहत क्षेत्रीय अधिकारी, दिल्ली को प्रस्तुत करेगा। प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र शिक्षा निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।
 - ****(ख) जो महिला परीक्षार्थी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वास्तविक निवासी है और माध्यमिक स्तर तक बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालय द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के अधीन शैक्षिक क्षेत्र 'ख' के अधीन विषयों में और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में ग्रेड, अध्ययन की योजना के अनुसार शैक्षिक क्षेत्र 'क' के अधीन कम से कम पांच विषयों (छठे अतिरिक्त

^{*}यह नियम परीक्षा समिति की 24.11.2008 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय की 08.12.2008 को बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{**}नियम शासी निकाय की 09.05.2002 की बैठक में संशोधित किया गया।

^{***}नियम परीक्षा सिमिति की 22.06.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.06.2010 को बैठक में अनुमोदित किया गया।
****नियम परीक्षा सिमिति की 22.06.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.06.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया
व आगे परीक्षा सिमिति की 10.09.2012 की बैठक में संशोधित किया गया व शासी निकाय की 26.9.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

- conducted by the school affiliated to the Board or an equivalent examination conducted by any recognised Board in India at least two years before appearing at the Senior School Certificate Examination subject to conditions mentioned in Rule 17(iii); and
- *(c) Physically handicapped students who have obtained minimum Grade D in at least five subjects (excluding the 6th additional subject) under Scholastic Area A as per the Scheme of Studies, Grades in subjects under Scholastic Area B and in Co-Scholastic Areas under the Continuous and Comprehensive Evaluation scheme in the Secondary School examination conducted by the school affiliated to the Board or an equivalent examination conducted by any recognised Board in India at least two years before appearing at the Senior School Certificate Examination on producing reasonable evidence of having deficiency to attend normal institutions for the purpose of studies.
- **(d) Regular candidate(s) of the previous year who have completed regular course of studies and have been allotted Roll No. for appearing at the examination but could not appear at the Annual Examination due to medical reasons except shortage of attendance as laid down in the Examination Bye laws will also be eligible to reappear at a subsequent examination as a private candidate in the syllabus and text books as prescribed for the examination of the year in which he will reappear
- (iii) Women/handicapped private candidates shall be required to satisfy the following additional conditions:
 - (a) that they have privately pursued the prescribed course of studies under proper guidance; and
 - (b) that they are unable to join a Senior Secondary School affiliated to the Board or there are such other reasons compelling them to appear at the examination as a private candidate.

18. Persons eligible to appear as "Private Candidate" at All India Senior School Certificate (Class XII) Examination

- (i) A candidate who had failed at the All India Senior School Certificate Examination of the Board will be eligible to reappear at a subsequent examination as a private candidate in the syllabus and text books as prescribed for the examination of the year in which he will reappear.
- ***(ii) teachers serving in educational institutions affiliated to the Board, who have already qualified/passed Secondary or an equivalent examination at least two years before taking the Senior School Certificate Examination. Teacher candidates shall submit his application form alongwith a certificate by the Head of School in which they are serving duly countersigned by the Director of Education of the State/Union Territory concerned in which the teacher is serving to the Regional Office of the Board concerned in which the school is situated.

^{*}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010 and further amended in the Examination Committee meeting held on 10.9.2012 and approved by the Governing Body meeting held on 26.9.2012.

^{**}Rule added in the Examination Committee's meeting held on 18.6.2007 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2007.

^{***}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010.

विषय को छोड़कर) में न्यूनतम 'डी' ग्रेड प्राप्त किया हो अथवा नियम 17(iii) में उल्लिखित शर्तों के अधीन वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में शामिल होने से कम से कम दो वर्ष पूर्व भारत में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा आयोजित समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो;

- *(ग) अध्ययन के प्रयोजन के लिए सामान्य संस्थाओं में अध्ययन न कर सकने का उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी जिन्होंने विरष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में शामिल होने से कम से कम दो वर्ष पूर्व बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालय द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा अथवा भारत में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा आयोजित समकक्ष परीक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के अधीन शैक्षिक क्षेत्रों 'ख' और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में ग्रेड, अध्ययन की योजना के अनुसार शैक्षिक क्षेत्र 'क' के अधीन कम से कम पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम 'डी' ग्रेड प्राप्त किया हो।
- **(घ) पिछले वर्ष का नियमित परीक्षार्थी जिसने अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा किया हो और जिसको परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुक्रमांक आबंटित किया जा चुका हो किंतु परीक्षा उपनियमों में निर्दिष्ट उपस्थित की कमी को छोड़कर चिकित्सा कारणों से वार्षिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सका, वह उस वर्ष की परीक्षा, जिसमें वह पुनः उपस्थित होगा, के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम में एक प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में उत्तरवर्ती परीक्षा में पुनः उपस्थित होने का भी पात्र होगा।
- (iii) महिला/विकलांग प्राइवेट परीक्षार्थियों से निम्नलिखित अतिरिक्त शर्ते पूरी करने की अपेक्षा होगी:-
 - (क) उन्होंने उचित मार्ग निर्देशन के अधीन निर्धारित पाठ्यक्रम निजी रूप से पूरा किया है; और
 - (ख) वे बोर्ड से संबद्ध वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाने में असमर्थ हैं अथवा ऐसे अन्य कारणों से वे परीक्षा में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में बैठने के लिए विवश है।

18. अखिल भारतीय वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा (कक्षा XII) में ''प्राइवेट परीक्षार्थी'' के रूप में बैठने के पात्र व्यक्ति

- (i) जो विद्यार्थी बोर्ड की अखिल भारतीय वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया था, वह अगली परीक्षा में उस वर्ष की परीक्षा जिसमें वह पुनः उपस्थित होगा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तकों के अंतर्गत एक प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में दुबारा बैठने का पात्र होगा।
- ***(ii) बोर्ड से संबद्ध शैक्षणिक संस्थाओं में सेवारत शिक्षक, जिन्होंने विरष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में बैठने के कम से कम दो वर्ष पूर्व माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा में अर्हता प्राप्त/परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। शिक्षक परीक्षार्थी अपना आवेदन उस विद्यालय जिसमें वे कार्यरत हैं के प्रधानाचार्य के प्रमाणपत्र सिहत संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिसमें शिक्षक सेवारत है के शिक्षा निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजेंगे जिसमें विद्यालय स्थित है।

^{*}यह नियम परीक्षा समिति की 22.6.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया इसे आगे 10.9.2012 की परीक्षा समिति की बैठक में संशोधित किया गया तथा शासी निकाय की 26.9.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{**}यह नियम परीक्षा समिति की 18.6.2007 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.6.2007 की बैठक में अनुमोदित किया गया। ***यह नियम परीक्षा समिति की 22.6.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

*(iii) Regular candidate(s) of the previous year who have completed regular course of studies and have been allotted Roll No. for appearing at the examination but could not appear at the Annual Examination due to medical reasons except shortage of attendance as laid down in the Examination Bye laws will also be eligible to reappear at a subsequent examination as a private candidate in the syllabus and text books as prescribed for the examination of the year in which he will reappear.

19. Procedures for Submission of Applications of Private Candidates at All India/ Delhi Senior School Certificate Examination (Class XII)

- (i) A private candidate must submit to the Regional Officer of the Board within the prescribed limit an application in the form prescribed together with the prescribed fee for the examination (vide Annexure II) and three copies of passport size photographs duly signed by the candidate and countersigned in case of teacher by the authorities mentioned in byelaw 17 (ii) (a) or byelaw 18 (ii) and in case of others a member of the Governing Body of the Board or Head of a School affiliated to the Board.
- (ii) If the application of a private candidate is received after the prescribed date, he shall pay late fee as prescribed.
- **(iii) When a private candidate's application for admission to the examination is rejected, the examination fee, including late fee, if any paid by him less, Rs.10/- or the amount as decided by the Chairman from time to time will be refunded to him provided that in the case of candidates whose applications have been rejected on account of the candidate's producing a false certificate or making a false statement in the application, the full amount of fee shall be forfeited.
 - (iv) Private candidates shall not be allowed to offer for their examination, a subject (even if the subject is recognised for the examination) which is not being taught in an affiliated School.
 - (v) Private candidates shall not be allowed to offer such subjects for the examination which involve practical work except in the case of candidates who had failed earlier and who had put in a regular course of study at an institution affiliated to the Board in the previous academic year. However notwithstanding this condition, female candidates may offer Home Science with practical.
 - (vi) Those regular candidates who have failed to obtain promotion to class XII of the school affiliated to the Board or any other recognised Board shall not be admitted to the Senior School Certificate Examination of the Board as private candidates.
 - (vii) Every year, in the beginning of the session, the Heads of Schools shall send to the Regional Officer concerned, a list of female and handicapped students who have been detained in class XI containing student's name, date of birth, the name of his father or guardian and the place of residence.

^{*}Rule added in the Examination Committee's meeting held on 18.6.2007 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2007.

^{**}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 29.10.1999 and approved by the Governing Body at its meeting held on 18.11.1999.

*(iii) पिछले वर्ष के नियमित परीक्षार्थी जिसने अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा किया हो और जिसको परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुक्रमांक आबंटित किया जा चुका हो किंतु परीक्षा उपनियमों में निर्दिष्ट उपस्थिति की कमी को छोड़कर चिकित्सा कारणों से वार्षिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सका, वह उस वर्ष की परीक्षा जिसमें वह पुनः उपस्थित होगा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकों और पाठयक्रम में एक प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में उत्तरवर्ती परीक्षा में पुनः उपस्थित होने का भी पात्र होगा।

19. अखिल भारतीय/दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा (कक्षा \mathbf{XII}) में प्राइवेट परीक्षार्थियों के आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

- (i) प्राइवेट परीक्षार्थी को परीक्षा के लिए (संलग्नक-II देखें) निर्धारित शुल्क सहित विहित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन पत्र के साथ परीक्षार्थी द्वारा पासपोर्ट आकार की फोटो की तीन प्रतियां विधिवत् हस्ताक्षरित हों और शिक्षक के मामले में फोटो की तीन प्रतियां उपविधि 17(ii)(क) अथवा उपविधि 18(ii) में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हों और दूसरों के मामले में बोर्ड के शासी निकाय के सदस्य अथवा बोर्ड से संबद्ध विद्यालय के प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हों लगानी हैं।
- (ii) यदि किसी प्राइवेट परीक्षार्थी का आवेदन निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त होता है तो उसे यथानिर्धारित विलंब शुल्क अदा करना होगा।
- **(iii) जब परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी प्राइवेट परीक्षार्थी का आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तब उसके द्वारा अदा किया गया शुल्क, विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, में से रु. 10/- अथवा अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर यथानिर्णीत राशि घटाकर, उसे लौटा दी जाएगी परन्तु उन परीक्षार्थियों के मामले में, जिनका आवेदन परीक्षार्थी के गलत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने अथवा आवेदन में गलत विवरण देने के कारण रद्द किया गया है शुल्क की पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी।
 - (iv) प्राइवेट परीक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में कोई ऐसा विषय (चाहे वह विषय परीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त क्यों न हो) लेने की अनुमित नहीं दी जाएगी जिसे संबद्ध विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता है।
 - (v) ऐसे परीक्षार्थियों के मामले में जो पहले अनुत्तीर्ण हो गए थे और जिन्होंने पिछले शैक्षणिक वर्ष में बोर्ड से संबद्ध किसी संस्थान में अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा किया था को छोड़कर प्राइवेट परीक्षार्थियों को ऐसा विषय लेने की अनुमित नहीं दी जाएगी, जिसमें प्रायोगिक कार्य सिम्मिलित हो। तथापि, इस शर्त के होते हुए भी, महिला परीक्षार्थी प्रायोगिक कार्य के साथ गृहविज्ञान विषय ले सकती हैं।
 - (vi) वे नियमित परीक्षार्थी, जो बोर्ड अथवा अन्य किसी मान्यतप्राप्त बोर्ड से संबद्ध विद्यालय की कक्षा XII में प्रोन्नित प्राप्त करने के असफल हो गए हैं, उन्हें प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में बोर्ड की विरष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
 - (vii) प्रत्येक वर्ष सत्र के प्रारंभ में विद्यालय के प्रमुख संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को ऐसे विद्यार्थी का नाम, जन्म तिथि, उसके पिता अथवा अभिभावक का नाम और निवास स्थान का ब्यौरा देते हुए महिला और विकलांग विद्यार्थियों की सूची भेजेंगे जिन्हें ग्यारहवीं कक्षा में रोक लिया गया है।

^{*}यह नियम परीक्षा समिति की 18.6.2007 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय द्वारा 29.6.2007 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{**}यह नियम परीक्षा समिति की 29.10.1999 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 18.11.1999 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

20. Persons eligible to appear as Private Candidate for Delhi Secondary School Examination

The following categories of candidates shall be eligible to appear as private candidates at the Delhi Secondary School Examination of the Board in the Syllabus and Courses as prescribed for the examination concerned on the conditions as laid down in these byelaws:

- *(a) Candidates who had failed to qualify at the Delhi Secondary School Examination of the Board:
- (b) Teacher serving in educational institutions affiliated to the Board.
- (c) (i) Women candidates who are bonafide residents of the National Capital Territory of Delhi; and satisfy the following additional conditions:-
 - (a) that they have privately pursued the prescribed course of study under proper guidance; and
 - (b) that they are unable to join a Secondary School affiliated to the Board or there are such other reasons compelling them to appear at the examination as a private candidate.
 - (ii) A women student who has left an institution at a stage earlier than or in class IX, shall not be permitted to appear at the examination as a private candidate in a year earlier than in which she would have appeared, had she continued her studies in a recognised institution upto Secondary Examination.
 - **(ii) (a) a woman candidate shall not be permitted to appear at the Delhi Secondary School Examination as a private candidate in a year earlier than in which she would have appeared, had she continued her studies in a recognized institution up to Secondary level.
- (d) Physically handicapped students on producing reasonable evidence of having difficulty to attend normal institutions in the subjects not involving practical training/examination.
- ***(e) Regular candidate (s) of the previous year who have completed regular course of studies and have been allotted Roll No. for appearing at the examination but could not appear at the Annual Examination due to medical reasons except shortage of attendance as laid down in the Examination Bye laws will also be eligible to reappear at a subsequent examination as a private candidate in the syllabus and text books as prescribed for the examination of the year in which he will reappear

21. Persons eligible to appear as a Private Candidate for All India Secondary School Examination

- *(i) Candidates who had failed to qualify at the All India Secondary School Examination of the Board;
- (ii) Teachers serving in institutions affiliated to the Board.
- ***(iii) Regular candidate(s) of the previous year who have completed regular course of studies

^{*}Rules amended in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010.

^{**}Rule added in the Examination Committee's meeting held on 25.1.2012 and approved by the Governing Body at its meeting held on 02.2.2012.

^{***}Rules added in the Examination Committee's meeting held on 18.6.2007 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2007.

20. दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में बैठने के पात्र व्यक्ति

निम्नलिखित वर्गों के परीक्षार्थी उन उप-विधियों के यथानिर्धारित शर्तों पर संबंधित परीक्षा के निर्धारित पाठ्यविवरण और पाठ्यक्रमों के अंतर्गत बोर्ड की दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में बैठने के पात्र होंगे:

- *(क) जो परीक्षार्थी बोर्ड की दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने में असफल रहे थे।
 - (ख) बोर्ड से संबद्ध शैक्षणिक संस्थानों में सेवारत शिक्षक;
 - (ग) (i) महिला परीक्षार्थी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की वास्तविक निवासी हैं और निम्निलखित अतिरिक्त शर्तें पूरी करती हैं:
 - (क) उन्होंने उचित मार्गदर्शन में अध्ययन का निर्धारित पाठ्यक्रम प्राइवेट रूप में पूरा किया है; और
 - (ख) वे बोर्ड से संबद्ध माध्यमिक विद्यालय जाने में असमर्थ हैं अथवा ऐसे अन्य कारणों से वे परीक्षा में प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में बैठने के लिए विवश हैं।
 - (ii) महिला विद्यार्थी को, जिसने कक्षा IX में या इससे पहले संस्था छोड़ दी है, वह जिस वर्ष परीक्षा में उपस्थित होती यदि वह माध्यमिक स्तर तक मान्यताप्राप्त संस्था में अध्ययन जारी रखती, उससे पूर्व वर्ष में प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
 - **(ii) (क) एक महिला परीक्षार्थी को प्राइवेट अभ्यार्थी के रूप में दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में उस वर्ष से पहले बैठने की अनुमित नहीं दी जाएगी जिस वर्ष वह शामिल होती यदि वह मान्यता प्राप्त संस्थान में माध्यमिक स्तर तक अपना अध्ययन जारी रखती।
 - (घ) शारीरिक रूप में वे विकलांग विद्यार्थी जो बिना प्रायोगिक प्रशिक्षण/परीक्षा वाले विषयों में सामान्य संस्थानों में उपस्थिति रहने में कठिनाई का समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करते हों।
- ***(ड·) पिछले वर्ष को नियमित परीक्षार्थी जिन्होंने अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा किया हो और परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुक्रमांक आबंटित किया जा चुका हो किंतु परीक्षा उपनियमों में निर्दिष्ट उपस्थिति की कमी को छोड़कर चिकित्सा कारणों से वार्षिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सका, वह उस वर्ष की परीक्षा जिसमें वह पुनः उपस्थित होगा, के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम में एक प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में उत्तरवर्ती परीक्षा में पुनः उपस्थित होने का भी पात्र होगा।

21. अखिल भारतीय माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में बैठने के पात्र व्यक्ति

- st(i) जो परीक्षार्थी बोर्ड की अखिल भारतीय माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने में असफल रहे थे;
- (ii) बोर्ड से संबद्ध संस्थाओं में सेवारत शिक्षक।
- ***(iii) पिछले वर्ष का नियमित परीक्षार्थी जिसने अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा किया हो और जिसको परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुक्रमांक आबंटित किया जा चुका हो किंतु परीक्षा उपनियमों में निर्दिष्ट उपस्थिति

^{*}यह नियम परीक्षा सिमिति की 22.6.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय द्वारा 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{**}यह नियम परीक्षा सिमति की 25.1.2012 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय द्वारा 02.02.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{***}यह नियम परीक्षा समिति की 18.6.2007 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय द्वारा 29.6.2007 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

and have been allotted Roll No. for appearing at the examination but could not appear at the Annual Examination due to medical reasons except shortage of attendance as laid down in the Examination Bye laws will also be eligible to reappear at a subsequent examination as a private candidate in the syllabus and text books as prescribed for the examination of the year in which he will reappear.

22. Procedure for Submission of Applications of Private Candidates at All India/ Delhi Secondary School Examination

- (i) The application forms for teachers shall be countersigned by the Director of Education of the State/U.T. concerned and those of others by a member of the Governing Body of the Board or by the Head of an institution affiliated to the Board.
- (ii) A private candidate must submit within the prescribed date to the Regional Officer concerned, an application in the form prescribed together with the prescribed fee (vide Annexure II) for the examination and three copies of the passport size photograph duly signed by the candidate and countersigned by one of the authorities mentioned at (i) above.
- (iii) If the application of a private candidate is received after the prescribed date, he shall pay late fee as prescribed.
- *(iv) When a private candidate's application for admission to the examination is rejected, the examination fee, including late fee, if any paid by him, less Rs. 10/- or the amount as decided by the Chairman from time to time will be refunded to him provided that in the case of candidates whose applications have been rejected on account of the candidates' producing a false certificate or making false statement in the application, the full amount of fees shall be forfeited.
- **(v) Those regular candidates who have failed to obtain promotion to class X of the school affiliated to the Board or any other recognised Board shall not be admitted to the Secondary School Examination of the Board as private candidates.
- (vi) Every year, in the beginning of the session, the heads of Schools shall send to the Regional Officer, Delhi, a list of female and handicapped students who have been detained in class IX containing student's name, date of birth, name of his/her father or guardian and the place of residence.
- (vii) ***(a) Women Private candidate under Rule 20 shall not be allowed to offer Science with practical work, unless she has put in a regular course of study in an institution affiliated to the Board and produces a certificate to that effect to the satisfaction of the Board. However, notwithstanding this condition they can offer Home Science with Practical without such a certificate.
 - ****(b) Women Private candidate under Rule 20 can offer Mathematics and Social Science without producing a certificate of putting in a regular course of study for internal assessment from an institution affiliated to the Board.

^{*}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 29.10.1999 and approved by the Governing Body at its meeting held on 18.11.1999.

^{**}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 25.1.2012 and approved by the Governing Body at its meeting held on 02.02.2012.

^{***}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010.

^{****}Rule added in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010.

की कमी को छोड़कर चिकित्सा कारणों से वार्षिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सका, वह उस वर्ष की परीक्षा जिसमें वह पुनः उपस्थित होगा, के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम में एक प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में उत्तरवर्ती परीक्षा में पुनः उपस्थित होने का भी पात्र होगा।

22. अखिल भारतीय/दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में प्राइवेट परीक्षार्थियों के आवेदनपत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

- (i) शिक्षकों के आवेदनपत्र पर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा निदेशक और अन्य के आवेदन पत्र बोर्ड के शासी निकाय अथवा बोर्ड से संबद्ध संस्था के प्रमुख से प्रतिहस्ताक्षरित होने चाहिए।
- (ii) प्राइवेट परीक्षार्थी को निर्धारित तारीख के भीतर संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को परीक्षा के लिए (संलग्नक II देखें) निर्धारित शुल्क सहित अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित तथा ऊपर (i) में उल्लिखित प्राधिकारियों में से किसी एक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार की फोटो की तीन प्रतियों के साथ आवेदनपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (iii) अगर प्राइवेट अभ्यर्थी का आवेदन निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त होता है तो उसे यथानिर्धारित विलंब शुल्क अदा करना होगा।
- *(iv) जब परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी प्राइवेट परीक्षार्थी का आवेदन पत्र रद्द किया जाता है, तब उसके द्वारा अदा किया गया परीक्षा शुल्क तथा विलंब शुल्क, यदि कोई हो, उसमें से 10/- रु. अथवा समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा यथानिर्णीत राशि घटाकर उसे वापस कर दिया जाएगा परंतु उन परीक्षार्थियों के मामले में जिनका आवेदन विद्यार्थी के गलत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने अथवा आवेदन में गलत विवरण देने के कारण रद्द किया गया है, शुल्क की पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी।
- **(v) जो नियमित परीक्षार्थी बोर्ड अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध विद्यालय की दसवीं कक्षा में प्रोन्नति प्राप्त नहीं कर पाए हैं उनको प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में बोर्ड की माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में बैठने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
 - (vi) प्रत्येक वर्ष, सत्र के प्रारंभ में विद्यालय के प्रमुख, क्षेत्रीय अधिकारी, दिल्ली को ऐसे विद्यार्थी का नाम, जन्मतिथि, उसके पिता अथवा अभिभावक का नाम और निवास स्थान विहित करते हुए उन महिला और विकलांग विद्यार्थियों की एक सूची भेजेंगे जिन्हें कक्षा IX में रोक लिया गया है।
- ***(vii) (क) उपविधि 20 के अधीन महिला प्राइवेट परीक्षार्थियों को प्रायोगिक कार्य सिंहत विज्ञान विषय लेने की तब तक अनुमित नहीं दी जाएगी, जब तक उसने बोर्ड से संबद्ध किसी संस्थान में अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा न किया हो और बोर्ड की संतुष्टि के लिए इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किया हो। तथापि, इस शर्त के होते हुए भी वे ऐसे प्रमाणपत्र के बिना प्रायोगिक कार्य सिंहत गृह विज्ञान विषय ले सकती हैं।
 - ****(ख) नियम 20 के तहत महिला प्राइवेट परीक्षार्थी को बोर्ड से संबद्ध संस्थान से बाह्य मूल्यांकन के लिए एक नियमित पाठ्यक्रम में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना गणित और सामाजिक विज्ञान विषय दिये जा सकते हैं।

^{*}यह नियम परीक्षा समिति की 29.10.1999 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय द्वारा 18.11.1999 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

**यह नियम परीक्षा समिति की 25.1.2012 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय द्वारा 02.02.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

***यह नियम परीक्षा समिति की 23.12.2012 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय द्वारा 02.02.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

****यह नियम परीक्षा समिति की 26.6.2010 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

(viii) private candidates shall not be allowed to offer for their examination a subject (even if the subject is recognised for the examination) which is not being taught in an affiliated institution.

23. Exemption from Examination in the Third Language

Exemption from examination in the third language may be granted to the following categories of students:

- (a) foreign nationals studying in schools affiliated to the Board;
- (b) wards of Indian nationals admitted to class IX after a minimum of two years of stay abroad;
- (c) students admitted to class IX from school affiliated to State Boards, where only two language formula is in vogue.
- *(d) Blind students, those suffering from speech or hearing defects, Dyslexic and candidates with disabilities as defined in the Persons with Disabilities Act, 1995.

24. Exemption to Blind, Physically Handicapped, Autistic, Dyslexic, Spastic and candidates with disabilities as defined in the Persons with Disabilities Act, 1995

**(i) Spastic, Blind, Physically Handicapped, Dyslexic, Autistic and Candidates with disabilities as defined in the Persons with Disabilities Act, 1995 appearing for the Secondary School Examination or Senior School Certificate Examination is permitted to use an amanuensis or allowed additional time as given below or both.

For paper of 3 hours duration 60 minutes
For paper of 2½ hours duration 50 minutes
For paper of 2 hours duration 40 minutes
For paper of 1½ hours duration 30 minutes

- (ii) The Board will consider the Physio-therapic exercises as equivalent to Physical and Health Education course of the Board.
- ***(iii) Candidates with visual and hearing impairment, Spastic, Dyslexic, Autistic and candidates with disabilities as defined in the Persons with Disabilities Act, 1995 have the option of studying one compulsory language as against two. This language should be in consonance with the overall spirit of the Three Language Formula prescribed by the Board. Besides one language any four of the following subjects be offered:

Mathematics, Science, Social Science, another language, Music, Painting, Home Science, Foundation of Information Technology, Commerce(Elements of Business) & Commerce (Elements of Book Keeping and Accountancy)

^{*}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 24.11.2008 and approved by the Governing Body at its meeting held on 8.12.2008.

^{**}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 16.2.2009 and approved by the Governing Body at its meeting held on 28.5.2009 and further amended in the Examination Committee's held on 30.5.2012 and approved by the Governing Body held on 04.6.2012.

^{***}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 15.5.2001 and further amended in the Examination Committee's meeting held on 24.11.2008 and approved by the Governing Body at its meeting held on 8.12.2008.

(viii) प्राइवेट विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा के लिए ऐसा विषय (चाहे वह विषय परीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त क्यों न हो) लेने की अनुमित नहीं दी जाएगी, जिसे संबद्ध संस्था में नहीं पढ़ाया जाता हो।

23. तृतीय भाषा में परीक्षा देने से छूट

तृतीय भाषा में परीक्षा देने से छूट की स्वीकृति निम्नलिखित वर्गों के विद्यार्थियों को दी जा सकती है:

- (क) बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में अध्ययन कर रहे विदेशी नागरिक:
- विदेश में कम से कम 2 वर्षों तक रहने के बाद कक्षा IX में दाखिल भारतीय नागरिकों के बच्चे;
- ऐसे राज्य बोर्ड के संबद्ध विद्यालयों से कक्षा IX में दाखिल विद्यार्थी जहां केवल दो भाषा सूत्र प्रचलित है;
- दृष्टिहीन विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी जो बोलने अथवा श्रवण दोष से पीड़ित हो डिस्लेक्सिक, तथा पर्सनल विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अनुसार असक्षमता वाले विद्यार्थी।

24. दृष्टिहीन (नेत्रहीन), शारीरिक रूप से विकलांग, ऑटिस्टिक, डिस्लेक्सिक मस्तिष्क सस्तंभ से पीड़ित (स्पेस्टिक) और पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट, 1995 (निशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995) में परिभाषित अनुसार असक्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए छट

**(i) माध्यमिक विद्यालय परीक्षा अथवा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में बैठने वाले स्पेस्टिक दृष्टिहीन, शारीरिक रूप से विकलांग, डिस्लेक्सिक, ऑटिस्टिक तथा पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट. 1995 में परिभाषित अनुसार अशक्तता वाले परीक्षार्थियों को लेखन लिपिक की सेवाएं लेने की अनुमित है अथवा उसे नीचे दिए गए अनुसार अतिरिक्त समय दिया जाएगा अथवा दोनों दिए जाएंगें :

3 घंटे के प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट 50 मिनट $2\frac{1}{2}$ घंटे के प्रश्न पत्र के लिए 2 घंटे के प्रश्न पत्र के लिए 40 मिनट $1 \frac{1}{2}$ घंटे के प्रश्न पत्र के लिए 30 मिनट

- बोर्ड फिज़िओ-थिरापी अभ्यास को शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा पाठ्यक्रम के समकक्ष पर विचार करेगा।
- ***(iii) दृष्टि दोष तथा श्रवण दोष, स्पेस्टिक, डिस्लेक्सिक, ऑटिस्टिक तथा पर्संस विद डिसएबिलीटिज एक्ट, 1995 में परिभाषित अनुसार असक्षमताओं वाले विद्यार्थियों के पास दो भाषाओं के ऐवज में एक अनिवार्य भाषा में अध्ययन करने का विकल्प है। यह भाषा बोर्ड द्वारा निर्धारित त्रिभाषा सूत्र की मूल-भावना के अनुकूल होनी चाहिए। एक भाषा के अलावा निम्नलिखित विषयों में से चार विषय लिए जा सकते हैं:

गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अन्य भाषा, संगीत, पेंटिंग, गृह विज्ञान, बुनियादी सूचना प्रौद्योगिकी (फौनडेशन ऑफ इंफारमेशन टेक्नोलोजी), वाणिज्य (एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस) तथा वाणिज्य (एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड एकाउंटेंसी)

गया, और शासी निकाय की 8.12.2008 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{*}यह नियम परीक्षा समिति की 24.11.2008 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय द्वारा 8.12.2008 की बैठक में अनुमोदित किया गया। **ये नियम परीक्षा समिति की 16.2.2009 की बैठक में संशोधित किए गए और शासी निकाय द्वारा 28.5.2009 की बैठक में अनुमोदित किया गया। आगे परीक्षा समिति की 30.05.2012 की बैठक में संशोधित किए गए और शासी निकाय द्वारा 04.6.2012 की बैठक में संशोधित किए गए। ***यह नियम परीक्षा समिति की दिनांक 15.5.2001 की बैठक में संशोधित किया गया और परीक्षा समिति की 24.11.2008 की बैठक में पुनः संशोधित किया

25. Use of Amanuensis and Appointment of Amanuensis

- (i) Amanuensis may be allowed in the following cases:
 - *(a) To a Blind, Physically Handicapped, Spastic and candidates with disabilities as defined in the Persons with Disabilities Act, 1995.
 - (b) on sudden illness rendering the candidate unable to write as certified by a Medical Officer of the rank not lower than Asstt. Surgeon.
 - (c) in the case of an accident rendering the candidate unable to write the examination as certified by a Medical Officer of the rank not lower than Asstt. Surgeon.
- (ii) The amanuensis must be a student of a class lower than the one for which the candidate is taking the examination.
- (iii) The Superintendent of the examination centre concerned shall choose a suitable amanuensis and forward immediately to the Regional Officer concerned of the Board, a report giving full particulars of the candidate and of the amanuensis for his consideration and approval.
- (iv) The Superintendent shall arrange a suitable room for the candidate for whom an amaneunsis is allowed and appoint one special Assistant Superintendent to supervise his examination.
- *(v) The services of amanuensis shall be provided free of cost.
- (vi) The amanuensis shall be paid by the Board a remuneration as prescribed from time to time.

26. Rules for Change in Subject

- (i) Change of subject(s) in class XI may be allowed by the Head of the School but not later than 31st of October of that academic session.
- (ii) No candidate shall be permitted to change his subject of study after passing class IX or XI as the case may be.
- (iii) The candidate shall not offer a subject in class X and XII which he has not studied and passed in class IX and XI respectively.
- **(iv) Notwithstanding anything contained in the rules 26(ii) and (iii), Chairman shall have the powers to allow a change in subject(s) in class X/XII, as the case may be, to avoid undue hardship to the candidate provided such a request for change is made before 31st August.

27. Submission of Migration Certificate by Private/Teacher Candidates for All India/ Delhi Senior School Certificate Examination

The candidates who have passed the Secondary or equivalent examination from other recognised Boards/Universities shall be required to submit Migration Certificate from the concerned Board/University alongwith the examination form. However, in case a Migration Certificate is not received fifteen days before the commencement of the examination, the candidature of the candidate shall be cancelled and the admit card for appearance at the examination shall not be issued to him by the Board

^{*}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 24.11.2008 and approved by the Governing Body at its meeting held on 08.12.2008.

^{**}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 30.5.2012 and approved by the Governing Body at its meeting held on 04.6.2012.

25. लेखन लिपिक (amanuensis) की सेवाओं का उपयोग और लेखन लिपिक की नियुक्ति

- (i) लेखन लिपिक निम्नलिखित मामलों में लिया जा सकता है :-
 - *(क) किसी दृष्टिहीन, शारीरिक रूप से विकलांग, स्पेस्टिक तथा पर्संस विद डिसएबिलीटिज एक्ट, 1995 में परिभाषित अनुसार अशक्तता वाले विद्यार्थियों के लिए
 - (ख) विद्यार्थी के अचानक बीमार होने के कारण लिखने में असमर्थ होने पर, जिसे कम से कम सहायक सर्जन स्तर के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो:
 - (ग) विद्यार्थी के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में परीक्षा में उसके लिखने में असमर्थ होने पर, जिसे कम से कम सहायक सर्जन स्तर के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
- (ii) लेखन लिपिक को उस कक्षा से नीचे की कक्षा का विद्यार्थी होना चाहिए जिसके लिए अभ्यर्थी परीक्षा दे रहा है।
- (iii) संबंधित परीक्षा केंद्र का अधीक्षक उपयुक्त लेखन लिपिक का चयन करेगा और बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को तत्काल परीक्षार्थी और लेखन लिपिक का पूर्ण विवरण देते हुए रिपोर्ट उसके विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।
- (iv) जिस परीक्षार्थी के लिए लेखन लिपिक की अनुमित दी जाती है उस के लिए अधीक्षक एक उपयुक्त कमरे की व्यवस्था करेगा तथा उसकी परीक्षा के पर्यवेक्षण के लिए एक विशेष सहायक अधीक्षक नियुक्त करेगा।
- *(v) लेखन लिपिक सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी।
- (vi) लेखन लिपिक को बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित पारिश्रमिक अदा किया जाएगा।

26. विषय में परिवर्तन के लिए नियम

- (i) XIवीं कक्षा में विषय में परिवर्तन की अनुमित विद्यालय के प्रमुख द्वारा उस शैक्षणिक सत्र के 31 अक्टूबर तक दी जा सकती है।
- (ii) किसी भी परीक्षार्थी को IX अथवा XI कक्षा, जैसा भी मामला हो, उत्तीर्ण करने के बाद अध्ययन के विषय में परिवर्तन करने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- (iii) परीक्षार्थी X और XII कक्षा में वह विषय नहीं लेगा जिसका उसने क्रमशः IX और XI कक्षा में अध्ययन नहीं किया है और उसमें उत्तीर्ण नहीं हुआ है।
- **(iv) नियम 26(ii) और (iii) में किसी बात के होते हुए भी अभ्यर्थी को व्यर्थ कठिनाई से बचाने के लिए अध्यक्ष को विषय(यों) में परिवर्तन करने की अनुमित देने की शक्ति होगी, बशर्तें कि परिवर्तन के लिए ऐसा अनुरोध 31 अगस्त के पूर्व किया गया हो।

27. अखिल भारतीय⁄दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए प्राइवेट∕शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा प्रवास प्रमाणपत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करने हेतु

जिन परीक्षार्थियों ने अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों/विश्वविद्यालयों से माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, उससे परीक्षा फार्म के साथ संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से प्रवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी। तथापि, अगर प्रवास प्रमाणपत्र परीक्षा प्रारंभ होने के पन्द्रह दिनों पूर्व प्राप्त नहीं होता है तो, अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और परीक्षा में बैठने के लिए उसे बोर्ड द्वारा प्रवेशपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

^{*} नियम परीक्षा समिति की 24.11.2008 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय द्वारा 8.12.2008 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{**} नियम परीक्षा समिति की 30.05.2012 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 04.06.2012 की बैठक में अनुमोदित किए गए।

5

MODE OF SUBMISSION OF APPLICATIONS, SCALE OF FEES AND REFUNDS

28. Mode of Submission of Applications for Regular Students

- *(i) A Student shall have his application form prescribed by the Board forwarded through the Head of the School to which he belongs for the examinations to be conducted by the Board.
- *(ii) The application form (Combined list of candidates) complete in all respects and with certificates by the Head of the school provided elsewhere shall be sent to the Regional Office concerned.
- *(iii) The application form should reach the Regional Office concerned within the date prescribed.
- (iv) The application form shall be accompanied with the prescribed fee (Vide Annexure II).
- (v) The form may also be accepted with additional Late Fee as per the prescribed norms.

29. Payment of Fees

- (i) A candidate shall pay fees as prescribed by the Board from time to time (Annexure II).
- (ii) Prescribed fee of candidates of affiliated schools shall be deposited by the candidates in the School and shall be remitted collectively by the Head of the school to the Board.
- (iii) Schools and private candidates from outside Delhi shall remit the amount by Bank Draft (crossed: Payees' account only) drawn in favour of the Secretary, Central Board of Secondary Education, payable on any scheduled bank at the place of the respective Regional Offices. Local schools (i.e. schools located at Delhi) and private candidates shall deposit their fees in the manner that may be prescribed from time to time.
- (iv) Other fees shall be paid in cash in the respective Board's regional office and printed receipt for the same shall be obtained. Fee can also be remitted by a Bank Draft (crossed account payee) drawn in favour of the Secretary, Central Board of Secondary Education on any scheduled Bank at the place of the respective Regional Office. The amount of fee remitted by Money Order, shall not be accepted unless full particulars in regard to the name, roll no. and other particulars of the candidate for whom the fee is being sent and the name of the examination for which the fee is being remitted are given. Fee should be deposited or remitted in the name of the candidate only and not in the name of the parent or guardian.

30. Holding over of Fees

A candidate who fails to pass the examination or is unable to present himself at the whole or part of the examination shall not be entitled to holding over or refund of fee, provided that the Controller

^{*}Rules amended in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010.

आवेदनपत्र प्रस्तुत करने की विधि, शुल्क और उसके वापसी के मापदंड

28. नियमित विद्यार्थियों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की विधि

- *(i) बोर्ड द्वारा आयोजित किए जाने वाली परीक्षाओं के लिए एक विद्यार्थी को बोर्ड द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र अपने विद्यालय के प्रमुख के माध्यम से भेजना होगा।
- *(ii) सभी तरह के पूर्ण आवेदन पत्र (परीक्षार्थियों की संयुक्त सूची) और विद्यालय प्रमुख के प्रमाण-पत्रों सहित, जहां कहीं अपेक्षित हों, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे जाएंगे।
- *(iii) आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के पास निर्धारित तारीख के भीतर पहुंच जाना चाहिए।
 - (iv) आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क के साथ होगा (देखें संलग्नक II)।
 - (v) निर्धारित मानकों के अनुसार अतिरिक्त विलंब शुल्क के साथ भी फार्म स्वीकृत किया जा सकता है।

29. शुल्क का भुगतान

- (i) परीक्षार्थी समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा (संलग्नक II)।
- (ii) संबद्ध विद्यालयों के परीक्षार्थियों का निर्धारित शुल्क विद्यालय में परीक्षार्थियों द्वारा जमा किया जाएगा और विद्यालय के प्रमुख द्वारा बोर्ड को सामूहिक रूप से भेजा जाएगा।
- (iii) दिल्ली से बाहर के विद्यालय और प्राइवेट विद्यार्थी राशि का भुगतान सचिव, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पक्ष में आहरित बैंक ड्राफ्ट (रेखांकित : केवल आदाता के खाते में) द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के स्थान पर स्थित किसी अनुसूचित बैंक में किया जाएगा। स्थानीय विद्यालय (अर्थात् दिल्ली में स्थित विद्यालय) और प्राइवेट विद्यार्थी अपना शुल्क समय-समय पर यथानिर्धारित रीति से जमा करेंगे।
- (iv) अन्य शुल्क बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में नकद रूप में अदा किया जाएगा और उसके लिए मुद्रित रसीद प्राप्त की जाएगी। शुल्क, सचिव, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पक्ष में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को किसी अनुसूचित बैंक पर आहरित बैंक ड्राफ्ट (रेखांकितः आदाता के खाते में) द्वारा भी प्रेषित किया जा सकता है। धनादेश (मनीआर्डर) द्वारा प्रेषित शुल्क की राशि तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक विद्यार्थी, जिसके लिए शुल्क भेजा जा रहा है, के नाम, अनुक्रमांक और अन्य विवरण तथा उस परीक्षा का नाम जिसके लिए शुल्क प्रेषित किया जा रहा है से संबंधित पूर्ण विवरण नहीं दिया जाता। शुल्क केवल अभ्यर्थी के नाम में जमा अथवा भेजा जाना चाहिए, माता-पिता अथवा अभिभावक के नाम में नहीं।

30. शुल्क का रोकना

जो परीक्षार्थी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता अथवा समूची परीक्षा या आंशिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाता, वह शुल्क रोकने या उसे वापस किए जाने का हकदार नहीं होगा परंतु जब परीक्षार्थी अपनी बीमारी अथवा अन्य किसी पर्याप्त कारण से समस्त परीक्षा देने से वंचित रहा था, तो उसके द्वारा इस आशय के लिए किए गए आवेदन से

^{*} नियम परीक्षा समिति की 22.6.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय द्वारा 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

of Examinations on an application from a candidate who absented himself from the whole of the examination may hold over the Examination fee paid by him for next examination after satisfying himself that the candidate was prevented from taking the examination on account of his illness or other sufficient cause. This will be subject to his producing within 15 days of commencement of the examination, in the case of illness, a medical certificate showing that his absence from the examination was due to his illness and in other cases a satisfactory documentary evidence proving that his absence was due to circumstances beyond his control giving full particulars of the same to the satisfaction of the Chairman whose decision shall be final. Fees once held over under this byelaw for the next examination may continue to be held over under similar circumstances for the year following the next, but in no case for more than two consecutive years. Fees once held over under the above byelaw shall in no case be refunded.

31. Refund of Fee

- (i) The Board may refund, on application, the examination fee of a candidate who may be declared ineligible to appear at the examination by the authorities concerned or whose admission is disallowed on account of shortage of the required percentage of attendances, provided such an application is received in the office of the regional office within three months of the date of the commencement of the examination. The fee of a candidate, whose form of application has been rejected on account of the candidate's producing a false certificate making a false statement in the application, shall in no case be refunded.
- (ii) The fee of a candidate who dies before the commencement of the examination may be refunded by the Regional Officer in full, provided that the application for the same is made within three months after the date of commencement of the examination. In the case of a regular candidate, the refund will be made to the parent or guardian of the candidate through the Head of the school. In the case of a private candidate, the refund will be made to the parent or guardian mentioned in the form of application for the examination.
- (iii) Amount paid in excess of the fee prescribed may be refunded by the Regional Officer to the School/candidate concerned provided an application for refund is received in the Board's office within three months from the date of payment. A deduction on account of incidental charges as decided by the Chairman from time to time subject to a minimum of Rs. 10/- in each case may be made while refunding the amount in such cases.

परीक्षा नियंत्रक स्वयं संतुष्ट हो जाते हैं तो अदा किए गए शुल्क को आगामी परीक्षा के लिए रोक कर रखा जा सकता है। बीमारी के मामले में चिकित्सा प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुए उसके द्वारा यह दर्शाया जाए कि परीक्षा में अनुपस्थिति उसकी बीमारी के कारण थी और अन्य मामलों में उसकी अनुपस्थिति उसके नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण थी, का पूरा ब्यौरा देते हुए एक संतोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य परीक्षा प्रारंभ होने के 15 दिनों में प्रस्तुत करना होगा जिसमें अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। इस उपविधि के अधीन आगामी परीक्षा के लिए एक बार रोक कर रखा गया शुल्क आगामी वर्ष के लिए समान परिस्थितियों के अधीन रोका जा सकता है, परंतु किसी भी मामले में यह दो लगातार वर्षों से अधिक नहीं होगा। उपर्युक्त उपविधि के अधीन एक बार रोक कर रखा गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

31. शुल्क की वापसी

- (i) बोर्ड, आवेदन पत्र दिए जाने पर किसी ऐसे अभ्यर्थी का परीक्षा शुल्क वापस कर सकता है, जिसे संबंधित प्राधिकारियों द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो अथवा जिसका प्रवेश उपस्थित की अपेक्षित प्रतिशतता में कमी के कारण अस्वीकार कर दिया गया हो, बशर्तें ऐसा आवेदन क्षेत्रीय कार्यालय में परीक्षा आरंभ होने की तारीख के तीन महीनों के भीतर प्राप्त होता है। उस अभ्यर्थी का शुल्क किसी भी मामले में वापस नहीं किया जाएगा जिसका आवेदनपत्र अभ्यर्थी के आवेदन में गलत विवरण देते हुए गलत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के कारण रद्द किया गया हो।
- (ii) परीक्षा शुरू होने से पहले, जिस विद्यार्थी की मृत्यु हो जाती है, उसके द्वारा जमा किया गया पूरा शुल्क क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा वापस किया जाएगा बशर्तें परीक्षा शुरू होने की तारीख के बाद तीन महीनों के भीतर इसके लिए आवेदन किया गया हो। नियमित विद्यार्थी के मामले में, शुल्क विद्यालय के प्रमुख के माध्यम से विद्यार्थी के माता-पिता अथवा अभिभावक को वापिस किया जाएगा। प्राइवेट विद्यार्थी के मामले में शुल्क की वापसी परीक्षा के आवेदनपत्र में उल्लिखित माता-पिता अथवा अभिभावक को की जाएगी।
- (iii) निर्धारित शुल्क से अधिक अदा की गई राशि संबंधित विद्यालय/विद्यार्थी को क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा वापस की जाएगी बशर्तें शुल्क की वापसी का आवेदनपत्र भुगतान की तारीख से तीन महीने के भीतर बोर्ड के कार्यालय में प्राप्त हो गया हो। ऐसे मामलों में राशि वापस करते समय अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित प्रासंगिक प्रभार के रूप में कटौती की जाएगी परंतु प्रत्येक मामले में कटौती 10/- रुपये से कम नहीं होगी।

6

FIXATION OF EXAMINATION CENTRES, APPOINTMENT OF CENTRE SUPERINTENDENTS ETC. AND RULES FOR UNFAIRMEANS CASES

32. General Conditions

- (i) The examinations of the Board shall be conducted as per schedule approved by the Chairman. Draft scheme of examination centres shall be prepared by the Controller of Examinations and finally approved by the Chairman who shall have powers to revise, modify or amend it.
- (ii) The examinations of the Board shall be held only at the centres approved by the Board and all the examination papers will be administered simultaneously at all centres as per Indian Standard Time (I.S.T.).
- (iii) As provided in clause 13(3) of the Affiliation Bye-Laws, the building and furniture of affiliated school shall be placed at the disposal of the Board for the conduct of any of its examinations and for spot evaluation, free of charge and the management and the Principal shall cooperate with the Board in the conduct of examinations and evaluation of answer scripts.
- (iv) It shall be obligatory on the part of schools to provide teachers for conduct of Examinations and for evaluation of scripts.

*33. Norms for Fixation of Examination Centres

33.1 General Conditions

- (i) For the purpose of fixing the examination centres, cities will be classified under the following three categories:
 - (a) Single School Cities
 - (b) Multiple School Cities
 - (c) Foreign Countries
- (ii) Examination centres shall be fixed in any school after considering the availability of appropriate facilities like sufficient number of rooms with ventilation, fan, light and furniture.
- (iii) An examination centre shall be created subject to availability of bank/treasury facilities for the safe custody of question papers etc. as per requirement of the Board.
- (iv) Except for Single School Cities, students shall have the examination centre other than their own school, as far as practicable.

^{*}Heading amended in the Examination Committee's meeting held on 25.1.2012 and approved by the Governing Body at its meeting held on 02.02.2012.

6

परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण, केन्द्र अधीक्षकों आदि की नियुक्ति और अनुचित तरीके अपनाने के मामले संबंधी नियम

32. सामान्य शर्ते

- (i) बोर्ड की परीक्षाएं अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित अनुसूची के अनुसार संचालित की जाएंगी। परीक्षा केन्द्रों की योजना (ड्राफ्ट स्कीम) परीक्षा नियंत्रक द्वारा तैयार की जाएगी और अंतिम रूप से इसको अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। अध्यक्ष को इसका संशोधन, आशोधन अथवा सुधार करने का अधिकार होगा।
- (ii) बोर्ड की परीक्षाएं बोर्ड द्वारा अनुमोदित केंद्रों पर ही आयोजित की जाएंगी और परीक्षा पत्र (पेपर) भारतीय मानक समय (आईएसटी) के अनुसार सभी केंद्रों में एक साथ संचालित होंगे।
- (iii) संबद्धता उप-विधियों के खंड 13(3) में यथा उपबंधित बोर्ड की किसी परीक्षा को संचालित करने के लिए और स्थल मूल्यांकन के लिए संबद्ध विद्यालय भवन और फर्नीचर की निःशुल्क व्यवस्था करेगा और प्रबंधक वर्ग एवं प्रधानाचार्य परीक्षा के संचालन एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में बोर्ड को सहयोग देगा।
- (iv) परीक्षाओं को संचालित करने एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए अध्यापकों की व्यवस्था करना विद्यालय के लिए अनिवार्य होगा।

*33. परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के मानदंड

33.1 सामान्य शर्ते

- (i) परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए शहरों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगाः
 - (क) एकल विद्यालय शहर
 - (ख) बहु विद्यालय शहर
 - (ग) विदेश
- (ii) किसी भी विद्यालय में कमरों की पर्याप्त संख्या और उनमें हवा, पंखे, प्रकाश एवं फर्नीचर जैसी उपयुक्त सुविधाओं की सुलभता पर विचार करने के बाद परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा।
- (iii) बोर्ड की आवश्यकतानुसार प्रश्नपत्रों इत्यादि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए बैंक⁄खजाने की सुलभता के अनुसार परीक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
- (iv) एकल विद्यालय शहरों को छोड़कर जहां तक हो सके, विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र अपने निजी विद्यालय के अतिरिक्त होगा।

^{*}शीर्षक परीक्षा सिमिति की दिनांक 25.1.2012 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 02.02.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

33.2 Single School Cities

- *(i) Subject to the fulfilment of conditions as given under clause 33.1, the school itself may. be the examination centre, provided:
 - (a) it presents at least 30 candidates for Class X, if it is affiliated upto secondary stage;
 - (b) it presents at least 50 candidates for classes X and XII taken together, if it is affiliated upto + 2 stage; and
 - (c) the school should complete two years of its affiliation to the Board
- (ii) In respect of such schools, the Centre Superintendent and Supervisory staff shall be appointed from among those who are not employees of the school or the trust running it. Centre Superintendent, as far as possible, will not be from the same city.

33.3 Multiple School Cities

- (i) As far as practicable, no school shall be allowed to have the candidates appearing for an examination of the Board at their own school as an examination centre.
- (ii) In case of two or more schools presenting candidates for an examination in a city, the students shall be rotated among different centres, avoiding mutual interchange of students between schools as far as possible.

33.4 Foreign Countries

- (i) In respect of schools in Foreign Countries, as far as possible, the norms applicable to examination centres in India, shall be applicable.
 - However, the Chairman shall be empowered to create an examination centre in a foreign country keeping in view the number of students, geographical conditions etc.
- (ii) In respect of private/patrachar candidates appearing from foreign countries, the examination centres may be fixed in Embassies/Chancelleries if no school exists in that country/city provided the candidate furnishes willingness of the Embassy/Chancellery to conduct the examination as per Board norms.

33.5 Norms for Fixation of Centres at Delhi/New Delhi.

- (i) Normally, an examination centre should fall within 10 kms. from the location of the school.
- (ii) The examination centres shall be fixed only in such schools which have boundary walls where public trespassing is not possible and have enough furniture.
- (iii) The examination centres shall be fixed in schools which have 'pucca' buildings and the school is not run In tents/sheds etc.

^{*}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 20.8.2001 and approved by the Governing Body at its meeting held on 18.12.2001

33.2 एकल विद्यालय शहर

- *(i) खंड 33.1 के अधीन दी गई शर्तों को पूरा करते हुए वही विद्यालय परीक्षा केंद्र भी हो सकता है, बशर्ते
 - (क) यदि वह माध्यमिक स्तर तक संबद्ध है तो इसमें कक्षा X में कम से कम 30 परीक्षार्थी हों;
 - (ख) यदि वह +2 स्तर तक संबद्ध है तो इसमें कक्षा X और XII दोनों को मिलाकर कम से कम 50 परीक्षार्थी हो; तथा
 - (ग) विद्यालय को बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त किए हुए दो वर्ष पूरे हो चुके हों।
- (ii) ऐसे विद्यालय के संबंध में केंद्र अधीक्षक एवं पर्यवेक्षी कर्मचारी (स्टॉफ) की नियुक्ति उन कर्मचारियों के बीच से की जाएगी जो विद्यालय अथवा इसके न्यास के नहीं कर्मचारी हों। यथासंभव, केंद्र अधीक्षक उसी शहर से नहीं होगा।

33.3 बहु विद्यालय शहर

- यथासाध्य बोर्ड की परीक्षा के लिए अपने विद्यालय के परीक्षार्थियों के लिए उसी विद्यालय को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा।
- (ii) किसी शहर में परीक्षा के लिए दो या दो से अधिक विद्यालयों के परीक्षार्थियों के मामलों में, विद्यार्थियों को विभिन्न केंद्रों में बारी-बारी रखा जाएगा तािक विद्यालयों के बीच विद्यार्थियों की परस्परी अदला-बदली से यथासंभव बचा जा सके।

33.4 विदेश

- (i) विदेश में स्थित विद्यालयों के संबंध में, यथासंभव, भारत के परीक्षा केंद्रों पर लागू होने वाले मानदंड लागू होंगे।
 - तथापि अध्यक्ष को विद्यार्थियों की संख्या, भौगोलिक स्थितियों आदि को ध्यान में रखते हुए विदेश में परीक्षा केंद्र स्थापित करने का अधिकार होगा।
- (ii) विदेश से परीक्षा देने वाले प्राइवेट/पत्राचार विद्यार्थियों के संबंध में, उस देश/शहर में कोई विद्यालय न होने के कारण परीक्षा केंद्रों का निर्धारण दूतावासों/चांसलर कार्यालयों में किया जाएगा, बशर्ते कि परीक्षार्थी ने बोर्ड के मानदंड के अनुसार दूतावास/चांसलर कार्यालय द्वारा परीक्षा आयोजित करने की सहमति प्रस्तुत की हो।

33.5 दिल्ली/नई दिल्ली में केंद्रों के निर्धारण के मानदंड

- (i) सामान्यत, परीक्षा केंद्र विद्यालय स्थल से 10 कि.मी. के अंदर होना चाहिए।
- (ii) परीक्षा केंद्रों का निर्धारण केवल ऐसे विद्यालयों में किया जएगा जिनमें चार दीवारी हो, जहां अनाधिकृत प्रवेश संभव न हो और जहां पर्याप्त फर्नीचर हो।
- (iii) परीक्षा केंद्रों का निर्धारण ऐसे विद्यालय में किया जाएगा जिस विद्यालय का पक्का भवन हो और विद्यालय तंबुओं∕शेडों आदि में नहीं चलाया जाता हो।

^{*} यह नियम परीक्षा समिति की 20.8.2001 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 18.12.2001 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

34. Norms for Appointment of Centre-Superintendents, Deputy Superintendent Asstt. Superintendents

34.1 Centre Superintendents

- (i) The Principal Vice-Principal/Senior PGT of a school shall be appointed as the Centre Superintendent of an examination centre provided the students from his/her school are not appearing at that centre.
- (ii) No person whose ward/near relative is appearing in an examination of the Board, shall be appointed for this assignment.
- (iii) A Centre Superintendent shall not leave an examination centre without prior approval of the Board under normal circumstances. In case of an emergency, he/she may hand over the charge to the Deputy Superintendent, where appointed, or to the next senior most person under intimation to the Board.
- (iv) A Centre Superintendent who:
 - (a) leaves an examination centre without prior permission of the Board and proper arrangement;
 - (b) misuses his/her position; or
 - (c) engages himself/herself directly or indirectly in using or promoting or abetting the use of unfair practices detrimental to the smooth and fair conduct of examinations;
 - shall face such disciplinary action, as may be decided by the Chairman, which may include disciplinary action through departmental agencies or legal action by the Board in public Interest.

34.2 Deputy Superintendents

- (i) The Deputy Superintendent shall be appointed at an examination centre having a total of 250 or more candidates - both for All India/Delhi Senior School Certificate Examinations / Secondary School Examinations.
- (ii) The Deputy Superintendent will be appointed by the Centre Superintendent of the Centre under intimation to the Board. In cases, where the Centre Superintendent is from other school, the Deputy Superintendent shall be appointed by the Centre Superintendent in consultation with the Principal or Principal-Incharge of the school.
- (iii) The Deputy Superintendent shall not be below the rank of Vice-Principal/Senior PGT. In case of complaint(s) against the Deputy Superintendent, where in the opinion of the Centre Superintendent, immediate action has to be taken against him/her, the Centre Superintendent shall have the powers to relieve him/her of his/her responsibilities and entrust the work to another suitable teacher. A report of such action, along with circumstances that forced such an action, shall be made to the Board immediately in writing and also by telephone, fax etc.
- (iv) No official shall be appointed as Deputy Superintendent from the school whose candidates are appearing at the examination centre.

34. केन्द्र अधीक्षकों, उप-अधीक्षकों ⁄ सहायक अधीक्षकों की नियुक्ति संबंधी मानदंड

34.1 केन्द्र अधीक्षक

- (i) किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य/उप-प्रधानाचार्य/विरष्ठ स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी) की नियुक्ति परीक्षा केंद्र के केंद्र-अधीक्षक के रूप में की जाएगी बशर्ते उसके विद्यालय के विद्यार्थी उसी केंद्र में परीक्षा न दे रहे हों।
- (ii) जिनके बच्चे/निकट संबंधी बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को इस कार्य के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- (iii) केंद्र अधीक्षक सामान्य परिस्थितियों में बोर्ड के अनुमोदन के बिना परीक्षा केंद्र नहीं छोड़ेगा। आपातकालीन स्थिति में वह अपना कार्य उप-अधीक्षक, जहां नियुक्ति हुई हो, अथवा अगले वरिष्ठतम् व्यक्ति को सौंप देगा/देगी तथा बोर्ड को भी सूचना देगा/देगी।
- (iv) जो केंद्र अधीक्षक:
 - (क) बोर्ड की पूर्व अनुमित के बिना और उचित व्यवस्था किए बिना परीक्षा केंद्र छोड़ देता है;
 - (ख) अपने पद का दुरूपयोग करता/करती है; अथवा
 - (ग) सुचारू और निष्पक्ष रूप से परीक्षाओं के आयोजन के लिए अहितकर अनुचित प्रक्रियाओं को अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करता है अथवा ऐसी प्रक्रियाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देता है अथवा प्रेरित करता है;

ऐसा करने पर उसे अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा जिसमें विभागीय एजेंसियों के माध्यम से अनुशासनिक कार्रवाई अथवा बोर्ड द्वारा लोकहित में की जाने वाली कानूनी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।

34.2 उप-अधीक्षक

- (i) उप-अधीक्षक की नियुक्ति कुल 250 या इससे अधिक परीक्षार्थियों वाले परीक्षा केंद्र में की जाएगी जिसमें अखिल भारतीय∕दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा∕माध्यमिक विद्यालय परीक्षा दोनों शामिल हैं।
- (ii) केंद्र के केंद्र-अधीक्षक द्वारा उप-अधीक्षक की नियुक्ति बोर्ड को सूचित करते हुए की जाएगी। यदि केंद्र अधीक्षक अन्य विद्यालय से हो, तो उप-अधीक्षक की नियुक्ति उस विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा प्रभारी प्रधानाचार्य से विचार-विमर्श करके केंद्र-अधीक्षक द्वारा की जाएगी।
- (iii) उप-अधीक्षक कम से कम उप-प्रधानाचार्य/विरष्ठ स्नातकोत्तर अध्यापक (पीजीटी) के रैंक का होगा। अधीक्षक की राय में उप-अधीक्षक के विरूद्ध मिली किसी शिकायत के मामले में उसके विरूद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी, उप-अधीक्षक को उसके दायित्व से मुक्त करने और किसी उपयुक्त शिक्षक को कार्य सौंपने का अधिकार केन्द्र अधीक्षक को होगा। ऐसी कार्रवाई की सूचना उन पिरिस्थितियों के साथ जिनके कारण ऐसी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ा, बोर्ड को तत्काल लिखित रूप में और टेलीफोन/फैक्स इत्यादि पर भी दी जाए।
- (iv) जिस विद्यालय के परीक्षार्थी परीक्षा में परीक्षा दे रहे हों, उसके किसी अधिकारी को उप-अधीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

34.3 Assistant Superintendents

- (i) As the Centre Superintendent shall be responsible for the smooth conduct of examinations, he/she will be authorised to appoint the required number of Assistant Superintendents, from amongst the teachers of his/her school provided the candidates appearing at the centre do not belong to his/her school.
- (ii) In case the students from the same school are taking examination at the Centre, the Centre Superintendent shall draw up a list of teachers who will work as Asstt. Supdts. from the neighbouring schools in consultation with the Principal of the school. He/she should furnish the list of Asstt. Supdts. with complete details to the Regional Officer of the Board immediately.
- (iii) Persons other than teachers possessing equivalent qualifications (minimum graduation) may also be detailed as Assistant Superintendent in case the adequate number of teachers are not available. However, the appointment of such persons to act as Assistant Superintendent shall be restricted to the minimum and complete details in such cases shall be furnished to the concerned Regional Officer of the Board.
- (iv) The Centre Superintendent shall see that the instructions to Assistant Superintendent(s) are duly noted and observed by them. An undertaking to the effect that no near relation(s) or any other student(s) who has/have been receiving private coaching from him/her, is/ are appearing in the examination at the centre, may please be obtained from each Assistant Superintendent.
- (v) One Assistant Superintendent for every 20 candidates or a part in the hall or big rooms, or two for each room having 40 or less candidates, are to be provided. Care should be taken not to keep the same Assistant Superintendent in the same room or the same part of the examination hall every day/session. The allotment of rooms to the Assistant Superintendent should, therefore, be changed every day/session and it should be done without any previous notice to this effect to the concerned Assistant Superintendent(s). The names of the Assistant Superintendents put in different rooms for various papers should be shown on the seating plan while sending information to the Board.
- (vi) An Assistant Superintendent who engages himself/herself directly or indirectly in using or promoting or abetting use of unfair means shall be dealt with appropriately under the rules of Board.

34.4 Guidelines for Centre Superintendents etc.

Guidelines for Centre Superintendents, Deputy Superintendents and Assistant Superintendents will be issued by the Controller of Examinations with the approval of the Chairman separately for adherence by all concerned.

34.5 Clerical Assistance

The Centre Superintendent shall appoint clerical and class IV staff as per the Guidelines to the Centre Superintendents.

34.3 सहायक अधीक्षक

- (i) चूंकि केंद्र अधीक्षक परीक्षा सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिम्मेदार होता है इसलिए वह अपने विद्यालय के अध्यापकों में से अपेक्षित संख्या में सहायक अधीक्षकों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है बशर्ते कि केंद्र में बैठ रहे परीक्षार्थी उसके विद्यालय के न हों।
- (ii) अगर केंद्र में उसी विद्यालय के परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हों तो केंद्र अधीक्षक निकट के विद्यालयों के उन शिक्षकों की सूची तैयार करेगा, जो सहायक अधीक्षक के रूप में कार्य करेंगे और यह सूची उस विद्यालय के प्रधानाचार्य की सलाह से बनेगी। उस केंद्र अधीक्षक को बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को पूर्ण विवरण के साथ सहायक अधीक्षकों की एक सूची तत्काल प्रस्तुत करनी चाहिए।
- (iii) यदि अध्यापकों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं हो तो समकक्ष अर्हता (न्यूनतम स्नातक) रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को भी सहायक अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। फिर भी, सहायक अधीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति न्यूनतम संध्या तक प्रतिबंधित होगी और ऐसी स्थिति में पूर्ण ब्यौरे बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे।
- (iv) केंद्र-अधीक्षक यह देखेगा कि सहायक अधीक्षक ने उनके द्वारा दिए गए अनुदेश को विधिवत् नोट किया है और उसका अनुपालन किया है। इस आशय का एक शपथपत्र प्रत्येक सहायक अधीक्षक से प्राप्त किया जाए कि उनका कोई निकट संबंधी या उससे प्राइवेट तौर पर कोचिंग प्राप्त करने वाला कोई अन्य परीक्षार्थी केंद्र में परीक्षा नहीं दे रहा रहे हैं।
- (v) किसी परीक्षा हॉल अथवा बड़े कमरों के एक भाग के लिए अथवा प्रत्येक 20 परीक्षार्थियों के लिए एक सहायक अधीक्षक की अथवा 40 या उससे कम परीक्षार्थियों के बैठने के प्रत्येक कमरे में दो सहायक अधीक्षकों की व्यवस्था की जाए। यह ध्यान में रखा जाए कि एक ही कमरे अथवा परीक्षा हॉल के एक ही भाग में एक ही सहायक अधीक्षक को प्रतिदिन/प्रति सत्र तैनात न किया जाए। इसलिए कमरों का आबंटन करते हुए सहायक अधीक्षक को प्रतिदिन/प्रति सत्र में बदला जाए और संबंधित सहायक अधीक्षक को इस आशय की पूर्व सूचना नहीं होनी चाहिए। बोर्ड को सूचना भेजते समय विभिन्न विषयों की परीक्षा के लिए विभिन्न कमरों में तैनात सहायक अधीक्षकों के नाम सीटिंग प्लान में दिखाए जाने चाहिए।
- (vi) जो सहायक अधीक्षक, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अनुचित साधनों के प्रयोग करने अथवा बढ़ावा देने या प्रेरित करने में संलग्न होता है, उस पर बोर्ड के नियमों के अधीन उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

34.4 केंद्र अधीक्षकों आदि के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

केन्द्र-अधीक्षकों, उप अधीक्षकों और सहायक अधीक्षकों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत, सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा पालन करने के लिए अध्यक्ष के अनुमोदन से परीक्षा नियंत्रक द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।

34.5 लिपिकीय सहायता

केंद्र-अधीक्षक के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार केन्द्र अधीक्षक लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा।

34.6 Appointment of Observers/Inspectors/Flying Squads

The Chairman may appoint Observers/Inspectors/Flying Squads to ensure smooth and fair conduct of examinations at the Examination Centres where necessary.

34.7 In exceptional circumstances where deviation from the Bye-Laws of this chapter is considered necessary, the Chairman shall have the powers to do so for reasons to be recorded.

35. Change of Examination Centres

- (i) Save as provided for, no candidate shall be allowed to appear from an examination centre to which he/she has not been allotted.
- (ii) The Chairman may allow change of an examination centre from one city to another if the student has joined a school in another city, provided that an application is made in writing and is duly forwarded by the Head of the Institution to which a candidate has been admitted.
- (iii) The change of an examination centre from one city to another may be allowed to the candidate by the Chairman only in case of transfer/migration of his/her parents.
 - No change of centre shall, however, be allowed within one month of the commencement of examinations.
- (iv) A candidate who has appeared at an examination centre not allotted to him/her without prior approval of the Board, shall forfeit his/her eligibility for examination and the Board has the right to declare him/her as 'Not Eligible' for the concerned examination.
- *(v) A candidate appearing for the first chance compartmental/Improvement of Performance examination for the Senior/Secondary examinations conducted by the Board shall appear from a centre in the same Region from where he/she had appeared at the main examination. However, in case of transfer of the parent from one place to another, the Chairman may allow change of centre subject to fulfilment of the following:
 - (i) the parent produces a valid documentary evidence of his/her transfer from one place to another;
 - (ii) that the request for change of centre is received one week before the date of commencement of the examination of the year; and
 - (iii) that the change of centre will be considered only subject to availability of question papers at the requested place of centre.

36. Rules for Unfair Means Cases

36.1 General

(i) If a candidate is found to have made a wrong statement in his/her application form for admission to the examination or has attempted to secure or has secured admission to any of the examinations of the Board or has secured admission to the examination of the Board by making a false statement or by production of a false document or otherwise, he/she shall be deemed to have used unfair means and his/her results shall not be declared.

^{*}Rule added in the Examination Committee's meeting held on 25.8.1995 and approved by the Governing Body at its meeting held on 22.9.1995. Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 25.01.2012 and approved by the Governing Body at its meeting held on 02.02.2012.

34.6 पर्यवेक्षकों/निरीक्षकों/उड़नदस्तों की नियुक्ति

जहां आवश्यक हो, अध्यक्ष, पर्यवेक्षकों/निरीक्षकों/उड़नदस्तों की नियुक्ति कर सकता है, ताकि परीक्षा केंद्र में परीक्षा निर्विघ्न एवं कुशलतापूर्वक संचालित हो सके।

34.7 अपवादी परिस्थितियों में जहां इस अध्याय की उपविधियों में विचलन अनिवार्य हो, वहां उन कारणों को रिकार्ड करते हुए अध्यक्ष को ऐसा करने का अधिकार होगा।

35. परीक्षा केंद्रों में परिवर्तन

- (i) इसके लिए यथा उपबंधित के सिवाय, परीक्षार्थी को उस परीक्षा केंद्र में बैठने की अनुमित नहीं दी जाएगी जो उसे आबंटित नहीं किया गया हो।
- (ii) यदि विद्यार्थी ने दूसरे शहर के विद्यालय में प्रवेश ले लिया है तो अध्यक्ष एक शहर से दूसरे शहर में परीक्षा केंद्र बदलने की अनुमित दे सकता है, बशर्ते कि आवेदन लिखित में किया गया हो और उस संस्था के प्रमुख द्वारा जिसमें परीक्षार्थी ने प्रवेश लिया है, विधिवत अग्रेषित किया गया हो।
- (iii) यदि परीक्षार्थी के माता-पिता का स्थानान्तरण/प्रवास हो गया है तो एक शहर से दूसरे शहर में परीक्षा केंद्र बदलने की अनुमित अध्यक्ष द्वारा परीक्षार्थी को दी जा सकती है। तथापि, परीक्षा प्रारंभ होने के एक माह के अन्दर केन्द्र का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- (iv) जो परीक्षार्थी बोर्ड की पूर्व अनुमित के बिना, आबंटित न किए गए परीक्षा केंद्र में बैठ गया हो, वह परीक्षा की पात्रता से वंचित हो जाएगा और बोर्ड को संबंधित परीक्षा के लिए उसे ''पात्र नहीं'' घोषित करने का अधिकार होगा।
- *(v) बोर्ड द्वारा आयोजित वरिष्ठ/माध्यिमक परीक्षाओं के लिए प्रथम अवसर पूरक परीक्षा निष्पादन में सुधार हेतु बैठने वाला परीक्षार्थी उसी क्षेत्र के केंद्र से परीक्षा में बैठेगा, जहां से उसने मुख्य परीक्षा दी। परंतु, माता-पिता के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के मामले में, अध्यक्ष केंद्र परिवर्तन की अनुमित दे सकता है, यदि निम्नलिखित बातों को पूरा करेः
 - (क) माता-पिता अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर हुए स्थानांतरण का विधि मान्य प्रमाण प्रस्तुत करें;
 - (ख) केंद्र-परिवर्तन का आवेदन उसी वर्ष की परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि में एक सप्ताह पहले प्राप्त हो; और
 - (ग) केंद्र परिवर्तन पर तभी विचार किया जाएगा जबिक आवेदित केंद्र के स्थान पर उस विषय के प्रश्नपत्र उपलब्ध हो।

36. अनुचित तरीके के मामलों संबंधी नियम

36.1 सामान्य

(i) यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में प्रवेश के लिए अपने आवेदन में गलत विवरण दिए हुए पाया जाता है अथवा ऐसा करके उसने बोर्ड की किसी परीक्षा में प्रवेश लेने का प्रयास किया है अथवा प्रवेश प्राप्त कर लिया है अथवा गलत विवरण देकर अथवा कोई गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके अथवा अन्य तरीके से बोर्ड की परीक्षा में प्रवेश प्राप्त कर लिया है तो उसे अनुचित साधनों का प्रयोग किया माना जाएगा और उसका परीक्षाफल घोषित नहीं किया जाएगा।

^{*} यह नियम परीक्षा समिति की 25.8.1995 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय की 22.9.1995 की बैठक में अनुमोदित किया गया। परीक्षा समिति की 25.1.2012 में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 02.2.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

In case where such a candidate has not yet appeared at the examination, his/her form of application shall be rejected and fee paid forfeited. If he/she has completed his/her examination, his/her form of application shall be rejected, fee paid forfeited and his/her examination shall be cancelled.

- (ii) If at any stage a candidate has tampered with any entry in the certificate or statement of marks or migration certificate or any other document that has been issued to him/ her by the Board, he/she shall be deemed to have used unfair means. The Board may cancel the document in question and may even cancel his/her result, if it deems so necessary.
- (iii) In the answer book, a candidate is not permitted to write his/her name or put his/her signature or any sign or mark which may disclose his/her identity to the examiner; A candidate infringing this rule shall be deemed to have used unfair means and his/her result shall not be declared and in addition he/she shall be liable to be punished under the rules.
- (iv) If during the course of examination, a candidate is found indulging in any of the following, he/she shall be deemed to have used unfair means at the examinations, and as such his/her result shall not be declared but shall be marked as UNFAIR MEANS (UFM.):
 - (a) having in possession papers, books, notes or any other material or information relevant to the examination in the paper concerned;
 - (b) giving or receiving assistance directly or indirectly of any kind or attempting to do so;
 - (c) writing questions or answers on any material other than the answer book given by the Centre Superintendent for writing answers;
 - (d) tearing of any page of the answer book or supplementary answer book etc.;
 - (e) contacting or communicating or trying to do so with any person, other than the Examination Staff, during the examination time in the examination centre;
 - (f) taking away the answer book out of the examination hall/room;
 - (g) using or attempting to use any other undesirable method or means in connection with the examination;
 - (h) smuggling out Question Paper or its part; or smuggling out answer book/supplementary answer sheet or part thereof; and
 - (i) threatening any of the officials connected with the conduct of the examinations or threatening of any of the candidates
- (v) A candidate found guilty of any of the unfair means mentioned at (iv) above:-
 - (a) may be disqualified by the Board from the examination in that year (i.e. his/her examination for that year may be cancelled;

यदि जहां ऐसा परीक्षार्थी अभी तक परीक्षा में शामिल नहीं हुआ है तो उसका आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा और अदा किया गया शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। यदि उसने अपनी परीक्षा पूरी कर ली हो तो उसका आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा, अदा शुल्क जब्त कर लिया जाएगा और परीक्षा रद्द कर दी जाएगी।

- (ii) यदि किसी भी स्तर पर परीक्षार्थी ने उसे बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र अथवा अंक विवरण या अंतरण प्रमाण-पत्र अथवा अन्य किसी दस्तावेज में की गई प्रविष्टि में हेर-फेर किया हो, तो उसे अनुचित तरीकों का प्रयोग किया हुआ माना जाएगा। बोर्ड, अगर आवश्यक समझे, तो संबंधित दस्तावेज और यहां तक कि उसके परीक्षाफल को भी रद्द कर सकता है।
- (iii) उत्तरपुस्तिका में किसी परीक्षार्थी को अपना नाम लिखने अथवा अपना हस्ताक्षर करने अथवा कोई संकेत या चिह्न दर्ज करने जो परीक्षक को उसकी पहचान प्रकट कर सकता है, की अनुमित नहीं होगी। इस नियम का उल्लंघन करने वाले परीक्षार्थी को अनुचित साधन का प्रयोग किया हुआ माना जाएगा और उसका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वह नियमों के अधीन सजा पाने का दोषी होगा।
- (iv) अगर परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी को निम्निलखित किसी एक में संलिप्त पाया जाता है तो उसे परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ माना जाएगा तथा उसका परीक्षाफल घोषित नहीं किया जाएगा और उसे 'अनुचित साधन' (यूएफएम) के रूप में चिह्नित किया जाएगा:
 - (क) संबंधित प्रश्नपत्र में परीक्षा से संबंधित कोई कागजात, पुस्तक, नोट अथवा कोई अन्य सामग्री का पाया जाना;
 - (ख) किसी किस्म की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहायता देना अथवा प्राप्त करना अथवा ऐसा करने का प्रयास करना;
 - (ग) केंद्र-अधीक्षक द्वारा उत्तर लिखने के लिए दी गई उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त किसी अन्य सामग्री पर प्रश्न अथवा उत्तर लिखना;
 - (घ) उत्तर-पुस्तिका अथवा पूरक उत्तर पुस्तिका आदि का कोई पृष्ठ फाड़ना;
 - (ङ) परीक्षा केंद्र में परीक्षा के दौरान परीक्षा स्टाफ के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क करना अथवा बातचीत करना अथवा ऐसा करने का प्रयास करना;
 - (च) परीक्षा हॉल/कक्ष के बाहर उत्तर पुस्तिका ले जाना;
 - (छ) परीक्षा से संबंधित किसी अन्य अवांछनीय ढंग अथवा साधनों का प्रयोग करना अथवा प्रयोग करने का प्रयास करना;
 - (ज) प्रश्न-पत्रों या उसके किसी भाग की तस्करी, या उत्तर पुस्तिका/पूरक उत्तर पुस्तिका या उसके किसी भाग की तस्करी;
 - (झ) परीक्षा संचालित करने से संबंधित किसी अधिकारी अथवा किसी परीक्षार्थी को धमकी देना।
- (v) ऊपर (iv) में उल्लिखित अनुचित साधनों में से किसी एक का भी दोषी पाए गए परीक्षार्थी को :
 - (क) बोर्ड द्वारा उस वर्ष में परीक्षा के अयोग्य घोषित किया जा सकता है (अर्थात् उस वर्ष के लिए उसकी परीक्षा रद्द की जा सकती है);

- (b) may further be debarred from appearing at any examination of the Board for a period which may extend upto five years; and
- (c) in serious cases, may permanently be debarred from taking any examination of the Board.

36.2 Identification and Reporting of Unfair Means Cases

- As soon as it comes or is brought to the notice of the Centre Superintendent that a candidate, during the course of examination, has been found using or attempting to use unfair means as detailed in rule 36.1 (iv), he/she shall take possession of the answer book of the candidate along with the paper(s) or other material(s) found with him/her, if any, and provide the candidate with a second answer book immediately. The candidate is not to be expelled from the examination centre in that paper. The Centre Superintendent shall record, on the first answer book, the time when it was taken away from the candidate and on the second answer book the time when it was issued. While issuing the second answer book, the candidate shall be asked by the Centre Superintendent to submit his/ her explanation in regard to the allegation against him/her. If the candidate refuses to give an explanatory statement, the fact of refusal should be recorded by two Asstt. Supdts. and attested by the Centre Superintendent on duty at the time of the occurrence. The Centre Superintendent shall call for the statement(s) of the Asstt. Supdt.(s). concerned and forward the same to the concerned Regional Officer of the Board, in a separate sealed cover, the two answer books used by the candidate alongwith the explanation of the candidate or the attested statement of refusal, the statement(s) of the Asstt. Supdt(s) and his/her own note on the case for further action by the Board.
- (ii) As soon as it comes or is brought to the notice of the Centre Superintendent that a candidate has smuggled out an answer book, he/she should call for the student directly or through the Principal of the school concerned and try to secure the answer book. In case of non-availability of the answer book, the matter should be reported to the police and a copy of the report be sent to the office of the Board along with the statements of the Asstt. Supdts. present in the room and also of the candidate. The statements of peon, police constable etc. if any, relevant to the situation should also be forwarded. The statements should contain the time of the incident and details of the case as to how the candidate took away the answer book. Efforts made to recover the answer book should also be stated.
- (iii) In case of impersonation, the Centre Superintendent should send to the Board's office, the statement of the person found to be impersonating, the Asstt. Supdts. and that of the real candidate, if possible. The Centre Superintendent shall also report the matter to the police.
- (iv) In case of misconduct of a serious nature, the matter should be reported to the Police, if necessary. Statements of the Asstt. Supdt.(s) and that of the peon/policeman concerned may be obtained and sent to the office of the Board for further action.
- (v) If a candidate is found guilty of communicating or attempting to communicate either directly or indirectly with an examiner or any other person connected with the examination with the object of influencing him/her in any way, he/she shall be deemed to have used unfair means and shall be liable to punishment under the rules.

- (ख) किसी निश्चित अविध के लिए, जो पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, बोर्ड की किसी परीक्षा में शामिल होने से वंचित किया जा सकता है; और
- (ग) गंभीर मामलों में, बोर्ड परीक्षा देने से स्थायी रूप से वंचित किया जा सकता है।

36.2 अनुचित साधनों के मामलों की पहचान और उनकी रिपोर्ट देना

- (i) ज्यों ही परीक्षा के दौरान केंद्र-अधीक्षक के ध्यान में यह बात आती है अथवा लाई जाती है कि कोई परीक्षार्थी नियम 36.1(iv) में उल्लिखित किसी अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए अथवा प्रयोग करने का प्रयास करते हुए पाया गया है, त्योंही वह, उसके पास पाए गए किसी कागजात अथवा अन्य सामग्री, अगर कोई हो, के साथ परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका अपने कब्जे में ले लेगा और परीक्षार्थी को तत्काल एक दूसरी उत्तर पुस्तिका देगा। परीक्षार्थी को उस विषय के पेपर में, परीक्षा केंद्र से निष्कासित नहीं किया जाएगा। केंद्र अधीक्षक प्रथम उत्तर- पुस्तिका पर वह समय अंकित करे, जब उसने उसे परीक्षार्थी से लिया था और दूसरी उत्तर पुस्तिका पर वह समय अंकित करे, जब उसने उसे परीक्षार्थी से लिया था और दूसरी उत्तर-पुस्तिका पर वह समय अंकित करे, जब उसे पुनः पुस्तिका जारी की गयी थी। दूसरी उत्तर-पुस्तिका जारी करते समय केंद्र अधीक्षक परीक्षार्थी से उसके विरूद्ध लगाए गए आरोप के संबंध में स्पष्टीकरण (बयान) प्रस्तुत करने के लिए कहे। अगर परीक्षार्थी स्पष्टीकरण (बयान) देने से इंकार करता है तो, इंकार करने का तथ्य दो सहायक अधीक्षकों द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए और घटना के समय इ्यूटी पर मौजूद केंद्र अधीक्षक द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना चाहिए। केंद्र अधीक्षक संबंधित सहायक अधीक्षक (कों) का बयान मांगेगा। वह परीक्षार्थी के स्पष्टीकरण अथवा अस्वीकार करने का अभिप्रामाणित बयान सहायक अधीक्षक(कों) का बयान और मामले पर अपनी टिप्पणी के साथ परीक्षार्थी द्वारा प्रयुक्त दो उत्तर पुस्तिकाओं को बोर्ड द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एक पृथक मुहरबंद लिफाफे में बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को भेजेगा।
- (ii) ज्यों की केंद्र अधीक्षक के ध्यान में यह बात आती है या लाई जाती है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका छिपाकर ले गया है त्यों ही परीक्षार्थी को सीधे अथवा संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से बुलाएगा और उत्तर-पुस्तिका प्राप्त करने का प्रयास करेगा। उत्तर पुस्तिका न मिलने के मामले में उसे मामले की सूचना पुलिस को देनी चाहिए और उसकी एक प्रतिलिपि कमरे में उपस्थित सहायक अधीक्षक और परीक्षार्थी के भी बयान के साथ बोर्ड के कार्यालय को भेजी जानी चाहिए। स्थिति से संबंधित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, पुलिस कांस्टेबल आदि का बयान, अगर कोई हो, भी भेजा जाना चाहिए। बयान में घटना के समय और मामले का यह ब्यौरा होना चाहिए कि परीक्षार्थी किस प्रकार यह उत्तर पुस्तिका अपने साथ ले गया था। उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।
- (iii) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाने के मामले में, ऐसा करते हुए पाए जाने वाले व्यक्ति, सहायक अधीक्षक और वास्तविक परीक्षार्थी, अगर संभव हो, का बयान केंद्र अधीक्षक द्वारा बोर्ड के कार्यालय को भेजना चाहिए। केंद्र अधीक्षक मामले की सूचना पुलिस की भी देगा।
- (iv) गंभीर प्रकृति के कदाचार के मामले में, यदि आवश्यक हो, तो मामले की सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए। सहायक अधीक्षक(कों) और चपरासी/संबंधित पुलिस कर्मी के बयान लिये जा सकते है और अगली कार्रवाई के लिए यह बोर्ड के कार्यालय को भेजा जाना चाहिए।
- (v) यदि किसी परीक्षार्थी को किसी परीक्षक अथवा परीक्षा से संबंधित किसी व्यक्ति को किसी प्रकार प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष बातचीत करने का अथवा बातचीत करने के प्रयास का दोषी पाया जाता है तो उसे अनुचित साधन का प्रयोग किया गया समझा जाएगा और यह नियमों के अधीन सजा का उत्तरदायी होगा।

- (vi) If after the examination, it is found that a candidate has copied the answer either of some candidate or from any other source, he/she shall be treated to have used unfair means and shall be liable to be punished under the rules.
- (vii) Use of abusive language or making derogatory remarks in the answer book shall be treated as use of unfair means.
- (viii) If any examiner notices any case of copying of answer(s) either among two or more candidates or from any other source, he/she should mark the relevant portion(s) of the answer(s) and send the case immediately, alongwith his/her report on the same, to his/her Head Examiner. The Head Examiner will scrutinize the case and forward it alongwith his/her own remarks, in a sealed cover, to the Controller of Examinations of the Board for necessary action by the Board. If such a case comes to the notice of the Head Examiner himself/herself, he/she should also mark the relevant portion(s) in the answer(s) and forward the same immediately alongwith his/her remarks in a sealed cover to the Controller of Examinations of the Board for further action.

36.3 Imposition of Penalties

- (i) The results of all candidates who have been reported to have used unfair means in an examination, by an Assistant Superintendent, Deputy Superintendent, Centre Superintendent, members of Raid Parties, Surprise Inspectors, Observers or Examiners/ Head examiners, shall be declared as 'Unfair Means (U.F.M.)'.
- (ii) All cases of 'Unfair Means (UF.M.)' shall be decided within a reasonable time after the declaration of the result.
- (iii) All cases of Unfair Means shall be reported to the Result Committee and the result of such candidates shall be disposed of in a manner and as recommended by the Result Committee of the Board.
- (iv) Before any penalty is imposed, under any of the provisions of these byelaws, on a candidate reported to have used unfair means, he/she shall be given an opportunity for explaining his/ her conduct. He/she will be required to appear personally before the Result Committee to explain his/her conduct for consideration of the Result Committee. In case he/she does not avail himself/herself of the opportunity by the given date, ex-parte decision taken by the Result Committee shall be final.
- (v) If the Board is satisfied that the use of Unfair means in a paper or papers has been widespread at a centre, the Board has the right to cancel the result of all candidates of that centre, in the paper or papers concerned or even the entire examination at the centre, if several papers are involved.
- *(vi) The names of candidates, who are punished under any of the above rules, shall be communicated to all the Schools affiliated to the Board, Universities, Boards and other Organisations which conduct Secondary School Examination, Senior School Certificate Examination, Intermediate or equivalent examinations and to the various State Governments as well as to the different Public Service Commissions in the country.

^{*}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010.

- (vi) अगर परीक्षा के बाद यह पाया जाता है कि विद्यार्थी ने या तो किसी परीक्षार्थी अथवा किसी अन्य स्त्रोत से उत्तर की नकल की है तो उसे अनुचित साधन का प्रयोग किया हुआ माना जाएगा और यह नियमों के अधीन सजा का उत्तरदायी होगा।
- (vii) उत्तर पुस्तिका में अपमानजनक भाषा का प्रयोग अथवा अनादरपूर्ण टिप्पणी करना अनुचित साधनों का प्रयोग माना जाएगा।
- (viii) अगर कोई परीक्षक दो अथवा अधिक परीक्षार्थियों के बीच अथवा किसी अन्य स्त्रोत से उत्तर(रों) की नकल करने का मामला देखता है तो उसे उत्तर(रों) के संगत हिस्से को चिह्नित करना चाहिए और उस पर अपनी रिपोर्ट के साथ मामला तत्काल मुख्य परीक्षक को भेजना चाहिए। मुख्य परीक्षक मामले की समीक्षा करेगा और उसे अपनी अभ्युक्ति के साथ एक मोहरबंद लिफाफे में बोर्ड द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक को भेजेगा। अगर ऐसा मामला स्वयं मुख्य परीक्षक की जानकारी में आता है तो उसे भी उत्तर(रों) के संगत भाग को चिह्नित करना चाहिए और उसे अपनी अभ्युक्ति के साथ तत्काल एक मोहरबंद लिफाफे में अगली कार्रवाई के लिए बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक को भेजना चाहिए।

36.3 दंड देना

- (i) उन सभी विद्यार्थियों का परीक्षाफल अनुचित साधनों (यूएफएम) के रूप में घोषित किया जाएगा, जिनके किसी परीक्षा में किसी सहायक अधीक्षक, उप-अधीक्षक, केंद्र-अधीक्षक, छापामार पार्टी के सदस्यों, आकिस्मिक निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों अथवा परीक्षक/मुख्य परीक्षक द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किए जाने की सूचना दी जाती है।
- (ii) अनुचित तरीके (यूएफएम) के सभी मामलों का निर्णय परीक्षाफल घोषित किए जाने के बाद यथा-उचित समय में किया जाएगा।
- (iii) अनुचित तरीके के सभी मामले परीक्षाफल सिमिति को सूचित किए जाएंगे और ऐसे परीक्षार्थियों का परीक्षाफल बोर्ड की परीक्षाफल सिमिति द्वारा की गई सिफारिश और उसके द्वारा बताए गये तरीके से निपटाया जाएगा।
- (iv) अनुचित तरीके का प्रयोग किए जाने वाले परीक्षार्थी को इस उपविधि के किसी भी उपबंध के अधीन कोई दंड देने से पूर्व उसे अपने आचरण का स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाएगा। उसे परीक्षाफल समिति के विचारार्थ अपने आचरण का स्पष्टीकरण देने के लिए परीक्षाफल समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होना होगा। अगर वह दी गई तारीख तक अवसर का लाभ नहीं उठाता तो परीक्षाफल समिति द्वारा लिया गया एक पक्षीय निर्णय अंतिम होगा।
- (v) अगर बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि किसी विषय अथवा विषयों में अनुचित साधनों का प्रयोग किसी केंद्र में व्यापक स्तर पर हुआ है तो बोर्ड को संबंधित विषय अथवा विषयों में अथवा यहां तक कि उस केंद्र पर आयोजित संपूर्ण परीक्षा, अगर कई विषय शामिल हों, से संबंधित उस केंद्र के सभी परीक्षार्थी का परीक्षाफल रद्द करने का अधिकार है।
- *(vi) उन परीक्षार्थियों के नाम जो उपर्युक्त किसी भी नियम के अधीन सजा पाते हैं, बोर्ड से संबद्धता प्राप्त सभी विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, बोर्डों और अन्य संगठनों को जो माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा, इंटरमीडियट अथवा समकक्ष परीक्षा संचालित करते हैं और विभिन्न राज्य सरकारों तथा साथ ही देश में विभिन्न लोक सेवा आयोगों को सूचित किए जाएंगे।

^{*} यह नियम परीक्षा समिति की 22.6.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

7

SCHEME OF EXAMINATIONS

37. General Conditions

- (i) The Scheme of Examinations and Pass Criteria for All India/Delhi Senior School Certificate and All India/Delhi Secondary Examinations conducted by the Board, shall be as laid down from time to time.
- *(ii) Class XI examination shall be conducted by the schools themselves. Class IX examination shall also be conducted by the Schools as per the criteria laid down by the Board from time to time.
- **(iii) The Board will conduct the external examinations at the end of Class XII. The Board will also conduct external examination at the end of Class X in respect of those students studying in schools affiliated to the Board who wish to move out of the CBSE system for various reasons.
 - (iv) Class XII/Class X examinations will be based on the syllabi as prescribed by the Board for Class XII/X respectively from time to time.
 - (v) Number of papers, duration of examination and marks for each subject/paper will be as specified in the curriculum for the year.
 - (vi) The Examination would be conducted in theory as well as in practicals, depending upon the nature of the subject(s) and the marks/grades allotted shall be as prescribed in the curriculum.
- (vii) Marks/grades shall be awarded for individual subjects and the aggregate marks shall not be given.

*38. GRADING - SENIOR SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION

- (i) Assessment of theory/practical papers in external subjects shall be in numerical scores. In addition to numerical scores, the Board shall indicate grades in the marks sheets issued to the candidates in case of subjects of external examinations. In case of internal assessment subjects, only grades shall be shown.
- *(ii) Letter grades on a nine-point scale shall be used for subjects of external examinations.
- (iii) The grades shall be derived from scores in case of subjects of external examination. In case of subjects of internal assessment, they shall be awarded by the schools.
- *(iv) The qualifying marks in each subject of external examination shall be 33% at Senior School Certificate Examination. However in a subject involving practical work, a candidate must

^{*}Rules/heading amended in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010.

^{**}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 22.06.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.06.2010 and further amended in the Examination Committees, meeting held on 10.09.2012 and approved by the Governing Body at its meeting held on 26.09.2012.

7

परीक्षा योजना

37. सामान्य शर्ते

- (i) बोर्ड द्वारा संचालित अखिल भारतीय/दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र और अखिल भारतीय/दिल्ली माध्यमिक परीक्षाओं के लिए परीक्षाओं की योजना और उत्तीर्णता मानदंड समय-समय पर यथानिर्धारित किए गए अनुसार होंगे।
- *(ii) कक्षा XI परीक्षा स्वयं विद्यालयों द्वारा संचालित की जायेगी। कक्षा IX परीक्षा भी बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंड के अनुसार विद्यालयों द्वारा संचालित की जाएगी।
- **(iii) बोर्ड बाहरी परीक्षाएं कक्षा XII के अंत में संचालित करेगा। माध्यमिक स्तर तक बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में कक्षा X में पढ़ने वाले किंतु जिनका विभिन्न कारणों से सीबीएसई प्रणाली से बाहर जाने का इरादा हो उन विद्यार्थियों के संबंध में बोर्ड बाह्य परीक्षा कक्षा X के अंत में भी संचालित करेगा।
 - (iv) कक्षा XII/X की परीक्षाएं क्रमशः समय-समय पर कक्षा XII/X के लिए बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित पाठ्य विवरणों पर आधारित होंगी।
 - (v) प्रश्नपत्रों की संख्या, परीक्षा की अवधि और प्रत्येक विषय/प्रश्न पत्र के अंक वर्ष की पाठ्यचर्या में यथानिर्धारित किए गए अनुसार होंगे।
 - (vi) परीक्षा, विषय(यों) के स्वरूप के अनुसार सैद्धांतिक और प्रायोगिक रूप में होगी और अंक⁄श्रेणियों (ग्रेड) का आबंटन पाठ्यचर्या के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।
 - (vii) प्रत्येक विषय के लिए अंक/श्रेणियां प्रदान की जाएंगी और कुल अंक नहीं दिए जाएंगे।

*38. श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) - वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा

- (i) बाह्य विषयों में सैद्धांतिक/प्रयोगिक प्रश्नपत्रों का निर्धारण संख्यात्मक अंकों में किया जाएगा। बाह्य परीक्षाओं के विषयों में संख्यात्मक अंक के अलावा बोर्ड, परीक्षार्थियों को जारी अंक विवरणिकाओं में श्रेणियां भी निर्दिष्ट करेगा। आंतरिक मूल्यांकन विषयों के मामले में, केवल श्रेणियाँ दर्शाई जाएंगी।
- *(ii) बोर्ड की बाह्य परीक्षा के विषयों में नौ बिंदु पैमाने पर अक्षर श्रेणी (ग्रेड) का प्रयोग किया जाएगा।
- (iii) बाह्य परीक्षा के विषयों के मामले में श्रेणियाँ अंकों से प्राप्त की जाएंगी। आंतरिक मूल्यांकन के विषयों के मामले में वे विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाएंगी।
- *(iv) वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षाओं में बाह्य परीक्षा के प्रत्येक विषय के अर्हक अंक 33% होंगे। वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा के उन विषयों में जिनमें प्रयोगात्मक (प्रेक्टिकल) भी शामिल होता है में उत्तीर्ण होने

^{*} नियम शीर्षक परीक्षा सिमिति की 22.6.2010 की बैठक में संशोधित किए गए और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किए गए।

** यह नियम परीक्षा सिमिति की 22.6.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया।
आगे इसे परीक्षा सिमिति की 10.09.2012 की बैठक में आगे संशोधित किया गया और शासी निकाय की 26.09.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

- obtain 33% marks in the theory and 33% marks in the practical separately in addition to 33% marks in aggregate, in order to qualify in that subject.
- *(v) For awarding the grades the Board shall put all the passed students in a rank order and will award grades as follows:
 - A-1 Top 1/8th of the passed candidates
 - A-2 Next 1/8th of the passed candidates
 - B-1 Next 1/8th of the passed candidates
 - B-2 Next 1/8th of the passed candidates
 - C-1 Next 1/8th of the passed candidates
 - C-2 Next 1/8th of the passed candidates
 - D-1 Next 1/8th of the passed candidates
 - D-2 Next 1/8th of the passed candidates
 - E Failed candidates

Notes:

- (a) Minor variations in proportion of candidates to adjust ties will be made.
- (b) In case of a tie, all the students getting the same score will get the same grade. If the number of students at a score point need to be divided into two segments, the smaller segment will go with the larger.
- (c) Method of grading will be used in subjects where the number of candidates who have passed is more than 500.
- (d) In respect of subjects where total number of candidates passing in a subject is less than 500, the grading would be adopted on the pattern of grading and distribution in other similar subjects.

**38 A GRADING-SECONDARY SCHOOL EXAMINATION

- ***(i) At the Secondary School Examination conducted by the Board assessment of subjects under Scholastic Area A shall be in numerical scores to be converted to Grades on a nine point scale which shall be indicated in the Statement of Subject wise Performance/ Gradesheet cum Certificate of Performance. Assessment in subjects under Scholastic Area B shall also be in grades, as per the Scheme of Studies.
- **(ii) The qualifying grade in each subject under Scholastic Area A shall be minimum Grade D.

^{*}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010.

^{**}Rules added in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010.

^{***}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 22.12.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.12.2010.

- के लिए परीक्षार्थी को सैद्धांतिक और प्रयोगत्मक दोनों में अलग-अलग 33% अंक प्राप्त होने के साथ-साथ कुल अंक भी 33% होने चाहिए।
- *(v) श्रेणियां देने के लिए बोर्ड सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एक क्रम में रखेगा और श्रेणियां इस प्रकार दी जाएंगी:
 - ए-1 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के सर्वोच्चतम क्रम में 1/8 वां भाग
 - ए-2 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के इसके अगले क्रम में 1/8 वां भाग
 - बी-1 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के इसके अगले क्रम में 1/8 वां भाग
 - बी-2 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के इसके अगले क्रम में 1/8 वां भाग
 - सी-1 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के इसके अगले क्रम में 1/8 वां भाग
 - सी-2 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के इसके अगले क्रम में 1/8 वां भाग
 - डी-1 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के इसके अगले क्रम में 1/8 वां भाग
 - डी-2 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के इसके अगले क्रम में 1/8 वां भाग
 - ई- अनुत्तीर्ण विद्यार्थी

टिप्पणी:

- (क) बराबरी में समायोजन लाने के लिए विद्यार्थियों के अनुपात में थोड़ा परिवर्तन किया जाएगा।
- (ख) बराबरी की स्थिति में, समान अंक पाने वाले सभी विद्यार्थियों को एक ही श्रेणी (ग्रेड) दी जाएगी। यदि एक अंक बिंदु पर विद्यार्थियों की संख्या को दो खंडों में विभाजित किया जाना जरूरी हो तो छोटे खंड को बड़े के साथ सम्मिलित किया जाएगा।
- (ग) जिस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों की संख्या 500 से अधिक है उन विषयों में श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) पद्धित का प्रयोग किया जाएगा।
- (घ) उन विषयों के संबंध में, जहां किसी विषय में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की कुल संख्या 500 से कम है, वहां श्रेणीकरण के अन्य विषयों में अपनाई जा रही श्रेणीकरण पद्धित के आधार पर अंकों का श्रेणीकरण और वितरण किया जाएगा।

**38(क) श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) - माध्यमिक विद्यालय परीक्षा

- ***(i) बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में शैक्षिक क्षेत्र 'क' के अधीन विषयों का निर्धारण संख्यात्मक अंकों में किया जाएगा जिन्हें एक नौ बिंदु स्केल के आधार पर ग्रेडों में रूपान्तरित किया जाएगा और उन्हें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रमाणपत्र/विषयवार निष्पादन के विवरण में दर्शाया जाएगा। अध्ययन की योजना के अनुसार शैक्षिक क्षेत्र 'ख' के अधीन विषयों में निर्धारण भी ग्रेडों में होगा।
- stst(ii) शैक्षिक क्षेत्र 'क' के अधीन प्रत्येक विषय में अर्हता ग्रेड न्यूनतम ग्रेड 'डी' होगी।

^{*} यह नियम परीक्षा समिति की 22.06.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{**}यह नियम परीक्षा समिति की 22.06.2010 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{***}यह नियम परीक्षा समिति की 22.12.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.12.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

*(iii) The students shall be assessed in the subjects under Scholastic Area A using the conventional numerical marking and later converted into the grades and the same will be awarded as under:

MARKS RANGE	GRADE	GRADE POINT
91-100	Al	10.0
81-90	A2	9.0
71-80	B1	8.0
61-70	B2	7.0
51-60	C1	6.0
41-50	C2	5.0
33-40	D	4.0
21-32	E1	
20 and Below	E2	

Cumulative Grade Point Average (CGPA) shall also be reflected in the Statement of Subject wise Performance/Gradesheet cum Certificate of Performance

Note: Cumulative Grade Point Average (CGPA) is the average of Grade Points obtained in all the subjects excluding 6th additional subject as per Scheme of Studies. Subject wise and overall indicative percentage of marks can be assessed as under:

- Subject wise indicative percentage of marks = 9.5 x GP of the subject
- Overall indicative percentage of marks = 9.5 x CGPA

39. Merit Certificates

- *(i)(a) The Board will award Merit Certificates in each subject to the top 0.1% of candidates passing that subject, provided that they have passed the examination as per the pass criteria of the Board at the Senior School Certificate Examination.
- **(b) Board will award Merit Certificates to such candidates who have obtained Grade A1 in all the five subjects (excluding the 6th additional subject) under Scholastic Area A as per the qualifying criteria.
- *(ii) For the Senior School Certificate Examination the number of merit certificates in a subject will be determined by rounding off the number of candidates passing the subject to the

^{*}Rules amended in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010.

^{**}Rule added in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010.

(iii) शैक्षिक क्षेत्र 'क' के अधीन विषयों में छात्रों का निर्धारण पारंपरिक संख्यात्मक अंकन विधि का प्रयोग करते हुए किया जाएगा और बाद में उसे ग्रेडों में रूपांतरित किया जाएगा और उन्हें निम्नानुसार प्रदान किया जाएगा:-

अंकों की श्रेणी	ग्रेड	ग्रेड बिन्दु
91-100	ए1	10.0
81-90	ए2	9.0
71-80	बी1	8.0
61-70	बी2	7.0
51-60	सी1	6.0
41-50	सी2	5.0
33-40	डी	4.0
21-32	ई1	
20 और कम	ई2	

संचयी ग्रेड बिन्दु औसत (सीजीपीए) विषयवार निष्पादन के विवरण सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रमाणपत्र में भी दर्शाए जाएंगे।

टिप्पणी:

संचयी ग्रेड बिन्दु औसत (सीजीपीए) अध्ययन की योजना के अनुसार छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर सभी विषयों में प्राप्त ग्रेड बिन्दुओं का औसत है। अंकों की विषयवार और समग्र निर्देशात्मक प्रतिशतता निम्नानुसार निर्धारित की जा सकती है:

- अंकों की विषवार निर्देशात्मक प्रतिशतता=9.5 x विषय का ग्रेड बिन्दु (जीपी)
- अंकों की समग्र निर्देशात्मक प्रतिशतता=9.5 x सीजीपीए

39. उत्कृष्टता प्रमाणपत्र

- *(i)(क) बोर्ड प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों में से सर्वोच्च 0.1 प्रतिशत को उत्कृष्टता प्रमाणपत्र प्रदान करेगा बशर्ते कि उन्होंने वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में बोर्ड के उत्तीर्णता मानदंड के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- **(ख) बोर्ड ऐसे परीक्षार्थीयों को उत्कृष्टता प्रमाणपत्र प्रदान करेगा जिन्होंने अर्हक मानदंड के अनुसार शैक्षिक क्षेत्र 'क' के अधीन सभी पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में श्रेणी (ग्रेड) ए1 प्राप्त की हो।
 - *(ii) वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए किसी विषय में उत्कृष्टता प्रमाणपत्रों की संख्या का निर्धारण हजार की निकटतम बहुल संख्या तक उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के पूर्णांक द्वारा किया जाएगा। यदि

^{*} यह नियम परीक्षा समिति की 22.06.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{**}यह नियम परीक्षा समिति की 22.06.2010 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

- nearest multiple of thousand. If the number of candidates passing a subject is less than 500, no merit certificate will be issued.
- *(iii) At the Senior School Certificate Examination in the matter of a tie, if one student gets a merit certificate, all candidates getting that score will get the merit certificate.

40. Scheme of Examinations (Senior School Certificate Examinations)

- (i) The Board shall conduct examination in all subjects except General Studies, Work Experience, Physical and Health Education, which will be assessed internally by the Schools.
- (ii) In all subjects examined by the Board, a student will be given one paper each carrying 100 marks for 3 hours. However, in subjects requiring practical examination, there will be a theory paper and a practical examination as required in the syllabi and courses.
- (iii) In Work Experience, General Studies and Physical and Health Education, the schools will maintain cumulative records of students periodical achievements and progress during the year. These records are subject to the scrutiny of the Board as and when deemed fit.
- (iv) A candidate from a recognised school who has some physical deformity or is otherwise unable to take part in Work Experience and Physical and Health Education, may be granted exemption by the Chairman on the recommendations of the Head of the Institution, supported by medical certificate from a Medical Officer of the rank not below an Assistant Surgeon.
- (v) Private/Patrachar Vidyalaya and candidates sponsored by Adult Schools shall be exempted from Work Experience, General Studies and Physical and Health Education.
- (vi) A candidate may offer an additional subject which can be either a language at elective level or another elective subject as prescribed in the Scheme of Studies, subject to the conditions laid down in the Pass Criteria.

40.1 Pass Criteria (Senior School Certificate Examination)

- (i) A candidate will be eligible to get the Pass Certificate of the Board, if he/she gets a grade higher than E in all subjects of internal assessment unless he/she is exempted. Failing this, result of the external examination will be withheld but not for a period of more than one year.
- (ii) In order to be declared as having passed the examination, a candidate shall obtain a grade higher than E (i.e. atleast 33% marks) in all the five subjects of external examination in the main or at the compartmental examinations. The pass marks in each subject of external examination shall be 33%. In case of a subject involving practical work a candidate must obtain 33% marks in theory and 33% marks in practical separately in addition to 33% marks in aggregate in order to qualify in that subject.
- (iii) No overall division/distinction/aggregate shall be awarded.

^{*}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 22.06.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.06.2010.

- एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 500 से कम है तो कोई उत्कृष्टता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।
- *(iii) वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में बराबरी (टाई) होने की स्थिति में, यदि एक परीक्षार्थी उत्कृष्टता-प्रमाणपत्र प्राप्त करता है तो वही अंक पाने वाले सभी परीक्षार्थियों को उत्कृष्टता प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

40. परीक्षाओं की योजना (वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षाएं)

- (i) बोर्ड सामान्य अध्ययन, कार्यानुभव, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा को छोड़कर सभी विषयों में परीक्षा संचालित करेगा। इन विषयों में मूल्यांकन विद्यालयों द्वारा आंतरिक रूप से किया जाएगा।
- (ii) बोर्ड द्वारा सभी विषयों में ली जाने वाली परीक्षाओं में प्रत्येक विद्यार्थी को 3 घंटे के लिए 100 अंकों वाला एक प्रश्नपत्र दिया जाएगा। तथापि, ऐसे विषय जिसमें प्रायोगिक परीक्षा भी समाहित है उनमें सैद्धांतिक पेपर और प्रायोगिक परीक्षा पाठ्य विवरण और पाठ्यक्रम के अनुसार होगी।
- (iii) विद्यालय द्वारा कार्यानुभव, सामान्य अध्ययन और शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा में वर्ष के दौरान विद्यार्थियों की आविधक उपलिब्धियों एवं प्रगति का संचयी रिकार्ड रखा जाएगा। बोर्ड जब भी उचित समझे, इन रिकार्डों की समीक्षा कर सकता है।
- (iv) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय के विद्यार्थी जो कुछ शारीरिक दोष या अन्य ऐसे कारक से कार्य अनुभव और शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा में भाग लेने में असमर्थ है को अध्यक्ष द्वारा छूट प्रदान की जा सकती है बशर्तें कि सहायक सर्जन रैंक के चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ विद्यालय के प्रमुख द्वारा उसकी संस्तुति की गई हो।
- (v) प्राइवेट/पत्राचार विद्यालय और प्रौढ़ विद्यालयों द्वारा प्रायोजित विद्यार्थियों को कार्यानुभव, सामान्य अध्ययन और शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा से छूट होगी।
- (vi) उत्तीर्णता मानदंड में निर्धारित शर्तों के अनुसार विद्यार्थी अतिरिक्त विषय के रूप में ऐसा विषय ले सकता है, जो या तो ऐच्छिक स्तर पर एक भाषा हो अथवा अध्ययन योजना में यथानिर्धारित अन्य ऐच्छिक विषय हो।

40.1 उत्तीर्णता मानदंड (वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा)

- (i) जब तक छूट न दी गई हो तब तक विद्यार्थी आंतरिक मूल्यांकन के सभी विषयों में 'ई' से उच्च श्रेणी प्राप्त करने पर बोर्ड का उत्तीर्णता प्रमाणपत्र पाने का अधिकारी होगा। ऐसा न होने पर बाह्य परीक्षा का परिणाम रोक दिया जाएगा किंतु यह अविध एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (ii) परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए जाने के लिए, किसी विद्यार्थी को मुख्य अथवा पूरक परीक्षाओं में बाह्य परीक्षा के सभी पांच विषयों में 'ई' (अर्थात् कम से कम 33% अंक) से उच्च श्रेणी प्राप्त करनी होगी। बाह्य परीक्षा के प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण अंक 33% होंगे। प्रायोगिक कार्य वाले विषय के मामले में विद्यार्थी को अलग से 33% अंक सिद्धांत में और 33% अंक प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा, इस विषय में अर्हता प्राप्त करने के लिए कुल 33% अंक प्राप्त करने होंगे।
- (iii) कोई संपूर्ण श्रेणी/विशेष योग्यता/कुल योग नहीं दिया जाएगा।

^{*} यह नियम परीक्षा समिति की 22.6.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

- (iv) In respect of a candidate offering an additional subject, the following norms shall be applied:
 - (a) A language offered as an additional subject may replace a language in the event of a candidate failing in the same provided after replacement the candidate has English/ Hindi as one of the languages.
 - (b) An elective subject offered as an additional subject may replace one of the elective subjects offered by the candidate. It may also replace a language provided after replacement the candidate has English/Hindi as one of the languages.
 - (c) Additional language offered at elective level may replace an elective subject provided after replacement, the number of languages offered shall not exceed two.
- (v) Candidates exempted from one or more subjects of internal examination shall be eligible for appearing in external examination and result shall be declared subject to fulfilment of other conditions laid down in the Pass Criteria.
- *(vi) In order to be declared as having passed the Class XI Examination a candidate shall obtain 33% marks in all the subjects. The pass marks in each subject of examination shall be 33%. In case of subject involving practical work a candidate must obtain 33% marks in theory and 33% in practical separately in addition to 33% marks in aggregate in order to qualify in that subject.

40.2 Eligibility for Compartment in Senior School Certificate Examination

A candidate failing in one of the five subjects of external examination shall be placed in compartment in that subject provided he/she qualifies in all the subjects of internal assessment.

41. Scheme of Examinations (Secondary School Examinations)

- **(i) Assessment in the subjects under Scholastic Area A, Scholastic Area B and Co-Scholastic Areas shall be undertaken by the schools in terms of Grades as per the Scheme of Studies.
- ***(ii) The evaluation for subjects under Scholastic Area B and Co-Scholastic Areas shall be based on cumulative record of the candidate during his/her continuous assessment in the school.
 - (iii) Schools are expected to maintain regular records of student's achievement and progress. These records are subject to scrutiny by the Board when it deems fit.
- **(iv) Subjects of study under Scholastic Area A shall be assessed jointly by the School and Board in respect of students appearing for the examination conducted by the Board. However, in case of students appearing for the Summative Assessment II conducted by the schools, the assessment will be done by the School. Details of question papers, marks and duration will be as per the Scheme of Studies.

41.1 Pass Criteria (Secondary School Examinations)

****(i) A candidate not covered under the scheme of Continuous and Comprehensive Evaluation will be eligible to get the Statement of Subject wise performance/Qualifying Certificate if he/

^{*}Rule added in the Examination Committee's meeting held on 07.06.2006 and approved by the Governing Body at its meeting held on 30.6.2006.

^{**}Rules amended in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010 and further amended in the Examination Committee meeting held on 10.9.2012 and approved by the Governing Body meeting held on 26.9.2012.

^{***} Rules amended in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the

^{****}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 26.4.2011 and approved by the Governing Body at its meeting held on 22.6.2011 and further amended in the Examination Committee meeting held on 10.9.2012 and approved by the Governing Body held on 26.9.2012.

- (iv) अतिरिक्त विषय लेने वाले विद्यार्थी के मामले में निम्नलिखित मानदंड लागू होंगेः
 - (क) विद्यार्थी जिसने अतिरिक्त विषय के रूप में भाषा ली है और वह एक भाषा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त भाषा को उस (अनुत्तीर्ण) भाषा में बदला जा सकता है बशर्तें कि बदलने के बाद विद्यार्थी के पास अंग्रेजी/हिंदी में से एक भाषा हो।
 - (ख) अतिरिक्त विषय के रूप में लिए गए एक वैकल्पिक विषय को विद्यार्थी द्वारा लिए गए वैकल्पिक विषयों में से एक से बदला जा सकता है। एक भाषा भी बदली जा सकती है परंतु बदलने के बाद विद्यार्थी के पास अंग्रेजी या हिंदी में से एक भाषा हो।
 - (ग) वैकल्पिक स्तर पर ली गई अतिरिक्त भाषा वैकल्पिक विषय के स्थान पर ली जा सकती है परन्तु बदलने के बाद ली गई भाषाओं की संख्या दो से अधिक नहीं होंगी।
- (v) आंतरिक परीक्षा के एक या एक से अधिक विषयों से छूट प्राप्त करने वाले विद्यार्थी बाह्य परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे और उनके परिणाम घोषित किए जाएंगे बशर्तें कि वे उत्तीर्णता मानदंड में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करते हों।
- *(vi) कक्षा XI परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ घोषित होने के लिए एक विद्यार्थी द्वारा सभी विषयों में 33 % अंक प्राप्त किए जाएं। परीक्षा के प्रत्येक विषय में उत्तीर्णता के लिए निर्धारित अंक 33 % है। प्रायोगिक परीक्षा वाले विषय प्रतिशत में अर्हता प्राप्त करने के लिए कुल 33 % अंक प्राप्त करने के साथ-साथ विद्यार्थी द्वारा 33 % अंक थ्योरी व 33 % अंक प्रायोगिक परीक्षा में अलग-अलग प्राप्त किए जाएं।

40.2 वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में पूरक परीक्षा के लिए योग्यता

बाह्य परीक्षा के पांच विषयों में से एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाला विद्यार्थी उस विषय की पूरक परीक्षा में बैठेगा/बैठेगी बशर्तें वह आंतरिक निर्धारण के सभी विषयों में उत्तीर्ण हो।

41. परीक्षाओं की योजना (माध्यमिक विद्यालय परीक्षाएं)

- **(i) सह-शैक्षिक क्षेत्रों और शैक्षिक क्षेत्र 'क' व शैक्षिक क्षेत्र 'ख' के अधीन विषयों में मूल्यांकन अध्ययन की योजना के अनुसार श्रेणियों (ग्रेड) के रूप में विद्यालयों द्वारा किया जाएगा।
- ***(ii) शैक्षिक क्षेत्र 'ख' तथा सह-शैक्षिक क्षेत्रों के अधीन विषयों के लिए मूल्यांकन विद्यालय में उसके सतत निर्धारण के दौरान विद्यार्थी के संचयी रिकार्ड पर आधारित होगा।
 - (iii) विद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थी की उपलब्धि एवं प्रगति का नियमित अभिलेख रखें। जब बोर्ड उचित समझे इन अभिलेखों की संवीक्षा कर सकता है।
- **(iv) शैक्षिक क्षेत्र 'क' के अधीन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के संबंध में अध्ययन के विषयों का निर्धारण संयुक्त रूप से विद्यालय तथा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। तथापि विद्यालयों द्वारा किए गए योगात्मक मूल्यांकन 11 में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के संबंध में, मूल्यांकन विद्यालय द्वारा किया जाएगा। प्रश्न पत्रों, अंकों एवं अविध के ब्यौरे अध्ययन की योजना के अनुसार होंगे।

41.1 उत्तीर्णता मानदंड (माध्यमिक विद्यालय परीक्षाएं)

****(i) ऐसा विद्यार्थी जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना के तहत नहीं आता है विषयवार निष्पादन का विवरण/अर्हक प्रमाणपत्र प्राप्त करने का पात्र होगा, यदि वह निष्पादन के सुधार के उत्तरवर्ती एक मात्र प्रयास

^{*} यह नियम परीक्षा समिति की 7.6.2006 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय ने अपनी 30.6.2006 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{**} नियम परीक्षा समिति की 22.6.2010 की बैठक में संशोधित किये गये और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किये गये और परीक्षा समिति की 10.9.2012 की बैठक में पुनः संशोधित किये गये और शासी निकाय की 26.9.2012 की बैठक में अनुमोदित किए गए।

^{***}यह नियम परीक्षा सिमिति की 22.06.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

****यह नियम परीक्षा सिमिति की 26.4.2011 की बैठक में पुनः संशोधित किया गया और शासी निकाय की 22.6.2011 की बैठक में अनुमोदित किया
गया और परीक्षा सिमिति की 10.9.2012 की बैठक में पुनः संशोधित किया गया और शासी निकाय की 26.9.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

she gets minimum Grade 'D' in all the five subjects(excluding the 6th additional subject) under Scholastic Area A in the main or at the only attempt of Improvement of Performance. However, a candidate who has appeared at the Secondary School Examination under the Scheme of Continuous and Comprehensive Evaluation will be eligible to get the Grade Sheet cum Certificate of Performance indicating the grades obtained in the subjects under Scholastic Area A, Scholastic Area B and Co-scholastic Areas.

- *(ii) No overall grade shall be awarded. However, Cumulative Grade Point Average(CGPA) shall be indicated in the Statement of Subjectwise Performance/Gradesheet cum Certificate of Performance. Subject wise and overall indicative percentage of marks could be derived based on Grade Point/Cumulative Grade Point Average.
- (iii) In respect of a candidate offering an additional subject, the following norms shall be applied:
 - (a) a language offered as an additional subject may replace a language in the event of a candidate failing in the same provided after replacement the candidate has English/ Hindi as one of the languages; and
 - (b) the replacement shall satisfy the conditions as laid down in the Scheme of Studies.
- **(iv) Candidates exempted from one or more subjects under Scholastic Area B and Co-Scholastic Area shall be eligible for appearing in the Formative and Summative Assessments and result shall be declared subject to fulfillment of other conditions laid down in the Qualifying Criteria
- **(v) In order to be eligible to qualify Class IX examination a candidate shall have to obtain minimum Grade D in all the five subjects (excluding the 6th additional subject) under Scholastic Area A as well as grades in subjects under Scholastic Area B, as stipulated in the Scheme of Studies, at the main or the subsequent Improvement of Performance attempt.

**41.2 Eligibility for Improvement of Performance in Secondary Examination

A candidate obtaining Grades E1 or E2 in any or all the five subjects (excluding the 6th additional subject) under Scholastic Area A, as per the scheme of studies, jointly examined by the School and Board shall be eligible for improvement of performance in any or all the five subjects.

42. Improvement of Performance/Compartment Examination for Secondary/ Senior School Certificate Examination

(i) *(a) A candidate placed in compartment at the Senior School Certificate Examination may reappear at the compartmental examination to be held in July the same year, may avail himself/herself of Second Chance in March/April and Third Chance in July of next year. The candidate will be declared 'PASS provided he/she qualifies the compartmental subjects in which he/she had failed. Syllabi and courses shall be the same as applicable for the candidates of full subjects appearing at the examination in the year concerned.

^{*}Rules amended in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010 and further amended in the Examination Committee's held on 10.9.12 and Governing Body held on 26.9.12.

^{**}Rules amended in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010

^{***}Rule added by the Examination Committee in its meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010. Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 30.5.2012 and approved by the Governing Body at its meeting held on 04.06.2012.

में और शैक्षिक क्षेत्र 'क' के अधीन सभी पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) के न्यूनतम ग्रेड 'डी' प्राप्त करता/करती है। तथापि ऐसा विद्यार्थी जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में उपस्थित हुआ हो शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत विषयों में प्राप्त ग्रेड और शैक्षिक क्षेत्र 'ख' और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में प्राप्त ग्रेडो के दर्शाने वाला सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पात्र होना।

- *(ii) कोई भी समग्र ग्रेड प्रदान नहीं किया जाएगा। तथापि, संचयी ग्रेड बिंदु औसत (सीजीपीए) विषयवार निष्पादन के विवरण सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ग्रेड शीट-सह-निष्पादन प्रमाण पत्र में दर्शाया जाएगा। अंकों की विषयवार और समग्र निर्देशात्मक प्रतिशतता ग्रेड बिंदु/संचयी ग्रेड बिंदु औसत के आधार पर निकाली जा सकती है।
 - (iii) अतिरिक्त विषय लेने वाले विद्यार्थी के मामले में निम्नलिखित मानदंड लागू होंगेः
 - (क) यदि विद्यार्थी जिसने भाषा अतिरिक्त विषय के रूप में ली है और वह एक भाषा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त भाषा उस (अनुर्त्तीण) भाषा को बदल सकती है बशर्तें बदलने के बाद विद्यार्थी के पास अंग्रेजी/हिंदी एक भाषा के रूप में हो; और
 - (ख) एक विषय से दूसरे में परिवर्तन के लिए अध्ययन की योजना में यथानिर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा।
- **(iv) सह-शैक्षिक क्षेत्रों और शैक्षिक क्षेत्र 'ख' के अधीन एक अथवा अधिक विषयों में छूट प्राप्त विद्यार्थी रचनात्मक (फारमेटिक) और सारांशात्मक (समेटिव) निर्धारण में शामिल होने के पात्र होने और परिणाम की घोषणा अर्हक मानदंड में निर्धारित अन्य शर्तों की पूरा करने पर की जाएगी।
- **(v) कक्षा IX परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने का पात्र होने के लिए किसी विद्यार्थी को मुख्य अथवा निष्पाद में सुधार के उत्तरवर्ती प्रयासों में शैक्षिक क्षेत्र 'क' के अधीन सभी पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम ग्रेड 'डी' तथा शैक्षिक क्षेत्र 'ख' के अधीन विषयों में ग्रेड प्राप्त करनी होगी जैसािक अध्ययन की योजना में निर्दिष्ट है।

**41.2 माध्यमिक परीक्षा में निष्पादन में सुधार के लिए पात्रता

बोर्ड तथा विद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से जांच किए जाने पर अध्ययन की योजना के अनुसार शैक्षिक क्षेत्र 'क' के अधीन किसी अथवा सभी पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में ग्रेड ई1 अथवा ई2 प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी किसी अथवा सभी पांच विषयों में निष्पादन में सुधार के लिए पात्र होंगे।

42. माध्यमिक/वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा की पूरक परीक्षा/निष्पादन में सुधार

(i) *(क) यदि किसी परीक्षार्थी का विष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में पूरक पिरणाम आता है तो वह उसी वर्ष जुलाई में पुनः पूरक परीक्षा बैठ सकता है और अगले वर्ष मार्च/अप्रैल में दूसरा तथा जुलाई में तीसरा अवसर ले सकता/सकती है। परीक्षार्थी को उत्तीर्ण तब घोषित किया जाएगा जब वह पूरक वाले विषयों में अईता प्राप्त कर लेता/लेती जिनमें यह अनुत्तीर्ण हुआ था/हुई थी। पाठ्यक्रम एवं कोर्स वही रहेगा जो संबंधित वर्ष में परीक्षा में शामिल होने वाले पूरे विषयों के परीक्षार्थियों के लिए लागू है।

^{*}यह नियम परीक्षा समिति की 22.6.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया। इसे आगे परीक्षा समिति की 10.9.2012 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 26.9.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया। **यह नियम परीक्षा समिति की 22.6.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया। ***यह नियम परीक्षा समिति की 22.6.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया। इसे आगे परीक्षा समिति की 30.5.2012 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 04.06.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

- ***(b) A candidate who has appeared for the Secondary School Examination and obtained Grades E1 or E2 in any or all the five subjects (excluding the 6th additional subject) under Scholastic Area A, as per the Scheme of Studies, shall be eligible for improving his/her performance in any or all the five subjects and may reappear at the only chance of Improvement of Performance to be conducted by the Board in July/School by July, as per the option exercised for the Main examination held in March the same year. The candidates will be issued Statement of Subject wise Performance/Grade sheet cum Certificate of Performance provide she/he obtains minimum Grade D in atleast five subjects (excluding the 6th additional subject) under Scholastic Area A as per the Scheme of Studies and grades in the subjects under Scholastic Area B and Co-scholastic Areas.
 - *(c) A candidate who has appeared for the Secondary School Examination conducted by School affiliated to the Board and obtained Grades El or E2 in any or all the five subjects(excluding the 6th additional subject) under Scholastic Area A, as per the Scheme of Studies, shall be eligible for improving his performance in any or all the five subjects and may reappear at the only chance of Improvement of Performance examination to be conducted by the School to be held by July the same year.
- **(ii) (a) A candidate who fails to appear or fails at one or all the three chances of compartment at the Senior School Certificate Examination shall be treated to have failed in the examination and shall be required to reappear in all the subjects at the subsequent annual examination of the Board as per syllabi and courses laid down for the examination concerned in order to pass the examination. The candidates' practical marks/internal assessment marks obtained in the Main examination will be carried over till the third chance compartmental examination. The candidate shall have the option to appear at the practical examination in the subjects involving practical or retain their previous marks in one more annual examination after the third Chance Compartment.
 - *(b) At the Secondary School Examination a candidate who does not obtain minimum Grade D in the five subjects (excluding the 6th additional subject) under Scholastic Area A at the only chance of improvement of Performance shall be treated to have not qualified the examination and shall be required to reappear in all the subjects at the examination to be held in March of the subsequent year, in order to qualify the examination. The syllabi and courses shall be as laid down for Summative Assessment II for the year of examination concerned. The candidates' grades obtained in all the Formative Assessments and Summative Assessment I at the Main examination shall be carried over for the only chance of improvement of Performance.
- ***(iii) A candidate placed in compartment at the Senior School Certificate Examination shall be allowed to appear only in those subjects in which he/she has been placed in compartment at the subsequent three chances of Compartment.

^{*}Rule added in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010. Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 10.9.2012 and approved by the Governing Body at its meeting held on 26.9.2012.

^{**}Rules amended in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010 and further amended in the Examination Committee's held on 10.9.2012 and approved by the Governing Body at its meeting held on 26.9.2012.

^{***}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 10.9.2012 and approved by the Governing Body held on 26.9.2012.

- ***(ख) ऐसा परीक्षार्थी जो बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में शामिल हुआ हो और अध्ययन की योजना के अनुसार शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत किसी अथवा सभी विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में ग्रेड ई1 अथवा ई2 प्राप्त की हो, किसी अथवा सभी पांच विषयों में अपने निष्पादन में सुधार के लिए पात्र होगा और उसी वर्ष मार्च में संचालित परीक्षा में दिए गए विकल्प के अनुसार निष्पादन में सुधार के लिए बोर्ड द्वारा जुलाई में विद्यालय द्वारा जुलाई में आयोजित परीक्षा में एक मात्र अवसर पर पुनः शामिल हो सकता/सकती है। परीक्षार्थी को विषयवार निष्पादन का विवरण/सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा बशर्ते वह अध्ययन की योजना के अनुसार शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत कम से कम पांच विषयों में (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़ कर) न्यूनतम डी ग्रेड प्राप्त करता/ति है, और सह-शैक्षिक क्षेत्रों और शैक्षिक क्षेत्र 'ख' के तहत विषयों में ग्रेड प्राप्त करता/करती है।
 - *(ग) ऐसा परीक्षार्थी जो बोर्ड से संबद्ध विद्यालय द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में शमिल हुआ हो और अध्ययन की योजना के अनुसार शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत किसी अथवा सभी पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में ई1 अथवा ई2 ग्रेड प्राप्त की हो, किसी अथवा सभी विषयों में अपने निष्पादन में सुधार के लिए पात्र होगा और विद्यालय द्वारा उसी वर्ष जुलाई में आयोजित निष्पादन में सुधार परीक्षा के एक मात्र अवसर में पुनः शामिल हो सकता है।
- **(ii) (क) ऐसा परीक्षार्थी जो वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में पूरक के एक अथवा सभी-अवसरों में असफल रहता है तो उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण ही माना जाएगा तथा उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए संबंधित परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य-विवरण तथा पाठ्यक्रम के अनुसार बोर्ड की आगामी वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में पुनः परीक्षा देनी होगी। मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थी के प्रायोगिक अंक/आंतरिक निर्धारण अंकों को पूरक परीक्षा के तीसरे अवसर तक आगे ले जाया जाएगा। प्रायोगिक-परीक्षा वाले विषयों में विद्यार्थियों के लिए यह विकल्प रहेगा कि वे प्रायोगिक विषयों की परीक्षा में पुनः बैठे अथवा पूरक परीक्षा के लिए तीसरे अवसर के बाद एक अन्य वार्षिक परीक्षा में अपने पिछले अंक यथावत रखे।
 - *(ख) ऐसा परीक्षार्थी जो माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में निष्पादन में सुधार के एक मात्र अवसर में शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम ग्रेड 'डी' प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसे परीक्षा में अर्हक नहीं माना जाएगा और परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए उत्तरवर्ती वर्ष के मार्च में आयोजित परीक्षा में सभी विषयों में पुनः उपस्थित होना होगा। पाठ्यक्रम और कोर्स संबंधित परीक्षा के वर्ष हेतु सारांशात्मक निर्धारण-II के लिए निर्धारित अनुसार ही होगा मुख्य परीक्षा में रचनात्मक निर्धारण और सारांशात्मक निर्धारण-I में प्राप्त परीक्षार्थी के ग्रेड निष्पादन में सुधार के सभी अवसरों तक आगे ले जाए जाएंगे।
- ***(iii) वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा में पूरक घोषित किसी परीक्षार्थी को केवल उन विषयों में शामिल होने की अनुमित होगी जिनमें उसे पूरक के उत्तरवर्ती तीन अवसरों में पूरक घोषित किया गया हो।

^{*}ये नियम परीक्षा सिमिति की 22.6.2010 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया। नियम परीक्षा सिमिति की 10.09.2012 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 26.9.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{**}ये नियम परीक्षा समिति की 22.6.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया, और आगे परीक्षा समिति की 10.9.2012 की बैठक में संशोधित किया गया तथा शासी निकाय की 26.9.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{***}यह नियम परीक्षा समिति की 10.9.2012 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 26.9.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

- *(iv) For subjects involving practical work at the Senior School Certificate Examination, if a candidate has passed in practical at the main examination he/she shall appear only in theory part and previous practical marks will be carried forward and accounted for. In case a candidate has failed in practical he/she shall have to appear in theory and practical both irrespective of the fact that s/he has already cleared the theory examination.
- **(v) A candidate who fails to obtain minimum Grade D in the five subjects(excluding the 6th additional subject) under Scholastic Area A at the Secondary School Examination conducted by the School/Board shall be provisionally admitted to class XI till he takes in the only chance Improvement of Performance to be held that year. His/her admission shall be treated as cancelled if he fails to obtain minimum Grade D in the five subjects(excluding the 6th additional subject) under Scholastic Area A at the Improvement of Performance Examination.

**42A RETENTION OF PRACTICAL MARKS IN RESPECT OF FAILURE CANDIDATES FOR SENIOR SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATIONS

A candidate who has failed at the Senior School Certificate Examination in the first attempt shall be required to re-appear in all the subjects at the subsequent annual examination of the Board. He/she shall appear only in theory part and his/her previous practical marks will be carried forward and accounted for if he/she has passed in practical. In case a candidate has failed in practical he/she shall have to appear in theory and practical both. If he/she fails to pass the examination in two consecutive years, after the first attempt, he/she shall have to reappear in all the subjects including practical.

43 Additional Subject(s)

- ***(i) A candidate who has obtained minimum Grade D in at least five subjects (excluding the 6th additional subject) under Scholastic Area A as per the Scheme of Studies and a Qualifying Certificate/Gradesheet cum Certificate of Performance at the Secondary School Examination/passed the Senior School Certificate Examination of the Board may offer an additional subject as a private candidate provided the additional subject is provided in the Scheme of Studies and is offered within six years of passing the examination of the Board. No exemption from time limit will be given affer six years. Facility to appear in additional subject will be available at the main examination only.
- ****(ii) However, candidates appearing in six subjects at the Senior School Certificate Examination having been declared 'Pass' by virtue of securing pass marks in five subjects, without replacement, may reappear in the failing sixth additional subject at the Compartment Examination to be held in July the same year, provided he/she had appreared at the examination held in March in the said additional subject.

^{*}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010.

^{**}Rules amended in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010 and Further amended in the Examination Committee's meeting held on 10.9.2012 and approved by the Governing Body at its meeting held on 26.9.2012.

^{***}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 22.12.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.12.2010.

^{****}Rule added in the Examination Committee's meeting held on 02.9.2005 and approved by the Governing Body at its meeting held on 09.12.2005. Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 11.11.2011 and approved by the Governing Body at its meeting held on 16.11.2011.

- *(iv) विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में प्रायोगिक कार्य वाले विषयों के लिए, यदि कोई परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में प्रायोगिक उत्तीर्ण हो जाता है उसे केवल सिद्धांत भाग में शामिल होना होगा और पिछले प्रायोगिक अंक आगे ले जाए जाएंगे और हिसाब में लिए जाएंगे। यदि कोई परीक्षार्थी प्रायोगिक में अनुत्तीर्ण हो गया हो, उसे सिद्धांत और प्रायोगिक दोनों में शामिल होना होगा इसके बावजूद कि वह सिद्धांत परीक्षा पहले ही उत्तीर्ण कर चुका/चुकी है।
- **(v) ऐसा परीक्षार्थी जो विद्यालय⁄बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम ग्रेड 'डी' प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसे उस वर्ष आयोजित होने वाले निष्पादन में सुधार के उत्तरवर्ती एक मात्र अवसर में उसके भाग लेने तक कक्षा XI में अस्थायी रूप से प्रवेश दिया जाएगा। उसका प्रवेश रद्द माना जाएगा यदि वह निष्पादन के सुधार में शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत पांच विषयों में (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) न्यूनतम ग्रेड 'डी' प्राप्त करने में असफल रहता⁄रहती है।

**42क विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के संबंध में प्रायोगिक परीक्षा के अंक यथावत रखना यिद कोई परीक्षार्थी विरष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में प्रथम अवसर में अनुत्तीर्ण रहता है तो उसे बोर्ड की वार्षिक आगामी वर्ष की परीक्षा में सभी विषयों में पुनः परीक्षा देनी होगी। वह केवल सैद्धांतिक (लिखित) परीक्षा ही देगा/देगी और पूर्ववर्ती प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को अग्रेनीत किया जाएगा तथा उनकी गणना की जाएगी यिद उसमें प्रायोगिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यिद कोई परीक्षार्थी पहले प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया/गई हो तो उसे सैद्धांतिक (लिखित) और प्रायोगिक दोनों परीक्षाएं देनी होगी। यिद वह प्रथम प्रयास के उपरांत, लगातार दो वर्ष तक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता/पाती, तो उसे प्रायोगिक परीक्षा सहित सभी विषयों की परीक्षा पुनः देनी होगी।

43. अतिरिक्त विषय

- ***(i) अभ्यर्थी जिसने माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में अर्हता प्रमाण पत्र तथा अध्ययन की योजना के अनुसार शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत कम से कम पांच विषय (छठे आंतरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम ग्रेड 'डी' प्राप्त किया है/बोर्ड की वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण की है प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में अतिरिक्त विषय ले सकता है बशर्ते कि अध्ययन की योजना में वह विषय उपलब्ध हो और बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करने के छह वर्षों के अंदर हो। छह वर्षों की समय सीमा के बाद कोई छूट नहीं होगी। अतिरिक्त विषय में उपस्थित होने की सुविधा केवल मुख्य परीक्षा में ही उपलब्ध होगी।
- ****(ii) तथापि, वे विद्यार्थी जो वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में छह विषयों में बैठे हैं व पांच विषयों में उत्तीर्णता अंक प्राप्त करने पर 'उत्तीर्ण' घोषित किए गए हैं, बिना विषय परिवर्तन किए उसी वर्ष जुलाई में आयोजित पूरक परीक्षा में छठे विषय, जिसमें वे अनुर्तीर्ण रहे हैं, में उपस्थित हो सकते हैं बशर्तें वे मार्च में आयोजित परीक्षा में इस अतिरिक्त विषय में उपस्थित रहे हों।

^{**}यह नियम परीक्षा समिति की 22.6.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किए गया।

**यह नियम परीक्षा समिति की 22.6.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया, इसे
आगे परीक्षा समिति की 10.9.2012 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 26.9.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

***यह नियम परीक्षा समिति की 22.12.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.12.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

****नियम परीक्षा समिति की 02.09.2005 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय की 09.12.2005 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

परीक्षा समिति की 11.11.2011 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 16.11.2011 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

44. Improvement of Performance/Upgrading of Performance

44.1 Senior School Certificate Examination

- *(i) A candidate who has passed an examination of the Board may reappear for improvement of performance in one or more subjects in the succeeding year only; however, a candidate who has passed an examination of the Board under Vocational Scheme may reappear for improvement of performance in the main examination in the succeeding year or the following year provided they have not pursued higher studies in the mean time. They will appear as private candidates. Those reappearing for the whole examination may, however, appear as regular candidates also if admitted by the school as regular students. The candidate(s) appearing for improvement of performance can appear in the subject(s) in which they have appeared for the Examination.
- (ii) For subjects involving practical work, in case the candidate has passsed in practical at the main examination, he/she shall be allowed to appear in the theory part only and marks in practical obtained at the main examination shall be carried forward and accounted for. In case a candidate has failed in practical he/she shall have to appear in theory and practical both irrespective of the fact that he/she has already cleared the theory examination.
- **(iii) Candidates who appear for improvement of performance will be issued only Statement of Marks reflecting the marks of the improvement examination.
- ***(iv) A candidate appearing for improvement of performance in one or more subjects can not appear for additional subject simultaneously.
- ****(v) Candidates appearing in six subjects at the Senior School Certificate Examination having been declared 'Pass' by virtue of securing pass marks in five subjects as per Rule 40.1(iv) may appear in the failing main subject at the Compartment Examination to be held in July the same year provided he/she had appeared at the Examination held in March in the said subject.

44.2 Upgrading of Performance - Secondary Examination

*****(i) A candidate who has obtained minimum Grade D in the five subjects under Scholastic Area A and a Qualifying Certificate/Gredesheet Cum Certificate of Performance at the Secondary School Examination may reappear at the examination for upgrading of performance in one or more subjects in the main examination in succeeding year only, provided he/she has not

^{*}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 22.12.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.12.2010.

^{**}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 02.09.2005 and approved by the Governing Body at its meeting held on 09.12.2005.

^{***}Rule amended in the Examination Committee's held on 23.12.2004 and approved by the Governing Body at its meeting held on 30.12.2004.

^{****}Rule added in the Examination Committee's meeting held on 11.11.2011 and approved by the Governing Body at its meeting held on 16.11.2011.

^{******}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 22.12.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.12.2010.

44. निष्पादन संबंधी सुधार/निष्पादन में उन्नयन

44.1 वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा

- *(i) जो विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, केवल अगले वर्ष में मुख्य परीक्षा की एक या एक से अधिक विषय(यों) में निष्पादन सुधार के लिए पुनः बैठ सकता है; फिर भी, ऐसा विद्यार्थी जो व्यावसायिक योजना के अधीन बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, अगले वर्ष या अनुवर्ती वर्ष में मुख्य परीक्षा में निष्पादन मे सुधार के लिए बैठ सकता है बशर्ते कि वह इसी बीच में उच्च अध्ययन में नहीं लगा हो। ऐसा विद्यार्थी प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में बैठेगा। फिर भी पूरी परीक्षा में शामिल होने वाले यदि एक नियमित परीक्षार्थी के रूप में भी शामिल हो सकता है यदि विद्यालय द्वारा उन्हें नियमित विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया है। निष्पादन में सुधार के लिए बैठने वाला परीक्षार्थी उस विषय (विषयों) में बैठक सकता है जिनमें वह परीक्षा के लिए शामिल हुआ था।
 - (ii) प्रायोगिक कार्य वाले विषयों के लिए, यदि परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा की प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है तो, उसे केवल सिद्धांत परीक्षा से बैठने की अनुमित होगी और मुख्य परीक्षा में प्राप्त प्रायोगिक परीक्षा के अंकों को आगे ले जाया जाएगा और इसे हिसाब में लिया जाएगा। यदि कोई परीक्षार्थी प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है तो उसे पहले ही सिद्धांत परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बावजूद भी सिद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा दोनों में ही बैठना होगा।
- **(iii) ऐसा विद्यार्थी जो निष्पादन में सुधार के लिए परीक्षा में बैठता है उसे केवल मुख्य परीक्षा तथा अंक सुधार परीक्षा में प्राप्त अंक दर्शाते हुए अंकों का विवरण जारी किया जाएगा।
- ***(iv) एक या अधिक विषयों में निष्पादन सुधार के लिए उपस्थित होने वाला अभ्यर्थी उसी समय अतिरिक्त विषय के लिए उपस्थित नहीं हो सकता।
- ****(v) जो विद्यार्थी वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में छह विषयों में बैठे हैं व 40.1(iv)

नियम के अनुसार पाचों विषयों में उत्तीर्णता अंक प्राप्त करने पर 'उत्तीर्ण' घोषित किए गए हैं, उसी वर्ष जुलाई में आयोजित पूरक परीक्षा में मुख्य विषय, जिसमें वे अनुतीर्ण रहे हैं, में उपस्थित हो सकते हैं बशर्तें वे मार्च में आयोजित परीक्षा में उक्त विषय में उपस्थित रहे हैं।

44.2 निष्पादन में उन्नयन-माध्यमिक परीक्षा

*****(i) जो विद्यार्थी माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में अर्हता प्रमाण/ग्रेडशीट सह निष्पादन का प्रमाणपत्र और शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत पांच विषयों से न्यूनतम ग्रेड 'डी' प्राप्त करता है एक अथवा अधिक विषयों में निष्पादन में उन्नयन के लिए परीक्षा में केवल अनुवर्ती वर्ष की मुख्य परीक्षा में पुनः बैठ सकता है बशर्ते कि इसी बीच

^{*}यह नियम परीक्षा समिति की 22.12.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.12.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया। **ये नियम परीक्षा समिति की 2.9.2005 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 9.12.2005 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{***}यह नियम परीक्षा समिति की 23.12.2004 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 30.12.2004 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{****}नियम परीक्षा समिति की 11.11.2011 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय की 16.11.2011 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{****} ये नियम परीक्षा समिति की 22.6.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

pursued higher studies in the mean time. He/she shall appear as a private candidate. Those reappearing in the whole examination may appear as regular candidates also. The candidates appearing for upgrading of performance in the examination can appear in the subject(s) in which they have appeared for the examination.

- *(ii) A candidate appearing for upgrading of performance shall appear in the syllabus prescribed for Summative Assessment II only for the year of examination.
- *(iii) Candidates who appear for upgrading of performance shall be issued only Statement of Subject wise Performance reflecting the grades obtained in the said examination.
- *(iv) A candidate appearing for upgrading of performance in one or more subjects cannot appear for additional subject simultaneously.

45. Patrachar Vidyalaya Candidates

For Secondary Examination

- (i) Patrachar Vidyalaya candidates for Secondary School Examination will be required to offer two languages as laid down in the Scheme of Examination but will be allowed to offer Home Science, Commerce in place of Mathematics and Science.
- (ii) Patrachar Vidyalaya candidates for Secondary School Examination from outside Delhi shall not be allowed to offer subjects involving practical work.

**46. Exemption to Blind, Physically Handicapped, Autistic, Dyslexic, Spastic and candidates with disabilities as defined in the Persons with Disabilities Act, 1995

Candidates with visual and hearing impairment, Spastic, Dyslexic, Autistic and candidates with disabilities as defined in the Persons with Disabilities Act, 1995 have the option of studying one compulsory language as against two. This language should be in consonance with the overall spirit of the Three Language Formula prescribed by the Board. Besides one language any four of the following subjects be offered:

'Mathematics, Science, Social Science, another language, Music, Painting, Home Science, Foundation of Information Technology, Commerce (Elements of Business) & Commerce (Elements of Book Keeping and Accountancy)

^{*}Rules amended in the Examination Committee's meeting held on 22.06.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.06.2010.

^{**}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 24.11.2008 and approved by the Governing Body at its meeting held on 08.12.2008.

वह उच्च अध्ययन में नहीं लगा हो। वह प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में बैठ सकता/सकती है। पूरी परीक्षा में पुनः बैठने वाले नियमित अभ्यर्थी के रूप में भी बैठ सकते हैं। परीक्षा में निष्पादन में उन्नयन के लिए बैठने वाले परीक्षार्थी केवल उसी विषय(यों) में परीक्षा में बैठ सकते हैं जिनमें वे परीक्षा के लिए शामिल हो चुके है।

- *(ii) निष्पादन में उन्नयन के लिए बैठने वाला परीक्षार्थी वर्ष की परीक्षा के लिए केवल सारांशात्मक निर्धारण-II के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में बैठेगा।
- *(iii) निष्पादन में उन्नयन के लिए बैठने वाले परीक्षार्थी को कथित परीक्षा में प्राप्त ग्रेड दर्शाते हुए केवल विषयवार निष्पादन का विवरण जारी किया जाएगा।
- *(iv) एक या अधिक विषयों में निष्पादन में उन्नयन के लिए बैठने वाला परीक्षार्थी एक ही समय अतिरिक्त विषय के लिए नहीं बैठ सकता।

45. पत्राचार विद्यालय के विद्यार्थी

माध्यमिक परीक्षा के लिए

- (i) माध्यिमक विद्यालय परीक्षा के लिए पत्राचार विद्यालय वाले विद्यार्थियों को परीक्षा योजना में यथानिर्धारित दो भाषाएं लेना अपेक्षित होगा, परन्तु उनको गणित एवं, विज्ञान के स्थान पर गृह विज्ञान, वाणिज्य विषय लेने की अनुमित होगी।
- (ii) दिल्ली से बाहर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए पत्राचार विद्यालय वाले विद्यार्थियों को प्रायोगिक कार्य वाले विषय लेने की अनुमित नहीं होगी।

**46. किसी दृष्टिहीन, शारीरिक रूप से विकलांग, ओटिस्टीक, डिसलेक्सिक, स्पेस्टिक तथा पर्संस विद डिसएबिलीटिज एक्ट, 1995 में परिभाषित अनुसार असक्षमता वाले विद्यार्थियों को छूट

दृष्टि दोष तथा श्रवण दोष, स्पेस्टिक, डिस्लेक्सिक, ओटिस्टिक विद्यार्थी तथा पर्संस विद डिसएबिलीटिज एक्ट, 1995 में पिरभाषित अनुसार असक्षमताओं वाले विद्यार्थियों के पास दो भाषाओं के ऐवज में एक अनिवार्य भाषा में अध्ययन करने का विकल्प है। यह भाषा बोर्ड द्वारा निर्धारित त्रिभाषा सूत्र की मूलभावना के अनुकूल होनी चाहिए। एक भाषा के अलावा निम्नलिखित विषयों में से चार विषय लेने होंगे।

गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अन्य भाषा, संगीत, पेंटिंग, गृह विज्ञान, फाउंडेशन ऑफ इंफारमेशन टेक्नोलोजी, वाणिज्य (व्यापार के तत्व) तथा वाणिज्य (बहीखाता और लेखाविद्यि के तत्व)

^{*}ये नियम परीक्षा समिति की 22.6.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{**}नियम परीक्षा समिति की 24.11.2008 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 8.12.2008 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

8

CONFIDENTIAL WORKS

47. General

- (i) The Board may use multiple sets of question papers for the same examination at the same centre / examination hall if so considered desirable.
- (ii) The Paper setters, Moderators, Secrecy Officers, Head Examiners, Examiners etc. shall be appointed by the Chairman in accordance with the provisions contained in the Regulations and these bye-laws; provided that, notwithstanding anything contained in byelaws 47 to 55, the Chairman shall have the power to appoint persons in relaxation of the provisions of these bye laws for reasons to be recorded.
- (iii) No person shall be appointed to act as a Paper setter, Moderator, Chief Secrecy Officer, Secrecy Officer, Head Examiner and Coordinator whose 'NEAR RELATION' is appearing or has appeared at an examination conducted by the Board in that year. For this purpose 'NEAR RELATION' shall mean and include wife/husband, sons and daughters and members of their family, nephew, niece or similar relations of wife/husband.

48. (A) Qualifications for Appointment of Paper Setter/Moderator

- (I) A paper setter shall:
 - (i) have a post graduate degree in the concerned subject or allied subject.
 - (ii) have a minimum of ten years' experience of teaching the concerned subject at Secondary/ Senior Secondary/higher education level; or persons working in the State/National level education agencies set up by the Govt. and are actually involved in the organisation of inservice training programme or research/development of study materials for the Secondary/ Senior Secondary students/teachers.
 - Provided that the Chairman may also appoint other persons in the profession related to the subject as Paper setter in that subject if in the opinion of the Chairman such appointment is desirable.
 - (iii) Every person appointed as Paper Setter shall be required to furnish a declaration in the form as may be prescribed by the Chairman, inter alia, stating that:
 - (a) he/she has not written or revised a guide-book, help-book, key or similar other matter, with whatsoever name, relating to the subject;
 - (b) he/she has not been engaging himself/herself in private tuitions and/or coaching at private institutions or carrying out similar other work;
 - (c) none of his/her relations mentioned in these bye-laws is appearing in the Board's examinations in that year.

8

गोपनीय कार्य

47. सामान्य

- (i) यदि बोर्ड आवश्यक समझे तो वह उसी केंद्र/परीक्षा हाल में उसी परीक्षा में प्रश्नपत्रों के अनेक प्रकार के सेटों का उपयोग कर सकता है।
- (ii) प्राश्निकों, परिनियामकों (मॉडरेटरों), गोपनीयता अधिकारियों, मुख्य परीक्षकों, ijlfda/findhi/क् v/; (k)jktij,da/jblurifi/klæsig rivilabytijk drt kolicket rifi/kla 47 l अक्टार क्टी hak dsjægij v/; (kaldurifi/klæsik/klæsik/klæsik/rij ÇID; la dsijt) ajudkv/faj ajkti dsaj.krt2d, tkos
- (iii) प्राश्निकों, परिनियामक (मॉडरेटर), मुख्य गोपनीयता अधिकारी, गोपनीयता अधिकारी, मुख्य परीक्षक, और समन्वयक के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी, जिसका 'निकट संबंधी' उस वर्ष में बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में बैठ रहा है अथवा बैठा है। इस प्रयोजन के लिए 'निकट संबंधी' का अभिप्राय पत्नी, पित, पुत्र एवं पुत्री और उनके परिवार के सदस्य, भतीजा/भतीजी अथवा पत्नी/पित के साथ इस तरह का संबंध रखने वाले व्यक्ति से होगा।

48. (क) प्राश्निक/परिनियामक (मॉडरेटर) की नियुक्ति संबंधी अर्हताएं

(I) एक प्राश्निक कोः

- (i) संबंधित विषय अथवा संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर डिग्रीधारी होना चाहिए;
- (ii) माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक/उच्चतर शिक्षा स्तर में संबंधित विषय में अध्यापन का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो अथवा ऐसा व्यक्ति जो सरकार द्वारा संस्थापित राज्य/राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा एजेन्सियों में कार्यरत हो और जो माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों/अध्यापकों के लिए अध्ययन सामग्री के अनुसंधान/ विकास या सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन में वास्तविक रूप से लगा हुआ हो।
 - यदि अध्यक्ष की राय में ऐसी नियुक्ति वांछनीय है तो अध्यक्ष विषय से संबद्ध व्यवसाय के अन्य व्यक्तियों को भी उस विषय में प्राश्निक के रूप में नियुक्त कर सकता है।
- (iii) प्राश्निकों, के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को अध्यक्ष द्वारा यथानिर्धारित फार्म में घोषणा प्रस्तुत करनी होगी और अन्य बातों के साथ, यह भी बताना अपेक्षित होगा किः
 - (क) उसने इस विषय से संबंधित संदर्शिका (गाइड बुक) सहायक पुस्तक, कुंजी अथवा इसी प्रकार की अन्य सामग्री किसी भी नाम से नहीं लिखी है अथवा संशोधित की है;
 - (ख) वह प्राइवेट ट्यूशन और/अथवा प्राइवेट संस्थाओं में कोचिंग अथवा इसी प्रकार से अन्य कार्यों में नहीं लगा/लगी है:
 - (ग) इन उपविधियों में उल्लिखित संबंधियों में से कोई संबंधी उस वर्ष बोर्ड की परीक्षा में नहीं बैठ रहा∕रही है।

(II) Qualifications of Moderators:

The persons appointed as Moderators:

- (a) shall be a person, other than the Paper setter; and
- (b) shall possess the qualifications prescribed for Paper setters under bye-laws 48 (A) (I) (i) to (iii).

48. (B) Moderation of Question Papers/Duties of Paper Setters and Moderators

- (i) Moderation of question papers may be undertaken by a team of Moderators or individual Moderator as may be decided by the Chairman.
- (ii) Paper setters while setting the question papers and Moderators while moderating the question papers, shall ensure that all sets of question papers are comparable, as far as possible, with regard to the concepts tested, cognitive operation required, the scope of the answer, difficulty level, time limit and conformity with the syllabus.
- (iii) The Moderator/team of Moderators may also be required to prepare additional sets of question papers as per instructions/directions given by the Board.
- (iv) The Paper setters as well as Moderators shall:
 - (a) ensure that each question paper has been set according to the syllabus of the subject, blue print, design and text books/recommended books;
 - (b) prepare a comprehensive marking scheme for each question paper, giving expected answers, value points and distribution of marks;
 - (c) workout themselves the solution to the questions particularly the numerical questions;
 - (d) mention against each question approximate time limit that may be required for answering the question by an average student who has carefully studied the course and has prepared for the examination methodically;
 - (e) ensure that no question is erroneously or ambiguously worded, leading to an interpretation different from the question intends to convey. (Each question should linguistically be unambiguous, clear, accurate and free from all limitations);
 - (f) respectively set and moderate the question paper strictly in accordance with the unit wise weightage given in a curriculum of the subject, keeping the variations of the marks, if any, under different sub-units at the minimum;
 - (g) furnish a certificate that the provisions of sub-clauses (ii) and (iv) have been complied with.

(II) परिनियामकों (मॉडरेटरों) ही अर्हताएं:

परिनियामकों के रूप में नियुक्त व्यक्तिः

- (क) प्राश्निक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति होगा;
- (ख) परिनियामकों के लिए उप-विधि 48(a)(I)(i) से (iii) के अधीन प्राश्निकों के लिए निर्धारित योग्यताएं होना आवश्यक है।

48. (ख) प्रश्नपत्रों का अनुशोधन/प्राश्निकों तथा परिनियामकों के कर्त्तव्य

- (i) प्रश्नपत्रों का अनुशोधन (मॉडरेशन) अध्यक्ष द्वारा यथानिर्धारित परिनियामकों के दल अथवा एकल परिनियामक द्वारा किया जा सकता है।
- (ii) प्रश्नपत्र बनाते समय प्राश्निकों और प्रश्नपत्रों को संचालित करते समय परिनियामकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रश्नपत्रों के सभी सेट परीक्षित अवधारणाओं, अपेक्षित संज्ञानात्मक प्रचालन, उत्तर का विस्तार, किठनाई स्तर, समय-सीमा और पाठ्यविवरण के अनुरूप है।
- (iii) बोर्ड द्वारा दिए गए अनुदेशों/निर्देशों के अनुसार परिनियामक/परिनियामकों के दल को प्रश्न पत्रों के अतिरिक्त सेट भी तैयार करने होंगे।
- (iv) प्राश्निक और परिनियामक को यह सुनिश्चित करना होगा किः
 - (क) प्रत्येक प्रश्नपत्र का निर्माण विषय के पाठ्यविवरण, ब्लू प्रिंट, डिजाइन और पाठ्यपुस्तकों⁄संस्तुत पुस्तकों के अनुसार किया गया है;
 - (ख) प्रत्याशित उत्तरों, महत्वपूर्ण बिंदुओं और अंकों का विवरण देते हुए प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए व्यापक अंकन योजना बनाई गई है;
 - (ग) प्रश्नों, विशेष रूप से अंकीय प्रश्नों के हल स्वयं किए गए हैं;
 - (घ) प्रत्येक प्रश्न के सामने ऐसे औसत परीक्षार्थी द्वारा लिया जाने वाला अनुमानित समय बताया गया है जिसने सावधानीपूर्वक पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है और विधिवत् परीक्षा की तैयारी की है;
 - (ङ) यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रश्न में अशुद्ध अथवा अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है ताकि प्रश्न की व्याख्या उसके वास्तविक आशय से भिन्न न हो। (प्रत्येक प्रश्न को भाषिक रूप से सुस्पष्ट परिशुद्ध और सभी प्रकार की सीमाओं से रहित होना चाहिए);
 - (च) न्यूनतम पर विभिन्न उप-यूनिटों के अंतर्गत अंकों का अंतर, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए विषय की पाठ्यचर्या में दिए गए इकाई-वार महत्व के अनुसार ही प्रश्नपत्र को क्रमशः ठीक-ठाक से सेट करना और उसका अनुशोधन करना होगा;
 - (छ) एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उप-खंड (ii) और (iv) के प्रावधान का अनुपालन किया गया है।

48. (C) Disqualifications of Paper Setters/Moderators/Head Examiners/Examiners/Coordinators

- (a) No person shall be appointed as a Paper setter/Moderator:
 - (i) if he/she has written a guide-book, help-book, key or any similar matter, with whatsoever name, relating to the subject;
 - (ii) if he/she has been or is engaging himself/herself in private tuitions and is coaching at private institutions or carrying out similar other activity.
- (b) Where the Chairman is satisfied that a Paper Setter/Moderator/Head Examiner/ Examiner/ Coordinator:
 - (i) is unable to perform the work or has not performed the work of the desired standard/ quality; or
 - (ii) has not been able to conform to the directions of the Board; or
 - (iii) is suspected to have engaged himself/herself in the activities defying the trust reposed (such as leakage of question papers etc.) and/or in such activities which are unethical unacademic or undesirable; or
 - (iv) has furnished false declaration or has concealed facts.

he/she may:

- (a) cancel his/her appointment as Paper setter/Moderator/Head Examiner/Examiner/Coordinator; and/or
- (b) disqualify him/her from all or some of the remunerative work of the Board for a specified period or permanently; and/or
- (c) forfeit/reduce remuneration payable to him/her; or
- (d) take any other action;as deemed appropriate by him/her in the circumstances of the case.

48. (D) Instructions to Paper Setters/Moderators/Head Examiners/Examiners etc.

The Controller of Examinations, with the approval of the Chairman, shall issue detailed instructions for all examinations work (including Paper setters/Moderators/Head Examiners/ Examiners/ Coordinators) in conformity with these bye-laws;

Provided that if any emergency arises out of the administrative business or otherwise, which, in the opinion of the Chairman require instructions/directions in deviation of these bye-laws, the Chairman may order issuance of such instructions/directions as he/she may deem necessary but the same shall be reported to the appropriate Committees/Governing Body in their next meeting.

48. (ग) प्राश्निकों/परिनियामकों (माडरेटरों)/मुख्य परीक्षकों/परीक्षकों/समन्वयकों का अयोग्य होना

- (क) ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्राश्निक/परिनियामक नियुक्त नहीं किया जाएगाः
 - (i) यदि उसने विषय से संबंधित संदर्शिका (गाइड बुक), सहायक पुस्तक, कुंजी अथवा इसी प्रकार की अन्य सामग्री किसी भी नाम से लिखी है;
 - (ii) यदि यह प्राइवेट ट्यूशन और प्राइवेट संस्थाओं में कोचिंग अथवा इसी प्रकार के अन्य कार्य करता है।
- (ख) जहां अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि प्राश्निक/परिनियामक/मुख्य परीक्षक/परीक्षक/समन्वयकः
 - (i) कार्य पूरा करने के लिए अयोग्य है अथवा अपेक्षित मानक/गुणवत्ता युक्त कार्य पूरा नहीं किया है; अथवा
 - (ii) बोर्ड के निर्देशों को पूरा करने के योग्य नहीं रहता; अथवा
 - (iii) यदि संदेह हो जाता है कि ऐसी गतिविधियों में लिप्त है (जैसे प्रश्न पत्रों आदि का पता चलना/लीक होना आदि) और उस पर से विश्वास उठ गया है तथा/या अनैतिक, अशैक्षिक या अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त हो; अथवा
 - (iv) उसने झूठी घोषणा प्रस्तुत की है अथवा कोई तथ्य छिपाया है

तो वह :

- (क) प्राश्निक/परिनियामक/मुख्य परीक्षक/परीक्षक/समन्वयक के रूप में उसकी नियुक्ति रद्द कर सकता/सकती है; और/अथवा
- (ख) वह विनिर्दिष्ट अविध के लिए अथवा स्थायी रूप से बोर्ड के सभी अथवा कुछ लाभकारी कार्यों से उसे अयोग्य घोषित कर सकता/सकती है और/अथवा
- (ग) वह देय पारिश्रमिक जब्त/कम कर सकता/सकती है, अथवा
- (घ) वह कोई अन्य कार्रवाई कर सकता/सकती है, जैसा कि मामले की पिरस्थितियों में उसके द्वारा उचित समझा जाए।

48. (घ) प्राश्निकों /परिनियामकों /मुख्य परीक्षकों /परीक्षकों आदि के लिए अनुदेश

अध्यक्ष के अनुमोदन से परीक्षा नियंत्रक इन उपविधियों के अनुरूप सभी परीक्षा कार्य (इसमें प्राश्निक/परिनियामक/मुख्य परीक्षक/परीक्षक समन्वयक शामिल है) के लिए विस्तृत अनुदेश जारी करेंगे;

बशर्तें कि यदि कोई प्रशासनिक कार्य अथवा इससे भिन्न मामले में उत्पन्न आपात स्थिति जिसमें अध्यक्ष की राय में इन उप- विधियों के विचलन में अनुदेशों/निर्देशों की आवश्यकता है तो अध्यक्ष जैसा भी वह आवश्यक समझे वैसे अनुदेशों/निर्देशों का आदेश जारी कर सकता है परंतु इसकी सूचना समुचित समितियों/शासी निकाय को अगली बैठक में देगा।

- **48. (E)** (i) All question papers shall be in the exclusive custody of the Controller of Examinations and other officers as may be identified by the Chairman.
 - (ii) All copy rights in respect of Question Paper set by the Paper Setter(s) and subsequently moderated by the Moderator(s) shall vest with the Board.

49. Receipt of Answer Books

- (i) All answer books from examination centres shall be reecived by the concerned Regional Officer or by an officer identified and recommended by the Controller of Examinations and approved by the Chairman.
- (ii) All answer books shall be deemed as confidential document and no person(s) other than identified by the Controller of Examinations/Chairman shall be permitted to handle the same.
- (iii) All the answer books received from the examination centres in real roll numbers of the candidate shall be converted into fictitious numbers.
- (iv) The conversion of real numbers to fictitious numbers will be carried out by a team of Secrecy Officers with the overall control of a Chief Secrecy Officer.

50. Chief Secrecy Officers/Secrecy Officers

- (i) The Chairman shall appoint a Professor or a Principal of a College or Reader/Senior Lecturer of a college or such other person of integrity, honesty and experience as Chief Secrecy Officer for an examination of the Board at Delhi and at Regional levels.
- (ii) Each Chief Secrecy Officer will identify his/her own team of persons who will carry out the work under his/her guidance. Such persons shall not be below the rank of lecturer in Colleges.
- (iii) The Chief Secrecy Officer and his/her team shall undertake to maintain the confidentiality of the assignment given to them.
- (iv) No person whose ward or near relative is appearing in any given examination of the Board shall work as a Secrecy Officer.
- (v) Each Chief Secrecy Officer and Secrecy Officer shall be paid remuneration for their work on such rates as approved by Board from time to time.

51. Evaluation

- (i) All answer books bearing fictitious roll numbers shall be evaluated by approved examiners.
- (ii) The Board, under normal conditions, shall get the answer books evaluated at such cities and centres, identified by the Chairman from time to time.
- (iii) Normally the spot evaluation centres shall be situated in schools affiliated to the Board.
- (iv) Under special circumstances the answer books may be evaluated by examiners at their residences.

- 48. (ङ) (i) सभी प्रश्नपत्रों को अनन्य रूप में परीक्षा नियंत्रक अथवा अध्यक्ष द्वारा अभिनिर्धारित अन्य अधिकारियों के अभिरक्षण में रखा जाएगा।
 - (ii) प्राश्निक द्वारा निर्मित और तत्पश्चात् परिनियामक(कों) द्वारा अनुशोधित प्रश्नपत्र के संबंध में सर्वाधिकार बोर्ड के पास होंगे।

49. उत्तरपुस्तिकाएं प्राप्त करना

(i) ijl(kdezl sl Hbrtiji (pokal elik (ldp v#dijh)ljkvlikkijl(jkfu, ad)ljkdhxtz 1 Olj*kvlj5v/; (k)ljkvue(isr v#dijh)ljki isr cht kalili.

- (ii) सभी उत्तरपुस्तिकाएं गोपनीय दस्तावेज समझी जाएंगी और परीक्षा नियंत्रक/अध्यक्ष द्वारा अभिनिर्धारित व्यक्ति के अलावा किसी व्यक्ति को इन्हें रखने की अनुमति नहीं होगी।
- (iii) परीक्षा केंद्रों से प्राप्त सभी उत्तरपुस्तिकाओं में परीक्षार्थी के वास्तविक अनुक्रमांक को अन्य अवास्तविक संख्या में बदल दिया जाएगा।
- (iv) वास्तविक संख्याओं का अवास्तविक संख्याओं में परिवर्तन मुख्य गोपनीयता अधिकारी के संपूर्ण नियंत्रण में गोपनीयता अधिकारियों के एक दल द्वारा किया जाएगा।

50. मुख्य गोपनीयता अधिकारी/गोपनीयता अधिकारी

- (i) अध्यक्ष किसी कॉलेज के प्रोफेसर अथवा प्राचार्य अथवा किसी कालेज के रीडर/वरिष्ठ लेक्चरर अथवा ऐसे अन्य सत्यिनष्ठ ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति को दिल्ली और क्षेत्रीय स्तर की बोर्ड परीक्षा के लिए मुख्य गोपनीयता अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा।
- (ii) प्रत्येक मुख्य गोपनीयता अधिकारी ऐसे व्यक्तियों, जो उसके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे, का अपना दल अभिनिर्धारित करेगा। ऐसे व्यक्ति कम से कम कॉलेज में लेक्चरर रैंक के होंगे।
- (iii) मुख्य गोपनीयता अधिकारी और उसके दल को जो काम सुपुर्द किया गया है, उसकी गोपनीयता बनाई रखनी चाहिए।
- (iv) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका आश्रित अथवा निकट संबंधी बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहा है, गोपनीयता अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा।
- (v) प्रत्येक मुख्य गोपनीयता अधिकारी और गोपनीयता अधिकारी को समय-समय पर बोर्ड द्वारा तथा अनुमोदित दरों पर उनके कार्य के लिए पारिश्रमिक दिया जाएगा।

51. मूल्यांकन

- (i) अवास्तविक अनुक्रमांक वाली सभी उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन अनुमोदित परीक्षकों द्वारा किया जाएगा।
- (ii) सामान्य स्थिति के अंतर्गत, बोर्ड समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा अभिनिर्धारित शहरों और केंद्रों में उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाएगा।
- (iii) स्थल-मूल्यांकन केंद्र सामान्यतया बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में स्थित होंगे।
- (iv) विशेष-परिस्थितियों में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन परीक्षकों द्वारा अपने निवास स्थान पर किया जा सकता है।

52. Marking Scheme

- (i) A detailed marking scheme shall be prepared for each question paper by the paper setter along with the question paper.
- (ii) The marking scheme shall indicate value points in respect of each answer and the award to be assigned for each of the value points.
- (iii) The original marking scheme may be amended/modified by a group of Head Examiners on the basis of evaluation of sample answer scripts.

53. Head Examiners

- *(i) The Chairman shall appoint a senior person in the rank of Principal, Vice-Principal, Post Graduate Teacher of an affiliated school or a Lecturer/Reader in a college as Head Examiner for a subject/paper.
- (ii) The Head Examiner shall be responsible for ensuring uniform evaluation of answer books as per the final marking scheme. The Head Examiner shall monitor the evaluation and ensure strict implementation of the marking scheme.
- (iii) The Head Examiner shall bring to the notice of the Controller of Examinations, discrepancies, anomalies and suspected use of unfairmeans identified during the course of evaluation.
- (iv) The Head Examiner shall report to the Controller of Examinations in writing the names of such examiners who have not carried out the instructions of the Board or have not maintained punctuality or have not observed the code of conduct for such actions as may be deemed fit by the Board.
- (v) No person whose ward or near relation is appearing in the examination shall be appointed as Head Examiner.
- (vi) The Head Examiner shall be the custodian of all answer books entrusted to him/her for evaluation at the evaluation centre and shall provide such physical and administrative facilities as are necessary to ensure quick, smooth and fair conduct of evaluation.
- (vii) The Head Examiner shall treat all information provided to him/her and all materials supplied to him /her as strictly confidential, and at no stage divulge directly or indirectly any such information to any person other than those authorised by the Board.
- (viii) One Head Examiner shall be appointed for each set of ten to fifteen examiners.

**54. Additional Head Examiners

(i) Additional Head Examiner shall be appointed by the Head Examiner if the approved number of examiners is more than five on any day of evaluation. He /she shall assist the Head Examiner in discharging his/her duties and shall also discharge duties as assigned by the Board from time to time.

^{*}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 07.06.2006 and approved by the Governing Body at its meeting held on 30.6.2006.

^{**}Rule re-introduced in the Examination Committee's meeting held on 25.6.2003 and approved by the Governing Body at its meeting held on 27.6.2003.

52. अंकन योजना

- (i) प्राश्निक द्वारा प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए एक विस्तृत अंकन योजना प्रश्नपत्र के साथ तैयार की जाएगी।
- (ii) अंकन योजना में योजना उत्तर के संबंध में मूल्यांकन बिंदु निर्दिष्ट किये जाएंगे और प्रत्येक मूल्यांकन बिंदु के लिए दिए जाने वाले अंक निर्धारित किए जाएंगे।
- (iii) नमूना उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के आधार पर मुख्य परीक्षकों के समूह द्वारा मूल अंकन योजना को संशोधित/आशोधित किया जा सकता है।

53. मुख्य परीक्षक

- *(i) अध्यक्ष, संबद्ध विद्यालय के प्रधानाचार्य, उपप्रधानाचार्य, स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी) अथवा किसी कॉलेज में लेक्चर/रीडर के रैंक के किसी वरिष्ठ व्यक्ति को किसी विषय/प्रश्नपत्र का मुख्य परीक्षक नियुक्त करेगा।
- (ii) मुख्य परीक्षक अंतिम अंकन योजना के अनुसार उत्तरपुस्तिकाओं के समान मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा। मुख्य परीक्षक मूल्यांकन को मॉनीटर करेगा और अंकन योजना का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।
- (iii) eti ijliki etikuesid afr; lisvių ferrikavijš etiku derijiku Kir gyvvijir i likkla del sylin iri) kir drit kolijihi jilijikių aki derakti.
- (iv) मुख्य परीक्षक ऐसे परीक्षकों के नाम लिखित में परीक्षा नियंत्रक के बताएगा जिन्होंने बोर्ड के अनुदेशों का पालन नहीं किया है अथवा जिन्होंने समय पाबंदी का ध्यान नहीं रखा है अथवा जिन्होंने आचरण संहिता का अनुपालन नहीं किया है ताकि उनके विरूद्ध बोर्ड द्वारा उचित कार्रवाई की जा सके।
- (v) ऐसे व्यक्ति को मुख्य परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका आश्रित (ward) अथवा निकट संबंधी परीक्षा में बैठ रहा हो।
- (vi) मुख्य परीक्षक मूल्यांकन केंद्र पर मूल्यांकन के लिए सौंपी गई सभी उत्तरपुस्तिकाओं का अभिरक्षक होगा और भौतिक एवं प्रशासनिक सुविधाएं प्रदान करेगा जो मूल्यांकन को शीघ्र, सुचारू रूप से और उचित तरीके से सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
- (vii) मुख्य परीक्षक प्रदान की गई जानकारी को और उसको दी गई सभी सामग्री को सर्वथा गोपनीय रखेगा और किसी भी हालत में बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के अलावा किसी व्यक्ति को ऐसी कोई जानकारी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नहीं देगा।
- (viii)दल से पन्द्रह परीक्षकों के समूह के लिए एक मुख्य परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी।

**54. अतिरिक्त मुख्य परीक्षक

^{*}यह नियम परीक्षा समिति की 7.6.2006 की बैठक में संशोधित किया गया और 30.6.2006 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{**}यह नियम परीक्षा समिति की 25.6.03 की बैठक में पुनः सम्मिलित किया गया और शासी निकाय की 27.6.03 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

- (ii) A PGT in the same subject with not less than five years experience is eligible to be appointed as AHE for class XII and a TGT having not less that five years experience in the same subject is eligible to be appointed as AHE for class X.
- (iii) Notwithstanding anything contained in the rules 54(i) and (ii), the Chairman shall have the powers to appoint Additional Head Examiner(s) in relaxation of the provisions of these Bye Laws for reasons to be recorded.

55. EXAMINERS

List of Teachers

(i) The Head of the affiliated institutions shall recommend, every year, the names of teachers in their respective institutions, eligible for appointment as an Examiner in accordance with the provisions of these bye-laws.

Qualifications of an Examiner

- (ii) An Examiner shall:
 - (a) hold at least a post graduate degree in case of Senior Secondary level and a graduate degree in case of Secondary level in the concerned/allied subject;
 - (b) have at least three years' teaching experience at Secondary/Senior Secondary/higher education level; and
 - *(c) be a practising teacher teaching the same subject in a school affiliated to this Board or any other recognised Board/University/Institution or a person working in the State/ National level educational organisations set up by the Govt. and are actually involved in the organisation of inservice training programmes/development of study materials for the Secondary/Senior Secondary students/teachers or research work or a retired teacher from a CBSE affiliated school (PGT for Class XII and TGT for Class X) teaching the same subject prior to his/her retirement and has not attained the age of 65 years on 1st of April of the year of evaluation work.
- (iii) No person shall be appointed as an Examiner in a subject if:
 - he/she has been under suspension from service; and/or a departmental enquiry is either pending or is envisaged against him/her or has earlier been debarred from any work of the Board or his/her integrity is doubtful in the opinion of the Chairman.
- (iv) No person shall be appointed as an Examiner for more than one subject or for more than one examination simultaneously.

56. Team Evaluation

- (i) The Board may adopt individual team approach of evaluation of the answer books.
- (ii) The mode of fixation of team shall be exclusively left to the Board or the Head Examiner as the case may be.

^{*}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 24.9.1996 and approved by the Governing Body at its meeting held on 27.9.1996.

- (ii) कक्षा XII के लिए अतिरिक्त मुख्य परीक्षक की नियुक्ति के लिए उसी विषय के पीजीटी जिन्हें कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो, पात्र है और कक्षा X के लिए अतिरिक्त मुख्य परीक्षक की नियुक्ति के लिए उसी विषय के टीजीटी जिन्हें कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो पात्र है।
- (iii) नियम 54(i) और (ii) में दिए गए प्रावधानों के बावजूद भी अध्यक्ष को यह शक्ति प्रदत है कि वह उन विशिष्ट कारणों को अंकित करते हुए अतिरिक्त मुख्य परीक्षक की नियुक्ति उस उपविधि के प्रावधानों से छूट प्रदान करते हुए कर सकता है।

55. परीक्षक

अध्यापकों की सूची

(i) संबद्ध संस्थाओं के प्रमुख प्रत्येक वर्ष अपने संबंधित संस्थानों में से अध्यापकों के नाम की सिफारिश करेंगे जो इन उप-विधियों के उपबंधों के अनुसार परीक्षक के रूप में नियुक्ति के पात्र हों।

परीक्षक की अर्हताएं

(ii) परीक्षक :

ক) letik@e) folk each 'Bek', fed in dedeysæde i sde lukalit i Manijs ek', fed in dedeysædukal filik i in de

- (ख) माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक/उच्चतर शिक्षा में कम से कम तीन वर्षों का अध्यापन अनुभव हो; और
- $*(\eta)$ वह इस बोर्ड अथवा किसी अन्य मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था से संबंध विद्यालय में उसी विषय का अनुभवी अध्यापक हो अथवा ऐसा व्यक्ति जो सरकार द्वारा स्थापित राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक संगठनों में कार्यरत हो, और वास्तव में सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में शामिल हो, माध्यमिक/विरष्ठ माध्यमिक विद्यार्थियों/अध्यापकों के लिए अध्ययन सामग्री के विकास या अनुसंधान कार्य में कार्यरत हो अथवा सीबीएससी से संबद्ध किसी स्कूल में सेवानिवृत्ति से पूर्व उसी विषय का अध्यापक (कक्षा XII के लिए पीजीटी और कक्षा X के लिए टीजीटी) हो तथा मूल्यांकन कार्य वाले वर्ष में 1 अप्रैल को उसकी आयु 65 वर्ष से कम हो।
- (iii) किसी ऐसे व्यक्ति को विषय के परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा यदिः

 उसे सेवा से निलम्बित कर दिया गया है और/अथवा उसके विरूद्ध विभागीय जांच लंबित हो अथवा विभागीय

 जांच हो रही हो अथवा उसे बोर्ड के किसी कार्य से पहले ही बहिष्कृत कर दिया गया है अथवा अध्यक्ष की

 राय में जिसकी सत्यनिष्ठा संदेहास्पद हो।
- (iv) किसी व्यक्ति को एक से अधिक विषय के लिए अथवा एक से अधिक परीक्षा के लिए एक साथ परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

56. दल मूल्यांकन

- (i) बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए एक व्यक्ति $\scriptstyle extstyle <$ दल चुन सकता है।
- (ii) दल के निर्धारण की विधि निश्चित करने की जिम्मेदारी केवल बोर्ड अथवा मुख्य परीक्षक, जैसी भी स्थिति हो, पर छोड़ दी जाएगी।

^{*}यह नियम परीक्षा समिति की 24.9.1996 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 27.9.1996 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

(iii) The question paper and the marking scheme shall be suitably designed in such cases to facilitate team evaluation..

57. Award List

- *(i) The award lists shall be prepared in Triplicate.
- (ii) All award lists are confidential documents of the Board.
- (iii) No person except those authorised by the Controller of Examinations shall be permitted to handle the award lists.
- (iv) No person other than the Controller of Examinations or Joint Secretary (Coordination) or Regional Officer is authorised to communicate any change in the awards. All such communications shall be sent in writing duly attested and signed by the concerned officials.
- **(v) The award lists of an examination shall be destroyed two months after the declaration of results in the presence of a committee appointed by the Chairman of the Board.

58. Spot Evaluation "NODAL Centres"

A 'nodal centre' is a school which can provide space, facilities and amenities for evaluation and coordination for a number of specified subjects/schemes and located in the vicinity of about 10 schools. Regional Officers of the Board shall explore the possibilities of setting up a nodal centre at an appropriate central place, especially in areas outside Delhi. A 'nodal centre' shall be fixed, keeping in view, the following points:-

- (i) the 'nodal centre' should be centrally located in the neighbourhood of about 10 schools;
- (ii) it should be easily accessible to the staff appointed at the centre;
- (iii) qualified and experienced staff in the nodal as well as the neighbouring schools is available to act as Head Examiners/Examiners/Coordinators;
- (iv) sufficient number of rooms/stores can be provided to keep the bags of answer books and allied confidential material, subject wise, separately;
- (v) it should have appropriate security, transport and communication facilities; and
- (vi) a nodal centre shall be fixed with the approval of the Chairman.

59. Declaration of Results

- (i) (a) All the results of the examinations conducted by the Board shall be declared with the approval of the Chairman.
- *** (b) the Board shall resort to the Moderation policy to:
 - 1) compensate the candidates for the difficulties experienced in solving the question in a specified time due to misinterpretation/ambiguity of questions and errors.

^{*}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 18.2.2000 and approved by the Governing Body at its meeting held on 18.1.2001.

^{**}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 25.1.2012 and approved by the Governing Body at its meeting held on 02.2.2012.

^{***}Rule added in the Examination Committee's meeting held on 25.1.2012 and approved by the Governing Body at its meeting held on 02.2.2012.

(iii) दल मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से ऐसे मामले में प्रश्नपत्र और अंकन योजना को उचित रूप से निर्धारित किया जाएगा।

57. एवार्ड सूची

- *(i) एवार्ड सूचियां तीन प्रतियों के तैयार की जाएंगी।
 - (ii) सभी एवार्ड सूचियां बोर्ड के गोपनीय दस्तावेज हैं।
 - (iii) परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर किसी व्यक्ति को एवार्ड सूचियों संबंधी कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
 - (iv) परीक्षा नियंत्रक अथवा संयुक्त सचिव (समन्वय) अथवा क्षेत्रीय अधिकारी को छोड़कर कोई व्यक्ति एवार्ड में कोई परिवर्तन संप्रेषित करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। संबंधित अधिकारियों द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित एवं हस्ताक्षरित ऐसी सभी सूचनाएं लिखित रूप में भेजी जाएंगी।
- **(v) परीक्षा की एवार्ड सूचियां परिणाम की घोषणा हो जाने के दो महीने बाद बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त समिति की उपस्थिति में नष्ट की जाएंगी।

58. स्थल मूल्यांकन ''नोडल केन्द्र''

'नोडल केन्द्र' एक ऐसा विद्यालय है जो बहुत से विनिर्दिष्ट विषयों/योजनाओं के मूल्यांकन और समन्वय के लिए स्थान सुविधाएं और साधन प्रदान कर सकता है और जो लगभग 10 विद्यालयों के आसपास स्थित है। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, विशेष रूप से दिल्ली के बाहर क्षेत्रों में उपयुक्त मध्य में स्थित एक 'नोडल केन्द्र' स्थापित करने की संभावनाओं की छानबीन करेंगे। निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए एक 'नोडल केंद्र' निर्धारित किया जाएगाः

- (i) एक 'नोडल केन्द्र' लगभग 10 विद्यालयों के मध्य में स्थित होना चाहिए;
- (ii) केन्द्र में नियुक्त कर्मचारी यहां आसानी से पहुंच सकें;
- (iii) नोडल केन्द्र में योग्य और अनुभवी कर्मचारी (स्टाफ) होने के साथ पड़ोसी स्कूलों में मुख्य परीक्षक/परीक्षक/समन्वयक के रूप में कार्य कर सकने वाले व्यक्ति उपलब्ध हों;
- (iv) कमरों/भंडारों की पर्याप्त संख्या की व्यवस्था हो ताकि उत्तरपुस्तिकाओं के थैलों और इससे संबद्ध गोपनीय सामग्री को विषयवार अलग से रखा जा सके;
- (v) इसमें पर्याप्त सुरक्षा, परिवहन और संचार संबंधी सुविधाएं होनी चाहिए; और
- (vi) नोडल केन्द्र अध्यक्ष के अनुमोदन से तय किया जाएगा।

59. परिणामों की घोषणा

- (i) (क) बोर्ड द्वारा संचालित सभी परीक्षाओं के परिणाम अध्यक्ष के अनुमोदन से घोषित किए जाएंगे।
- *** (ख) बोर्ड निम्नलिखित के लिए नियमन (मॉडरेशन) नीति का सहारा लेगाः
 - प्रश्नों की भ्रान्त व्याख्या। संदिग्धता और त्रुतियों के कारण एक दिए गए समय में प्रश्न हल करने में महसूस की गई कठिनाइयों के लिए परीक्षार्थियों की क्षितिपूर्ति करना।

^{*}यह नियम परीक्षा समिति की 18.2.2000 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 18.1.2001 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{**}नियम परीक्षा समिति की 25.1.2012 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 2.2.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{***}यह नियम परीक्षा समिति की 25.1.2012 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय की 2.12.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

- 2) compensate the vagaries and to bring uniformity in the evaluation process
- 3) bring parity on account of element of subjectivity involved in the evaluation process.
- 4) level up the mean achievements in the set-wise performance of the candidates attributable to the difference in the difficulty level of different set of question papers in the multiple sets scheme
- 5) maintain near parity of pass percentage of the candidates in the current year vis-a-vis preceding years, subject-wise and overall.
- *(i) (c) The Board shall also adopt the policy of awarding Grace Marks as per the criteria decided from time to time and reasons to be recorded.
- (ii) The Board shall not be responsible for non receipt of any communication by a candidate or a school with regard to the declaration of the result.
- (iii) The Board shall not be held responsible for any material or other loss incurred by candidate(s), if the results of the candidate(s) are delayed by the Board due to "Result Later" cases for justifiable reasons and that they are declared within a reasonable period of time as prescribed in the rules.
- **(iv) The 'Result' shall indicate the factual position of the candidate with the marks/grades obtained by a candidate alongwith his/her status i.e. Pass/Fail/Comptt. in respect of Senior School Certificate Examination and Eligible for Qualifying Certificate/Qualified for Admission to Higher Classes/Eligible for Improvement of Performance in respect of Secondary School Examination in a 'Gazette' kept in the office of the Board.
- *(v) The Board shall not be responsible for any inadvertent error in declaration/communication of result and will be at liberty to revise the result as and when it is brought to the notice of the Board.

60. 'Result Later' Cases

- (i) The Board may declare the result of the candidate(s) as 'Result Later' due to inadequacy of data, lack of information from the candidate, school, examination centre etc.
- (ii) The result of such candidates shall be declared by the Board on availability of data/ information within a reasonable time from the date of declaration of results by the Board. The Board shall not be liable for any loss/damage caused to the candidate for 'Result Later'.

61. Verification of marks/grades obtained by a Candidate in a subject

***(i) A candidate who has appeared at an examination conducted by the Board may apply to the Regional Officer of the Board, in the manner as prescribed by the Board, for verification of

^{*}Rules added in the Examination Committee's meeting held on 25.1.2012 and approved by the Governing Body at its meeting held on 02.2.2012.

^{**}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 25.1.2012 and approved by the Governing Body at its meeting held on 02.2.2012.

^{***}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010. Rule further amended in the Examination Committee's meeting held on 10.9.2012 and approved by the Governing Body at its meeting held on 26.9.2012.

- 2) मूल्यांकन प्रक्रिया में एक रूपता लाने के लिए और सनकों की क्षतिपूर्ति करना।
- 3) मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल स्वनिष्ठता तत्वों के कारण समतुल्यता लाना।
- 4) बहुप्रयोजन सेट योजना में प्रश्न पत्रों के भिन्न-भिन्न सेटों के किठनाई स्तर में भिन्नता को आरोप्य परीक्षार्थियों की सेट वार निष्पादन में औसत उपलब्धताओं को एक समान करना।
- 5) वर्तमान वर्ष की तुलना के पूर्व वर्षों में परीक्षार्थियों की उत्तीर्ण प्रतिशतता नियम बार और समान की नजदीकी समतुपात बनाए रखना।
- *(i) (ग) बोर्ड समय-समय पर निर्णीत मानदंड के अनुसार अनुग्राहांक प्रदान करने की नीति भी अपनायेगा और कारण दर्ज किए जाएगें।
- (ii) परिणाम की घोषणा के संबंध में किसी परीक्षार्थी अथवा विद्यालय द्वारा कोई सूचना न मिलने पर बोर्ड इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- (iii) यदि परीक्षार्थियों के परिणाम को बोर्ड द्वारा किंहीं उचित कारणों से बाद में घोषित किया जाता है और उन्हें नियमों में यथा निर्धारित समय के अंदर घोषित किया जाता है तो परीक्षार्थी(यों) को हुई किसी भी प्रकार की आर्थिक/अन्य हानि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा।
- **(iv) बोर्ड के कार्यालय में रखे गए 'गजट' में परिणाम परीक्षार्थियों को विरष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा के संबंध में प्राप्त अंकों/श्रेणियों की वास्तविक स्थिति के साथ-साथ उनकी स्थिति अर्थात उत्तीर्ण/अनुतीर्ण/पूरक और माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के संबंध में अर्हक प्रमाण पत्र के लिए पात्र/उच्च कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हता/निष्पादन में सुधार के लिए पात्र संबंधी स्थिति दर्शाई जाएगी।
 - *(v) परिणाम घोषित/सूचित करने में असावधानीवश हुई किसी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नही होगा, और जब कभी भी त्रुटि बोर्ड के संज्ञात में लाई जाती है तो, यह परिणाम को परिशोधित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

60. 'बाद में परिणाम' देने संबंधी मामले

- (i) प्राप्त आंकड़ों की अपर्याप्तता, परीक्षार्थी, विद्यालय, परीक्षा केंद्र आदि से सूचना के अभाव के कारण बोर्ड परीक्षार्थी(यों) के परिणाम 'बाद में परिणाम' के रूप में घोषित कर सकता है।
- (ii) ऐसे परीक्षार्थियों के परिणाम बोर्ड द्वारा परिणामों की घोषणा की तारीख से उचित समय के भीतर बार्ड के पास आंकड़े⁄सूचना उपलब्ध होने पर बोर्ड द्वारा घोषित किया जाएगा। बाद में परिणाम के लिए परीक्षार्थी को हुई किसी हानि∕क्षति के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा।

61. किसी विषय में परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों/ग्रेड का सत्यापन

***(i) ऐसा परीक्षार्थी, जो बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में शामिल हुआ है किसी विशेष विषय में अंकों/ग्रेड के सत्यापान के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को आवेदन कर सकता है। सत्यापन में केवल इस बात की जांच की जाएगी कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है और

^{*}यह नियम परीक्षा सिमित की 25.01.2012 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय की 02.02.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

**यह नियम परीक्षा सिमित की 25.01.2012 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 02.02.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

***यह नियम परीक्षा सिमित की 22.06.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और 29.06.2010 की शासी नियम की बैठक में अनुमोदित किया गया।

यह नियम आगे परीक्षा सिमित की 10.09.2012 की बैठक में संशोधित किया गया व शासी निकाय की 26.09.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

marks/Grades in any particular subject. The verification will be restricted to checking whether all the answer's have been evaluated; there has been no mistake in the totalling of marks for each question in that subject; the marks have been transferred correctly on the title page of the answer book and to the award list; whether the supplementary answer book(s) mentioned by the candidate and attached with the answer book are intact. No revaluation of the answer book or supplementary answer book(s) shall be done.

However, students appearing for School conducted Summative Assessment II at the main Examination or the Improvement of Performance examination may apply for verification of grades in their respective school(s).

- (ii) *(a) For the Senior School Certificate and Secondary School Examinations conducted by the Board such an application must be made by the candidate within 21 days from the date of declaration of result for Main Examination held in March/April and 15 days for Compartment/Improvement of Performance Examination held in July, in the manner as prescribed by the Board from time to time.
 - **(b) For Secondary School Examination conducted by the Schools affiliated to the Board such an application may be made by the candidate to the school within 21 days from the date of the declaration of result for Main Examination held in March and 15 days for Improvement of Performance Examination held by July. The school(s) shall intimate change in marks, if any, to the Board thereafter.
- (iii) All such applications must be accompanied by payment of fee as prescribed by the Board from time to time.
- ***(iv) No candidate shall claim, or be entitled to, revaluation of his/her answer book(s).
 - (v) A candidate shall not be entitled to refund of fee unless as a result of the verification his/her marks are changed.
 - (vi) In no case the verification of marks shall be done in the presence of the candidate or anyone else on his/her behalf, nor will the answer books be shown to him/her or his/her representative.
 - (vii) Verification of marks obtained by a candidate will be done be the officials appointed by or with the approval of the Chairman.
 - (viii) The marks, on verification will be revised upward or downward, as per the actual marks obtained by the candidate in his/her answer book.

^{*}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 22.12.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.12.2010 and further amended in the Examination Committee's meeting held on 26.4.2011 and approved by the Governing Body meeting held on 22.6.2011.

^{**}Rule added in the Examination Committee's meeting held on 26.4.2011 and approved by the Governing Body at its meeting held on 22.6.2011. and further amended in the Examination Committee's meeting held on 10.9.2012 and approved by the Governing Body meeting held on 26.9.2012.

^{***}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 25.1.2012 and approved by the Governing Body at its meeting held on 02.02.2012.

उस विषय में प्रत्येक प्रश्न के अंकों को जोड़ने में कोई चूक नहीं हुई है, और अंकों को उत्तर पुस्तिका के शीर्ष पृष्ठ पर और एवार्ड सूची में सही रूप से अंतरित किया गया है और परीक्षार्थी द्वारा उल्लिखित उत्तरपुस्तिका के साथ संलग्न पूरक उत्तरपुस्तिका(एं) ठीक ढंग से लगी हुई है। उत्तर पुस्तिका और पूरक उत्तर पुस्तिका(ओं) का कोई पुनः मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

तथापि, ऐसे विद्यार्थी जो मुख्य परीक्षा अथवा निष्पादन में सुधार परीक्षा में विद्यालय द्वारा संचालित योगात्मक (समेह्यि) निर्धारण-II में उपस्थित हुए हैं, वे विद्यार्थी (ग्रेडों) के सत्यापन के लिए अपने संबंधित विद्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

- (ii) *(क) बोर्ड द्वारा आयोजित वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र व माध्यमिक विद्यालय परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी बोर्ड की समय-समय पर निर्धारित विधि अनुसार मार्च/अप्रैल में होने वाली मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि के 21 दिन के भीतर और जुलाई में आयोजित पूरक/निष्पादन संबंधित सुधार परीक्षा के परिणाम घोषित होने तिथि के 15 दिनों के भीतर आवेदन प्रस्तुत करेगा जैसा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।
 - **(ख) बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए विद्यार्थी द्वारा मार्च में होनी वाली मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि के 21 दिन के भीतर और जुलाई में होनी वाली निष्पादन में सुधार परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि के 15 दिन के भीतर आवेदन प्रस्तुत किए जाएं। तदुपरांत विद्यालय/विद्यालयों के द्वारा अंकों में परिवर्तन, यदि कोई हो, के बारे में बोर्ड को सूचित किया जाएगा।
 - (iii) ऐसे सभी आवेदनों के साथ समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित शुल्क की अदायगी करनी होगी।
- ***(iv) कोई भी परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका (ओं) के पुनर्मूल्यांकन कराने का दावा नहीं करेगा, अथवा उसके लिए हकदार नहीं होगा।
 - (v) कोई परीक्षार्थी शुल्क की वापसी के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक उसके अंकों के सत्यापन के परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता।
 - (vi) किसी भी हालत में अंकों का सत्यापन परीक्षार्थी अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में नहीं किया जाएगा न ही उसे या उसके प्रतिनिधि को उत्तरपुस्तिकाएं दिखाई जाएंगी।
 - (vii) किसी परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का सत्यापन अध्यक्ष द्वारा नियुक्त अधिकारियों अथवा उसके अनुमोदन से किया जाएगा।
 - (viii) सत्यापन करने पर अंकों का संशोधन उत्तरपुस्तिका में परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त वास्तविक अंकों के अनुरूप बढ़ाकर या घटाकर किया जाएगा।

^{*} यह नियम परीक्षा समिति की 22.12.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.12.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया और परीक्षा समिति की 26.4.2011 की बैठक में पुनः संशोधित किया गया तथा शासी निकाय की 22.06.2011 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{**}यह नियम परीक्षा सिमिति की 26.04.2011 की बैठक में जोड़ा गया तथा शासी निकाय की 22.06.2011 की बैठक में अनुमोदित किया गया और इसे आगे परीक्षा सिमिति की 10.9.2012 की बैठक में संशोधित किया गया व शासी निकाय की 26.9.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{***}यह नियम परीक्षा समिति की 25.01.2012 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 02.02.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

- *(ix) The communication regarding the revision of the marks/change in grade(s) if any, shall be sent to the candidate within a reasonable period of time.
- (x) The Board will not be responsible for any loss or damage or any inconvenience caused to the candidate, consequent on the revision of marks or delay in communications for reasons beyond control.
- **(xi) The Board shall revise the marks statement in respect of Senior School Certificate Examination and Statement of Subject wise Performance/Grade sheet cum Certificate of Performance in respect of Secondary School Examination in respect of such candidates after the previous one is returned by the candidate to the Board.
 - (xii) The decision of the Chairman on the result of the verification of marks shall be final.

***62. Maintenance of Answer Books

The answer books shall be maintained for a period of two months and shall thereafter be disposed of in the manner as decided by the Chairman from time to time.

^{*}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 22.6.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010.

^{**}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 26.4.2011 and approved by the Governing Body at its meeting held on 22.6.2011 and further amended in the Examination Committee's meeting held on 10.9.2012 and approved by the Governing Body at its meeting held on 26.9.2012.

^{***}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 30.11.2009 and approved by the Governing Body at its meeting held on 23.12.2009.

- *(ix) ग्रेडों में परिवर्तन⁄अंकों में संशोधन के संबंध में सूचना यदि कोई हो तो उचित समय के भीतर परीक्षार्थी को भेजी जाएगी।
 - (x) अंकों के संशोधन अथवा नियंत्रण से परे कारणों के लिए पत्र-व्यवहार में हुए विलम्ब के परिणामस्वरूप परीक्षार्थी को हुई हानि अथवा क्षति अथवा असुविधा के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा।
- **(xi) परीक्षार्थी द्वारा पिछले अंकों का विवरण लौटाने के बाद ऐसे परीक्षार्थी के संबंध में बोर्ड विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा से समेकित अंकों के विवरण और माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के संबंध में विषयवार निष्पादन का विवरण ग्रेड शीट सह-निष्पादन प्रमाण पत्र को संशोधित करेगा।
 - (xii) अंकों के सत्यापन के परिणाम पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

***62. उत्तर पुस्तिकाओं का रखरखाव

उत्तर पुस्तिकाओं को दो महीने की अविध के लिए रखा जाएगा और इसके बाद समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा यथा निर्णीत ढंग से निपटान किया जाएगा।

^{*} यह नियम परीक्षा सिमिति की 22.6.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

**यह नियम परीक्षा सिमिति की 26.04.2011 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 22.06.2011 की बैठक में अनुमोदित किया गया, इसे

आगे दिनांक 10.9.2012 की परीक्षा सिमिति की बैठक में संशोधित तथा शासी निकाय की 26.9.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

***यह नियम परीक्षा सिमिति की 30.11.2009 की बैठक में संशोधित तथा शासी निकाय की 23.12.2009 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

9

CERTIFICATION

63. PASSING/QUALIFYING CERTIFICATE, MARKS STATEMENT/STATEMENT OF SUBJECT WISE PERFORMANCE/GRADESHEET CUM CERTIFICATE OF PERFORMANCE

- *(i) (a) A candidate who has appeared in an examination of the Board shall be issued statement of marks for the Senior School Certificate Examination and Statement of Subject wise Performance/Qualifying Certificate/Grade sheet cum Certificate of Performance for the Secondary School Examination.
 - **(b) A candidate who has appeared at the Secondary School Examination under the Continuous and Comprehensive Evaluation Scheme shall be issued Grade sheet cum Certificate of Performance indicating the grades obtained in the subjects under Scholastic Area A, Scholastic Area B and Co-sholastic Areas. Candidates not covered under Continuous and Comprehensive Evaluation Scheme shall be issued Statement of Subject wise Performance/Qualifying certificate by the Board
- **(ii) A candidate who has appeared at the Senior School Certificate Examination of the Board and has passed the examination shall be issued a pass certificate for the examination.
- ***(iii) However, candidate who has appeared for the Improvement of Performance at the Senior School Certificate Examination/Upgrading of Performance at the Secondary School Examination conducted by the Board or for an additional subject in a subsequent Examination shall not be issued a separate Certificate or a combined Marks statement/Statement of Subject wise Performance/Gradesheet cum Certificate of Performance. Such candidates shall be given only a Statement of Marks/Statement of Subject wise Performance in that subject (s).

64. Provisional Certificate

- ***(i) A candidate who has passed the examinations conducted by the Board/School affialiated to the Board may be issued a provisional certificate by the Board on payment of fee prescribed from time to time.
- ***(ii) A candidate who has been placed in compartment / Eligible for Improverment of Performance categories may be issued a provisional certificate indicating the fact as such.

^{*}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 25.01.2012 and approved by the Governing Body meeting held on 02.02.2012.

^{**}Rule added in the Examination Committee's meeting held on 26.06.2010 and approved by the Governing Body meeting held on 29.6.2010 and amended in the Examination Committee's held on 10.9.2012 and approved by the Governing Body held on 26.9.12.

^{***}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 22.12.2010 and approved by the Governing Body meeting held on 29.12.2010 and further amended in the Examination Committee's meeting held on 10.9.2012 and approved by the Governing Body 26.9.2012.

9

प्रमाणीकरण

63. उत्तीर्णता/अर्हक प्रमाणपत्र, अंक विवरण/विषयवार निष्पादन का विवरण/ग्रेड शीट सह निष्पादन का प्रमाण पत्र

- (i) *(क) ऐसा परीक्षार्थी जो बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुआ है को विरष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए अंकों का विवरण और माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए विषयवार निष्पादन विवरण/अर्हक प्रमाण-पत्र ग्रेड/शीट सह निष्पादन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
 - **(ख) ऐसा परीक्षार्थी जो सतत एवं व्यापक मूल्याकन के तहत माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में शामिल हुआ है को ग्रेड शीट सह निष्पादन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत विषयों में प्राप्त ग्रेड और शैक्षिक क्षेत्र 'ख' तथा सह-शैक्षिक क्षेत्रों के तहत विषयों के प्राप्त ग्रेड दर्शाएं जाएंगे। ऐसे परीक्षार्थी जो सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के तहत नहीं आते हैं उन्हें बोर्ड द्वारा विषय वार निष्पादन अर्हक का विवरण अर्हक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- **(ii) ऐसा परीक्षार्थी जो बोर्ड की विरष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में शामिल हुआ है और परीक्षा उत्तीर्ण की हो को परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- ***(iii) तथापि, जो परीक्षार्थी बोर्ड द्वारा संचालित विरष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में निष्पादन में सुधार के लिए/माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में निष्पादन में उच्च ग्रेड के लिए अथवा अनुवर्ती परीक्षा में अतिरिक्त विषय के लिए शामिल हुआ है, को अलग से प्रमाण पत्र अथवा संयुक्त अंक विवरण/विषयवार निष्पादन का विवरण/ग्रेड शीट सह निष्पादन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे परीक्षार्थियों को केवल उस विषय(यों) में विषयवार निष्पादन का विवरण/अंकों का विवरण दिया जाएगा।

64. अनंतिम प्रमाण-पत्र

- ***(i) परीक्षार्थी जिसने बोर्ड/बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाएं उत्तीर्ण की है, उसको समय-समय पर निर्धारित शुल्क अदा करने पर बोर्ड द्वारा एक अनंतिम प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- ***(ii) जिस परीक्षार्थी को पूरक श्रेणी में निष्पादन में सुधार के लिए पात्र रखा गया है को वास्तविक स्थिति बताते हुए एक अनंतिम प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

^{*}यह नियम परीक्षा सिमिति की 25.1.2012 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय द्वारा 02.2.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।
**यह नियम परीक्षा सिमिति की 26.6.2010 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया। इसे आगे
परीक्षा सिमिति की 10.9.2012 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 26.9.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{***}यह नियम परीक्षा समिति की 22.12.2010 की बैठक में संशोधित किया गया तथा शासी निकाय की 29.12.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया और इसे आगे परीक्षा समिति की 10.9.2012 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 26.9.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

65. Date of Birth Certificate

- *(i) The Date of Birth of the Candidate as admitted in the records of the Board/School shall be indicated in the Grade Sheet cum Certificate of Performance/Statement of Subject wise Performance issued to the candidate at Secondary School level only.
- (ii) A candidate can obtain from the Board a Date of Birth Certificate indicating his date of birth as admitted in the records of the Board on payment of the prescribed fee.

66. Migration Certificate

- **(i) A candidate who has appeared in an examination conducted by the Board and has passed the Senior School Certificate Examination/qualified the Secondary School Examination conducted by the Board as per the Scheme of Studies may obtain a Migration Certificate on payment of the prescribed fee.
- **(ii) A candidate placed in Compartment/Improvement of Performance category may also be issued a Migration Certificate indicating his/her status as such.

67. Duplicate Pass Certificate

- ***(i) A Candidate may obtain duplicate/triplicate certificate on payment of the prescribed fee and submission of an application on a prescribed form in the event of loss/theft/mutilation of the original certificate provided that an affidavit is filed to that effect before an official not below the rank of a first class Magistrate or a Member of the Governing Body of the Board. Further the person requesting for duplicate or triplicate certificate would notify the loss/theft/mutilation of the certificate through Press Note/advertisement in some leading Newspaper and shall submit the Press Clipping to the Board along with application and the affidavit.
- ****(ii) Request of the candidate for issuance of Duplicate/Triplicate documents shall not be acceded to in the event of verification of the documents with Board's records found manipulated/forged/tampered with.

68. Provision of Mother's name

- *****a) The candidates will have the option either to mention the mother's name or the father's name or both into the records of the Board (Certificate, Marks Statement etc.)
- ******b) The candidates (who are orphans) will have the option to mention the guardian's name in the records of the Board (Certificate, Marks Statement etc.). In no case will the name of guardian be mentioned if the names of either or both of the parents are known.

^{*}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 22.12.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.12.2010 and further amended in the Examination Committee's meeting held on 10.09.2012 and approved by the Governing Body held on 26.09.2012.

^{**}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 22.06.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.06.2010.

^{***}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 02.09.2005 and approved by the Governing Body at its meeting held on 09.12.2005.

^{****}Rule added in the Examination Committee's meeting held on 03.6.2008 and approved by the Governing Body at its meeting held on 30.6.2008.

^{*****} Rule added by the Governing Body at its meeting held on 18.12.2001.

^{*******}Rule added in the Examination Committee's meeting held on 30.10.2006 and approved by the Governing Body at its meeting held on 22.12.2006.

65. जन्म तिथि का प्रमाणपत्र

- *(i) बोर्ड/विद्यालय के अभिलेख में स्वीकार की गई परीक्षार्थी की जन्म तिथि को केवल माध्यमिक विद्यालय स्तर पर परीक्षार्थी को जारी ग्रेड शीट सह निष्पादन का प्रमाण पत्र/विषयवार निष्पादन का विवरण में निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (ii) परीक्षार्थी निर्धारित शुल्क अदा करने पर बोर्ड से बोर्ड के अभिलेखों में स्वीकार की गई उसकी जन्म तिथि अनुसार जन्म तिथि का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।

66. प्रवास प्रमाणपत्र

- **(i) ऐसा परीक्षार्थी जो बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में बैठा है और अध्ययन की योजना के अनुसार बोर्ड द्वारा संचालित वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है/माध्यिमक विद्यालय परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेता है निर्धारित शुल्क अदा करके प्रवास (माइग्रेशन) प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।
- **(ii) पूरक⁄निष्पादन में सुधार श्रेणी में रखे गए परीक्षार्थी को भी उसकी स्थिति बताते हुए प्रवास प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

67. उत्तीर्णता प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति (अनुलिपि)

- ***(i) परीक्षार्थी के मूल प्रमाण-पत्र खो जाने/चोरी होने/फट जाने (नष्ट होने) पर निर्धारित शुल्क की अदायगी करने पर तथा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करके प्रमाण-पत्र की अनुलिपि/तृतीय प्रति प्राप्त की जा सकती है बशर्ते कि वह संबधं में एड शपथ पत्र प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के स्तर के किसी अधिकारी अथवा बोर्ड के शासी निकाय के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त प्रमाण पत्र की अनुलिपि अथवा तृतीय प्रति के लिए अनुरोध करने वाला व्यक्ति प्रमाण-पत्र खो जाने/चोरी होने/फटजाने की सूचना कुछ प्रसिद्ध समाचार पत्रों में प्रेस नोट विज्ञापन द्वारा देनी होगी और प्रेस कतरन बोर्ड को आवेदन तथा शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
- ****(ii) बोर्ड के अभिलेखों के साथ सत्यापन पर दस्तावेजों में हेर-फेर/जाली/गड़बड़ी पाए जाने की स्थिति में विद्यार्थी के दस्तावेजों की अनुलिपि/तृतीय लिपि जारी करने के निवेदन को नहीं माना जाएगा।

68. माता के नाम का प्रावधान

- *****(क) विद्यार्थियों के पास बोर्ड के अभिलेखों (प्रमाण पत्र, अंक तालिका इत्यादि) में अपनी माता का नाम या पिता का नाम अथवा दोनों के नाम रखने का विकल्प होगा।
- ******(ख) विद्यार्थियों (जो अनाथ हैं) के पास बोर्ड के अभिलेखों (प्रमाण पत्र, अंक तालिका इत्यादि) में अपने अभिभावक का नाम रखने का विकल्प होगा। अभिभावक का नाम किसी भी स्थिति में उद्धृत नहीं किया जाएगा यदि माता-पिता में से किसी एक अथवा दोनों के नामों की जानकारी है।

^{*}यह नियम परीक्षा समिति की 22.12.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय द्वारा 29.12.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया। इसे आगे परीक्षा समिति की 10.9.2012 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 26.9.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{**}यह नियम परीक्षा सिमिति की 22.6.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया।
***यह नियम शासी निकाय की 02.09.2005 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 09.12.2005 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{****}यह नियम परीक्षा समिति की 03.6.2008 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय की 30.6.2008 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{*****}यह नियम शासी निकाय की 18.12.2001 की बैठक में जोड़ा गया।

^{*****} यह नियम परीक्षा सिमति की 30.10.2006 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय की 22.12.2006 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

69. Changes in Board's Certificate

69.1 Changes and Corrections in Name

- *i) Change in name of candidate/Father/Mother/Guardian once entered in the Board's record at any stage while studying in Class IX, X, XI, XII or thereafter, within a period of ten years from the date of issue of first such document shall be considered on written request of the Candidate(not minor)/father/mother/guardian duly forwarded by the Head of the Institution supported by the following documents:
 - a) Original copy of two newspapers (daily English/Hindi newspaper at National level & daily newspaper in a vernacular language circulated in the locality), in which the desired change has been published.
 - b) Original Affidavit duly sworn before the Judicial Magistrate, First Class / Metropolitan Magistrate/ Executive Magistrate/ Sub Divisional Magistrate.
 - c) Original copy of Publication in Government Gazette.
 - d) Payment of prescribed fee.
 - e) True Copy of admission form filled in by the parents duly updated as per Gazette Notification of desired change and duly attested by the Head of the concerned institution.
 - f) True Copy of School Leaving Certificate of the previous school submitted by the parent/candidate at the time of admission and updated as per Gazette Notification of desired change, duly attested by the Head of the concerned institution.
 - g) True Copy of the page of admission and withdrawal register of the school where the entry has been made in respect of candidate showing updation as per Gazette Notification of desired change, duly attested by the Head of the concerned institution
- **ii) Correction in name to the extent of correction in spelling errors, factual typographical errors in the Candidate's name / Surname, Father's name / Mother's name or Guardian's name to make it consistent with what is given in the school record or list of candidates (LOC) submitted by the school may be made.

Application for correction in name of Candidate/Father's/Mother's/ Guardian's name will be considered only within ten years of the date of declaration of result provided the application of the candidate is forwarded by the Head of Institution with the following attested documents:

- a) True Copy of Admission form(s) filled in by the parents at the time of admission duly attested by the Head of the concerned institution
- b) True Copy of the School Leaving Certificate of the previous school submitted by the parents of the candidate at the time of admission duly attested by the Head of the concerned institution.

^{*}Rule added in the Examination Committee's meeting held on 21.6.2011 and approved by the Governing Body at its meeting held on 22.6.2011.

^{**}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 18.6.2007 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2007. Rule further amended in the Examination Committee's meeting held on 21.06.2011 and approved by the Governing Body at its meeting held on 22.06.2011.

69. बोर्ड के प्रमाणपत्र में परिवर्तन

69.1 परिवर्तन और नाम में दोष सुधार

- *(i) बोर्ड के अभिलेख में विद्यार्थी/पिता/माता/अभिभावक के नाम के कक्षा IX, X, XI, XII या इसके पश्चात अध्ययन के दौरान किसी भी स्तर पर एक बार प्रविष्ट होने पर परिवर्तन के लिए विचार विद्यार्थी (जो नाबालिंग न हो)/ पिता/माता/अभिभावक द्वारा निम्निलेखित दस्तावेजों के साथ लिखित निवेदन इस प्रकार के दस्तावेज के जारी होने की तिथि के 10 वर्ष के भीतर संस्थान के प्रमुख द्वारा अग्रेषित करने पर किया जाएगाः
 - (क) दो समाचार पत्रों (राष्ट्रीय स्तर का दैनिक अंग्रेजी/हिंदी समाचार पत्र व स्थानीय स्तर पर परिचालित होने वाला एक स्थानिक भाषा का समाचार पत्र) की मूल प्रति जिसमें वांछित परिवर्तन प्रकाशित हुआ है।
 - (ख) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी/महानगरीय मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट के समक्ष यथाविधि ग्रहण किया गया मूल शपथ पत्र।
 - (ग) सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की मूल प्रति।
 - (घ) निर्धारित शुल्क का भुगतान।
 - (ड.) माता-पिता द्वारा भरा हुआ वांछित परिवर्तन की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार यथाविधि अद्यतन किया हुआ और संबंधित विद्यालय के प्रमुख से यथाविधि साक्ष्यांकित प्रवेश पत्र की सही प्रति।
 - (च) प्रवेश के समय माता-पिता/अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र जो वांछित परिवर्तन की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार अद्यतन हो संबंधित विद्यालय के प्रमुख द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित किया हुआ हो।
 - (छ) विद्यालय के प्रवेश व निकासी रिजस्टर के संबंधित पृष्ठ की वह सही प्रति जिसमें अभ्यर्थी के संबंध में प्रविष्टि की गई हो और वांछित परिवर्तन की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार अद्यतन विवरण दर्शाया गया हो, संबंधित विद्यालय के प्रमुख द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित किया हुआ हो।
- **(ii) नाम में दोष सुधार वर्तनी त्रुटियों, अभ्यर्थी के नाम/उपनाम, पिता के नाम/ माता के नाम या अभिभावक के नाम से तथ्यपरक मुद्रण त्रुटियों के सुधार की सीमा तक किया जाएगा जिससे इसे विद्यालय रिकार्ड अथवा विद्यालय द्वारा प्रस्तुत परीक्षार्थी सूची (एल.ओ.सी.) में उल्लिखित विवरण के अनुकूल किया जा सके। विद्यार्थी के नाम/पिता के नाम/माता के नाम/अविभावक के नाम में दोष सुधार के निवेदन पर परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि के मात्र 10 वर्ष के भीतर विचार किया जाएगा बशर्तें विद्यार्थी का निवेदन निम्नलिखित साक्ष्यांकित दस्तावेजों के साथ विद्यालय के प्रमुख द्वारा अग्रेषित किया गया हो:
 - (क) विद्यालय में विद्यार्थी के प्रवेश के समय माता-पिता द्वारा भरे गए प्रवेश पत्र⁄पत्रों की सही प्रति जो संबंधित विद्यालय के प्रधान द्वारा यथाविधि साक्ष्यांकित की गई हो।
 - (ख) दाखिले के समय विद्यार्थी के माता-पिता द्वारा प्रस्तुत पिछले विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र की सही प्रति जो संबंधित विद्यालय के प्रधान द्वारा यथाविधि साक्ष्यांकित की गई हो।

^{*}यह नियम परीक्षा सिमित की 21.6.2011 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय द्वारा 22.6.2011 की बैठक में अनुमोदित किया गया।
**यह नियम परीक्षा सिमित की 18.6.2007 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.6.2007 की बैठक में अनुमोदित किया गया।
इसे आगे परीक्षा सिमित की 21.6.2011 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 22.6.2011 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

- c) True copy of the portion of the page of admission and withdrawal register of the school where the entry has been made in respect of the candidate, duly attested by the Head of the concerned institution
- iii. The Board may effect necessary corrections after verification of the original records of the school and on payment of the prescribed fee.

*iv.	in case of chang	e the document(s) will h	ave a caption that ma	ay be read as	"CHANGE
	ALLOWED IN NA	AME/FATHER'S NAME/N	MOTHER'S NAME/GU	ARDIAN'S N	AME FROM
	TO	ON(DATED) AS PER REQUE	EST OF THE C	ANDIDATE
	AND GAZETTE	NOTIFICATION NO	DATED	·"	

69.2 Change/Correction in Date of Birth

- (i) No change in the date of birth once recorded in the Board's records shall be made. However, corrections to correct typographical and other errors to make the certificate consistent with the school records can be made provided that corrections in the school records should not have been made after the submission of application form for admission to Examination to the Board.
- (ii) Such correction in Date of Birth of a candidate in case of genuine clerical errors will be made under orders of the Chairman where it is established to the satisfaction of the Chairman that the wrong entry was made erroneously in the list of candidates/application form of the candidate for the examination.
- **(iii) Request for correction in Date of Birth shall be forwarded by the Head of the School alongwith attested Photostat copies of :
 - (a) application for admission of the candidate to the School;
 - (b) Portion of the page of admission and withdrawal register where entry in date of birth has been made alongwith attested copy of the Certificate issued by the Municipal Authority, if available, as proof of Date of Birth submitted at the time of seeking admission; and
 - (c) the School Leaving Certificate of the previous school submitted at the time of admission.
- ***(iv) The application for correction in date of birth duly forwarded by the Head of school alongwith documents mentioned in byelaws 69.2(iii) shall be entertained by the Board only within five years of the date of declaration of result. No correction whatsoever, shall be made on application submitted after the said period of five years.

^{*}Rule added in the Examination Committee's meeting held on 21.6.2011 and approved by the Governing Body at its meeting held on 22.6.2011.

^{**}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 16.02.2009 and approved by the Governing Body at its meeting held on 28.05.2009.

^{***}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 02.09.2005 and approved by the Governing Body at its meeting held on 09.12.2005. Rule further amended in the Examination Committee's meeting held on 22.12.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.12.2010.

- (ग) विद्यालय के प्रवेश व निकासी रिजस्टर के संबंधित पृष्ठ के उस भाग की सही प्रति जिसमें विद्यार्थी के संबंध में प्रविष्टि की गई हो, संबंधित विद्यालय के प्रधान द्वारा यथाविधि साक्ष्यांकित हो।
- (iii) विद्यालय के मूल अभिलेखों के सत्यापन और निर्धारित शुल्क का भुगतान होने के उपरांत बोर्ड द्वारा आवश्यक दोष सुधार किया जाएगा।

69.2 जन्म की तारीख में परिवर्तन/दोष सुधार

- (i) बोर्ड के अभिलेख में एक बार दर्ज जन्म की तारीख में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। फिर भी, प्रमाणपत्र को विद्यालय अभिलेख के अनुकूल बनाने के लिए मुद्रण और अन्य त्रुटियों को ठीक करने के दोष सुधार किए जा सकते हैं बशर्तें कि परीक्षा में प्रवेश संबंधी आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के बाद विद्यालय अभिलेख में दोष सुधार नहीं किया गया हो।
- (ii) वास्तव में लिपिकीय त्रुटियों के मामले में, किसी विद्यार्थी की जन्मतिथि में दोष सुधार अध्यक्ष के आदेश से किया जाएगा, जहां अध्यक्ष के संतुष्ट हो जाने पर यह मान लिया गया हो कि परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों की सूची/उसके आवेदनपत्र में गलत प्रविष्टि हो गई थी।
- **(iii) जन्म तिथि में दोष सुधार संबंधी अनुरोध को निम्नलिखित की साक्ष्यांकित फोटोस्टेट प्रतियों सहित विद्यालय के प्रमुख द्वारा अग्रेषित किया जाएगाः
 - (क) विद्यालय में विद्यार्थी के दाखिले संबंधी आवेदनपत्र;
 - (ख) दाखिला एवं निकासी रजिस्टर के पृष्ठ का भाग जहां जन्म की तारीख की प्रविष्टि की गई है के साथ दाखिले के समय जन्मतिथि प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नगर प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र की साक्ष्यांकित प्रति यदि उपलब्ध हो जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में प्रवेश लेते समय प्रस्तुत की जाए और
 - (ग) दाखिले के समय प्रस्तुत किए गए पिछले विद्यालय का विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र।
- ***(iv) उप-विधि 69.2 (iii) में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ विद्यालय के प्रमुख द्वारा विधिवत् अग्रेषित जन्म की तारीख में दोष सुधार संबंधी आवेदनपत्र पर परिणाम घोषित होने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर ही बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा। पांच वर्ष की उक्त अविध के बाद आवेदनपत्र प्रस्तुत किए जाने पर कोई दोष सुधार नहीं किया जाएगा।

^{*} यह नियम परीक्षा सिमिति की दिनांक 21.6.2011 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय की 22.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{**}यह नियम परीक्षा समिति की दिनांक 16.02.2009 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 28.05.2009 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

^{***}यह नियम परीक्षा सिमिति की 02.09.2005 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 09.12.2005 की बैठक में अनुमोदित किया गया। इसे आगे परीक्षा सिमिति की 22.12.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.12.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

10

MERIT SCHOLARSHIP FOR SINGLE GIRL CHILD

*70. General Conditions

- (i) Subject to the provision of these byelaws, the Board shall award from time to time scholarships, on the basis of the results of the Secondary Examination conducted by it.
- (ii) The award of Merit Scholarship for Single Girl Child commenced from 2006 examination and shall be awarded to Indian Nationals only.
- (iii) The number of scholarships shall be variable and shall be awarded to all such Single Girl students who have secured minimum Grade Point 7 in all the five subjects (excluding the 6th additional subject) at the Secondary School Examination.
- (iv) Value of each scholarship shall be as decided by the Board from time to time tenable for twenty four months.
- (v) The scholarship shall be renewable on year to year basis and shall depend on promotion of the student to the next higher class with 50% or more marks in aggregate.
- (vi) The decision of the Chairman shall be final in all matters pertaining to the award of scholarship.

*70.1 Eligibility

An awardee shall be eligible for the scholarship on his:

- joining a recognised school, college or other teaching institution in India for prosecuting higher studies;
- (b) maintaining good conduct and satisfactory progress in studies certified by the Head of Institution;
- (c) continuing to be on the rolls of the institution.

*70.2 Mode of Payment

The payment of scholarship shall be made through transfer to the account of the candidate in any nationalized bank.

**70.3 Tenure

The Scholarship will be tenable for a period not exceeding two years after the Secondary School Examination conducted by the Board/School affiliated to the Board which was the basis for award of scholarship to the awardee.

^{*}Rules/Heading amended in the Examination Committee's meeting held on 22.06.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010.

^{**}Rule amended in the Examination Committee's meeting held on 22.06.2010 and approved by the Governing Body at its meeting held on 29.6.2010 and further amended in the Examination Committee's meeting held on 10.09.2012 and approved by the Governing Body meeting held on 26.9.2012.

10

एकल बालिका संतान के लिए मेरिट छात्रवृत्ति

*70. सामान्य शर्ते

- (i) इन उपविधियों के प्रावधान के अधीन, बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर बोर्ड समय-समय पर छात्रवृत्तियां प्रदान करेगा।
- (ii) एकल बालिका संतान के लिए मैरिट छात्रवृत्ति 2006 से प्रदान की जा रही है और केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान की जाएगी।
- (iii) छात्रवृत्तियों की संख्या परिवर्तनीय है और माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के सभी पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम ग्रेड पाइंट 7 प्राप्त करने वाली ऐसी सभी एकल बालिका छात्राओं को प्रदान की जाएगी।
- (iv) प्रत्येक छात्रवृति का मूल्य समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा जो 24 माह के लिए समर्थनीय होगी
- (v) छात्रवृति वर्षानुवर्ष आधार पर नवीकरणीय होगी और विद्यार्थी के अगली उच्च कक्षा में कुल 50 प्रतिशत अथवा अधिक अंकों के साथ प्रोन्नत होने पर निर्भर करेगी।
- (vi) छात्रवृत्ति के अवार्ड संबंधी सभी मामलों में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

*70.1 पात्रता

छात्रवृत्ति प्राप्त कर्ता अपनी छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगाः

- (क) उच्च अध्ययन करने के लिए भारत में किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय, कॉलेज अथवा अन्य शैक्षिक संस्था में दाखिला लेने पर:
- (ख) उष्क्रष्ट आचरण और अध्ययन में संतोषजनक प्रगति होने पर जो संस्था के प्रमुख द्वारा प्रमाणित हो।
- (ग) संस्था के उपस्थिति रजिस्टर में बने रहने पर।

*70.2 भुगतान की विधि

छात्रवृत्ति का भुगतान किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में विद्यार्थी के खाते में हस्तान्तरण द्वारा किया जाएगा।

**70.3 अवधि

छात्रवृत्ति बोर्ड से संबद्ध विद्यालय⁄बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद दो वर्षों की अविध के लिए समर्थनीय होगी, जो प्राप्तकर्ता को छात्रवृत्ति प्रदान करने का आधार था।

^{*} यह नियम शीर्षक परीक्षा समिति की 22.6.2010 की बैठक में संशोधित किये गये और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किये गये।

^{**}यह नियम परीक्षा समिति की 22.6.2010 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 29.6.2010 की बैठक में अनुमोदित किया गया। इसे आगे परीक्षा समिति की 10.9.2012 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 26.9.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

CHAPTER 11

EQUIVALENCES

71. The various Boards have given equivalences to each others' examinations and consequently the transfer from one Board to another is possible on a point to point equivalence basis. However, each Board/University is at liberty to put eligibility conditions for the next stage e.g. Class XI or the 1st year of college or a professional course. In other words equivalence is only equating two examinations and Eligibility may have additional conditions prescribed by the Board/University.

As regards the foreign qualifications, this Board accepts the recognition/equivalence determined by Association of Indian Universities, AIU House, 16, Comrade Indrajeet Gupta Marg, New Delhi. AIU have recognized for purpose of admission to higher studies in India the qualifications of about 85 countries all of which are listed country wise in the AIU publication 'Equivalence of Foreign Degrees'. Once the terminal exams stand recognized, the lower qualifications are automatically acceptable after verification of the original authenticated certificates/documents.

	Examination conducted by	Equivalent to as per Association of Indian Universities handbook EQUIV ALENCE OF FOREIGN DEGREES - 2006
AFGHANISTAN		
Military High School Exam(12 year course)	Military of National Defence, Directorate of Training, Kabul	+2 Stage of 10 + 2 pattern
12 year Baccalaureate Certificate	Ministry of Education	+2 Stage Examination
ALBANIA		
12 years General Secondary Education "Certificate of Maturity" DEFTESE P JUKURIE	Ministry of Education	+2 Stage Examination
ALGERIA		
High School Graduation Diploma	International School, Bethioua,	+2 Stage Examination
ARGENTINA		
12 years High School Diploma	American Community School, Buenos Aires	+2 Stage Examination
AUSTRALIA		
School Leaving Certificate Exam (11 year course)	Victorian Universities and Schools Exams. Board	Matriculation/10th Class Exam

^{*}Updated qualifications approved by the Examination Committee in its meeting held on 22.12.2010 and Governing Body at its meeting held on 29.12.2010.

अध्याय - 11

समकक्षता

71 विभिन्न बोर्डों ने एक-दूसरे के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं को समकक्षता प्रदान की है और इसके परिणामस्वरूप एक बोर्ड से अन्य बोर्ड में स्थानान्तरण बिंदुवार समकक्षता के आधार पर संभव है। फिर भी प्रत्येक बोर्ड/विश्वविद्यालय अगली कक्षा अर्थात् कक्षा XI अथवा कालेज का प्रथम वर्ष अथवा किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए पात्रता शर्ते निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। अन्य शब्दों में, समकक्ष का अर्थ दो परीक्षाओं को बराबर करना मात्र है और पात्रता में बोर्ड/ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शर्तें हो सकती है।

विदेशों से प्राप्त योग्यताओं के संबंध में यह बोर्ड भारतीय विश्वविद्यालय संघ, भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) हाऊस, 16 कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मान्यता/समकक्षता स्वीकार करता है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने भारत में उच्च अध्ययन में प्रवेश के प्रयोजन के लिए ऐसे लगभग 85 देशों, जिन्हें भारतीय विश्वविद्यालय संघ के प्रकाशन ''इक्वीवेलेंस ऑफ फॉरेन डिग्रीज'' में देशवार सूचीबद्ध किया गया है, की योग्यता को मान्यता दी हैं। आवधिक परीक्षाओं को मान्यता मिल जाने पर मूल प्रमाणित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों के सत्यापन के बाद न्यूनतम योग्यता स्वतः ही स्वीकार हो सकती है।

	द्वारा आयोजित परीक्षा	एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की पुस्तिका इक्विलेन्स ऑफ फॉरेन डिग्री-2006 के अनुसार समकक्ष
अफगानिस्तान		
मिलिट्री हाई स्कूल परीक्षा (12 वर्षीय पाठ्यक्रम)	मिलिट्री ऑफ नेशनल डिफेन्स डॉयरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग, काबुल	10 + 2 पैटर्न का + 2 स्तर
12 वर्षीय बेकालॉरिएट सर्टिफिकेट	शिक्षा मंत्रालय	+ 2 स्तर की परीक्षा
एल्बेनिया		
12 वर्षीय जनरल सैकेण्डरी ऐज्यूकेशन "सर्टि- फिकेट ऑफ मेच्योरिटी" डेफटेस पी ज्यूक्यूरी	शिक्षा मंत्रालय	+ 2 स्तर की परीक्षा
अल्जीरीया		
हाई स्कूल ग्रेजुएशन डिप्लोमा	इन्टरनेशनल स्कूल बेथीयोआ	+ २ स्तर की परीक्षा
अर्जेन्टीना		
12 वर्षीय हाई स्कूल डिप्लोमा	अमेरिकन कम्यूनिटी स्कूल,	+ 2 स्तर की परीक्षा
	ब्यूनस आयरस	
आस्ट्रेलिया		
स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा	विक्टोरियन यूनिवर्सिटी और	मैट्रीकुलेशन/10वीं कक्षा परीक्षा
(11 वर्षीय कोर्स)	स्कूल परीक्षा बोर्ड	

^{*} अद्यतन अर्हताएं परीक्षा समिति की 22.12.2010 को हुई बैठक तथा शासी निकाय की 29.12.2010 को हुई बैठक में अनुमोदित की गई।

12 year High School Certificate	Victorian Instt. Of Secondary Education, Melbourne, Australia	+2 Stage/Intermediate Examination
South Australian Matriculation Examination	Public Examinations Board of South Australia, Adelaide	+2 Stage/Intermediate Examination
Australian Capital Territory Year 12 Certificate	A.C.T. School Authority, Canberra, Australia	+2 Stage/Intermediate Examination
Higher School Certificate Examination	Board of Senior School Studies, New South Wales, Sydney	Intermediate Exam
Senior Certificate	Board of Secondary School Studies, Queensland	+2 Stage Examination of 10 + 2 Pattern

BAHRAIN

Secondary School General	Ministry of Education	+2 Stage Examination
Certificate		

BANGLADESH

12 years High School Graduation	American International School,	+2 Stage Examination
Diploma	Dhaka	
Higher Secondary Certificate Exam.	Board of Intermediate & Secondary Education	+2 Stage Examindtion

BARBADOS

C X C Certificate (General	Caribbean Examination	Students presenting the
Proficiency Grade I or II)	Council and British Examining	Caribbean Examination
And	Bodies	Council (C X C) Certificate
General Certificate of		in General proficiency
Education(Advanced Level)		Grade I or II in five subjects
Eddodion(Navanoca Ecver)		including English and 2 GCE
		'A' level passes from the
		recognized British Exa-
		mining Bodies may be
		accepted as having com-
		pleted +2 stage qualifica-
		tions
	T. Control of the Con	

BELGIUM

12 Year High School(Academic)	International School of	+2 Stage Examination
Graduate Diploma	Brussels	

12 वर्षीय हाई स्कूल प्रमाण-पत्र	विक्टोरियन इन्स्टीट्यूट ऑफ सैकेण्डरी एजूकेशन, मैलबोर्न, आस्ट्रेलिया	+ 2 स्तर⁄इंटरमीडिएट परीक्षा
साउथ आस्ट्रेलियन मैट्रिकुलेशन परीक्षा	पब्लिक एग्जामिनेशन्स बोर्ड ऑफ साउथ आस्ट्रेलिया, एडिलेड	+ 2 स्तर⁄इंटरमीडिएट परीक्षा
आस्ट्रेलिया कैपिटल टेरिटरी वर्ष 12 प्रमाण-पत्र	ए.सी.टी. स्कूल अर्थोरिटी, कैनबरा, आस्ट्रेलिया	+ 2 स्तर⁄इंटरमीडिएट परीक्षा
हायर स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा	बोर्ड ऑफ सीनियर स्कूल स्टडीज, न्यू साउथ वैल्स, सिडनी	इंटरमीडिएट परीक्षा
वरिष्ठ प्रमाण-पत्र	बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी स्कूल स्टडीज, क्वीन्सलैण्ड	+ 2 स्तर परीक्षा का 10वीं + 2 पैटर्न

बहरीन

सैकेण्डरी स्कूल जनरल सर्टिफिकेट शिक्षा मंत्रालय + 2 स्तर परीक्षा	सैकेण्डरी स्कूल जनरल सर्टिफिकेट	शिक्षा मंत्रालय	+ 2 स्तर परीक्षा
--	---------------------------------	-----------------	------------------

बांगलादेश

12 वर्षीय हाई स्कूल ग्रेजुएशन डिप्लोमा	अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल, ढाका	+ 2 स्तर परीक्षा
हायर सैकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा	बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एण्ड	+ 2 स्तर परीक्षा
	सैकेण्डरी एड्यूकेशन	

बारबडोस

सी X सी सर्टिफिकेट (सामान्य	कैरीबीयन इग्जामिनेशन काउंसिल	मान्यता प्राप्त ब्रिटिश इग्जामिनिंगबाडीज़
निपुणता ग्रेड । या ॥) और शिक्षा	एंड ब्रिटिश इग्जामिनिंग बोडीज	से उत्तीर्ण 2 जीसीई 'ए' स्तर
का सामान्य प्रमाण-पत्र (एडवांस		एवं अंग्रेजी सहित पांच विषयों में
लेवल)		सामान्य प्रवीणता ग्रेड । या ॥ में
		कैरीबियन इग्जामिनेशन कांउसिल
		(सी X सी) प्रमाण-पत्र देने वाले
		छात्रों को +2 स्तर की योग्यता पूर्ण
		करने वाले माने जाएगें।

बेल्जियम

12 वर्षीय हाई स्कूल (अकादिमक)	इंटरनेशनल स्कल ऑफ ब्रूसेल्स	+ 2 स्तर की परीक्षा
ग्रेजुएट डिप्लोमा		

12 year High School Diploma St. John's International School, Waterloo	+2 Stage Examination
---	----------------------

BHUTAN

Matriculation		Matriculation
Bhutanese Certificate of Education	National Board of Secondary Education of Royal Govt. of Bhutan	Matriculation/10th Class under 10 + 2 pattern
Bhutanese School Certificate Examination	National Board of Secondary Education of Royal Govt. of Bhutan	12th Class under 10 + 2 pattern
Bhutan Certificate of Secondary Education (BCSE) and Bhutan Higher Secondary Education/School Certificate Examination) (BHSEC/BHSSC)	Bhutan Board of Examination, Ministry of Education, Royal Govt. of Bhutan	10 year Secondary School Certificate and 12 year Senior Secondary/Interme- diate/Higher Secondary/ Pre-University of an Indian Board

BRAZIL

High School Diploma	American School of Brasilia	+2 Stage Examination
	(Brazil) (Escola Americana	
	de Brasilia)	

CANADA

CANADA		
Senior High School College Preparatory programme	Deptt. of Education, Province of New Brunswick	+2 Stage Examination
Grade 12 Graduation Diploma Saskatchewan School Programme	Saskatchewan Deptt. of Education	+2 Stage Examination
Secondary School Hons. Graduation Diploma Exam.	Province of Ontario	+2 Stage Examination
General Education Programme of Diploma of Collegial Studies (Diploma D' Etudes Collegial - D.E.C.) of General Colleges (C.E.G.E.P)	Deptt. of Education, Province of Quebec	+2 Stage Examination of 10 + 2 pattern
Senior Secondary School Graduation Certificate	Province of British Columbia	+2 Stage Examination

12 वर्षीय हाई स्कूल डिप्लोमा	सेन्ट जॉन्स इंटरनेशनल स्कूल, वाटरलू	+ 2 स्तर की परीक्षा
भूटान		
मैद्रिकुलेशन		मैद्रिकुलेशन
भटानीज सर्टिफिकेट ऑफ एडयकेशन	नेशनल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी	मैद्रिकलेशन/10वीं कक्षा 10 + 2

मैट्रिकुलेशन		मैद्रिकुलेशन
भूटानीज सर्टिफिकेट ऑफ एड्यूकेशन	नेशनल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी	मैद्रिकुलेशन/10वीं कक्षा 10 + 2
	एड्यूकेशन ऑफ रॉयल	पैटर्न के अंतर्गत
	गवरनमेंट ऑफ भूटान	
भूटानीज स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा	नेशनल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी	12वीं कक्षा 10 + 2 पैटर्न के
	एड्यूकेशन ऑफ रॉयल	अंतर्गत
	गवरनमेंट ऑफ भूटान	
भूटान सर्टिफिकेट ऑफ सैकेण्डरी	भूटान बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन,	10 वर्षीय सैकेण्डरी स्कूल
एड्यूकेशन (बीसीएसई) एण्ड भूटान	शिक्षा मंत्रालय, रॉयल गवरनमेंट	सर्टिफिकेट एण्ड 12 वर्षीय सिनियर
हायर सैकेण्डरी एड्यूकेशन/स्कूल	ऑफ भूटान	सैकेण्डरी / इंटरमीडिएट / हायर
सर्टिफिकेट परीक्षा (बीएचएसईसी-		सैकेण्डरी / प्री यूनिवर्सिटी ऑफ
बीएचएसएससी)		ऐन इंडियन बोर्ड

ब्राज़ील

हाई स्कूल डिप्लोमा	अमेरिकन स्कूल ऑफ ब्रासीलिया (ब्राजील) (एस्कोला अमेरिकन दी	+ 2 स्तर की परीक्षा
	ब्रासीलिया)	

कनाडा

सीनियर हाई स्कूल कॉलेज प्रीपेरेट्री	डिपार्टमेंट ऑफ एड्यूकेशन,	+ 2 स्तर की परीक्षा
3,	- / 6/	+ 2 स्तर का पराना
प्रोग्राम	प्रोविन्स ऑफ न्यू ब्रून्सविक	
ग्रेड 12 ग्रेजुएशन डिप्लोमा, सस्कैत्विन	सस्कैत्विन डिपार्टमेन्ट ऑफ	+ 2 स्तर की परीक्षा
स्कूल प्रोग्राम	एड्यूकेशन	
सैकेण्डरी स्कूल आनर्स ग्रेजुएशनडिप्लोमा	प्रोवीन्स ऑफ ऑनटैरियों	+ 2 स्तर की परीक्षा
परीक्षा		
जनरल एड्यूकेशन प्रोग्राम ऑफ	डिपार्टमेन्ट ऑफ एड्यूकेशन	+ 2 स्तर की परीक्षा का 10 + 2 पैटर्न
डिप्लामा ऑफ कॉलेजियल स्ट्डीज	प्रोविन्स ऑफ क्यूबेक	
(डिप्लोमा डी' इटयूड्स कॉलेजियल -		
डी.ई.सी.) ऑफ जनरल कॉलेजिज़		
(सी.ई.जी.ई.पी.)		
सीनियर सैकेण्डरी स्कूल ग्रेजुएशन	प्रोविन्स ऑफ ब्रिटिश कोलम्बिया	+ 2 स्तर की परीक्षा
सर्टिफिकेट		

High School Completion Certificate	Department of Education, Nova Scotia	+2 Stage Examination of 10 + 2 pattern
12 year General High School/ Advanced High School Diploma	Department of Education, Province of Alberta	+2 stage Examination
12 year Ontario Secondary School Diploma including 6 OACs	Ministry of Education, Province of Ontario	+ 2 Stage Examination
Senior High School Graduation Diploma (Academic Stream)	Department of Education, Province of Manitoba	+ 2 Stage Examination

CARIBBEAN COMMONWEALTH TERRITORIES

C X C Certificate (General	Caribbean Examination	Students presenting the
Proficiency Grade I or II)	Council and British	Caribbean Examination
	Examining Bodies	Council (C X C) Certificate in
And		General proficiency Grade I
		or II in five subjects including
G C E 'A' Level		English and 2 GCE 'A' level
		passes from the recognized
		British Examining Bodies
		may be accepted as having
		completed +2 stage
		qualifications

CHILE

12 years High School Diploma	Nido D Anguilas International	+ 2 Stage Examination
	School. Santiago	

CHINA

12 years High School Diploma	Shanghai American School,	+ 2 Stage Examination
	Shanghai	

CYPRUS

12 years High School College	ISS International School	+ 2 Stage Examination
Preparatory Diploma		

DENMARK

12 years High School Diploma	Copenhagen International	+ 2 Stage Examination
	School	

हाई स्कूल कम्पलीशन सर्टिफिकेट	डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, नोवा स्कोटिया	+ 2 स्तर की परीक्षा का 10 + 2 पैटर्न
12 वर्षीय जनरल हाई स्कूल/एडवान्स हाई स्कूल डिप्लोमा	शिक्षा विभाग, प्रोविन्स ऑफ अल्बर्टा	+ 2 स्तर की परीक्षा
12 वर्षीय ऑनटेरियो सैकेण्डरी स्कूल डिप्लोमा 6 ओएसीएस सहित	शिक्षा मंत्रालय, प्रोविन्स ऑफ ऑनटेरियो	+ 2 स्तर की परीक्षा
सीनियर हाई स्कूल ग्रेजुएशन डिप्लोमा (अकेडमी स्ट्रीम)	शिक्षा विभाग, प्रोविन्स ऑफ मेनीटोबा	+ 2 स्तर की परीक्षा

कैरीबियन कामनवेल्थ टेरीटेरीज़

कैरीबियन इग्जामिनेशन काउंसिल	मान्यता प्राप्त ब्रिटिश इग्जामिनिंगबाडीज़
एंड ब्रिटिश एग्जामिनिंग बोडीज	से उत्तीर्ण 2 जीसीई 'ए' स्तर एवं अंग्रेजी
	सहित पांच विषयों में सामान्य
	प्रवीणता ग्रेड I या II में कैरीबियन
	इग्जामिनेशन काउंसिल (सी X सी)
	प्रमाण-पत्र देने वाले छात्र + 2
	स्तर की योग्यता पूर्ण करने वाले
	माने जाएगें।
	•

चिली

12 वर्षीय हाई स्कूल डिप्लोमा	निडो डी एन्गुलेस इंटरनेशनल	+ 2 स्तर की परीक्षा
	स्कूल, सेन्टीयागा	

चीन

12 वर्षीय हाई स्कूल डिप्लोमा शंघाई अमेरिकन स्कूल, शंघाई + 2 स्तर की परीक्षा

साईप्रस

12 वर्षीय हाई स्कूल कॉलेज	आईएसएस इंटरनेशनल स्कूल	+ 2 स्तर की परीक्षा
प्रीपेरेट्री डिप्लोमा		

डेनमार्क

12 वर्षीय हाई स्कूल डिप्लोमा	कोपेनहेगन इंटरनेशनल स्कूल	+ 2 स्तर की परीक्षा
------------------------------	---------------------------	---------------------

EAST AFRICA

East African Cert. of Education	East African Exams Council and Univ. of Cambridge Local Exams. Syndicate	Matriculation/10th Class Exam.
East African Advanced Cert. of Education Exam.	University of Cambridge Local Exams. Syndicate in collaboration with the East African Exams. Council	Students who have the East African Advanced Cert. of Education with any of the following combinations be treated as equivalent to the successful completion of 12 year school education course in India i) Four principal subjects ii) Three principal subjects and one subsidiary subject iii) Three principal subjects and two subsidiary subjects and two subsidiary subjects

ARAB REPUBLIC OF EGYPT

Secondary General Education Certificate (12 year course)	Ministry of Education, Cairo American College, Cairo	+ 2 Stage Examination
High School Graduation Diploma		

ETHIOPIA

Ethiopian School Leaving Cert	Ministry of Education &	+ 2 Stage Examination
(12 year course)	Fine Arts	

FIJI

Fiji Junior Certificate Examination	Department of Education	Matriculation Examination/ 10th Class
New Zealand School Certificate and New Zealand Certificate of Attainment (11 year courses) Examination conducted in Fiji	New Zealand Deptt. of Education	Matriculation Examination/10th Class .
Fiji Seventh Form Certificate	Ministry of Education, Suva	+ 2 Stage Examination
Foundation Programme	University of South Pacific	+ 2 Stage Examination
12 year Certificate of Attainment/Fiji School Leaving Certificate	Ministry of Education, Suva	+ 2 Stage Examination

ईस्ट अफ्रीका

ईस्ट अफ्रीकन शिक्षा प्रमाणपत्र	ईस्ट अफ्रीकन इग्जाम्स काउंसिल एण्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज लोकल इग्जाम्स सिंडीकेट	मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा की परीक्षा
ईस्ट अफ्रीकन एडवान्स सर्टिफिकेट ऑफ एजूकेशन एग्जाम	यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज लोकल एग्जाम्स, सिंडीकेट इन कोलाब्रोरेशन विद द ईस्ट अफ्रीकन इग्जाम काउंसिल	विद्यार्थी जिन्होंने निम्नलिखित में से कोई भी ईस्ट अफ्रीकन एडवान्स सर्टिफिकेट ऑफ एजूकेशन कर लिया तो वह भारत में 12 वर्षीय स्कूल एड्यूकेशन पाठ्यक्रम को सफलता-पूर्वक करने के समकक्ष माना जाएगा। i) चार मुख्य विषय और एक सहायक विषय iii) तीन मुख्य विषय और दो सहायक विषय करने मुख्य विषय और दो सहायक विषय

अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट

सैकेण्डरी जनरल एजुकेशन सर्टिफिकेट	शिक्षा मंत्रालय, कायरो	+ 2 स्तर की परीक्षा
(12 वर्षीय कोर्स) हाई स्कूल ग्रेजुएशन	अमेरिकन कॉलेज, कायरो	
डिप्लोमा		

ईथियोपिया

ईथियोपियन स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट	शिक्षा और ललित कला मंत्रालय	+ 2 स्तर की परीक्षा
सर्टिफिकेट (12 वर्षीय कोर्स)		

फिजी

11. 11		
फिजी जूनियर सर्टिफिकेट परीक्षा	शिक्षा विभाग	मैट्रिकुलेशन परीक्षा/10वीं कक्षा
न्यूजीलैंड स्कूल सर्टिफिकेट एण्ड	न्यूज़ीलैंड शिक्षा विभाग	मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा
न्यूजीलैंड सर्टिफिकेट ऑफ अटेनमेंट		
(11 वर्षीय कोर्स) फिजी में आयोजित		
की गई परीक्षा		
फीजी सेवन्थ फोरम सर्टिफिकेट	शिक्षा मंत्रालय, सुवा	+ 2 स्तर की परीक्षा
फाउंडेशन प्रोग्राम	यूर्निवसिटी ऑफ साउथ पैसिफिक	+ 2 स्तर की परीक्षा
12 वर्षीय सर्टिफिकेट ऑफ अटेनमेंट/	शिक्षा मंत्रालय, सुवा	+ 2 स्तर की परीक्षा
फिजी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट		

FRANCE

Brevet D' Etudes Premier Cycle(B.E.P.C) and Brevet Elementaire(B.E) Propedeutique Diploma		Matriculation/SSLC Exam. of an Indian Univ. or Board. Candidates holding propedeutique diploma should be considered on the merits of each case
Baccalaureate Exam.	Accredited Institutions in France	+ 2 Stage Examination

GAZA STRIP

General Secondary Education	Ministry of Education, Arab	+ 2 Stage Examination
Certificate	Republic of Egypt	

GERMAN (FEDERAL REPUBLIC)

12 years High School Graduation	International School, Hamburg	+ 2 Stage EXamination
12 years Graduation Diploma	Bonn American High School, Bonn	+ 2 Stage Examination
'Abitur' Examination	Accredited Institutions in West Germany	+ 2 Stage Examination
High School Diploma	Frankfurt International School, Oberursel	+ 2 stage Examination
High School General Diploma (Academic Transcript issued by the Sasketchewan Depart- ment of Education)	Black Forest Academy, West Germany	+ 2 Stage Examination

GHANA

Joint Exam. for the School Cert. & G C E(II year course) conducted in Ghana	West African Exams. Council	Matriculation/10th Class
G C E (Advanced Level) and the Higher School Cert. Exams.	West African Exams. Council	+ 2 Stage Examination (2 'A' level passes followed by 5 CE 'O' level passes have been equated with +2 stage/ Intermediate Examination)

फ्रांस

ब्रिवेट 'डी' इट्यूडेस प्रीमियर साईकल		भारतीय विश्वविद्यालय या बोर्ड से
(बीईपीसी) एण्ड ब्रीवेट एलीमेन्टेयर		मैद्रिकुलेशन या एसएसएलसी
(बीई) प्रोपीडीटिक डिप्लोमा		परीक्षा जिन छात्रों के पास प्रोपीडीटिक
		डिप्लोमा है उन्हें प्रत्येक दशा में योग्यता
		के आधार पर विचार किया जाना
		चाहिए।
बैकालॉरिएट इग्ज़ाम	एक्रेडेटेड इन्स्टीट्यूट ऑफ फ्रांस	+ 2 स्तर की परीक्षा

गाज़ा पट्टी

जनरल सैकेण्डरी एजूकेशन सर्टिफिकेट	शिक्षा मंत्रालय, अरब रिपब्लिक	+ 2 स्तर की परीक्षा
	ऑफ ईजिप्ट	

जर्मन (फेडरल रिपब्लिक)

12 वर्षीय हाई स्कूल ग्रेजुएशन	इंटरनेशनल स्कूल, हैमबर्ग	+ 2 स्तर की परीक्षा
डिप्लोमा		
12 वर्षीय ग्रेजुएशन डिप्लोमा	बोन अमेरिकन हाई स्कूल बोन	+ 2 स्तर की परीक्षा
'एबिटर' परीक्षा	एक्रेडेटेड इंस्टीट्यूट इन वेस्ट	+ 2 स्तर की परीक्षा
	जर्मनी	
हाई स्कूल डिप्लोमा	फ्रेन्कफर्ट इंटरनेशनल स्कूल, ओबरूसेल	+ 2 स्तर की परीक्षा
हाई स्कूल जनरल डिप्लोमा	ब्लैक फोरेस्ट अकेडमी, वेस्ट	+ 2 स्तर की परीक्षा
(सस्कैत्विन शिक्षा विभाग द्वारा	जर्मनी	
जारी एकेडेमिक ट्रान्सक्रिप्शन)		

घाना

ज्वाइंट इग्जाम फॉर द स्कूल सर्टिफिकेट एण्ड जीसीई (11 वर्षीय कोसी) कंडक्टेड इन घाना	वेस्ट अफ्रीकन इग्जाम्स काउंसिल	मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा
जीसीई (एडवान्स लेवल) एण्ड द हायर स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा	वेस्ट अफ्रीकन इग्जाम्स काउंसिल	+ 2 स्तर की परीक्षा (2: ए : लेवन उत्तीर्ण करने के बाद 5 सीई: ओ स्तर उत्तीर्ण करने वाले को + 2 स्तर∕इंटमीडिएट परीक्षा के समकक्ष माना जाएगा।

GREECE

12 years High School Diploma

GREECE				
High School Diploma	American Community School, Athens	+ 2 Stage		
GUINEA (REPUBLIC OF)	GUINEA (REPUBLIC OF)			
Diploma Du Baccalaureate (2nd part) 'Academic Stream'	Republic of Guinea	+ 2 Stage Examination		
GUYANA				
C X C Certificate (General Proficiency Grade I or II)	Caribbean Examinations Council	Students presenting the Caribbean Examination Council (CXC) Certificate in		
General Certificate of Education (Advanced Level)	British Examining Bodies	or II in five subjects including English and 2 GCE ' A' level from the recognized British Examining Bodies may be accepted as having completed + 2 stage qualification		
HONGKONG	HONGKONG			
Hongkong Certificate of Education and Hongkong Higher/Advanced Level Examination	Hongkong Examination Authority	Same parity as accorded to GCE 'O' level/ 'A' level examinations of British Examining Authorities		
INDONESIA				
Matriculation Exam.	Gandhi Memorial School, Jakarta	Matriculation Examination		
Higher Secondary Exam. (course offered at the Gandhi Memorial School)	Board of Secondary Education, Indian Schools, Indonesia	+ 2 Stage Examination		
Secondary School Diploma (College Preparatory Programme)	Jakarta International School, Jakarta	+ 2 Stage Examination		
SMA/SLTA/Senior High School/Secondary School Advanced Stage Examination	Ministry of Education	+ 2 Stage Examination		
Proficiency Grade I or II) And General Certificate of Education (Advanced Level) HONGKONG Hongkong Certificate of Education and Hongkong Higher/Advanced Level Examination INDONESIA Matriculation Exam. (course offered at the Gandhi Memorial School) Secondary School Diploma (College Preparatory Programme) SMA/SLTA/Senior High School/Secondary School	Council British Examining Bodies Hongkong Examination Authority Gandhi Memorial School, Jakarta Board of Secondary Education, Indian Schools, Indonesia Jakarta International School, Jakarta	Caribbean Examination Council (CXC) Certificate in General Proficiency Grade I or II in five subjects including English and 2 GCE ' A' level from the recognized British Examining Bodies may be accepted as having completed + 2 stage qualification Same parity as accorded to GCE 'O' level/ 'A' level exa- minations of British Exami- ning Authorities Matriculation Examination + 2 Stage Examination + 2 Stage Examination		

Surabaya International

School, Surabaya

+ 2 Stage Examination

ग्रीस

हाई स्कूल डिप्लोमा	अमेरिकन कम्यूनिटी स्कूल,	+ 2 स्तर
	एथेन्स	
गिनी (रिपब्लिक ऑफ)		
डिप्लोमा डीयू बैकालॉरिएट (भाग 2)	रिपब्लिक ऑफ गिनी	+ 2 स्तर की परीक्षा
'एकेडमिक स्ट्रीम'		

गुयाना

सीएक्ससी प्रमाणपत्र (जनरल	कैरिबियन परीक्षा परिषद	मान्यता प्राप्त ब्रिटिश इग्जामिनिंग
प्रोफिसिएन्सी ग्रेड I व II)		बॉडीज से 2 जीसीई 'ए' स्तर एवं
		अंग्रेजी सहित पांच विषयों में सामान्य
और		प्रवीणता ग्रेड-।
जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एड्यूकेशन	ब्रिटिश परीक्षा निकाय	या II में कैरीबियन इग्जामिनेशन
(एडवांस लेवल)		काउंसिल (सी X सी) प्रमाण-पत्र
		देने वाले छात्र + 2 स्तर की
		योग्यता पूर्ण करने वाले माने जाएगें।

हॉगकांग

हांगकांग सर्टिफिकेट ऑफ एड्यूकेशन	हांगकांग इग्जामिनेशन अथारिटी	उसी तरह जैसे जीसीई 'ओ' स्तर 'ए'
एण्ड हांगकांग हायर⁄एडवांस लेवल		स्तर परीक्षा ब्रिटिश परीक्षा निकाय
परीक्षा		की हो।

इंडोनेशिया

गांधी मेमोरियल स्कूल, जकार्ता	मैट्रिकुलेशन परीक्षा
बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन,	+ 2 स्तर की परीक्षा
इंडियन स्कूल, इंडोनेशिया	
जकार्ता इंटरनेशनल स्कूल,	+ 2 स्तर की परीक्षा
जकार्ता	
शिक्षा मंत्रालय	+ 2 स्तर की परीक्षा
सुराबाया इंटरनेशनल स्कूल,	+ 2 स्तर की परीक्षा
सुराबाया	
	बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन, इंडियन स्कूल, इंडोनेशिया जकार्ता इंटरनेशनल स्कूल, जकार्ता शिक्षा मंत्रालय सुराबाया इंटरनेशनल स्कूल,

IRAN

Ministry of Education	+ 2 Stage Examination
Ministry of Education	+ 2 Stage Examination
Department of Education	+ 2 Stage Examination
Walworth Barbour American Inernational School	+ 2 Stage Examination
Ministry of Education & Culture	+ 2 Stage Examination
Provincial Education Authority in Benevento	+ 2 Stage Examination
American Overseas School, Rome	+ 2 Stage Examination
American School of Milan	+ 2 Stage Examination
Marymount International School, Rome	+ 2 Stage Examination
International Community School of Abidjan	+ 2 stage Examination
Caribbean Examinations Council	Students presenting the Caribbean Examination
	Ministry of Education Department of Education Walworth Barbour American Inernational School Ministry of Education & Culture Provincial Education Authority in Benevento American Overseas School, Rome American School of Milan Marymount International School, Rome International Community School of Abidjan Caribbean Examinations

र्डरान

ईरान		
सेकेण्डरी स्कूल का चार वर्षीय डिप्लोमा	शिक्षा मंत्रालय	+ 2 स्तर की परीक्षा
(स्कूल शिक्षा की नई पद्धति से किया		
जाने वाला 12 वर्षीय पाठ्यक्रम)		
ईराक		
बैकालॉरिएट इग्जाम फॉर सैकेण्डरी	शिक्षा मंत्रालय	+ 2 स्तर की परीक्षा
स्कूल (12 वर्षीय कोर्स)		
आयरलैंड		
हायर/आनर्स लेवल उत्तीर्ण सहित	शिक्षा मंत्रालय	+ 2 स्तर की परीक्षा
लीविंग सर्टिफिकेट इग्जामिनेशन		
ईजरायल	1	
12 वर्षीय हाई स्कूल डिप्लोमा	वालवर्थ बारबोर अमेरिकन	+ 2 स्तर की परीक्षा
	इंटरनेशनल स्कूल	
12 वर्षीय मैट्रिकुलेशन 'बाग्रूट'	शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय	+ 2 स्तर की परीक्षा
इग्जामिनेशन 'एकेडिमिक स्ट्रीम'		
इटली		
डिप्लोमा डी मैट्यूरिटा टेक्निका फैमिनिले	प्रोविसियल एजूकेशन अथारिटी	+ 2 स्तर की परीक्षा
टेक्निकल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट	बनीवेन्टो	
12 वर्षीय हाई स्कूल डिप्लोमा	अमेरिकन ओवरसिज़ स्कूल	+ 2 स्तर की परीक्षा
	रोम	
हाई स्कूल ग्रेजुएशन डिप्लोमा	अमेरिकन स्कूल ऑफ मिलान	+ 2 स्तर की परीक्षा
12 वर्षीय हाई स्कूल डिप्लोमा	मैरीमाउंट इंटरनेशनल स्कूल	+ 2 स्तर की परीक्षा
	रोम	
आईवरी कोस्ट		
12 वर्षीय हाई स्कूल डिप्लोमा	इंटरनेशनल कम्यूनिटी स्कूल ऑफ अबीदजान	+ 2 स्तर की परीक्षा
जमाईका		
सीएक्ससी सर्टिफिकेट (जनरल	केरीबियन इग्ज़ामिनेशन काउंसिल	मान्यता प्राप्त ब्रिटिश इग्जामिनिंग
प्रवीणता ग्रेड I व II)		बाडीज से उत्तीर्ण 2 जीसीई 'ए' स्तर

And General Certificate of Education (Advanced Level)	British Examining Bodies	Council (CXC) Certificate in General Proficiency Grade I or II in five subjects including English and 2 GCE 'A' level from the recognized British Examining Bodies may be
		accepted as having completed + 2 stage qualification

JAPAN

12 years Graduation Diploma	St. Mary's International School, Tokyo	I + 2 stage Examination
12 year High School Graduation Diploma	International School of Sacred Heart, Tokyo	12 years Higher Secondary Programme
High School Diploma	Seisen Inernational School, Tokyo	+ 2 stage Examination
12 years Senior High School Diploma	Marist Brothers' International School, Kobe	+ 2 stage Examination
High School Graduation Diploma	Canadian Academy, Kobe	+ 2 stage Examination
Upper Secondary School Leaving Certificate	Accredited schools in Japan	+ 2 stage Examination

JORDAN

12 year General Secondary Education Certificate (Tawjahai)	Ministry of Education	+ 2 stage Examination
General Vocational Secondary Education Certificate	Ministry of Education	+ 2 stage Examination
High School Diploma	American Community School, Ammam	+ 2 stage Examination

KENYA

Kenya Certificate of Education Examination	Kenya National Examinations Council	Matriculation/10th Class Examination
Kenya Advanced Certificate of Education Examination	Kenya National Examinations Council	+ 2 stage Examination, Candidates are expected to obtain at least two Principal passes

और	एवं अंग्रेजी सहित पांच विषयों में
जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एड्यूकेशन	सामान्य प्रवीणताग्रेड । या ॥ में
(एडवांस लेवल)	कैरीबियन इग्जामिनेशन काउंसिल
	(सी X सी) प्रमाण-पत्र देने वाले
	छात्र + २ स्तर की योग्यता पूर्ण
	करने वाले माने जाएगें।

जापान

12 वर्षीय ग्रेजुएशन डिप्लोमा	सेन्ट मैरीज इंटरनेशनल स्कूल,	1 + 2 स्तर की परीक्षा
	टोक्यो	
12 वर्षीय हाई स्कूल ग्रेजुएशन	इंटरनेशनल स्कूल ऑफ सेक्रेड	12 वर्षीय हायर सैकेण्डरी प्रोग्राम
डिप्लोमा	हॉट, टोक्यो	
हाई स्कूल डिप्लोमा	सीसेन इंटरनेशनल स्कूल, टोक्यो	+ २ स्तर की परीक्षा
12 वर्षीय सीनियर हाई स्कूल	मेरिस्ट ब्रदर्स इंटरनेशनल स्कूल	+ २ स्तर की परीक्षा
डिप्लोमा	कोबे	
हाई स्कूल ग्रेजुएशन डिप्लोमा	कनेडियन अकेडमी, कोबे	+ २ स्तर की परीक्षा
अपर सैकेण्डरी स्कूल लीविंग	एक्रेडिटेड स्कूल इन जापान	+ २ स्तर की परीक्षा
सर्टिफिकेट		

जोर्डन

12 वर्षीय जनरल सैकेण्डरी ग्रेजुएशन	शिक्षा मंत्रालय	+ २ स्तर की परीक्षा
सर्टिफिकेट (ताजा हाई)		
जनरल वोकेशनल सैकेण्डरी ग्रेजुएशन	शिक्षा मंत्रालय	+ 2 स्तर की परीक्षा
सर्टिफिकेट		
हाई स्कूल डिप्लोमा	अमेरिकन कम्यूनिटी स्कूल,	+ 2 स्तर की परीक्षा
	अम्माम	

केन्या

केन्या सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन	कन्या नेशनल इंग्जामिनेशन	मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा की परीक्षा
एग्जामिनेशन	काउंसिल	
केन्या एडवांस सर्टिफिकेट ऑफ	केन्या नेशनल इग्जामिनेशन	+ 2 स्तर की परीक्षा अभ्यार्थियों से
एजुकेशन इग्जामिनेशन	काउंसिल	कम से कम दो मुख्य विषयो में
		उत्तीर्ण होने की आशा की जाती है।

8 + 4 Kenya Certificate of Secondary Education with 5 (five) passes in Grade A, B & C	Kenya National Examinations Council	+ 2 stage Examination
KOREA		
12 years College Preparatory Diploma	Seoul Foreign School, Seoul	+ 2 stage Examination
High School Diploma	Pusan American School, Pusan	+ 2 stage Examination
12 years College Preparatory Diploma	Seoul International School, Seoul	+ 2 stage Examination
12 years High School Diploma with good grades	Accredited schools of Republic of Korea	+ 2 stage Examination
KUWAIT		
General Secondary Education Certificate (12 year course)	Ministry of Education	+ 2 stage Examination
LEBANON		
12 year Diploma	American Community School, Beirut	+ 2 stage Examination
Baccalaureate Diploma (Final Part II examination)	Ministry of National Education	+ 2 stage Examination
LIBYAN ARAB REPUBLIC		
General Secondary Education Certificate	Ministry of Education	+ 2 stage Examination
MALAYSIA		
Malaysian Certificate of Education	Univ. of Cambridge Local Exams. Syndicate in collaboration with Ministry of Education	Matriculation Examination
Higher School Cert. Exam.	University of Cambridge Local Exams. Syndicate in collaboration with Univ. of Malaysia and Univ. of Singapore	+ 2 stage Examination

ग्रेड ए बी एण्ड सी में 5 (पांच) पासेस	केन्या नेशनल इग्ज़ामिनेशल	+ 2 स्तर की परीक्षा
सहित 8 + 4 केन्या सर्टिफिकेट ऑफ	काउंसिल	
सेकैण्डरी एड्यूकेशन		
कोरिया		
12 वर्षीय कॉलेज प्रीपेरेटरी डिप्लोमा	सियोल फोरेन स्कूल, सियोल	+ 2 स्तर की परीक्षा
हाई स्कूल डिप्लोमा	पूसन अमेरिकन स्कूल, पूसन	+ 2 स्तर की परीक्षा
12 वर्षीय कॉलेज प्रीपेरेटरी डिप्लोमा	सियोल इंटरनेशनल स्कूल, सियोल	+ 2 स्तर की परीक्षा
गुड ग्रेड सहित 12 वर्षीय हाई स्कूल	एक्रेडेटेड स्कूल ऑफ रिपब्लिक	+ 2 स्तर की परीक्षा
डिप्लोमा	ऑफ कोरिया	
कुवैत		
जनरल सेकेण्डरी एजूकेशन	शिक्षा मंत्रालय	+ 2 स्तर की परीक्षा
(12 वर्षीय पाठ्यक्रम)		
लेबनान		
12 वर्षीय डिप्लोमा	अमेरिकन कम्यूनिटी स्कूल,	+ 2 स्तर की परीक्षा
	बेरूत	
बैकालॉरेएट डिप्लोमा (फाइनल	राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय	+ 2 स्तर की परीक्षा
भाग II परीक्षा)		
लीबिया अरब रिपब्लिक		
जनरल सेकेण्डरी एजुकेशन	शिक्षा मंत्रालय	+ 2 स्तर की परीक्षा
सर्टिफिकेट		
मलेशिया		
मलेशिया सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन	मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के	मैद्रिकुलेशन परीक्षा
	सहयोग से यूनिवर्सिटी ऑफ	
	क्रेम्ब्रिज लोकल इग्ज़ाम्स	
	सिंडीकेट	
हायर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा	मलेशिया एण्ड यूनिवर्सिटी	+ 2 स्तर की परीक्षा
	ऑफ सिंगापुर के सहयोग	
	से यूनिवर्सिटी ऑफ क्रेम्ब्रिज	
	लोकल इग्ज़ाम सिंडीकेट	

Ministry of Education	10th class Matriculation and the 12th class examination respectively
International School of Kuala Lumpur	+ 2 stage/Intermediate Examination
Ministry of Education	+ 2 stage Examination
National University of Malaysia	+ 2 stage Examination
University of Malaya and University of Science, Malaysia	+ 2 stage Examination
	International School of Kuala Lumpur Ministry of Education National University of Malaysia University of Malaya and University of Science,

MOROCCO

High School Graduation	Rabat American School,	+ 2 Stage Examination
Diploma	Rabat	

MYANMAR (BURMA)

2 year Course of Regional Colleges of Burma	Exam. Board of Higher Education Deptt., Ministry of Education	+ 2 Stage Examination provided the exam. is passed with English as one of the subjects
- School Graduation Diploma	International High School, Yangon	+ 2 Stage Examination

MONGOLIA (PEOPLES' REPUBLIC)

Certificate of completion of 10 years Secondary School Education as equivalent to corresponding High School certificate
12 years 'Technicum Diploma' as equivalent to + 2 Stage Senior Secondary

शिक्षा मंत्रालय	क्रमशः 10वीं कक्षा मैट्रिकुलेशन तथा
	12वीं कक्षा परीक्षा
इंटरनेशनल स्कूल ऑफ	+ २ स्तर⁄इंटरमीडिएट
कुआलालमपुर	इग्जामिनेशन
शिक्षा मंत्रालय	+ 2 स्तर की परीक्षा
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया	+ 2 स्तर की परीक्षा
	+ 2 स्तर की परीक्षा
यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस, मलेशिया	म ८ (तर अम अराषा)
रबाट अमेरिकन स्कूल,	+ 2 स्तर की परीक्षा
रबाट	
	, , , , ,
इंग्ज़ाम बोर्ड ऑफ हायर	+ 2 स्तर की परीक्षा बशर्तें कि
एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा	+ 2 स्तर की परीक्षा बशत कि परीक्षा एक अंग्रेजी विषय के साथ
एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा	परीक्षा एक अंग्रेजी विषय के साथ
एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा मंत्रालय इंटरनेशनल हाई स्कूल,	परीक्षा एक अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो।
एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा मंत्रालय इंटरनेशनल हाई स्कूल,	परीक्षा एक अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो।
एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा मंत्रालय इंटरनेशनल हाई स्कूल,	परीक्षा एक अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। + 2 स्तर की परीक्षा
एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा मंत्रालय इंटरनेशनल हाई स्कूल,	परीक्षा एक अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। + 2 स्तर की परीक्षा 10 वर्षीय माध्यमिक स्कूल शिक्षा
एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा मंत्रालय इंटरनेशनल हाई स्कूल,	परीक्षा एक अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। + 2 स्तर की परीक्षा 10 वर्षीय माध्यमिक स्कूल शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाणपत्र संगत हाई
	इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कुआलालमपुर शिक्षा मंत्रालय नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया एण्ड यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस, मलेशिया रबाट अमेरिकन स्कूल, रबाट

समकक्ष

NEPAL

NEPAL		
Intermediate Science Course	Kathmandu University	+ 2 Stage Examination
NETHERLANDS		
High School Diploma	American School of Hague	+ 2 Stage Examination
NEW ZEALAND		
New Zealand University Entrance Examination	New Zealand Qualifications Authority	+ 2 Stage Examination
University Bursaries/Entrance Scholarship Examination with minimum of Grade D	New Zealand Qualifications Authority	+ 2 Stage Examination
NIGERIA		
Joint Exams. for the School Cert. and GCE	West African Examinations Council	Matriculation/10th class
12 years (6 + 3 + 3) Senior School Certificate Examination with minimum 5 passes in CREDIT (4) or higher grades	West African Examinations Council	+ 2 Stage Examination
Interim Joint Matriculation Board Examination (13 years course) 'A' level	Institute of Education, Ahmadu Bello University, Zaria	+ 2 Stage Examination
2 years Pre-Deqree programme	University of Sokoto, Sokoto	+ 2 Stage Examination
12 years High School Graduation Diploma	Hillcrest High School, Jos	+ 2 Stage Examination
NORWAY		
12 years Secondary School Certificate ('EXAMENARTIUM'/Upper Secondary School Examination (General/ Academic)	Ministry of Church & Education	+ 2 Stage Examination

OMAN (SULTANATE OF)

12 years General School	Ministry of Education	+ 2 Stage Examination
Certificate		

नेपाल		
इंटरमीडिएट साइंस कोर्स	काठमांडू यूनिवर्सिटी	+ 2 स्तर की परीक्षा
नीदरलैन्ड		
हाई स्कूल डिप्लोमा	अमेरिकन स्कूल ऑफ हेग	+ 2 स्तर की परीक्षा
न्यूजीलैन्ड		
न्यूजीलैन्ड विश्वविद्यालय प्रवेश	न्यूजीलैन्ड क्वालीफिकेशन	+ 2 स्तर की परीक्षा
परीक्षा	अथारिटी	
बुरसारीज विश्वविद्यालय/न्यूनतम डी	न्यूजीलैन्ड क्वालीफिकेशन	+ २ स्तर की परीक्षा
ग्रेड के साथ प्रवेश छात्रवृति परीक्षा	अथारिटी	
नाईजीरिया		
ज्वाइंट इग्जाम फॉर द स्कूल	वेस्ट अफ्रीकन इग्जामिनेशन-	मैट्रिकुलेशन/10 वी कक्षा
मिनिकित गतं जीमीर्ट	कार्यमिल	

विश्व र जा । । । । १ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५	१ १८० अस्तिमा २ आस्ति।	11843(1411) 10 41 4)411
सर्टिफिकेट एवं जीसीई	काउंसिल	
12 वर्षीय (6+3+3) सीनियर स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा के साथ क्रेडिट (4) में न्यूनतम 5 पासेस या उच्चतर ग्रेड	वेस्ट अफ्रीकन इग्जामिनेशन- काउंसिल	+ 2 स्तर की परीक्षा
इन्ट्रीम ज्वाइन्ट मैट्रीकुलेशन बोर्ड इग्जामीनेशन (13 वर्षीय कोर्स) 'ए' लेवल	इन्स्टीट्यूट आफ एज्यूकेशन अहमादु बेलो यूनिवर्सिटी, जारिया	+ 2 स्तर की परीक्षा
2 वर्षीय प्री-डिग्री प्रोग्राम	युनिवर्सिटी ऑफ सोकोतो, सोकोतो	+ 2 स्तर की परीक्षा
12 वर्षीय हाई स्कूल ग्रेजुएशन डिप्लोमा	हिलक्रेस्ट हाई स्कूल, जॉस	+ 2 स्तर की परीक्षा

नार्वे

12 वर्षीय सेकेण्डरी स्कूल प्रमाणपत्र	चर्च एवं शिक्षा मंत्रालय	+ 2 स्तर की परीक्षा
('इग्जामिनरटियम'⁄अपर सेकेण्डरी		
स्कूल परीक्षा (सामान्य/शैक्षिक)		

ओमान (सल्तनत ऑफ)

12 वर्षीय जनरल स्कूल प्रमाण-	शिक्षा मंत्रालय	+ 2 स्तर की परीक्षा
पत्र		

PAKISTAN

Secondary School/High

School Certificates

PAKISTAN		
Higher Secondary Cert. Exam (Part II) (12 year course)	Board of Intermediate & Secondary Education, Hyderabad	+ 2 Stage Examination
12 years High School Diploma	International School of Islamabad	+ 2. Stage/Intermediate Examination
High School Graduation Diploma	Karachi American School, Karachi	+ 2 Stage/Intermediate Examination
PANAMA		
12 year Graduation Diploma	Balboa High School (Department of Defence (USA) Dependent School)	+ 2 Stage Examination - those who pass with science stream should have two credits in Science subjects
PERU		
High School Graduation Diploma	American School Lima (Frankline Delane Roosevelt)	+ 2 Stage Examination
PHILIPPINES		
Higher School (Secondary Collegiate Preparatory Examination)	Ministry of Education	Higher Secondary Exam.
High School Graduate Diploma	International School, Manila	+ 2 Stage/Intermediate Examination
12 years College Preparatory Diploma	Brent International School, Manila	+ 2 Stage Examination
POLAND		
High School Graduation Diploma	American School of Warsaw	+ 2 Stage Examination
QATAR		
General Secondary Education Certificate Examination	Ministry of Education & Youth Welfare, Govt. of the State of Qatar	+ 2 Stage Examination
RUSSIAN FEDERATION		

Ministry of Education

+ 2 Stage Examination

पाकिस्तान		
हॉयर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र परीक्षा (भाग 11) (12 वर्षीय कोर्स)	बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएळ एण्ड सेकेण्डरी एजूकेशन, हैदराबाद	+ 2 स्तर की परीक्षा
12 वर्षीय हाई स्कूल डिप्लोमा	इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इस्लामाबाद	+ 2 स्तर⁄इंटरमीडिएट परीक्षा
हाई स्कूल ग्रेजुएशन डिप्लोमा	कराची अमेरिकन स्कूल, कराची	+ 2 स्तर⁄इंटरमीडिएट परीक्षा
पनामा		
12 वर्षीय ग्रेजुएशन डिप्लोमा	बालबाओ हाई स्कूल (रक्षा विभाग (यू एस ए) आश्रित स्कूल	+ 2 स्तर की परीक्षा जिन्होंने विज्ञान धारा के साथ पास किया है उनका विज्ञान में दो क्रेडिट होने चाहिए
पेरू		
हाई स्कूल ग्रेजुएशन डिप्लोमा	अमेरिकन स्कूल लीमा (फ्रेंकलिन डीलेन रूसवेल्ट	+ 2 स्तर की परीक्षा
फिलीपिन्स		
हायर स्कूल (सेकेण्डरी कोलिजिएट प्रीपेरेटरी परीक्षा)	शिक्षा मंत्रालय	हायर सेकेण्डरी परीक्षा
हाई स्कूल ग्रेजुएशन डिप्लोमा	इंटरनेशनल स्कूल, मनीला	+ 2 स्तर⁄इंटरमीडिएट की परीक्षा
12 वर्षीय कॉलेज प्रीपेरेटरी डिप्लोमा	ब्रेन्ट इंटरनेशल स्कूल, मनीला	+ 2 स्तर की परीक्षा
पोलैन्ड		
हाई स्कूल ग्रेजुएशन डिप्लोमा	अमेरिकन स्कूल आफ वारसा	+ 2 स्तर की परीक्षा
कतर		
जनरल सेकेण्डरी एड्यूकेशन सर्टिफिकेट	शिक्षा एवं युवा कल्याण मंत्रालय कतर सरकार	+ 2 स्तर की परीक्षा
मिलान फ्रेंटेशन		

रशियन फेड्रेशन

सेकेण्डरी स्कूल⁄हाई स्कूल सर्टिफिकेट	शिक्षा मंत्रालय	+ 2 स्तर की परीक्षा

SAUDIARABIA

12 years General Secondary	Ministry of Education, Jeddah	+ 2 Stage Examination
Education Certificate (with		
English as one of the subjects)		

SIERRA LEONE

Joint Exams. for the School Cert. &GCE	West African Exams. Council	Matriculation/10th class
GCE (Advanced Level) and higher School Cert. Exam.	West African Exams. Council	+2 Stage Examination 2 'A' level passes followed by 5 GCE 'O' level passes have been equated with +2 stage/intermediate examination

SINGAPORE

Diploma (High School)	Singapore American School	+ 2 Stage Examination
Higher School Certificate Examination	University of Cambridge Local Exams. Syndicate in collaboration with the University of Malaysia and the University of Singapore	+ 2 Stage Examination

SOUTH AFRICA

Matriculation Exemption	Ministry of Education	+ 2 Stage Examination
Certificate/Senior Certificate		
with Matriculation Exemption		

SRI LANKA

GCE (Ordinary Level)	Deptt. of Examinations	Matriculation Examination provided that candidate has passed at least in four subjects
GCE (O & A Level) Exams	Deptt. of Examinations	GCE (O & A Level) exams, conducted by Govt. of Sri Lanka recognized in the same terms as the recognition accorded to the GCE 'O' level and the GCE 'A' level exams. conducted by the Examining Bodies in UK. GCE of

सऊदी अरब

12 वर्षीय जनरल सेकेण्डरी एजुकेशन	शिक्षा मंत्रालय, जेद्दाह	+ 2 स्तर की परीक्षा
सर्टिफिकेट (अंग्रेजी एक विषय के		
साथ)		

सीयरा लियोन

स्कूल सर्टिफिकेट एवं जीसीई के लिए संयुक्त परीक्षा	वेस्ट अफ्रीकन परीक्षा, काउंसिल	मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा
जीसीई (एडवांस लेवल) एवं हायर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा	वेस्ट अफ्रीकन परीक्षा, काउंसिल	+ 2 स्तर की परीक्षा 2 'ए' स्तर पासेस के बाद 5 जीसीई 'ओ' स्तर पासेस = 2 स्तर/ इंटरमीडिएट के समकक्ष गया है।

सिंगापुर

डिप्लोमा (हाई स्कूल)	सिंगापुर अमेरिकन स्कूल	+ 2 स्तर की परीक्षा
हायर स्कूल सर्टिफिकेट इग्जामिनेशन	यूनिवर्सिटी ऑफ क्रेम्ब्रिज स्थानीय परीक्षा सिंडीकेट यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया तथा यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के सहयोग में	+ 2 स्तर की परीक्षा

साउथ अफ्रीका

मैट्रिकुलेशन इग्जेम्पशन सर्टिफिकेट/	शिक्षा मंत्रालय	+ 2 स्तर की परीक्षा
सीनियर सर्टिफिकेट विद मैट्रिकुलेशन		
इग्जेम्पशन		

श्रीलंका

***************************************	i .	-
जीसीई (साधारण स्तर)	परीक्षा विभाग	मैट्रिकुलेशन परीक्षा बशर्तें है कि
		अभ्यर्थी ने कम से कम 4 विषयों के
		साथ पास किया है
जीसीई (ओ एवं ए स्तर) परीक्षा	परीक्षा विभाग	श्रीलंका सरकार द्वारा आयोजित
		जीसीई (ओ एवं ए स्तर) परीक्षा उसी
		तरह मान्य है जैसे जीसीई ओ स्तर
		तथा जीसीई ए स्तर की परीक्षा जो
		कि यू.के. परीक्षा निकाय द्वारा

	Examining Bodies with passes in (a) five subjects at Ordinary Level and two subjects at Advanced Level or (b) four subjects at the Ordinary Level and three subjects at Advanced Level has been recognized as equivalent to a pass in the 12 year Pre-Uni./ higher secondary exam
--	---

SUDAN

Higher Secondary School Certificate Examination (12 year course)	Sudan Examinations Committee, Ministry of Education	+ 2 Stage Examination
Secondary School Certificate Examination (12 years course)	Sudan Examinations Committee, Ministry of Education	12 year Higher Secondary School Certificate Examination of Sudan has been designated as Secondary School Certificate
Commercial School Certificate Examination (12 year course)	Sudan Examinations Committee, Ministry of & Guidance, Sudan	+ 2 Stage Examination
General Secondary Education Certificate	Egyptian Educational Mission in Sudan	+ 2 Stage Examination

SWEDEN

School Leaving Cert. Courses	Ostermalms and Nora	+ 2 Stage Examination
in Natural Science	Real Gymnasiums,	
	Stockholm	

SWITZERLAND

International Baccalaureate Diploma	International Baccalaureate Office, Geneva	+ 2 Stage Examination
12 years Senior Class (High School) Diploma	International School, Geneva	+ 2 Stage Examination
Matura Certificate	Matura Commission, Switzerland	+ 2 Stage Examination

		आयोजित होती है। जीसीई परीक्षा
		पास किया हो (क) सामान्य स्तर पर 5
		विषय तथा एडवांस्ड स्तर पर दो विषय
		या (ख) सामान्य स्तर पर चार विषय तथा
		एडवांस्ड स्तर पर तीन विषय को 12
		वर्ष के पूर्व विश्वविद्यालय वरिष्ठ
		माध्यमिक के समकक्ष माना गया है।
सुडान		
हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट	सूडान इग्जामिनेशन कमेटी,	+ 2 स्तर की परीक्षा
परीक्षा (12 वर्षीय कोर्स)	शिक्षा मंत्रालय	
सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा	सूडान इग्जामिनेशन कमेटी,	सूडान की 12 वर्षीय हॉयर सेकेण्डरी
(12 वर्षीय कोर्स)	शिक्षा मंत्रालय	स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा माध्यमिक
		स्कूल सर्टिफिकेट की तरह बनाई
		गई।
कामर्शियल स्कूल सर्टिफिकेट	सूडान इग्जामिनेशन कमेटी,	+ 2 स्तर की परीक्षा
परीक्षा (12 वर्षीय कोर्स)	मिनिस्टरी ऑफ सुडान एण्ड	
	गाईडंस, सुडान	
जनरल सेकेण्डरी एड्यूकेशन	इजिप्शिन एजुकेशन मिशन इन	+ 2 स्तर की परीक्षा
सर्टिफिकेट	सुडान	
स्वीडन		
प्राकृतिक विज्ञान में स्कूल लीविंग	ओस्टरमाल्मस एण्ड नोरा रियल	+ 2 स्तर की परीक्षा
सर्टिफिकेट	जिमनेज़ियम, स्टाकहोम	
स्विटजरलैन्ड		
इंटरनेशनल बैकालॉरिएट,	इंटरनेशनल बैकालॉरिएट	+ 2 स्तर की परीक्षा
डिप्लोमा	ऑफिस, जिनेवा	
12 वर्षीय सीनियर क्लास (हाई	इंटरनेशनल स्कूल, जिनेवा	+ 2 स्तर की परीक्षा
स्कूल) डिप्लोमा	5.	
मेटुरा सर्टिफिकेट	मेटुरा कमीशन, स्विटजरलैन्ड	+ 2 स्तर की परीक्षा

Academic Diploma (High	International School of	+ 2 Stage Examination
School)	Berne, Switzerland	

SYRIA

General Certificate of Secondary Education	Ministry of Education	+ 2 Stage Examination
12 years High School Diploma	Damascus Community School, Damascus	+ 2 Stage Examination

TANZANIA

National Form IV Examinations	National Examinations Council of Tanzania	Matriculation Examination or 10th class
East African Certificate of Education	East African Exams. Council and Univ. of Cambridge Local Exams. Syndicate	Matriculation/10th class Exam.
East African Advanced Cert. of Education	Uiv. Of Cambridge Local Exams. Syndicate in collaboration with East African Exams. Council with any of the combination: four principal subjects; three principal subjects and one subsidiary subject; three principal subjects; two principal subjects and two subsidiary subjects	+ 2 Stage Examination
Certificate of Secondary Education and Advanced Certificate of Secondary Education	National Exams. Council of Tanzania	Recorded the new scheme of Certificate/ Advanced Certificate of Secondary Education as + 2 stage

THAILAND

Mathayom VI (Secondary VI)	Board of Education, Ministry of Education	Matriculation
Final Examination of Lower Secondary Edn. Course (Grade 10); Secondary School Exam; Junior High School Exam.	Accredited schools in Thailand	Matriculation

एकेडिमक डिप्लोमा (हाई स्कूल)	इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बर्ने,	+ 2 स्तर की परीक्षा
	स्विटजरलैन्ड	

सीरिया

जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन	शिक्षा मंत्रालय	+ 2 स्तर की परीक्षा
12 वर्षीय हाई स्कूल डिप्लोमा	डेमासकस कम्यूनिटी स्कूल, डेमासकस	+ 2 स्तर की परीक्षा

तंजानिया

नेशनल फार्म IV परीक्षा	नेशनल इग्जामिनेशन काउंसिल ऑफ तंजानिया	मैट्रिकुलेशन इग्जामिनेशन व 10वीं कक्षा
ईस्ट अफ्रीकन सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन	ईस्ट अफ्रीकन इग्ज़ाम्स काउंसिल एण्ड यूनिर्विसिटी ऑफ क्रेम्ब्रिज लोकल इग्ज़ाम्स सिंडीकेट	मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा इग्ज़ाम
ईस्ट अफ्रीकन एडवांस सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन	कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय स्थानीय परीक्षा सिंडिकेट ईस्ट अफ्रीकन इग्जाम काउंसिल के सहयोग से इनमें से कोई विषय समूह लिया गया हो चार मुख्य विषय; तीन मुख्य विषय तथा एक सहायक विषयः तीन मुख्य विषय; दो मुख्य विषय तथा दो सहायक विषय	+ 2 स्तर की परीक्षा
सर्टिफिकेट ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन एण्ड एडवांस सर्टिफिकेट ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन	नेशनल इग्ज़ाम्स काउंसिल ऑफ तंजानिया	प्रमाण-पत्र की नई योजना का रिकार्ड/ एडवांस्ड माध्यमिकशिक्षा प्रमाण पत्र को + 2 स्तर के रूप में माना गया है।

थाईलैंड

12 year High School Graduation Diploma	International School, Bangkok	Pre-University (2 year course)/New Intermediate
Mathayom VIII Final Exam. of Upper Secondary Edu. Course; Final Exam of the Sec. Edn.course;	Ministry of Education	+ 2 Stage Examination
Mathayom Suksa 5, Pre-Univ. Final Exam (12 year course)		
12 year High School Diploma	Adventist English School, Bangkok	+ 2 Stage Examination
12 year High School Diploma	Ruam Rudee International School, Bangkok	+ 2 Stage Examination
12 year High School Diploma	Chiang Mai International School (CMIS) Thailand	+ 2 Stage Examination

TRINIDAD & TOBAGO

CXC Certificate (General	Caribbean Examinations	Students presenting
proficiency Grade I or II)		Council Caribbean
		Examination Council (CXC)
And		Certificate in General
		Proficiency Grade I or II in five
General Certificate of Education	British Examining Bodies	subjects including English
(Advanced Level)		and 2 GCE 'A' level passes
		from the recognized British
		Examining Bodies accepted
		as completed + 2 Stage
		qualifications

TURKEY

12 years Graduation Diploma	Ankara American High School	+ 2 Stage Examination
TUNISIA		
Baccalaureate Certificate with at least 'Fairly Good' Grades and English as a subject	Ministry of Education	+ 2 Stage Examination

UGANDA

East African Cert. of Edn.	Uganda National Exams	Matriculation/10th class
Exam	Board	examination

74			
12 वर्षीय हाई स्कूल ग्रेजुएशन डिप्लोमा	इंटरनेशनल स्कूल, बैंकाक	प्री-यूनिर्वसिटी (2 वर्षीय कोर्स) / न्यू इंटरमीडिएट	
मथायोम VIII फाइनल इग्ज़ाम ऑफ अपर सेकेण्डरी एजुकेशन, कोर्स; फाइनल इग्ज़ाम ऑफ द सेकेण्डरी एजुकेशन कोर्स; मथायोम सकसा 5, प्री-यूनिवर्सिटी, फाइनल इग्ज़ाम (12 वर्षीय कोर्स)	शिक्षा मंत्रालय	+ 2 स्तर की परीक्षा	
12 वर्षीय हाई स्कूल डिप्लोमा	एडवेंटिस्ट इंग्लिश स्कूल, बैंग्काक	+ 2 स्तर की परीक्षा	
12 वर्षीय हाई स्कूल डिप्लोमा	रूआम रूडी इंटरनेशनल स्कूल, बैंग्काक	+ 2 स्तर की परीक्षा	
12 वर्षीय हाई स्कूल डिप्लोमा	चिंयाग माई इंटरनेशनल स्कूल (सीएमआईएस) थाईलैन्ड	+ 2 स्तर की परीक्षा	
त्रिनिदाद व टौबेको			
सी एक्स सी सर्टिफिकेट (सामान्य प्रवीणता श्रेणी । या ॥) तथा	कैरेबियन परीक्षा	मान्यता प्राप्त ब्रिटिश इग्जामिनिंग बाडीज से उत्तीर्ण 2 जीसीई 'ए' स्तर	
जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन (एडवांसड लेवल)	ब्रिटिश परीक्षा निकाय	एवं अंग्रेजी सहित पांच विषयों में सामान्य प्रवीणता ग्रेड । या ॥ में कैरीबियन इग्जामिनेशन काउंसिल	

टर्की		
12 वर्षीय ग्रेजुएशन डिप्लोमा	अंकारा अमेरिकन हाई स्कूल	+ २ स्तर की परीक्षा
ट्यूनीशिया		
कम से कम ''फेयरली गुड'' श्रेणी	शिक्षा मंत्रालय	+ 2 स्तर की परीक्षा
तथा एक विषय के रूप में अंग्रेजी		
के साथ बैकालॉरिएट सर्टिफिकेट		

(सी X सी) प्रमाण-पत्र देने वाले छात्र 2 स्तर की योग्यता पूर्ण करने

वाले माने जाएगें।

युगांडा

ईस्ट अफ्रीकन सर्टिफिकेट ऑफ एज्युकेशन	युगांडा नेशनल इग्ज़ाम बोर्ड	मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा परीक्षा
इग्ज़ाम		

East African Cert of Education East African Exams, Council and Univ. of Cambridge Local Exams. Syndicate Uganda Advance Certificate of Education with minimum two East African Exams, Council Matriculation/10th Class Examination Exams. Syndicate + 2 Stage Examination	East African Advanced Cert. of Education Exam.	Uganda National Exams, Board	+ 2 Stage Examination
Education with minimum two Examinations Council	East African Cert of Education	and Univ. of Cambridge Local	
principle subjects	•	•	+ 2 Stage Examination

General Secondary Education Certificate (1 2 year course)	Ministry of Education	+ 2 Stage Examination
12 year High School Diploma	American Community School, Abu Dhabi	+ 2 Stage Examination

USA

Independent Study High School	University of Bebraska	+ 2 Stage Examination
Diploma	(Division of Continuing	Those passing with science
	Studies) USA	stream subjects should
		provide evidence of having
		completed minimum 2 units
		of credits each in Science
		subjects/ Mathematics at
		Grade 11 & 12 in accredited
		institutions

USSR

School Leaving Examination	Ministry of Education	Matriculation

UK

General Certificate of Education (Ordinary Level)	Southern Regional Examinations Board, Southampton	Matriculation standard if passed with grade in five subjects
Scottish Certificate of Education with passes in 5/4 subjects at Ordinary grade and 2/3 subjects at higher grade (7 passes)	Scottish Examination Board, Edinburgh	+ 2 Stage Examination
General Certificate of Secondary Education	British Examining Bodies	New scheme of General Certificate of Secondary

ईस्ट अफ्रीकन एडवांस सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन इग्ज़ाम	युगांडा नेशनल इग्ज़ाम बोर्ड	+ 2 स्तर की परीक्षा
ईस्ट अफ्रीकन सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन	ईस्ट अफ्रीकन इग्ज़ाम, काउंसिल एण्ड यूनिवर्सिटी ऑफ क्रेम्ब्रिज लोकन इग्ज़ाम सिंडीकेट	मैद्रिकुलेशन/10वीं कक्षा की परीक्षा
कम से कम दो मुख्य विषयों के साथ युगांडा एडवांस सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन	युगांडा नेशनल इग्ज़ामीनेशन काउंसिल	+ 2 स्तर की परीक्षा

संयुक्त अरब अमीरात

जनरल सेकेण्डरी एड्यूकेशन	शिक्षा मंत्रालय	+ 2 स्तर की परीक्षा
सर्टिफिकेट (12 वर्षीय कोर्स)		
12 वर्षीय हाई स्कूल डिप्लोमा	अमेरिकन काम्यूनिटी स्कूल,	+ 2 स्तर की परीक्षा
	आबूधाबी	

यूएसए

इन्डीपेंडेंट स्टडी हाई स्कूल डिप्लोमा	यूनिवर्सिटी ऑफ बेबरास्का	+ 2 स्तर की परीक्षा
	(डीविजन ऑफ कान्टीन्यूइंग	विज्ञान वर्ग के विषयों से उत्तीर्ण
	स्टडी) यूएसए	होने वाले छात्रों को एक्रेडिटेड
		संस्थाओं से श्रेणी 11 तथा 12 के
		विज्ञान⁄गणित विषय के प्रत्येक विषय
		में कम से कम क्रेडिट के दो यूनिट
		को पूरा किया हो।
I and the second se	I .	I .

यूएसएसआर

स्कूल लीविंग इग्ज़ामिनेशन	शिक्षा मंत्रालय	मैट्रिकुलेशन
---------------------------	-----------------	--------------

यूके

जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन (साधारण स्तर)	साउथरन रिजनल इग्जामिनिंग- बोर्ड, साउथाम्पटन	मैट्रिकुलेशन परीक्षा यदि पांच विषयों में ग्रेड के साथ उत्तीर्ण की हो।
सामान्य ग्रेड में 5/4 विषयों में पासेस तथा उच्च ग्रेड में 2/3 विषयों में पासेस (7 पासेस) के साथ स्काटिस सर्टिफिकेट ऑफ एजूकेशन	स्काटिस इग्जामिनिंगबोर्ड, ईडनबर्ग	+ 2 स्तर की परीक्षा
सर्टिफिकेट ऑफ सेकेन्ड्री ऐजुकेशन	ब्रिटिश इग्ज़ामीनिंग बाडीज	जीसीई 'ओ' स्तर के स्थान पर जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेण्डरी

		Education (GCSE) in place of GCE 'O' level was approved	
Advanced International Certiftcate of Education (AICE)	University of Cambridge Local Examinations Syndicate/British Examining Bodies	Advanced International Certificate of Education (AICE) with 5 full credit passes in grade A, B & C after 5 'O' level or IGCSE as 12 years Secondary stage qualification	
VENEZUELA			
High School Diploma	Colegio International de Caracas	+ 2 Stage Examination	
VIETNAM (SOCIAL REPUBLIC)			
High School Final Examination (12 years Programme	Ministry of Education, Hanoi	+ 2 Stage Examination	
YEMEN ARAB REPUBLIC			
Secondary School Certificate	Ministry of Education	+ 2 Stage Examination	
YEMEN PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC			
General Secondary Certificate Examination	Ministry of Education	+ 2 Stage Examination	
REPUBLIC OF ZAIRE			
12 year High School Diploma	American School of Kinshasa	+ 2 Stage Examination	
Diploma D 'Etat (D' Etudes Secondaires DU	Deptt. of Primary and Secondary Education	+ 2 Stage Examination provided the candidate	

Miscellaneous:

Cycle Long)

i) 12 year High School Diploma awarded by the Woodstock School, Mussoorie (UP)

has an average of 60%

- ii) 12 year High School Diploma of Kodaikanal International School, Kodaikanal (Tamil Nadu)
- iii) High School Graduation Diploma of American Embassy School, New Delhi

		एजूकेशन (जीसीएसई) की नई योजना
		स्वीकृत
एडवांस इंटरनेशनल सर्टिफिकेट	यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज लोकल	एडवांस्ड इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ऑफ
ऑफ ऐजुकेशन (ए आई सी ई)	्र इग्जामिनेशन सिडिंकेट∕ब्रिटिश	एजुकेशन (एआईसीई) 12 वर्षीय सैकेण्डरी
	इग्जामिनिंग निकाय	स्तर योग्यता के रूप में आईजीसीएसई
	2 311 11 11 113/14	अथवा 5 'ओ' स्तर के बाद ए.बी.सी
		ग्रेड में 5 फुल क्रेडिट पासेस सहित
वेनुजुएला		
हाई स्कूल डिप्लोमा	कोलेजिओ इंटरनेशनल डी	+ 2 स्तर की परीक्षा
	कराकस	
वियतनाम (समाजवादी गणराज्य)		
हाई स्कूल फाइनल इग्जामिनेशन	शिक्षा मंत्रालय, हनोई	+ 2 स्तर की परीक्षा
(12 वर्षीय प्रोग्राम)		
यमन अरब रिपब्लिक		
सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट	शिक्षा मंत्रालय	+ 2 स्तर की परीक्षा
यमन (पीपल डेमोक्रेटिव रिपब्लिक)		
जनरल सेकेण्डरी सर्टिफिकेट	शिक्षा मंत्रालय	+ 2 स्तर की परीक्षा
इग्ज़ामिनेशन		
रिपब्लिक ऑफ जायर		
12 वर्षीय हाई स्कूल डिप्लोमा	अमेरिकन स्कूल ऑफ किन्शासा	+ 2 स्तर की परीक्षा
डिप्लोमा डी इटेट (डी' इट्यूड	प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा	+ 2 स्तर की परीक्षा बशर्तें अभ्यर्थी
सेकेण्डरीस डीयू साईकल लांग)	विभाग	ने औसत 60% अंक प्राप्त किए

हो ।

विविध :-

- i) वुडस्टॉक स्कूल, मसूरी (यूपी) द्वारा प्रदत्त 12 वर्षीय हाई स्कूल डिप्लोमा
- ii) कोडाईकनाल स्कूल द्वारा 12 वर्षीय हाई स्कूल डिप्लोमा ऑफ कोडाईकनाल (तमिलनाडु)
- iii) हाई स्कूल ग्रेजुएशन डिप्लोमा ऑफ अमेरिकन एम्बेसी स्कूल, नई दिल्ली

CHAPTER-12 CBSE-i

+*72 ADMISSION OF STUDENTS TO A SCHOOL, TRANSFER/MIGRATION OF STUDENTS AND SCHEME OF EXAMINATION UNDER CBSE-i

I. ADMISSION-GENERAL CONDITIONS

- 1.1 A student seeking admission to any class in a 'School*' will be eligible for admission to that class only if he:
 - (i) has been studying in a school recognized by or affiliated to this Board or any other recognized Board of Secondary Education in India or other parts of the world;
 - (ii) has passed qualifying or equivalent qualifying assessment/ examination making him eligible for admission to that Class:
 - (iii) satisfies the requirements of age limits (minimum and maximum) as determined by the local authorities/country and applicable to the place where the School is located;
 - (iv) produces:
 - the School Leavirig Certificate/Transfer Certificate signed by the Head of the institution last attended and countersigned, if required by the local authorities designated for the purpose.
 - b) document(s) in support of his having passed qualifying or equivalent qualifying assessment/examination.
 - c) Date of Birth Certificate issued by the Registrar of Birth and Deaths, where ever existing, as proof of date of birth.

Explanation

- a) A person who has been studying in an institution, which is not recognized by this Board or by any other recognized Board of Secondary Education of the concerned place, shall not be admitted to any class of a 'School' on the basis of Certificate(s) of such unrecognized institution attended by him earlier.
- b) For admission to classes IX, X, XI and XII, the student must have evidence of school based assessment and continuous and comprehensive evaluation reflected through grades recorded in the Performance Profile.
- 1.2 No student migrating from a School in a foreign country, other than the School affiliated ,to this Board, shall be eligible for admission unless an eligibility certificate in respect of such a student has been obtained from this Board. For obtaining eligibility certificate from the Board, the Principal of the School to which admission is being sought will submit to the Board full details of the case and relevant documents with his own remarks/recommendations. The eligibility certificate will be issued by the Board only after the Board is satisfied that the course of study undergone and assessment/examination qualified is equivalent to the corresponding class of this Board.

^{*}A school in this chapter refers to any school offering CBSE-i curriculum

^{+*}Chapter 12 Rule 72 has been approved by the Examination Committee at its meeting held on 25.1.2012 and approved by the Governing Body at its meeting held on 02.02.2012.

अध्याय-12

सीबीएसई-आई

+*72 सी बी एस ई-आई के अंतर्गत विद्यालय में विद्यार्थी का प्रवेश, विद्यार्थी का स्थानांतरण/प्रवास और परीक्षा योजना।

I प्रवेश की सामान्य शर्ते

- 1.1 ''विद्यालय*'' की किसी कक्षा में प्रवेश चाहने वाला विद्यार्थी इस कक्षा में प्रवेश पाने का तभी पात्र होगा, यदि :
 - (i) वह इस बोर्ड या भारत में अथवा विश्व के अन्य भाग में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त अथवा इससे संम्बद्ध किसी विद्यालय में अध्ययन कर रहा है ;
 - (ii) उसने अर्हकरी परीक्षा अथवा समकक्ष अर्हकारी निर्धारण/परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, जिससे वह उस कक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्र हो जाता है ;
 - (iii) स्थानीय प्राधिकारियों/देश द्वारा यथा निर्धारित और जहाँ विद्यालय स्थित है, उस स्थान पर लागू शर्तों के अनुसार आयु सीमा (न्यूनतम और अधिकतम) पूरी करता है ;
 - (iv) वह निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है ;
 - क) जिस संस्था में उसने आखिरी पढ़ाई की है, इसके प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित और यदि आवश्यक हो तो इन उपविधियों में अन्यत्र दी गई विधियों के अनुसार प्रतिहस्ताक्षरित विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र/स्थानांतरण प्रमाण पत्र;
 - ख) अर्हकारी अथवा समकक्ष अर्हकारी निर्धारण/परीक्षा उत्तीर्ण करने के समर्थन में दस्तावेज।
 - ग) जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रार, जहाँ विद्यमान हों, द्वारा जन्म तिथि के सबूत के रूप में जारी जन्म प्रमाण पत्र।

स्पष्टीकरण

- क जो व्यक्ति किसी ऐसी संस्था में अध्ययन कर रहा है, जो इस बोर्ड द्वारा अथवा संबंधित स्थान के किसी अन्य मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, को ऐसी अमान्य संस्था के प्रमाणपत्रों (पत्रों) के आधार पर विद्यालय की किसी भी कक्षा में दाखिला नहीं दिया जाएगा।
- ख कक्षा IX, X, XI, XII, में प्रवेश के लिए, विद्यार्थी के पास विद्यालय आधारित निर्धारण और सतत एंव व्यापक मूल्यांकन का प्रमाण होना चाहिए जो निष्पादन तालिका में उल्लिखित श्रेणियों (ग्रेड) के माध्यम से दर्शाया गया हो।
- 1.2 इस बोर्ड से संबद्ध विद्यालय के अतिरिक्त, विदेश के किसी विद्यालय से अंतरित कोई भी विद्यार्थी प्रवेश के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक ऐसे विद्यार्थी के संबंध में इस बोर्ड से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त न कर लिया जाए। बोर्ड से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, जिस विद्यालय में प्रवेश चाहिए उसका प्रधानाचार्य मामले के संबंध में पूरा ब्यौरा अभ्युक्तियों/सिफारिशों सिहत संगत प्रलेख बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। पात्रता प्रमाण पत्र बोर्ड द्वारा तभी दिया जाएगा जब बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो जाए कि किया गया अध्ययन पाठ्यक्रम एवं अर्हता प्राप्त किया गया निर्धारण/परीक्षा बोर्ड की तत्संबंधित कक्षा के समकक्ष है।

^{+*}अध्याय 12 नियम 72 परीक्षा समिति की दिनांक 25.01.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया तथा इसे शासी निकाय की 02.02.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

- 1.3 No person who is under the sentence of rustication or is expelled from any Board/University/ School or is debarred from appearing in the assessment/examination by any Board/University, for whatever reason, shall be admitted to any class in a school offering CBSE-i Curriculum.
- 1.4 No student shall be admitted or promoted to any subsequent higher class in any school unless he has completed the regular course of study of the class to which he was admitted at the beginning of the academic session and has achieved the performance targets of School Based Assessment at the end of the concerned academic session / term qualifying him for promotion to the next higher class.
- 1.5 No student shall be admitted in Class IX and above in a school affiliated with the Board after 31st day of August of the year except with prior permission of the Chairman, CBSE/Competent Authority. The application for permission to grant admission after 31st of August shall be routed through the Principal of the school specifying the reasons which are unavoidable. The candidate shall complete the required percentage of attendance (75%) for .Class IX, X, XI and XII as per Examination Byelaws of the Board to make him/her eligible for the examinations conducted by the Board/School. In such cases where the admission by the candidate could not be taken in a higher class by the stipulated date because of the late declaration of result by the Board in respect of the Assessments/ Examination conducted by it such permission would not be required, provided that the candidate applied for admission within a fortnight of the declaration of the result.

2. Admission: Specific Requirements

- 2.1 Admission up to Class VIII (i.e. Class VIII and below) shall be regulated by the rules, regulations, orders applicable to the place where the school is located.
- 2.2 Admission to Class IX in a school shall be open only to such a student who has completed a regular course of study for class VIII and achieved the Learning Outcomes of Grade VIII from an institution affiliated to the Board or to any recognized Board as per equivalence granted.
- 2.3 Admission to Class X as the syllabus prescribed at Secondary level is of two years integrated course, no admission shall be taken in Class X directly. Provided further that admission to class X in a school shall be open only to such a student who:
 - (a) has completed a regular course of study of Grade IX from a 'School' /an institution affiliated to this Board; and
 - (b) has been declared fit for promotion to Class X or obtained minimum Grade D in all the subjects as per the Scheme of Studies prescribed by the Board under Scholastic Area under the Continuous and Comprehensive Evaluation Scheme in Grade IX conducted by a 'School' /an institution affiliated to this Board / affiliated to any recognized Board in India or abroad subject to submission of the Performance Profile and the Transfer Certificate of the student duly countersigned by the educational authorities of the Board/Country concerned.

- 1.3 जिस विद्यार्थी को विनिष्कासन का दंड दिया गया हो अथवा जिसे बोर्ड/विश्वविद्यालय/विद्यालय से निष्कासित किया गया हो अथवा किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी कारण से किसी भी निर्धारण/परीक्षा में शामिल होने से रोक लिया गया हो, उसके सीबीएसई-आई पाठ्यक्रम अर्पण कराने वाले विद्यालय में किसी भी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- 1.4 जो विद्यार्थी अगली उच्च कक्षा में प्रोन्नित के लिए अर्हता-प्राप्त है उसको विद्यालय कि किसी उच्च कक्षा में प्रवेश अथवा प्रोन्नित तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक वह उस कक्षा में अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता जिसमें उसने शैक्षिक सत्र के शुरूआत में प्रवेश लिया था और उसने संबंधित शैक्षिक सत्र/अविध के अंत में विद्यालय आधारित निर्धारण के निष्पादन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर लिया है।
- 1.5 बोर्ड से संबद्ध किसी भी विद्यालय में कक्षा-9 तथा उससे उच्चतर किसी कक्षा में 31 अगस्त के बाद किसी भी विद्यार्थी को अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 31 अगस्त के पश्चात ऐसे प्रवेश की अनुमित के आवेदन विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से भिजवाएं जाएं जिसमें ऐसे अपिरहार्य कारणों का उल्लेख किया गया हो बोर्ड/विद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए पात्र होने के लिए परीक्षार्थी को बोर्ड की परीक्षा उप-विधि के अनुसार कक्षा IX, X, XI, XII में उपिरथित प्रतिशत (75 %) पूर्ण करना होगा। ऐसे मामलों में जहाँ बोर्ड द्वारा देरी से घोषित निर्धारण/परीक्षा-पिरणामों के कारण विद्यार्थी उच्चतर कक्षा में विहित तिथि तक प्रवेश नहीं ले सका, इस प्रकार की अनुमित की आवश्यकता नहीं होगी बशर्ते कि विद्यार्थी ने परीक्षा-पिरणाम घोषित होने की तिथि के दो सप्ताह के भीतर प्रवेश के लिए आवेदन किया हो।

2. प्रवेशः विशेष अपेक्षाएं

- 2.1 कक्षा VIII (अर्थात कक्षा VIII और इससे नीचे की कक्षा में) तक के प्रवेश को राज्य⁄संघ जिस स्थान पर विद्यालय स्थित है, में लागू के नियमों, विनियमों, आदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा।
- 2.2 किसी विद्यालय में कक्षा IX में प्रवेश ऐसे विद्यार्थी को दिया जाएगा जिसने कक्षा- VIII नियमित विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है और प्रदत समानक के अनुसार बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों अथवा किसी अन्य बोर्ड से श्रेणी VIII के पढ़ाई के पिरणाम प्राप्त किए हैं।
- 2.3 कक्षा X में प्रवेश जैसा कि पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है कि माध्यिमक स्तर पर दो वर्ष का एकीकृत कोर्स है, कक्षा X में कोई प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा किसी विद्यालय में कक्षा X में विद्यार्थी को तभी प्रवेश दिया जाएगा बशर्ते कि उसने :-
 - क) इस बोर्ड से संबद्धता प्राप्त 'विद्यालय' $\scriptstyle \prime$ संस्थान से ग्रेड m IX का नियमित अध्ययन पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो : और
 - ख) कक्षा X में उन्नयन के लिए पात्र घोषित किया गया है अथवा उसने बोर्ड द्वारा शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित अध्ययन योजना के अनुसार सभी विषयों में न्यूनतम ग्रेड-डी और बोर्ड से संबद्ध/भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध किसी विद्यालय संस्थान द्वारा संचालित ग्रेड IX में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के तहत सह-शैक्षिक क्षेत्रों में न्यूनतम ग्रेड प्राप्त की है बशर्ते कि विद्यार्थी की संबंधित बोर्ड/देश के शैक्षिक प्राधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित रिपोर्ट-पुस्तिका और स्थानांतरण प्रमाण पत्र जमा किया जाए।

- 2.4 Admission to Class XI under CBSE-i shall be open only to such a student who has qualified
 - a) Secondary school course (Grade X) conducted by the Board along with school based assessment, over a period of two years in grades IX and X in subjects offered under the CBSE-i which may vary from year to year.
 - b) An equivalent certification provided by any other recognized Board of Secondary Education/ University in India or Abroad.
- 2.5 Admission to Class XII as the syllabus prescribed at Senior Secondary level is of two years integrated course, no admission shall be taken in Class XII directly. Provided further that admission to class XII in a school shall be open only to such a student who:
 - (a) has completed a regular course of study of Grade XI from a 'School' /an institution affiliated to this Board; and
 - (b) has been declared fit for promotion to Class XII or obtained minimum Grade D in all the subjects as per Scheme of Studies prescribed by the Board in Scholastic Area in Grade XI conducted by a 'School' /an institution affiliated to this Board / affiliated to a recognized Board in India or Abroad subject to submission of the Report Book and the Transfer Certificate of the student duly countersigned by the educational authorities of the Board/ Country concerned.

In case, of all such admissions the schools would obtain post facto approval of the Board within one month of admission of the student

Notwithstanding anything contained in the Rules above, the Chairman, CBSE shall have the powers to allow change of school for better academic performance, medical reasons etc. to avoid undue hardship to any candidate(s).

3. Admission Procedure

- 3.1 Admission register in the form prescribed by the Local Government / Education Board concerned shall be maintained by the "School" where the name of every student joining 'the School' shall be entered.
- 3.2 Successive admission numbers must be allotted to students on their admission and each student should retain this number throughout the entire span of his schooling in a particular school. A student returning to the school after absence of any duration shall resume his original admission number.
- 3.3 If a student applying for admission to a school has attended any other school, an authenticated copy of the Transfer Certificate from his last school must be procured before his name can be entered in the Admission Register. The format of the Transfer Certificate is giver at Annexure-1 of these Bye-Laws.

- 2.4 सी बी एस ई-आई के अंतर्गत कक्षा XI में प्रवेश ऐसे विद्यार्थी को दिया जाएगा जिसने-
 - क) ग्रेड IX तथा X में दो वर्ष की अविध में विद्यालय आधारित निर्धारण सिंहत बोर्ड द्वारा संचालित माध्यिमक विद्यालय कोर्स (ग्रेड-X) तथा सी बी एस ई- आई के तहत दिए गए विषयों में जिसमें वर्ष दर वर्ष परिवर्तन हो सकता है, में अर्हता प्राप्त की हो।
 - ख) भारत या विदेश में अन्य किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड⁄विश्वविद्यालय से समतुल्य प्रमाण पत्र में अर्हता प्राप्त की हो।
- 2.5 कक्षा-XII में प्रवेश चूंकि विरष्ठ माध्यमिक स्तर पर निर्धारित पाठ्यक्रम दो वर्ष का एकीकृत कोर्स है, कक्षा-XII में सीधे प्रवेश नहीं लिया जाएगा। परंतु इसके अतिरिक्त किसी विद्यालय में कक्षा-XII में प्रवेश ऐसे विद्यार्थी को दिया जाएगा जिसने -
 - क) इस बोर्ड से संबद्ध एक 'विद्यालय' $\sqrt{\pi}$ संस्थान से श्रेणी \sqrt{XI} का नियमित पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है; और
 - ख) वह कक्षा XII में प्रोन्नित के लिए पात्र घोषित किया गया है अथवा उसने बोर्ड से संबद्ध⁄भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध िकसी 'विद्यालय'⁄संस्थान द्वारा संचालित श्रेणी XI में बोर्ड द्वारा शैक्षिक क्षेत्र में निर्धारित अध्ययन योजना के अनुसार सभी विषयों में न्यूनतम ग्रेड-डी प्राप्त किया है बशर्ते कि विद्यार्थी की संबंधित बोर्ड⁄संबंधित देश के शैक्षिक प्राधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित रिपोर्ट-पुस्तिका और स्थानांतरण प्रमाण पत्र जमा किया जाए।

ऐसे सभी दाखिलों की स्थिति में विद्यालय द्वारा विद्यार्थी को प्रवेश देने के एक माह के भीतर बोर्ड से कार्योत्तर अनुमोदन लिया जाएगा।

उपर्युक्त नियमों में निर्द्धिष्ट विवरण के होते हुए भी, अभ्यर्थियों को अनुचित कठिनाइयों से बचाने व उनके बेहतर शैक्षिक निष्पादन, चिकित्सीय कारणों इत्यादि के लिए अध्यक्ष, के मा.शि.बो. के पास विद्यालय परिवर्तन की शक्ति विद्यामन रहेगी।

3. प्रवेश-प्रक्रिया

- 3.1 संबंधित स्थानीय शासन⁄शैक्षिक बोर्ड द्वारा निर्धारित रूप में प्रवेश रजिस्टर ''विद्यालय'' द्वारा रखा जाएगा, जिसमें ''विद्यालय'' में प्रवेश करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का नाम दर्ज किया जाएगा।
- 3.2 आनुक्रमिक प्रवेश संख्या विद्यार्थियों को उनके प्रवेश लेने पर आबंटित की जाएगी और प्रत्येक विद्यार्थी यह संख्या विद्यालय में अपनी पूर्ण अविध तक रखेगा। किसी भी अविध तक अनुपिस्थित रहने के बाद विद्यालय वापस आने वाले विद्यार्थी को उसकी मूल प्रवेश संख्या दी जाएगी।
- 3.3 यदि विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन कर रहे विद्यार्थी ने अन्य किसी विद्यालय में अध्ययन किया है तो, प्रवेश पंजिका में नाम की प्रविष्टि से पूर्व पिछले विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण पत्र की सांक्ष्यांकित प्रति ली जाए। स्थानांतरण प्रमाण पत्र का आरूप इन उप-विधियों के 'संलग्नक 1' में दिया गया है।

- 3.4 In no case shall a student be admitted into a class higher than that for which he is entitled according to the transfer certificate.
- 3.5 A student shall not be allowed to migrate from one "School" to another during the session after his name has been sent to the Board for the CBSE-i Secondary School (Class X) and Senior School Certificate (Class XII) Assessments. This condition may be waived off in special circumstances by the Chairman of the Board.
- 3.6 A student leaving his school at the end of a session or who is permitted to leave his school during the session shall on payment of all dues, receive an authenticated copy of the Transfer certificate up to date. A duplicate copy may be issued if the head of the institution is satisfied that the original is lost but it shall always be so marked.
- 3.7 In case a student from an institution not affiliated to the Board seeks admission in a school affiliated to the Board offering CBSE-i, such a student shall produce a transfer certificate duly countersigned by educational authorities of Board/Country concerned.
- 3.8 If the statement made by the parents or guardian of a student or by the student himself (if he is a major at the time of his admission to a school) is found to contain any willful misrepresentation of facts regarding his/her career, the head of the institution may punish him as per the Rule applicable in the country where the school is situated and the matter may be reported to the Board.

4. Academic Qualifications to undertake a course of study under CBSE-i

- 4.1 To undertake a course of study at Secondary level under CBSE-i, a candidate should have:
 - (a) Studied and achieved the performance targets for the Middle School (Class VIII) of this Board or of an affiliated/recognized school at least two years earlier than the year in which he would take Secondary -Class X Summative Assessments conducted by the Board/the Senior Secondary School affiliated to the Board;
 - (b) Secured a minimum grade D in all the five main subjects of internal Assessment at the examination referred to at (a) above;
- 4.2 To undertake a course of study at Senior Secondary level under CBSE-i; a candidate should have:
 - (a) Studied and qualified the Secondary level course (Grade X) of a Board or of any affiliated/ recognized school at least two years earlier than the year in which he would take Senior Secondary Class XII Examination conducted by the Board.
 - (b) Secured a grade higher than grade E in each of the subjects of internal assessment at the examination referred to at (a) above;

- 3.4 विद्यार्थी को किसी भी स्थिति में उस कक्षा से उच्चतर कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसमें वो स्थानांतरण प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेश लेने का हकदार है।
- 3.5 विद्यार्थी का नाम सी बी एस ई-आई माध्यमिक विद्यालय (कक्षा-X) और विरष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र (कक्षा-XII) निर्धारण के लिए बोर्ड को भेजने के उपरांत उस सत्र में इसे एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रवास करने की अनुमित नहीं दी जाएगी। बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विशेष पिरिस्थितियों के कारण इस शर्त में छूट दी जा सकती है।
- 3.6 सत्र के समाप्त होने पर विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थी अथवा ऐसे विद्यार्थी, जिन्हें सत्र के दौरान अपना विद्यालय छोड़ने की अनुमित दी गई हो, विद्यालय की देय राशि का भुगतान करने के बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रित प्राप्त करेगा। यदि संस्था प्रमुख इस बात से संतुष्ट है कि मूल प्रित खो गई है, तो दूसरी प्रित जारी कर सकता है लेकिन उस प्रित पर हमेशा ऐसा अंकित किया जाएगा।
- 3.7 जब कोई विद्यार्थी बोर्ड से संबद्ध संस्था से नहीं है, बोर्ड से संबद्ध ऐसे विद्यालय जिसमें सी बी एस ई- आई प्रस्ताव किया गया है में प्रवेश लेना चाहता है तो ऐसे विद्यार्थी को सबंधिति बोर्ड/देश के शैक्षणिक प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित एक स्थानांतरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 3.8 यदि किसी विद्यार्थी के माता-िपता या अभिभावक द्वारा या स्वयं विद्यार्थी द्वारा (यदि वह विद्यालय में प्रवेश के समय वयस्क था) दिए गए विवरण में विद्यार्थी के शैक्षिक जीवन कैरियर में संबंधित तथ्यों को जानबूझकर अलग ढंग से प्रस्तुत पाया गया हो, तो संस्था प्रमुख यथास्थिति उस देश में लागू नियमों के अनुसार उसे दंडित कर सकता है तथा इस संबंध में बोर्ड को सूचित करें।

4. सी बी एस ई-आई के अंतर्गत पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए शैक्षिक योग्यताएं:

- 4.1 सी बी एस ई आई के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अहर्ताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए:
 - क) उसने इस बोर्ड अथवा संबद्ध मान्यताप्राप्त विद्यालय से मिडल विद्यालय स्तर (कक्षा VIII) में उस वर्ष जिसमें वह बोर्ड द्वारा/बोर्ड से सबंद्ध विरष्ठ माध्यमिक विद्यालय द्वारा संचातित माध्यमिक कक्षा-X, सारांशात्मक निर्धारण परीक्षा में भाग लेगा/लेगी, के कम से कम दो वर्ष पहले अध्ययन किया है व अर्हता प्राप्त की है।
 - ख) उपर्युक्त 'क' में संदर्भित परीक्षा के आंतरिक निर्धारण के सभी पांच विषयों में से प्रत्येक विषय में 'डी' श्रेणी ग्रेड प्राप्त की हो।
- 4.2 सी बी एस ई आई के अंतर्गत वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए विद्यार्थी को निम्नलिखित अर्हताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए :
 - क) उसने बोर्ड अथवा किसी संबद्ध \checkmark मान्यता प्राप्त विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय स्तर के कोर्स में उस वर्ष जिसमें वह बोर्ड की वरिष्ठ माध्यमिक कक्षा-XII परीक्षा में भाग लेगा \checkmark लेगी, के कम से कम दो वर्ष पहले अध्ययन किया है व अर्हता प्राप्त की है।
 - ख) उपर्युक्त 'क' में संदर्भित परीक्षा में आंतरिक निर्धारण के प्रत्येक विषय में 'ई' श्रेणी (ग्रेड) से उच्चतर श्रेणी (ग्रेड) प्राप्त की हो।

5. Admission to Examinations

5.1 General

Notwithstanding anything contained in these Byelaws, no candidate who has been expelled or is under the punishment of rustication or is debarred from attending regular school for any reason whatsoever shall be admitted to any Assessment of the Board for CBSE-i.

5.2 Qualification for Secondary level Examination

- (a) Qualified the Middle School (Class VIII) of the Board or of an affiliated/recognized school at least two years earlier than the year in which he would take Secondary Class X Summative Assessments conducted by the Board/Senior Secondary School affiliated to the Board;
- (b) Secured a minimum grade D in all the five main subjects of internal assessment at the examination referred to at (a) above;
- (c) Qualified Class IX from a school affiliated to the Board or any other recognized Board in India or Abroad at least one year earlier than the year in which he would take the Secondary Class X Summative Assessments conducted by the Board/Senior Secondary School.

5.3 Qualification for Senior Secondary level Examination

- (a) Qualified the Secondary School (Class X) of the Board or any other recognized Board in India or Abroad at least two years earlier than the year in which he would take Senior Secondary Class XII Examination conducted by the Board;
- (b) Secured a minimum grade D in all five main subjects, except 6th additional subject of internal assessment at the examination referred to at (a) above;
- (c) Qualified Class XI Examination from a school affiliated to the Board or any other recognized Board in India or Abroad at least one year earlier than the year in which he would take the Senior Secondary Grade XII Examination conducted by the Board.

6. Regular Candidate

- 6.1 **Definition-** for the purpose of the Byelaws contained in this chapter unless there is something repugnant in the subject or context, a "Regular Candidate" means a student enrolled in a school, who has pursued a regular course of study in a school and seeks admission as such to the CBSE-i Assessment / Examination of the Board at Secondary and Senior Secondary levels.
- **6.2 Explanation -** A candidate whose name is struck off from the rolls of the School after submission of his name/application for admission to the Summative Assessments conducted by the Board at Secondary and Senior Secondary levels shall cease to be a candidate and as such will not be eligible for admission to the assessment examination conducted by the Board/School.

7. Admission to Assessment / Examination for Regular Candidates

7.1 CBSE i Secondary level Class X and Senior Secondary level Class XII Assessment / Examination will be open to such regular candidates who have submitted duly completed application for

5. परीक्षाओं में प्रवेश के संबंध में

5.1 सामान्य

इन उप-विधियों में किसी विवरण के होते हुए भी उस विद्यार्थी को सी बी एस ई आई के लिए बोर्ड की किसी भी निर्धारण परीक्षा में प्रवेश की अनुमित नहीं दी जाएगी जो निष्कासित किया गया है या जो विनिष्कासन के दंड के अधीन है, या जिसे विद्यालय में नियमित अध्ययन के लिए विवर्जित किया गया है।

5.2 माध्यमिक स्तर की परीक्षा के लिए अर्हताएं

- (क) उसने बोर्ड अथवा संबद्ध/मान्यता प्राप्त विद्यालय मिडल की विद्यालय स्तर (कक्षा VIII) में उस वर्ष जिसमें वह बोर्ड/बोर्ड से सम्बद्ध वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की माध्यमिक कक्षा X की सारांशात्मक निर्धारण परीक्षा में भाग लेगा/लेगी, कम से कम दो वर्ष पहले अर्हता प्राप्त की हो।
- (ख) उपर्युक्त 'क' में संदर्भित परीक्षा के आंतरिक निर्धारण के प्रत्येक विषय में न्यूनतम 'डी' श्रेणी (ग्रेड) प्राप्त की हो।
- (ग) उसने बोर्ड अथवा देश या विदेश के अन्य किसी मान्य बोर्ड से संबद्ध विद्यालय से कक्षा- IX उस वर्ष जिसमें वह बोर्ड/विरष्ठ माध्यिमक विद्यालय द्वारा आयोजित माध्यिमक ग्रेड-X सारांशात्मक निर्धारण परीक्षा में भाग लेगा/लेगी, के न्यूनतम एक वर्ष पहले अर्हता प्राप्त की हो।

5.3 वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की परीक्षा के लिए अईताएं

- (क) उसने बोर्ड अथवा देश या विदेश के अन्य किसी मान्य बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय स्तर (श्रेणी-X) के कोर्स में उस वर्ष जिसमें वह बोर्ड द्वारा आयोजित वरिष्ठ माध्यमिक कक्षा-XII परीक्षा में भाग लेगा/लेगी, के कम से कम दो वर्ष पहले अर्हता प्राप्त की हो।
- (ख) उपर्युक्त 'क' में संदर्भित परीक्षा के आंतरिक निर्धारण के छठे आंतरिक निर्धारण के विषय के अथवा सभी पांच विषयों में 'डी' श्रेणी (ग्रेड) प्राप्त की हो।
- (ग) उसने बोर्ड/देश या विदेश के अन्य किसी मान्य बोर्ड से संबद्ध विद्यालय से कक्षा-XI परीक्षा में, उस वर्ष जिसमें वह बोर्ड द्वारा आयोजित विरष्ठ माध्यिमक ग्रेड XII परीक्षा में भाग लेगा/लेगी के न्यूनतम एक वर्ष पहले अर्हता प्राप्त की हो।

6. नियमित विद्यार्थी

- 6.1 परिभाषा नियमित परीक्षार्थी इस अध्याय में निहित उप-विधियों के प्रयोजनों के लिए जब तक विषय अथवा संदर्भ के प्रतिकूल न हो तब तक एक 'नियमित विद्यार्थी' का अर्थ किसी विद्यालय में नामांकित विद्यार्थी से है जिसने किसी विद्यालय में अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा किया हो और माध्यमिक स्तर तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर बोर्ड की सीबीएसई- आई सारांशात्मक निर्धारण परीक्षा में प्रवेश लेना चाहता हो।
- 6.2 स्पष्टीकरण जिस विद्यार्थी का नाम बोर्ड द्वारा माध्यमिक स्तर व विरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर आयोजित की जाने वाले सारांशात्मक निर्धारण के लिए नाम/आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद विद्यालय की नामावली से काट दिया गया है, वह परीक्षार्थी नहीं रहेगा और ऐसा विद्यार्थी बोर्ड/विद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा।

7. नियमित विद्यार्थियों के लिए निर्धारण/परीक्षा में प्रवेश

7.1 सी बी एस ई - आई माध्यमिक स्तर ग्रेड-X और विरष्ठ माध्यमिक स्तर ग्रेड XII निर्धारण/परीक्षा में ऐसे नियमित विद्यार्थी बैठ सकेंगे जिन्होंने संबंधित निर्धारण/परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित शुल्क (संलग्नक-II) सिहत अपना

admission to concerned Assessment/Examination in the manner prescribed by the Board, along with the prescribed fee (vide Annexure II), forwarded to the Board by the Head of the Institution/ School with the following duly certified:

- 1) possesses the academic qualifications laid down in Rule 5 of this chapter;
- 2) has not passed equivalent or higher examination of any other Board/University;
- 3) is on the active rolls of the School;
- 4) has completed a "regular course of study", as defined and detailed in Rule 8 given in this Chapter, in a school in the subjects in which he would appear in Assessment/Examination concerned;
- 5) bears a good moral character and is of good conduct; and
- 6) satisfies all other provisions, applicable to him/her, of the Examination Byelaws and any other provision made by the Board governing admission to the Assessment/Examination concerned, if any.
- 7.2 It is mandatory upon a school affiliated to the Board and offering CBSE-i to follow the Examination Bye Laws of the Board;
- 7.3 No affiliated school shall endeavour to present the candidates who are not on its roll nor will it present the candidates of its unaffiliated branch/schools to any of the Board's CBSE-i Assessment/ Examination.
- 7.4 If the Board has reasons to believe that an affiliated school is not following the Rules under section 7.2 & 7.3 above, the Board will resort to penalties against such school, as deemed fit.

8. A Regular Course of Study

8.1 Requirement of attendance in school including the subjects of internal assessment

- (i) The expression "a regular course of study" referred to in these Bye Laws' means at least 75% of attendance in the classes held, counted from the day of commencing teaching Classes IX/X/XI/XII, as the case may be, upto the 1st of the month preceding the month of the year in which the Summative Assessment / Examination of the School/Board commences. Candidates taking up subject(s) involving practicals shall also be required to have put in at least 75% of the total attendance for practical work in the subject in the laboratory. Heads of Institutions shall not allow a candidate who has offered subject(s) involving practicals to take the practical examination(s) unless the candidate fulfils the attendance requirements as given in this Rule.
- (ii) The expression "a regular course of study" referred to in these Bye Laws means at least 60% of attendance in respect of students participating in Sports at Country level, organized by CBSE or Olympic/National Sports Authority of the country as verified by the Embassy of India, the classes held counted from the day of commencing teaching classes IX/X/XI/XII,

आवेदन विधिवत् रूप से भरकर प्रस्तुत किया हो और निम्निलखित यथाविधि अनुप्रमाणित दस्तावेजों के साथ संस्था/विद्यालय के प्रमुख द्वारा बोर्ड को अग्रेषित किया गया हो।

- 1) वह इस अध्याय के नियम 5 में दी गई शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता है;
- 2) उसने अन्य किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय से समतुल्य या इसमें उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है;
- 3) उसका नाम विद्यालय की वर्तमान नामावली में दर्ज है;
- 4) उसने किसी विद्यालय में इस अध्याय में दिए गए नियम 8 में परिभाषित और निर्दिष्ट अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम उन विषयों में पूरा किया है, जिसमें वह निर्धारण/परीक्षा में बैठेगा;
- 5) उसका नैतिक चरित्र और आचरण अच्छा है; और
- 6) वह परीक्षा उप-विधियों के सभी अन्य प्रावधानों और संबंधित निर्धारण परीक्षा में बैठने के लिए बोर्ड द्वारा बनाए गए किसी अन्य प्राक्कलन यदि कोई हो, को पूरा करता है।
- 7.2 बोर्ड से संबद्धता प्राप्त और सी बी एस ई आई का प्रस्ताव देने वाले किसी भी विद्यालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह बोर्ड की परीक्षा उप-विधि का पालन करें।
- 7.3 बोर्ड की सी बी एस ई- आई निर्धारण परीक्षा के लिए बोर्ड से संबद्ध कोई भी विद्यालय ऐसे परीक्षार्थियों को प्रस्तुत करने का प्रयास न करें जिनका नाम उसकी नामावली में न हो, और न ही ऐसे परीक्षार्थियों को प्रस्तुत करें जो उसकी असंबद्ध शाखा विद्यालयों के विद्यार्थी हों।
- 7.4 यदि बोर्ड को किसी कारणवश यह विश्वास हो जाए कि संबद्ध विद्यालय उपर्युक्त धारा 7.2 व 7.3 के अंतर्गत दिए गए नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो बोर्ड द्वारा विद्यालय पर यथोचित दंड दिया जाएगा/जुर्माना लगाया जाएगा।

8. अध्ययन का नियमित पाट्यक्रम

8.1 आंतरिक निर्धारण के सहित विषयों सहित विद्यालय में उपस्थिति की अपेक्षा

- (i) इन उप-विधियों में निर्दिष्ट "अध्ययन का एक नियमित पाठ्यक्रम" का अभिप्रायः कक्षाओं में दिए गए व्याख्यानों में कम से कम 75 % उपस्थिति से है। इसकी गणना कक्षा IX,X,XI/XII यथास्थिति का अध्ययन शुरू होने की तारीख से लेकर उस माह जिसमें विद्यालय∕बोर्ड की सारांशात्मक निर्धारण∕परीक्षा शुरू होती है, के पूर्ववर्ती माह की 1 तारीख तक की जाती है। प्रायोगिक विषयों सहित विषय लेने वाले परीक्षार्थियों को प्रयोगशाला में विषय के प्रायोगिक कार्य के लिए भी कल उपस्थिति का कम से कम 75% उपस्थिति अपेक्षित होगी। इस नियम के निर्देशानुसार संस्थानों के प्रमुख ऐसे परीक्षार्थी को प्रायोगिक परीक्षा में बैठने की अनुमति तब देंगे जब उसने प्रायोगिक विषय की उपस्थित की अनिवार्यताएं पूरी कर ली हो।
- (ii) इन उपविधियों में निर्दिष्ट अभिव्यक्ति अध्ययन का एक नियमित पाठ्यक्रम का अभिप्रायः सी बी एस ई अथवा ओलम्पिक/देश के राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित भारतीय दूतावास द्वारा सत्यापित राष्ट्रीय स्तर

as the case may be, up to the 1st of the month preceding the month of the year in which the examination of the School/Board commences. Candidates taking up a subject(s) involving practicals shall also be required to have put in at least 60% of the total attendance for practical work in the subject in the laboratory. Heads of Institutions shall not allow a candidate who has offered subject(s) involving Practicals to take the practical examination (s) unless the candidate fulfils the attendance requirements as given in this Rule.

- (iii) The candidate who has not qualified the same examination in the preceding year and who rejoins Classes IX/X/XI/XII as the case may be, shall also be required to have put in at least 75% of attendance calculated on the possible attendance from the 1st of the month following the publication of the results of the final examination by the School/ Board upto the 1st of the month preceding the month of the year in which the examination of the School/Board commences.
- (iv) The candidate who has not qualified in the same examination in the preceding year and who rejoins classes IX/X/XI/XII as the case may be, shall also be required to have put in at least 60% of attendance if he is participating in Sports at Country level organized by CBSE or Olympic/National Sports Authority of the country as verified by the Embassy of India, calculated on the possible attendance from the 1st of the month following the publication of the results of the final examination by the School/Board upto the 1st of the month preceding the month in which the examination of the School/Board commences.
- (v) In the case of migration from other institutions, attendance at the Institution/school recognized by the Education Department of the Local Authority/Country from which the candidate migrates will be taken into account in calculating the required percentage of attendance.

8.2 Exemption in attendance for the subjects of Internal Assessment

- (i) Exemption from study of subjects under Core Areas like SEWA, Life Skills including Creative thinking, Research and Perspectives or Co-Scholastic Areas like Visual and Performing Arts/W.E/ Art Education/ Physical & Health Education may be granted to a candidate on medical grounds in respect of CBSE-i Secondary / Senior Secondary Examinations conducted by the Board provided the application is supported by a certificate given by a Registered Medical Officer and forwarded by the Head of the School with his recommendations.
- (ii) The Chairman, CBSE shall have the powers to condone shortage of attendance in the subjects of Internal Assessment.

9. RULES FOR CONDONATION OF SHORTAGE OF ATTENDANCE

(i) If a candidate's attendance falls short of the prescribed percentage, in case of students appearing for the CBSE-i Secondary or Senior Secondary School Examinations conducted by the Board/School, the Head of the School may submit his/her name to the Board provisionally. If the candidate is still short of the required percentage of attendance within

के खेलकूदों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के संबंध में आयोजित कक्षाओं में कम से कम 60% प्रतिशत उपस्थिति से है। इसकी गणना अध्ययन कक्षा IX, X, XI, XII, जैसा भी मामला हो, का अध्ययन शुरू होने के दिन से लेकर उस माह जिसमें बोर्ड/विद्यालय की परीक्षा शुरू होती है के पूर्ववर्ती माह की पहली तारीख तक की जाती है। प्रायोगिक वाले विषयों को लेने वाले परीक्षार्थियों को प्रयोगशाला में विषय के प्रायोगिक कार्य के लिए भी कुल उपस्थिति की कम से कम 60% उपस्थिति अपेक्षित होगी। संस्थानों के प्रमुख ऐसे परीक्षार्थी जिसने प्रायोगिक वाले विषय लिए हों, को प्रायोगिक परीक्षा में बैठने की अनुमित तब तक नहीं देंगे जब तक परीक्षार्थी इस नियम में दी गई अपेक्षित उपस्थिति पूरी नहीं कर लेता।

- (iii) जो विद्यार्थी पूर्ववर्ती वर्ष में उसी परीक्षा में अनुतीर्ण हो गया था और कक्षा IX/X/XI/XII जैसी भी स्थिति हो, में पुनः दाखिला लेते हैं, उन्हें विद्यालय/बोर्ड द्वारा अंतिम परीक्षा के परिणाम घोषित होने के पश्चात आगामी माह की एक तारीख से लेकर उस माह जिसमे बोर्ड की परीक्षा शुरू होती है, के पूर्ववर्ती माह की एक तारीख तक कुल संभावित उपस्थिति में से 75% उपस्थिति होनी चाहिए।
- (iv) जो विद्यार्थी पूर्ववर्ती वर्ष में उसी परीक्षा में अनुतीर्ण हो गया था और कक्षा IX/X/XI/XII जैसी भी स्थिति हो, में पुनः दाखिला लेता है बोर्ड/ विद्यालय द्वारा उस परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किए जाने के अनुवर्ती माह की पहली तारीख से लेकर उस माह जिसमें बोर्ड/विद्यालय की परीक्षा शुरू होती है के पूर्ववर्ती माह की पहली तारीख तक सी बी एस ई अथवा देश के राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित एवं भारतीय दूतावास द्वारा सत्यापित राष्ट्रीय स्तर के खेल-कूदों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के संबंध में कुल संभावित उपस्थिति में से 60 प्रतिशत उपस्थिति अपेक्षित होगी।
- (v) अन्य संस्था से स्थानांतरण होने के मामले में ऐसे स्थानीय प्राधिकरण/देश के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था/विद्यालय में जहां से परीक्षार्थी स्थानांतिरत होता है, परीक्षार्थी की उपिस्थिति को, उपिस्थिति की अपेक्षित प्रतिशतता की गणना करते समय शामिल किया जाएगा।

8.2 आन्तरिक निर्धारण के विषयों के लिए उपस्थिति में छूट

- (i) बोर्ड द्वारा संचालित सी बी एस ई आई माध्यिमक/विरष्ठ माध्यिमक परीक्षाओं के संबंध में एक विद्यार्थी को 'कोर' क्षेत्रों एसईडब्ल्युए, जीवन-कौशल जिसमें सृजनात्मक चितन, अनुसंधान और पिरप्रिक्ष्य सिम्मिलित हैं या सह-शैक्षिक क्षेत्र जैसे दृश्य व अभिनय कलाओं/डब्ल्यूई/कला शिक्षा/शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा में विषयों के अध्ययन से चिकित्सीय आधार पर छूट मिल सकती है बशर्ते ऐसा निवेदन रिजस्टर्ड चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया हो और विद्यालय के प्रमुख की संस्तुति के साथ अग्रेषित किया गया हो ।
- (ii) आंतरिक निर्धारण के विषयों में उपस्थितियों की कमी को छूट देने की शक्ति अध्यक्ष को होगी।

9. उपस्थिति में कमी के लिए माफी के नियमः

(i) बोर्ड/विद्यालय द्वारा आयोजित सी बी एस ई - आई माध्यिमक अथवा वरिष्ठ माध्यिमक विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के मामले में अगर किसी परीक्षार्थी की उपस्थिति निर्धारित प्रतिशत से कम हो जाती है तो विद्यालय प्रमुख उसका नाम अंतरिम रूप में बोर्ड को प्रस्तुत कर सकता है। अगर परीक्षार्थी की उपस्थिति परीक्षा आरंभ होने के तीन सप्ताह पहले अपेक्षित प्रतिशत से कम होती है तो

three weeks of the commencement of examination, the Head of the Institution shall report the case to the Board immediately. If in the opinion of the Head of the Institution, the candidate deserves special consideration, he may submit his recommendation to the Board not later than three weeks before the commencement of the examination for condonation of shortage in attendance by the Chairman, CBSE who may issue orders as he may deem proper. The Head of the school in his letter requesting for condonation of shortage in attendance, should give the maximum possible attendance to a student counted from the day of commencing teaching of Classes X/XII (beginning of the session) up to the 1st of the month preceding the month of the year in which the examination of the Board commences, attendance by the candidate in question during the aforesaid period and the percentage of attendance by such a candidate during the aforesaid period.

- (ii) Shortage up to 25% only may be condoned by the Chairman in respect of those students appearing for the CBSE-i Secondary / Senior Secondary School Examination conducted by the Board/School. Cases of candidates with attendance below 50% in classes X and XII, appearing for the Board's examination shall be considered for condonation of shortage of attendance by the Chairman only in exceptional circumstances created on medical grounds, such as candidate suffering from serious diseases like cancer, AIDS, TB or similar serious diseases requiring long period of hospitalization.
- (iii) The Principal shall refer a case of shortage within the above prescribed limit of condonation to the Board, either with the recommendation or with valid reasons for not recommending the case.
- (iv) The following may be considered valid reasons for recommending the cases of the candidates with attendance less than the prescribed percentage:
 - a) prolonged illness
 - b) loss of father/mother or some other such incidence leading to his absence from the school and meriting special consideration and
 - c) any other reasons of similar serious nature
 - authorized participation in sponsored tournaments and sports meets of not less than inter school level and at SEWA Activities under camps including the days of journeys for such participation shall be counted as full attendance;
 - e) authorized participation in sports at Country level organized by CBSE or Olympic/ National Sports Authority of the Country
 - f) Movement of wards of expatriates to their homeland in exceptional circumstances.

10. Detaining of Eligible Candidates

In no case the Heads of affiliated schools shall detain eligible candidates from appearing at the Summative Assessment/ Examination.

विद्यालय प्रमुख मामले की सूचना बोर्ड हो तत्काल देगा। अगर संस्था के प्रमुख की राय में परीक्षार्थी पर विशेष विचार किया जा सकता है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व बोर्ड को अध्यक्ष सी बी एस ई द्वारा उपस्थिति में माफी देने के लिए सिफारिश प्रस्तुत कर सकता है, जो यदि वह उचित समझे तो इस संबंध में आदेश जारी कर सकता है। उपस्थिति में कमी की माफी के लिए अनुरोध करते हुए विद्यालय के प्रमुख को अपने पत्र में किसी विद्यार्थी की शैक्षणिक सत्र की अधिकतम संभव उपस्थिति कक्षा X/XII सत्र का प्रारंभ होने के दिन से उस महीने से पहले जिसमें बोर्ड परीक्षा शुरू करता है, के महीने की पहली तारीख तक का ब्यौरा देना चाहिए। इसके साथ ही पूर्वोक्त अविध के दौरान संबंधित विद्यार्थी की उपस्थिति तथा उस पूर्वोक्त अविध के दौरान ऐसे परीक्षार्थी की उपस्थिति की प्रतिशतता का ब्यौरा भी देना चाहिए।

- (ii) बोर्ड द्वारा आयोजित सी बी एस ई-आई माध्यमिक विरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के संबंध में अध्यक्ष द्वारा उपस्थिति में केवल 25% तक की छूट दी जा सकती है। बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए कक्षा X अथवा XII में 50% से कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों के मामलों पर उपस्थिति में कमी की छूट (माफी) पर केवल अध्यक्ष द्वारा चिकित्सा आधार पर विशेष परिस्थितियों जैसे कि गंभीर लंबी बीमारी से ग्रिसत हों, जैसे कैंसर एड्स, टी. बी. अथवा इसी प्रकार की गंभीर लंबी बीमारी जिसके लिए दीर्घ अविध तक अस्पताल में रहना अपेक्षित हो, पर विचार किया जा सकता है।
- (iii) प्रधानाचार्य उपस्थिति में कमी के मामले को बोर्ड के पास माफी की उपर्युक्त निर्धारित सीमा के भीतर या तो सिफारिश भेजेगा या मामले की सिफारिश न करने पर वैध कारण भेजेगा।
- (iv) निर्धारित प्रतिशतता से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों के मामलों की सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित को वैध कारण माना जा सकता है।
 - क लंबी बीमारी
 - ख पिता/माता की मृत्यु अथवा विद्यालय से उसकी अनुपस्थिति का कारण बनने वाली विशेष विचारणीय ऐसी कोई अन्य घटना;
 - ग ऐसी ही गंभीर प्रवृत्ति का कोई अन्य कारण
 - घ कम से कम अंतरविद्यालय स्तर के प्रायोजित टूर्नामेंट तथा खेलकूद प्रतियोगिता तथा शिविरों के अंतर्गत एस ई डब्ल्यु ए गतिविधियों के प्राधिकृत भागीदारी के लिए यात्रा के दिनों को पूर्ण उपस्थिति के रूप में गिना जाएगा।
 - ड. सी बी एस ई या ओलम्पिक/देश की राष्ट्रीय खेलकूद प्राधिकरण द्वारा देश स्तर पर आयोजित खेल कूदों में प्राधिकृत सहभागिता।
 - च निर्वासितों के बार्डों का विशिष्ट परिस्थितियों में उनके गृह स्थान की ओर संचलन।

10. पात्र परीक्षार्थियों को रोकना।

संबद्ध विद्यालयों के प्रमुख किसी भी परिस्थिति में पात्र परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने से नहीं रोकेंगे।

11. Private Candidates

For the purpose of the Bye-Laws contained in this Chapter unless there is something repugnant in the subject or context, a 'Private Candidate' means a person who is not a regular candidate but, under the provisions of these Bye-Laws, is allowed to undertake CBSE-i Summative Assessment / Examination at Secondary / Senior Secondary level.

11.1 Persons eligible to appear as Private Candidate in CBSE-i

A candidate who has completed a regular course of study from a school affiliated to the Board which is offering CBSE-i but could not qualify the Secondary / Senior Secondary level Summative Assessment / Examination will be eligible to reappear at the subsequent Summative Assessment / Examination as a Private Candidate in the syllabus and textbooks as prescribed for the Assessment / Examination of the year in which he will reappear.

11.2 Procedure for Submission of Application of Private Candidates

- (i) A private candidate must submit to the Board within the prescribed limit an application in the form prescribed together with the prescribed fee for the examination (vide Annexure II) and three copies of passport size photographs duly signed by the candidate and countersigned by the Head of a School affiliated to the Board.
- (ii) If the application of a private candidate is received after the prescribed date, he shall pay late fee as prescribed.
- (iii) When a private candidate's application for admission to the examination is rejected on account of non-eligibility or making any false statement, the full amount of fee remitted shall be forfeited.
- (iv) A private candidate shall not be allowed to offer a subject which is not being taught in an affiliated School.
- (v) Private candidates shall not be allowed to offer such subjects for the examination which involve practical work except in the case of candidates who have not qualified earlier and had completed regular course of study at an institution affiliated to the Board in the previous academic year.

12. Exemptions to those students who are Differently Abled such as Blind, Physically Handicapped, Autistic, Dyslexic, Spastic and other categories defined in the Persons with Disabilities Act,1995.

(i) Spastic, Blind, Physically Handicapped, Dyslexic, Autistic appearing for the Secondary/ Senior Secondary School Examination is permitted to use an amanuensis and shall be allowed an additional time as given below:

For paper of 3 hours duration 60 minutes For paper of $2\frac{1}{2}$ hours duration 50 minutes For paper of 2 hours duration 40 minutes For paper of $1\frac{1}{2}$ hours duration 30 minutes

11. प्राइवेट परीक्षार्थी

इस अध्याय में निहित उप-विधियों के प्रयोजन के लिए जब तक विषय अथवा पिरप्रेक्ष्य में कुछ असंगत न हो, ''प्राइवेट परीक्षार्थी'' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो नियमित विद्यार्थी नहीं है अपितु इन उप-विधियों के उपबंधों के अधीन उसे माध्यमिक/विरष्ठ माध्यमिक स्तर पर सी बी एस ई - आई सारांशात्मक निर्धारण/परीक्षा में बैठने की अनुमित दी जाती है।

11.1 सीबीएसई - आई में 'प्राइवेट परीक्षार्थी' के रूप में बैठने के पात्र व्यक्ति

एक विद्यार्थी जिसने बोर्ड से संबद्ध सीबीएसई - आई प्रदान करने वाले विद्यालय से अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा किया है लेकिन माध्यमिक विद्यालय स्तर की सारांशात्मक निर्धारण परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं की है, वह अपनी अनुवर्ती सारांशात्मक निर्धारण परीक्षा में उसी वर्ष के निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तकों के अंतर्गत एक प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में पुनः बैठने का पात्र होगा।

11.2 प्राइवेट परीक्षार्थियों के आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

- (i) प्राइवेट परीक्षार्थी को परीक्षा के लिए (सलंग्नक -II देखें) निर्धारित शुल्क सिहत विहित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत बोर्ड को प्रस्तुत करना होगा और आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट आकार की फोटो की तीन प्रतियाँ परीक्षार्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और बोर्ड से संबद्ध विद्यालय के प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगी, संलग्न होगी।
- (ii) यदि किसी प्राइवेट परीक्षार्थी का आवेदन निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त होता है तो उसे यथा निर्धारित विलंब शुल्क अदा करना होगा।
- (iii) यदि किसी विद्यार्थी के अपात्र होने या गलत विवरण देने के कारण उसका आवेदन रद्द कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में शुल्क की पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी।
- (iv) प्राइवेट परीक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में कोई ऐसा विषय लेने की अनुमित नहीं दी जाएगी जिसे संबद्ध विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता है।
- (v) प्राइवेट परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए ऐसे विषय नहीं दिए जाएंगे जिसमें प्रायोगिक कार्य सम्मिलित हो। केवल उन परीक्षार्थियों को छोड़कर जिन्होंने पूर्व में अर्हता प्राप्त नहीं की और पिछले शैक्षणिक वर्ष में बोर्ड से संबद्ध किसी संस्थान से अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा किया है।

12. दृष्टिहीन, शारीरिक रूप से विकलांग, आटिस्टिक, डिस्लेक्सिक, मस्तिष्क सस्तंभ से पीड़ित (स्पेस्टिक) के लिए छूट और निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में परिभाषित, असक्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए छूट।

(i) माध्यमिक विद्यालय परीक्षा अथवा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में बैठने वाले स्पेस्टिक, दृष्टिहीन, शारीरिक रूप से विकलांग, डिस्लेक्सिक, आटिस्टिक परीक्षार्थियों को लेखन लिपिक की सेवाएं लेने की अनुमित है और उसे नीचे दिए गए अनुसार अतिरिक्त समय दिया जाएगाः

 3 घंटे के प्रश्न पत्र के लिए
 60 मिनट

 2½ घंटे के प्रश्न पत्र के लिए
 50 मिनट

 2 घंटे के प्रश्न पत्र के लिए
 40 मिनट

 $1\frac{1}{2}$ घंटे के प्रश्न पत्र के लिए 30 मिनट

- (ii) The Board will consider the Physio-therapic exercises as equivalent to Physical and Health Education course of the Board.
- (iii) Candidates with visual and hearing impairment, Spastic, Dyslexic and Autistic students have the option of studying one compulsory language as against two in class X. Besides one language, any four of the following subjects be offered.

Science, Social Science, Mathematics (Core or Elective) another language from those offered by the Board, Music, Painting, Home Science, Information and Communication Technology and Commerce (Elements of Business, Elements of Book Keeping)

13. Use of Amanuensis and appointment of Amanuensis

- (i) Amanuensis may be allowed in the following cases:
 - (a) to a blind, physically handicapped or spastic candidate
 - (b) on sudden illness rendering the candidate unable to write as certified by a Medical Officer of the rank not lower than Assistant Surgeon
 - (c) in the case of an accident rendering the candidate unable to write the examination as certified by a registered Medical Officer
- (ii) The amanuensis must be a student of a class lower than the one for which the candidate is taking the examination.
- (iii) The Superintendent of the examination centre concerned shall choose a suitable amanuensis and forward immediately to the Board, a report giving full particulars of the candidate and of the amanuensis for his consideration and approval.
- (iv) The Superintendent shall arrange a suitable room for the candidate for whom an amanuensis is allowed and appoint one special Assistant Superintendent to supervise his examination.
- (v) The Services of amanuensis shall be provided free of cost.
- (vi) The amanuensis shall be paid by the Board remuneration as prescribed from time to time.

II. SCHEME OF EXAMINATION AND QUALIFYING CRITERIA

14. GENERAL CONDITIONS:

- (i) The Scheme of Assessment/examination and qualifying criteria for CBSE-i Secondary/ Senior Secondary School Examination conducted by the Board shall be as laid down from time to time.
- (ii) School Based Assessments shall be conducted by the Schools as per the criteria laid down by the Board from time to time.
- (iii) The Board will conduct external assessment/examination at the end of Class X and XII in respect of students studying in schools affiliated to the Board upto Secondary/Senior Secondary level. The weight of Summative Assessment (Board Based) may vary from year to year as prescribed by the board.

- (ii) बोर्ड फिजिओ-थेरेपी अभ्यास को शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा पाठ्यक्रम के समकक्ष मानने पर विचार कर लेगा।
- (iii) दृष्टि दोष व श्रवण दोष, स्पेस्टिक, डिस्लेक्सिक, आटिस्टिक से पीड़ित विद्यार्थियों को 10वीं में दो भाषाओं की बजाय एक अनिवार्य भाषा में अध्ययन का विकल्प है। एक भाषा के अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों में से कोई चार विषय लिए जा सकते हैं:

विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित (कोर या ऐच्छिक) अन्य भाषा संगीत, पेंटिंग, गृह विज्ञान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और वाणिज्य (व्यापार के मूलतत्व, बहीखाता पद्धित के मूलतत्व) जो बोर्ड प्रस्तावित करता है

13. लेखन लिपिक (Amanuensis) की सेवाओं का उपयोग और लेखन लिपिक की नियुक्ति

- (i) लेखन लिपिक को निम्नलिखित मामलों में लिया जा सकता है:
 - (क) दृष्टिहीन, शारीरिक रूप से विकलांग अथवा स्पेस्टिक (संस्तभी) विद्यार्थियों के लिए
 - (ख) विद्यार्थी के अचानक बीमार होने के कारण लिखने में असमर्थ होने पर, जिसे कम से कम सहायक सर्जन स्तर के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
 - (ग) विद्यार्थी के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में परीक्षा में उसके लिखने में असमर्थ होने पर, जिसे रजिस्टर्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
- (ii) लेखन लिपिक को इस कक्षा से नीचे की कक्षा का विद्यार्थी होना चाहिए जिसके लिए अभ्यर्थी परीक्षा दे रहा है।
- (iii) संबंधित परीक्षा केंद्र का अधीक्षक उपयुक्त लेखन लिपिक का चयन करेगा और बोर्ड को विचारार्थ और अनुमोदन के लिए तत्काल परीक्षार्थी और लेखन लिपिक का पूर्ण विवरण देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (iv) जिस परीक्षार्थी के लिए लेखन लिपिक की अनुमित दी जाती है उस के लिए अधीक्षक एक उपयुक्त कमरे की व्यवस्था करेगा तथा इसकी परीक्षा के पर्यवेक्षण के लिए एक विशेष सहायक अधीक्षक नियुक्त करेगा।
- (v) लेखन लिपिक की सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
- (vi) लेखन लिपिक को बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित पारिश्रमिक की अदायगी दी जाएगी।

II. परीक्षा की योजना और अर्हता मानदंड

14. सामान्य शर्ते

- (i) बोर्ड द्वारा संचालित सीबीएसई-आई माध्यिमक/वरिष्ठ माध्यिमक विद्यालय परीक्षा के लिए अर्हता मानदंड और निर्धारण (एसेसमेंट)/परीक्षा की योजना समय-समय पर यथानिर्धारित किए जाएंगे।
- (ii) विद्यालय आधारित निर्धारणों का संचालन विद्यालयों द्वारा समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारण मानदंड के अनुसार किया जाएगा।
- (iii) बोर्ड कक्षा X और XII के अंत में बाहरी निर्धारण/परीक्षा का संचालन उन विद्यार्थियों के लिए करेगा जो माध्यमिक/विरष्ठ माध्यमिक स्तर तक बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। सारांशात्मक (समेटिव) निर्धारण (बोर्ड आधारित) का महत्व बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित वर्षानुवर्ष से भिन्न हो सकता है।

- (iv) Class X and XII examinations will be based on the syllabi as prescribed by the Board for Class X and XII from time to time;
- (v) Number of papers, duration of assessment/examination and weightage for each subject/paper will be as specified in the curriculum for the year and may vary from year to year.
- (vi) The assessment/examination would be conducted in theory as well as in practicals, depending upon the nature of the subject(s) and the marks/grades allotted will be as prescribed in the curriculum and also through circulars uploaded on the CBSE-i Portal.
- (vii) Marks/grades shall be awarded for individual subjects.
- (viii) There will be a compulsory online Performance Analysis Test focusing on assessment of analytical and interpretative skills of the students. The fee of this test will be included in the annual examination fee as conveyed to the school from time to time.

15. GRADING (CBSE-I SECONDARY/SENIOR SECONDARY SCHOOL EXAMINATIONS)

- (i) At the CBSE-i Secondary/Senior Secondary School Examination assessment of subjects under Scholastic Area shall be in numerical scores to be converted to Grades on a ninepoint scale which shall be indicated in the Statement of Subject: wise Performance/Certificate of School-Based Assessment. Assessment in subjects under Co-Scholastic Areas shall also be in grades, as per Scheme of Studies.
- (ii) The qualifying grade in each subject under Scholastic Area shall be minimum Grade D
- (iii) The students shall be assessed in subjects under Scholastic Area using the conventional numerical marking and later converted into the grades and the same shall be awarded as under:

MARKS RANGE	GRADE	GRADE POINT
9 1 - 100	A1	10.0
81-90	A2	9.0
71-80	B1	8.0
61-70	B2	7.0
51-60	C1	6.0
41-50	C2	5.0
33-40	D	4.0
21-32	E1	
20 and below	E2	

- (iv) कक्षा X और XII की परीक्षाएं समय-समय पर कक्षा X और XII के लिए बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित पाठ्य विवरणों पर आधारित होंगी।
- (v) पेपरों की संख्या, निर्धारण/परीक्षा की अविध और प्रत्येक विषय/पेपर के लिए भारांक वर्ष के लिए पाठ्यचर्या में यथानिर्धारित होगी और वर्षानुवर्ष भिन्न हो सकती है।
- (vi) निर्धारण/परीक्षा, विषय (यों) के स्वरूप के अनुसार सैद्धांतिक के साथ-साथ प्रायोगिक रूप में संचालित होगी और पाठ्यचर्या में यथानिर्धारित और सीबीएसई-आई पोर्टेल पर अपलोड किए गए परिपत्रों के माध्यम से भी अंक/श्रेणियों (ग्रेड) का आबंटन होगा।
- (vii) अंक/श्रेणियां प्रत्येक विषय के लिए प्रदान की जाएगी।
- (viii) विद्यार्थियों के विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक कौशलों के निर्धारण पर केन्द्रित एक अनिवार्य ऑनलाईन निष्पादन विश्लेषण परीक्षा होगी। इस परीक्षा की फीस समय-समय पर विद्याालय को यथासूचित वार्षिक परीक्षा शुल्क में शामिल होगी।

15. श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) - (सीबीएसई - आई माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा)

- (i) सीबीएसई --आई माध्यमिक/विरष्ठ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में शैक्षिक क्षेत्र के अधीन विषयों आकलन संख्यात्मक अंकों में किया जाएगा जिन्हें एक नौ बिंदु स्केल के आधार पर ग्रेडों में रूपान्तिरत किया जाएगा और जिसे विद्यालय आधारित निर्धारण के प्रमाणपत्र/विषयवार निष्पादन के विवरण में दर्शाया जाएगा। अध्ययन की योजना के अनुसार शैक्षिक क्षेत्रों के अधीन विषयों में निर्धारण भी ग्रेडों में होगा।
- (ii) शैक्षिक क्षेत्र के अधीन प्रत्येक विषय में अर्हता ग्रेड न्यूनतम ग्रेड 'डी' होगा।
- (iii) शैक्षिक क्षेत्र के अधीन विषयों मे छात्रों का निर्धारण पारंपरिक संख्यात्मक अंक विधि का प्रयोग करते हुए किया जाएगा और बाद में उसे ग्रेडों में रूपांतरित किया जाएगा और उन्हें निम्नानुसार प्रदान किया जाएगा :-

अंकों की श्रेणी	ग्रेड	ग्रेड बिन्दु
91-100	ए।	10.0
81-90	ए2	9.0
71-80	बी1	8.0
61-70	बी2	7.0
51-60	सी1	6.0
41-50	सी2	5.0
33-40	डी	4.0
21-32	ई।	-
20 और कम	ई2	-

(iv) Cumulative Grade Point Average (CGPA) shall also be reflected in the Statement of Subject wise Performance.

Note: Cumulative Grade Point Average (CGPA) is the average of Grade Points obtained in all the subjects excluding 6th additional subject as per Scheme of Studies. Subject wise and overall indicative percentage of marks can be assessed as under:

- Subject wise indicative percentage of marks = 9.5 x GP of the subject
- Overall indicative percentage of marks = 9.5 x CGPA

16. SCHEME OF EXaminations (SECONDARY/SENIOR SECONDARY SCHOOL EXAMINATION)

- (i) Formative Assessment in the subjects under Scholastic Area for IX, X, XI. XII specific shall be undertaken by the schools Summative Assessment may be taken by the Board for class X based on the specifications given in the Curriculum document and circulars available on the CBSE-i Portal Assessment on Co-Scholastic areas may be based on the indicators of assessments provided.
- (ii) The evaluation for subjects under Scholastic Area and Co-Scholastic Areas shall be based on cumulative record of the candidate during his/her continuous assessment in the school.
- (iii) Schools are expected to maintain regular records of student's achievement and progress.

 These records are subject to scrutiny by the Board when it deems fit.
- (iv) Subjects of study under Scholastic Area shall be assessed jointly by the School and Board. Details of question papers, marks and duration will be as per the Scheme informed by the Board from time to time.

17. MERIT CERTIFICATES

The Board will award Merit Certificates to such candidates who have obtained Grade A 1 in all the five subjects (excluding the 6th additional subject) under Scholastic Area as per the qualifying criteria.

18. QUALIFYING CRITERIA

- i) A candidate will be eligible to get the Qualifying Certificate, if he/she gets a minimum Grade
 D in all the five subjects (excluding the 6th additional subject) under Scholastic Area in the
 main or at the subsequent five attempts of Improvement of Performance.
- (ii) No overall grade shall be awarded. However, Cumulative Grade Point Average (CGPA) shall be indicated in the Statement of Subject wise Performance. Subject wise and overall indicative percentage of marks could be derived based on Grade Point/Cumulative Grade Point Average
- (iii) In respect of a candidate offering an additional subject, the following norms shall be applied:
 - (a) The replacement shall satisfy the conditions as laid down in the Scheme of Studies.

(iv) संचयी ग्रेड बिंदु औसत (सीजीपीए) विषयवार निष्पादन के विवरण में भी दर्शाए जाएंगे।

टिप्पणीः संचयी ग्रेड बिन्दु औसत (सीजीपीए) अध्ययन की योजना के अनुसार छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर सभी विषयों में प्राप्त ग्रेड बिन्दुओं का औसत है। अंकों की विषयवार और समग्र संकेतात्मक प्रतिशतता निम्नानुसार निर्धारित की जा सकती है:-

- अंकों की विषयवार संकेतात्मक प्रतिशतता = 9.5 x विषय का ग्रेड बिन्दु (जीपी)
- \bullet अंकों की समग्र संकेतात्मक प्रतिशतता $= 9.5 \times 10^{-5} \times 10^{-$

16. परीक्षाओं की योजना (माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा)

- (i) कक्षा IX, X, XI, XII के लिए शैक्षिक क्षेत्र के अधीन विषयों में रचनात्मक निर्धारण विद्यालयों द्वारा किया जाएगा। कक्षा X के लिए सारांशात्मक निर्धारण पाठ्यचर्या दस्तावेज और सीबीएसई-आई पोर्टेंल पर उपलब्ध पिरिपत्रों में दिए विनिर्देशनों के आधार पर बोर्ड द्वारा किया जाएगा। सह-शैक्षिक क्षेत्रों का निर्धारण उपलब्ध कराए गए निर्धारणों के सूचकों पर आधारित हो सकता है।
- (ii) शैक्षिक क्षेत्र तथा सह-शैक्षिक क्षेत्रों के अधीन विषयों के लिए मूल्यांकन विद्यालय में उसके सतत निर्धारण के दौरान विद्यार्थी के संचयी रिकार्ड पर आधारित होगा।
- (iii) विद्यालयों से छात्र की उपलब्धि और प्रगति का नियमित रिकार्ड रखने की आशा की जाती है। इन रिकार्डों की संवीक्षा बोर्ड द्वारा जब उचित समझे की जाएगी।
- (iv) शैक्षिक क्षेत्र के अधीन अध्ययन के विषयों का निर्धारण संयुक्त रूप से विद्यालय तथा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। प्रश्न पत्रों, अंकों एवं अविध के ब्यौरे समय-समय पर बोर्ड द्वारा सूचित योजना के अनुसार होंगे।

17. योग्यता (मेरिट) प्रमाण पत्र

बोर्ड ऐसे विद्यार्थियों को योग्यता (मेरिट) प्रमाण पत्र प्रदान करेगा जिन्होंने अर्हता मानदंड के अनुसार शैक्षिक क्षेत्रों के तहत सभी पांच विषयों में (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) ग्रेड ए1 प्राप्त किया है।

18. अर्हक मानदंड

- (i) ऐसा परीक्षार्थी अर्हक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, यदि वह मुख्य अथवा निष्पादन के सुधार के उत्तरवर्ती पांच प्रयासों में जैसा भी मामला हो शैक्षिक क्षेत्र के तहत सभी पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम ग्रेड डी प्राप्त करता है।
- (ii) कोई संपूर्ण श्रेणी नहीं दी जाएगी। तथापि विषयवार निष्पादन के विवरण में संचयी ग्रेड बिंदु औसत (सीजीपीए) दर्शाया जाएगा। ग्रेड बिंदु ⁄संचयी ग्रेड बिंदु औसत पर आधारित अंकों की विषयवार और संपूर्ण संकेतात्मक प्रतिशतता निकाली जा सकती है।
- (iii) अतिरिक्त विषय लेने वाले विद्यार्थी के मामले में निम्नलिखित मानक लागू-होंगेः
 - (क) प्रतिस्थापन, अध्ययन की योजना में यथानिर्धारित शर्तों को पूरा करेगा।

- (iv) Candidates exempted from one or more subjects under Scholastic Area and Co-Scholastic Area as well as (Core Areas) shall be eligible for appearing in the Formative and Summative Assessments and result shall be declared subject to fulfillment of other conditions laid down in the Qualifying Criteria
- (v) In order to be eligible to qualify Class IX and XI examination a candidate shall have to obtain minimum Grade D in all the five subjects(excluding the 6th additional subject) under Scholastic Area, at the main or the subsequent improvement of Performance attempt.

19. ELIGIBILITY FOR IMPROVEMENT OF PERFORMANCE

A candidate obtaining Grades El or E2 in any or all the five main subjects (excluding the 6th additional subject) under Scholastic Area, as per the Scheme of Studies, jointly examined by the School and Board shall be eligible for Improvement of Performance in any or all the five subjects.

20. IMPROVEMENT OF PERFORMANCE

- (i) A candidate who has appeared for the CBSE-i Secondary/Senior Secondary School Examination conducted by the Board/Senior Secondary School affiliated to the Board and obtained Grades El or E2 in any or all the five subjects(excluding the 6th additional subject) under Scholastic Area, as per the Scheme of Studies, shall be eligible for improving his/her performance in any or all the five subjects and may reappear at the Improvement of Performance examination to be conducted by the Board for all such candidates to be held in the same year. The candidate will be issued Statement of Subject wise Performance/Certificate of School-Based Assessment provided he/she obtains minimum Grade 0 in at least five subjects (excluding the 6th additional subject) as per the Scheme of Studies and grades in the subjects under Scholastic Areas.
- (ii) A candidate who fails to obtain minimum Grade D in the five subjects (excluding the 6th additional subject) under Scholastic Area at one **or all the** chance of Improvement of Performance at the Secondary /Senior Secondary School Examination shall be treated to have not qualified the examination and shall be required to reappear in all the subjects at the subsequent examination to be held in March of the subsequent year as per syllabi and courses **laid down for Summative Assessment II** for the year of examination concerned, in order to qualify the examination. The candidates' grades obtained in all the Formative Assessments and Summative Assessment I at the Main examination shall be carried over.
- (iii) In total, a student will get five chances to improve his/her grades from E₁ or E₂ to obtain higher grades for promotion to next high Class.
- (iv) A candidate who fails to obtain minimum Grade in the five subjects(excluding the 6th additional subject) under Scholastic Area at the Secondary School Examination conducted by the Board shall be provisionally admitted to class XI till he takes in the subsequent first chance Improvement of Performance to be held that year. His/her admission shall be treated as cancelled if he fails to obtain minimum Grade (D) in the five subjects(excluding the 6th additional subject) under Scholastic Area at the first chance Improvement of Performance.

- (iv) शैक्षिक क्षेत्र और सह-शैक्षिक क्षेत्रों के अलावा कोर क्षेत्र के तहत एक या एक से अधिक विषयों से छूट प्राप्त विद्यार्थी रचनात्मक और सारांशात्मक निर्धारण में बैठने के पात्र होंगे और उनके परिणाम घोषित जाएंगे/बशर्तें कि वे अर्हक मानदंड में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करते हों।
- (v) कक्षा IX और XI की परीक्षा की अर्हता के लिए पात्र होने हेतु एक विद्यार्थी को मुख्य अथवा उत्तरवर्ती निष्पादन के सुधार के प्रयास में शैक्षिक क्षेत्र के तहत सभी पांच विषयों (अतिरिक्त छठे विषय को छोड़कर) में न्यूनतम ग्रेड डी, प्राप्त करना होगा।

19. निष्पादन में सुधार के लिए पात्रता

विद्यालय और बोर्ड द्वारा ली गई संयुक्त परीक्षा में अध्ययन की योजना के अनुसार शैक्षिक क्षेत्र के तहत किसी अथवा सभी पांच मुख्य विषयों (छठे विषय को छोड़कर) में ग्रेड ई1 अथवा ई2 प्राप्त करने वाला परीक्षार्थी किसी अथवा सभी पांच विषयों में निष्पादन में सुधार करने के लिए पात्र होगा।

20. निष्पादन में सुधार

- (i) ऐसा परीक्षार्थी जो बोर्ड/बोर्ड से संबद्ध वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय द्वारा संचालित सीबीएसई आई माध्यमिक/ विरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में शामिल हुआ हो और अध्ययन की योजना के अनुसार शैक्षिक क्षेत्र के तहत किसी अथवा सभी विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में ग्रेड ई1 अथवा ई2 प्राप्त की हो, किसी अथवा सभी पांच विषयों में अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए पात्र होगा और ऐसे परीक्षार्थियों के लिए उसी वर्ष में बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षा में निष्पादन में सुधार के लिए पुनः शामिल हो सकता/सकती है। परीक्षार्थी को विषयवार निष्पादन का विवरण/विद्यालय आधारित निर्धारण का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा बशर्तें कि अध्ययन की योजना के अनुसार कम से कम पांच विषयों में (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) न्यूनतम ग्रेड डी और शैक्षिक क्षेत्रों के तहत विषयों में ग्रेड प्राप्त करता/करती है।
- (ii) ऐसा परीक्षार्थी जो माध्यमिक विरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में निष्पादन में सुधार के एक अथवा सभी अवसरों में शैक्षिक क्षेत्र के तहत पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम ग्रेड 'डी' प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसे परीक्षा में अर्हक नहीं माना जाएगा और परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए संबंधित परीक्षा के वर्ष के लिए सारांशात्मक निर्धारण -II के लिए निर्धारित कोर्सों और पाठ्यक्रम के अनुसार उत्तरवर्ती वर्ष के मार्च में आयोजित होने वाली उत्तरवर्ती परीक्षा में सभी विषयों में पुनः उपस्थित होना होगा। मुख्य परीक्षा में सभी रचनात्मक निर्धारण और सारांशात्मक निर्धारण -I में प्राप्त परीक्षार्थी के ग्रेडों को आगे ले जाया जाएगा।
- (iii) एक छात्र को अगली उच्च कक्षा में प्रोन्नित के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने के लिए अपने ग्रेड ξ_1 अथवा ξ_2 में सुधार के लिए पांच अवसर प्राप्त होंगे।
- (iv) ऐसा परीक्षार्थी जो बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में शैक्षिक क्षेत्र के तहत पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम ग्रेड 'डी' प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसे उस वर्ष आयोजित होने वाले निष्पादन में सुधार के उत्तरवर्ती प्रथम अवसर में उसके भाग लेने तक कक्षा XI में अस्थायी रूप से प्रवेश दिया जाएगा। उसका प्रवेश रद्द माना जाएगा यदि वह निष्पादन के सुधार के प्रथम अवसर में शैक्षिक क्षेत्र के तहत पांच विषयों में (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) न्यूनतम ग्रेड 'डी' प्राप्त करने में असफल रहता/रहती है।

21. UPGRADING OF PERFORMANCE

- (i) A candidate who has obtained minimum Grade D in the five subjects under Scholastic Area and a Qualifying Certificate of School Based Assessment at the Secondary/Senior Secondary School Examination may reappear at the examination for upgrading of performance in the main examination in succeeding year only, provided he/she has not pursued higher studies in the mean time. The candidates appearing for upgrading of performance in the examination can appear in the subject(s) only in which they have obtained minimum Grade D.
- (ii) A candidate appearing for upgrading of performance shall appear in the syllabus prescribed for Summative Assessment II only for the year of examination or the final examination.
- (iii) Candidates who appear for upgrading of performance shall be issued only Statement of Subject wise Performance reflecting the grades obtained in the said examination.
- (iv) A candidate appearing for upgrading of performance in one or more subjects cannot appear for additional subject simultaneously.

22. Other Conditions

Rest of the conditions or any other conditions not specifically contained in this chapter, the Bye Laws laid down in other Chapters of the Examination Byelaws and amendment made there to from time to time will be applicable.

21. निष्पादन में उन्नयन

- (i) जिस विद्यार्थी ने माध्यमिक∕विरष्ठ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में शैक्षिक क्षेत्र के तहत पांच विषयों में न्यूनतम ग्रेड 'डी' और विद्यालय आधारित निर्धारण का अर्हक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है निष्पादन में उन्नयन के लिए परीक्षा में केवल अनुवर्ती वर्ष की मुख्य परीक्षा में पुनःबैठ सकता है बशर्तें कि इसी बीच वह उच्च अध्ययन में नहीं लगा हो। परीक्षा में निष्पादन में उन्नयन के लिए बैठने वाले परीक्षार्थी केवल उसी विषय (यों) में परीक्षा में बैठ सकते हैं जिनमें उन्होंने न्यूनतम ग्रेड डी प्राप्त किया है।
- (ii) निष्पादन में उन्नयन ग्रेड के लिए बैठने वाले परीक्षार्थी वर्ष की परीक्षा अथवा अंतिम परीक्षा के लिए केवल सारांशात्मक निर्धारण II के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में बैठेगा।
- (iii) निष्पादन में उन्नयन के लिए बैठने वाले परीक्षार्थी को कथित परीक्षा में प्राप्त ग्रेड दर्शाते हुए केवल विषयवार निष्पादन का विवरण जारी किया जाएगा।
- (iv) एक या अधिक विषयों में निष्पादन में उन्नयन के लिए बैठने वाला परीक्षार्थी एक ही समय अतिरिक्त विषय के लिए नहीं बैठ सकता।

22. अन्य शर्ते

शेष शर्तें अथवा कोई अन्य शर्तें जो इस अध्याय में विशिष्ट रूप से विहित नहीं हैं, परीक्षा उप विधि के अन्य अध्यायों में निर्धारित उपविधियों और समय-समय पर किए गए संशोधन लागू होंगे।

FORMAT OF TRANSFER CERTIFICATE

SCHOOL NAME WITH COMPLETE ADDRESS AS RECORDED IN THE AFFILIATION BRANCH OF THE BOARD ALONGWITH SEAL

Affilia	ation No	School Code			
Book	No	SI. No		Admission No.	
1.	Name of Pupil				
2.	Mother's Name				
3.	Fathers/Guardian's Nam	e			
4.	Date of birth (in Christian (in figures)	,		•	
5.	Nationality				
*6.	Whether the candidate b	pelongs to Schedule C	aste or Schedu	le Tribe or OBC	
7.	Date of first admission in	the School with class	3		
8.	Class in which the pupil	last studied (in figures)	(in words).	
9.	School/Board Annual exa	amination last taken w	ith result		
10.	Whether failed, if so onc	e/twice in the same cl	ass		
11.	Subjects Studied: 1	2	3	.4	5
12.	Whether qualified for pro	•			
13.	Month upto which the pu	pil has paid school du	es		
14.	Any fee concession avai	led of. If so, the natur	e of such conce	ssion	

^{*}Amended in the Examination Committee's meeting held on 25.1.2012 and approved by the Governing Body at its meeting held on 02.2.2012.

स्थानांतरण प्रमाण पत्र का आरूप

बोर्ड की संबद्धता शाखा में उल्लिखित अनुसार विद्यालय का नाम, पूरा पता तथा मोहर

	संबद्धता संख्या विद्यालय कोड
	खाता सं प्रवेश संख्या प्रवेश संख्या
1.	विद्यार्थी का नाम
2.	माता का नाम
3.	पिता⁄अभिभावक का नाम
4.	प्रवेश व निकासी रजिस्टर के अनुसार जन्म तिथि (ईसवी सन् में) (अंकों में)
5.	राष्ट्रीयता
*6.	क्या अभ्यर्थी अनूसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है
7.	विद्यालय में प्रथम प्रवेश की तिथि व कक्षा
8.	वह कक्षा जिसमें विद्यार्थी ने अंतिम अध्ययन किया (अंकों में) (शब्दों में)
9.	विद्यालय/बोर्ड की अंतिम वार्षिक परीक्षा व परिणाम
10.	क्या अनुतीर्ण हुआ / हुई, यदि हाँ तो उसी कक्षा में एक बार/दो बार
11.	अध्ययन किए गए विषय 1 2 3 4 5
12.	क्या उच्च कक्षा में प्रोन्नति के लिए योग्य हैं
	यदि हाँ तो किस कक्षा में (अंकों में)
13.	विद्यार्थी ने किस माह तक विद्यालय की बकाया राशि का भुगतान किया है
14.	शुल्क में कोई रियायत प्राप्त की ही है, यदि हां तो वह रियायत किस प्रकार की है

^{*}परीक्षा समिति की 25.01.2012 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय द्वारा 02.2.2012 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

15.	Total No. of working da	ays in the academic session						
16.	Total No. of working days pupil present in the school							
17.	Whether NCC Cadet/Boy Scout/Girl Guide (details may be given)							
18.	Games played or extra curricular activities in which the pupil usually took part (mention achievement level therein)							
19.	General conduct							
20.	Date of application for	certificate						
21.	Date of issue of certificate							
22.	Reasons for leaving the school							
23.	Any other remarks							
	Signature of class teacher	Checked by (with full name and designation)	Signature of Principal with date School SEAL					

*Transfer certificate should be issued only under the signatures of the regular Principal/Vice Principal and it should be counter-signed by an officer not below the rank of District Inspector of Schools/ Deputy Director of Education/Education Officer of the Education Deptt. of the State/Union Territory concerned. In case of a student migrating from one CBSE affiliated school to another CBSE affiliated school the transfer certificate of a previous school of such a student may be countersigned by the Regional Officer of the Board or the Asstt. Commissioner of the KVS or the Deputy Director, Navodaya Vidyalaya Samiti in India or an officer of the Board at the Head Quarters and by the First Secretary/ Attache/Cultural Attache or an equivalent officer of the Embassy/High Commission of India in the concerned country in respect of students studying in an affiliated school of the CBSE situated outside the country and the student shall not be admitted to a school without such a counter signature. Assistant Commissioners, KVS have also been authorised to countersign the Transfer Certificates issued by the schools run by Directorate General, Border Security Force.

^{*}Rule amended in the Examination Committee's meeting of 7.5.1999 and approved by the Governing Body at its meeting held on 13.5.1999. Rule further amended in the Examination Committee's meeting held on 30.10.2006 and approved by the Governing Body at its meeting held on 22.12.2006.

15.	शैक्षणिक सत्र में कुल कार्य दिवसों की संख्या
16.	विद्यार्थी की विद्यालय उपस्थित के कार्य दिवसों की कुल संख्या
17.	क्या एन सी सी कैंडेट⁄ब्वाय स्काउट⁄गर्ल गाइड है (ब्यौरा दिया जाए)
18.	विद्यार्थी ने किन किन खेलों अथवा पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में भाग लिया (उसमें उपलब्धि का विवरण दिया जाए)
19.	सामान्य आचरण
20.	प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की तारीख
21.	प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख
22.	विद्यालय छोड़ने के कारण
23.	कोई अन्य अभियुक्तियाँ

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर कक्षाआध्यापक के हस्ताक्षर जाँचकर्ता (पूरा नाम और पदनाम लिखें) (तिथि तथा विद्यालय की मोहर सहित)

*स्थानांतरण प्रमाण पत्र केवल नियमित प्राधनाचार्य/उप प्राधानाचार्य के हस्ताक्षर से जारी किया जाना चाहिए और इस पर ऐसे अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए जो राज्य/संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा विभाग के जिला विद्यालय निरीक्षक/शिक्षा उपनिदेशक/शिक्षा अधिकारी के स्तर से नीचे का न हो। यदि कोई विद्यार्थी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध किसी विद्यालय के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध दूसरे विद्यालय में अंतरण चाहता है तो ऐसे विद्यार्थी के पिछले विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण पत्र भारत में बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अथवा केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहायक आयुक्त अथवा उप-निदेशक, नवोदय विद्यालय समिति अथवा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय स्थित बोर्ड के अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए और भारत से बाहर स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबद्ध विद्यालय द्वारा जारी किए गए स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर प्रथम सचिव/अताशे/सांस्कृतिक अताशे या उसके समकक्ष भारतीय दूतावास/उच्च आयोग में कार्यरत अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए। ऐसे प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के बिना विद्यार्थी को विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जाएगा। महानिदेशालय, सीमा सुरक्षा बल द्वारा संचालित विद्यालयों द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन को भी प्राधिकृत किया गया है।

^{*} नियम परीक्षा सिमिति की 7.5.1999 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 13.5.1999 की बैठक में अनुमोदित किया गया। यह नियम आगे परीक्षा सिमिति कि 30.10.2006 की आयोजित बैठक में पुनः संशोधित किया गया और शासी निकाय की 22.12.2006 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

SCALE OF FEE

The scale of fees prescribed by the Board in respect of the examinations, certificates, duplicate copies of documents etc., will be as under. The fees prescribed are however, subject to revision without Notice by the Board at any time.

		Regu (Class		_	Regular (Class X) (Private (Class XII)		e X)
		Delhi	All India	Delhi	All India	Delhi	All India	Delhi	All India
1.	From each candidate (in India)	250	500	Board based SAII 250 Schoo based SAII 125	SAII 500 I Schoo	l ol	600	400	600
2.	Fee for one Additional/Compartment/Imp-rovement of Performance subject (Class-XII)/Impovement of performance subject/Upgrading of Performance (Class-X) (In India)	120	200	120	200	150	250	150	250
3.	Fee for two subjects for Improvement of Performance (Class XII)/Upgrading of Performance/Improvement of Performance (Class-X) in India	230	400	230	400	320	550	320	500
4.	Fee for three or more subjects for Improvement of Performance (Class-X) in India			250	500			400	600
5.	Fee for three and more subjects for Improvement of Performance (Class XII)/ Upgrading of Perfomance (Class X) in India	250	500	250	500	400	600	400	600

All India-All India Scheme
Delhi - Delhi Scheme
SA II - Summative Assessment II

संलग्नक-II

शुल्क का पैमाना

परीक्षाओं, प्रमाण पत्रों, प्रलेखों की दूसरी प्रतियों आदि के संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क निम्नलिखित होंगे तथापि बोर्ड निर्धारित शुल्क का किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना परिशोधन कर सकता है :-

		नियमि (कक्षा-X		नियमित (कक्षा-X		प्राइवेट क्षा-XII	<u>(</u>)	प्राइवेट (कक्षा-Σ	
		दिल्ली	अखिल भारतीय	दिल्ली	अखिल भारतीय	दिल्ली	अखिल भारतीय		अखिल भारतीय
1.	प्रत्येक विद्यार्थी से (भारत में)	250	500	एस.ए. II 250 विद्यालय	बोर्ड आधारित एस.ए. II 500 विद्यालय आधारित एस.ए.		600	400	600
2.	एक अतिरिक्त/पूरक/निष्पादन संबंधी सुधार विषय (कक्षा-XII)/निष्पादन संबंधी सुधार विषय/निष्पादन के उन्नयन (कक्षा-X) हेतु शुल्क (भारत में)	120	200	120	200	150	250	150	250
3.	निष्पादन संबंधी सुधार दो विषयों में (कक्षा-XII)/निष्पादन संबंधी सुधार/ निष्पादन में उन्नयन (कक्षा-X) हेतु शुल्क (भारत में)	230	400	230	400	320	550	320	500
4.	निष्पादन संबंधी सुधार के लिए तीन या इससे अधिक विषयों हेतु शुल्क (कक्षा-X) (भारत में)			250	500			400	600
5.	निष्पादन संबंधी सुधार के लिए तीन और अधिक विषयों हेतु (कक्षा-XII)/ निष्पादन के उन्नयन (कक्षा-X) हेतु शुल्क (भारत में)	250	500	250	500	400	600	400	600

अखिल भारतीय - अखिल भारतीय योजना

दिल्ली - दिल्ली योजना

एस ए-II - सारांशात्मक निर्धारण-II (सम्मेटिव एसेसमेन्ट)

6.	From each candidate from a foreign country		3000	 Board based SAII 3000 School based SAII 1500		3000	 3000
7.	Fee for one Additional/Compartment/Improvement of Performance subject (Class-XII)/Improvement of Performance/Upgrading of Performance subject (Class-X) (from a foreign candidate)		1000	 1000		1000	 1000
8.	Fee for Two subjects for Improvement of Performance (Class XII)/Upgrading of Performance/Improvement of Performance (Class-X) from a foreign candidate		2000	 2000		2000	 2000
9.	Fee for Three or more subjects for Improvement of Performance (Class XII)/ Upgrading of Performance (Class X) from a foreign candidate		3000	 3000		3000	 3000
10.	Additional fee for each subject involving practical (In India)	25	40	 	25	40	
11.	Additional fee for each subject involving practical (from a foreign candidate)		125	 		125	

6	विदेश में प्रत्येक परीक्षार्थी से शुल्क		3000	 बोर्ड आधारित एस.ए II 3000 विद्यालय आधारित एस.एI 1500		3000	 3000
7	एक अतिरिक्त/पूरक/निष्पादन संबंधी सुधार विषय (कक्षा-XII)/ निष्पादन संबंधी सुधार/निष्पादन संबंधी उन्नयन विषय (कक्षा-X) के लिए शुल्क (विदेश में विद्यार्थी)		1000	 1000		1000	 1000
8.	विदेश में विद्यार्थी के दो विषयों में निष्पादन संबंधी सुधार (कक्षा-XII)/ निष्पादन के उन्नयन/निष्पादन संबंधी सुधार (कक्षा-X) हेतु शुल्क		2000	 2000		2000	 2000
9	विदेश में विद्यार्थी के तीन या इससे अधिक विषयों में निष्पादन संबंधी सुधार (कक्षा-XII)/निष्पादन के उन्नयन (कक्षा-X) के लिए शुल्क		3000	 3000		3000	 3000
10.	प्रायोगिक परीक्षा वाले प्रत्येक विषय के लिए अतिरिक्त शुल्क (भारत में)	25	40	 	25	40	
11.	प्रायोगिक परीक्षा वाले प्रत्येक विषय के लिए अतिरिक्त शुल्क (विदेश में विद्यार्थी से)		125	 		125	

*12. Late fee (for all candidates)

Last date without late	15th September
Fee	
Last date with late fee	upto 30th September
of Rs.150/- per candidate	
Last date with late tee	upto 15th October
of Rs.250/- per candidate	
Last date with late fee	Upto 30th October
of Rs.350/- per candidate	
Last date with late fee	Upto 15th January
of Rs.5000/- per candidate	

Other Fees (for all the four Examinations)

	()	
1.	Fee for verification of marks/ grades of a candidate per subject	₹ 200.00
	(a) for urgent verification online within 05 days from the date declaration of result	₹ 300.00
	(b) for applications received online or offline within 21 days from the date of declaration of result	₹ 200.00
2.	Fee for duplicate copy of Admission card	₹ 50.00
3.	Fee for duplicate copy of certificate/marks-sheet	₹ 100.00
4.	Fee for Migration Certificate or a duplicate copy there of	₹ 100.00
5.	Fee for a date of birth certificate	₹ 100.00
6.	Fee for Provisional certificate of passing the examination	₹ 100.00
7.	Fee for correction in certificate/Marksheet (Date of Birth, Name etc.)	₹ 500.00
8.	Urgent fees, if required within 48 hours	₹ 100.00
9(a)	Schedule of Receipt of registration forms each year:	
	(i) Without late fees on payment of Rs. 100/- per Student	Upto 31st August
	(ii) With late fee of Rs.20/- per student	Up to 15th September
	(iii) With late tee of Rs.30/- per student	Up to 30th September
	(iv) With late tee of Rs.40/- per student	Up to 15th October
9(b)	Fee for duplicate registration card	₹ 100/-
10.	Verification of statement of marks Certificate of Class X or XII or both for a particuler candidate (except the cases received from Government departments)	₹ 200/-
11.	Fees for change in Candidate/Mother's/Father's/Guardians name	₹ 1000/- + Actual cost of the documents
12.	Penalty for correction in subject after filling in the List of Candidates	₹ 500/- per candidate

Fee structure has been approved by the Finance Committee at its meeting held on 24.8.2011 and approved by the Governing Body at its meeting held on 6.11.2011.

*12. विलंब शुल्क (सभी अभ्यर्थियों के लिए)

बिना विलंब शुल्क अंतिम तिथि	15 सिंतबर
150/- रू. प्रति विद्यार्थी विलंब	30 सिंतबर तक
शुल्क सहित अंतिम तिथि	
250/- रू. प्रति विद्यार्थी विलंब	15 अक्टूबर तक
शुल्क सहित अंतिम तिथि	
350/- रू. प्रति विद्यार्थी विलंब	30 अक्टूबर तक
शुल्क सहित अंतिम तिथि	
5000/- रू. प्रति विद्यार्थी विलंब	15 जनवरी तक
शुल्क सहित अंतिम तिथि	

अन्य शुल्क (सभी चार परीक्षाओं के लिए)

1.	किसी विद्यार्थी के प्रति विषय प्राप्ताकों/श्रेणियों के	₹ 200.00
	सत्यापन हेतु शुल्क क तत्काल सत्यापन ऑनलाइन के लिए परिणामों की घोषणा की तिथि के 05 दिन के भीतर	₹ 300.00
	ख ऑनलाइन/ऑफलाइन प्राप्त आवेदन के लिए परिणाम की घोषणा की तिथि के 21 दिन के भीतर	₹ 200.00
2	प्रवेश पत्रक की अनुलिपि का शुल्क	₹ 50/-
3	प्रमाण पत्र⁄ अंक तालिका की अनुलिपि के लिए शुल्क	₹ 100/-
4	प्रवास प्रमाण पत्र अथवा उसकी द्वितीय प्रति के लिए शुल्क	₹ 100/-
5	जन्म तिथि प्रमाण पत्र का शुल्क	₹ 100/-
6	परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी अस्थाई प्रमाण पत्र का शुल्क	₹ 100/-
7	प्रमाण पत्र⁄ अंकतालिका (जन्म तिथि, नाम इत्यादि) में दोष	₹ 500/-
	सुधार के लिए शुल्क	
8	तत्काल प्राप्ति के लिए शुल्क, यदि 48 घंटे में चाहिए	₹ 100/-
9.	(क) प्रत्येक वर्ष पंजीकरण फार्म प्राप्त करने की समय सारिणी -	
	(i) बिना विलम्ब शुल्क प्रति विद्यार्थी 100/- रू. के भुगतान पर	- 31 अगस्त तक
	(ii) विलंम्ब शुल्क सहित प्रति विद्यार्थी 20/- रू. के भुगतान पर	- 15 सिंतबर तक
	(iii) विलंम्ब शुल्क सहित प्रति विद्यार्थी 30/- रू. के भुगतान पर	- 30 सिंतबर तक
	(iv) विलंम्ब शुल्क सहित प्रति विद्यार्थी 40/- रू. के भुगतान पर	- 15 अक्तूबर तक
9.	(ख) पंजीकरण पत्रक की द्वितीय प्रति/अनुलिपि प्राप्त करने का शुल्क	₹ 100/-
10.	सरकारी विभागों से प्राप्त मामलों को छोड़कर कक्षा X या XII या दोनों	₹ 200/-
	कक्षाओं के अंकों के विवरण/प्रमाण पत्र के सत्यापन के मामले में शुल्क	
11.	अभ्यर्थी के माता/पिता/अभिभावक के नाम के बदलने के मामलों	₹ 1000/-
	में शुल्क	व प्रमाण पत्र का वास्तविक
		शुल्क अतिरिक्त
12.	अभ्यर्थी की सूची भरने के बाद विषय परिवर्तन करने पर शुल्क	₹ 500/- प्रति अभ्यर्थी

फीस का ढांचा वित्त समिति द्वारा इसकी 24.08.2011 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया और इसे शासी निकाय की 6.11.2011 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

DEFINITIONS AS GIVEN IN THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION ACT, 2009 (35 OF 2009) (NOT APPLICABLE FOR THE STATE OF JAMMU & KASHMIR)

In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (a) "appropriate Government" means-
 - in relation to a school established, owned or controlled by the Central Government, or the administrator of the Union territory, having no legislature, the Central Government;
 - (ii) in relation to a school, other than the school referred to in sub-clause(i), established within the territory of-
 - (A) A State, the State Government;
 - (B) A Union territory having legislature, the Government of that Union territory,
- (b) "capitation fee" means any kind of donation or contribution or payment other than the fee notified by the school;
- (c) "child" means a male or female child of the age of six to fourteen years;
- (d) "child belonging to disadvantaged group" means a child belonging to the Scheduled Caste, the Schedule Tribe. the socially and educationally backward class or such other group having disadvantage owing to social, cultural, economical, geographical, linguistic, gender or such other factor, as may be specified by the appropriate Government, by notification;
- (e) "child belonging to weaker section" means a child belonging to such parent or guardian whose annual income is lower than the minimum limit specified by the appropriate Government, by notification;
- (f) "elementary education" means the education from first class to eighth class;
- (g) "guardian", in relation to a child, means a person having the care and custody of that child and includes a natural guardian or guardian appointed or declared by a court or a statute;
- (h) "local authority" means a Municipal Corporation or Municipal Councilor or Zila Parishad or Nagar Panchayat or Panchayat, by whatever name called, and includes such other authority or body having administrative control over the school or empowered by or under any law for the time being in force to function as a local authority in any city, town or village;
- (i) "National Commission for Protection of Child Rights" means the National Commission for Protection of Child Rights constituted under section 3 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005.

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्याक 35) दी गई परिभाषाएं (जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए लागू नहीं)

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (क) ''समुचित सरकार'' से -
 - (i) केन्द्रीय सरकार या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के, जिसमें कोई विधान-मंडल नहीं है, प्रशासक द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय के संबंध में, केन्द्रीय सरकार;
 - (ii) उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट विद्यालय से भिन्न, -
 - (क) किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में, राज्य सरकार;
 - (ख) विधान-मंडल वाले किसी संघ राज्य क्षेत्र के भीतर स्थापित विद्यालय के संबंध में उस संघ राज्यक्षेत्र की सरकार, अभिप्रेत है;
- (ख) ''प्रति व्यक्ति फीस'' से विद्यालय द्वारा अधिसूचित फीस से भिन्न किसी प्रकार का संदान या अभिदाय अथवा संदाय अभिप्रेत है;
- (ग) ''बालक'' से छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है;
- (घ) ''अलाभित समूह का बालक'' से अनुसूचित जाित, अनुसूचित जनजाित, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भोगोिलिक, भाषाई, लिंग या ऐसी अन्य बात के कारण, जो समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए, अलाभित ऐसे अन्य समूह का कोई बालक अभिप्रेत है;
- (ड·) ''दुर्बल वर्ग का बालक'' से ऐसे माता-पिता या संरक्षक का बालक अभिप्रेत हैं, जिसकी वार्षिक आय समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम हैं;
- (च) ''प्रारंभिक शिक्षा'' से पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक की शिक्षा अभिप्रेत है;
- (छ) किसी बालक के संबंध में ''संरक्षक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जिसकी देखरेख और अभिरक्षा में वह बालक है और इसके अंतर्गत कोई प्राकृतिक संरक्षक या किसी न्यायालय या किसी कानून द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक भी है;
- (ज) ''स्थानीय प्राधिकारी'' से कोई नगर निगम या नगर परिषद् या जिला परिषद् या नगर पंचायत या पंचायत, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत विद्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाला किसी नगर, शहर या ग्राम में किसी स्थानीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन सशक्त ऐसा अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय भी हैं;
- (झ) ''राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग'' से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत हैं;

- (j) "Notification" means a notification published in the Official Gazette;
- (k) "parent" means either the natural or step or adoptive father or mother of a child.
- (I) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (m) "Schedule" means the Schedule annexed to the Act;
- (n) "school" means any recognized school importing elementary education and includes-
 - (i) a school established, owned or controlled by the appropriate Government or a local authority;
 - (ii) an aided school receiving aid or grants to meet whole or part of its expenses from the appropriate Government or the local authority;
 - (iii) A school belonging to specified category; and
 - (iv) an unaided school not receiving any kind of aid or grants to meet its expenses from the appropriate Government or the local authority;
- (o) "screening procedure" means the method of selection for admission of a child, in preference over another, other than a random method;
- (p) "specified category", in relation to a school, means a school known as Kendriya Vidyalaya, Navodaya Vidyalaya, Sainik School or any other school having a distinct character which may be specified, by notification, by the appropriate Government;
- (q) "State Commission for Protection of Child Rights" means the State Commission for Protection of Child Rights constituted under section 3 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005.

- (ञ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत हैं;
- (ट) ''माता-पिता'' से किसी बालक का प्राकृतिक या सौतेला या दत्तक पिता या माता अभिप्रेत है;
- (ठ) ''विहित'' से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैं;
- (ड) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ढ) ''विद्यालय'' से प्रारंभिक शिक्षा देने वाला कोई मान्यताप्राप्त विद्यालय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं:-
 - (i) समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई विद्यालय;
 - (ii) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से अपने संपूर्ण व्यय या उसके भाग को पूर्ति करने के लिए सहायता या अनुदान प्राप्त करने वाला कोई सहायताप्राप्त विद्यालय;
 - (iii) विनिर्दिष्ट प्रवर्ग का कोई विद्यालय; और
 - (iv) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से अपने संपूर्ण व्यय या उसके भाग की पूर्ति करने के लिए किसी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त न करने वाला कोई गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय;
- (ण) ''अनुवीक्षण प्रक्रिया'' से किसी अनिश्चित पद्धित से भिन्न दूसरों पर अधिमानता में किसी बालक के प्रवेश के लिए चयन की पद्धित अभिप्रेत हैं;
- (त) किसी विद्यालय के संबंध में ''विनिर्दिष्ट प्रवर्ग'' से, केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय के रूप में ज्ञात कोई विद्यालय या किसी सुभिन्न लक्षण वाला ऐसा अन्य विद्यालय अभिप्रेत है जिसे समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाए;
- (थ) ''राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग'' से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 के अधीन गठित राज्य बालक अधिकार संरक्षण अभिप्रेत है।